नवम माला, खंड 3, अंक 11

Friday, 22nd February, 1991

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(नौवीं लोक सभा)

(खंड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 14, सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 2, शुक्रवार, 22 फरवरी, 1991/3 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	16—217
तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 20	16—43
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 35, 37 से 103, 106 से 148, 150 से 156, 158 से 194 और 196 से 202	44—217
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	218—219
सभा पटल पर रखे गए पत्र	219—223
विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक	224
राज्य सभा द्वारा यथापारित—सभा पटल पर रखा गया	
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	224
रेल अभिसमय समिति	225—229
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
स्थगन प्रस्ताव	229—303
अमरीका के विमानों को ईंधन देना बन्द करने के लिए समय पर निर्णय लेने तथा घोषित राष्ट्रीय विदेश नीति के अनुरूप खाड़ी युद्ध के बारे में उचित पहल करने में सरकार की असफलता	
श्री ए० के० राय	230 और 294
श्री एम० जे० अकबर	236 और 240
श्री आई० के० गुजराल	246
श्री जसवन्त सिंह	254
श्री एडुआर्डो फैलीरो	259
श्री इन्द्रजीत गुप्त	264

विषय	पृष्ठ
श्री सुदर्शन राय चौधरी	270
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	273
श्री चित्त बसु	274
प्रो० सैफुद्दीन सोज	276
श्री इन्द्र जीत	277
डा० तम्बि दुरै	278
श्री यादवेन्द्र दत्त	280
श्री समरेन्द्र कुन्डू	282
श्री गुमान मल लोढ़ा	284
श्री राम कृष्ण यादव	284
श्री पी० वी० नरसिंह राव	285
श्री चन्द्र शेखर	289
कार्य मंत्रणा समिति	303—304
उन्नीसवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत और स्वीकृत	
खाड़ी में व्याप्त स्थिति के बारे में	304—306
खाड़ी में शांति स्थापित करने के बारे में संकल्प	306—307
सभा का कार्य	308—311
विधेयक पुरःस्थापित	311—315
(एक) संविधान (संशोधन) विधेयक	311
(पांचवीं अनुसूची में संशोधन)	
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	311
(दो) उपभोक्ता संघ (रजिस्ट्रीकरण) विधेयक	311
प्रो० राम गणेश कापसे	311
(तीन) संविधान (संशोधन) विधेयक	312
(अनुच्छेद 371 में संशोधन)	
डा० वेंकटेश काबड़े	312
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक	312
(अनुच्छेद 324 आदि में संशोधन)	
श्री के० राममूर्ति	312

विषय	पृष्ठ
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक	312
(अनुच्छेद 316 आदि में संशोधन)	
श्री के० राममूर्ति	312
(छः) बाल-श्रम पाबन्दी विधेयक	313
श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट	313
(सात) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	313—314
(धारा 8क में संशोधन)	
श्री वामन राव महाडीक	313
(आठ) संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर विशेष-कर विधेयक	314
श्री के० राममूर्ति	314
(नौ) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक	314—315
(अनुसूची में संशोधन)	
प्रो० महादेव शिवनकर	314
संविधान (संशोधन) विधेयक	315—329
(अनुच्छेद 341 और 342 में संशोधन)	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री राम लाल राही	315 और 327
प्रो० रासा सिंह रावत	319
श्री युवराज	320
डा० चिन्ता मोहन	322
श्री प्रेम प्रदीप	322
श्री थान सिंह जाटव	324
श्री देवी लाल	325
श्री रामजी लाल सुमन	325
इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक	329—340
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जगन्नाथ सिंह	329
डा० वेंकटेश काबड़े	333
श्री दसई चौधरी	335

लोक सभा

शुक्रवार, 22 फरवरी, 1991/3 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे अपने भूतपूर्व सहयोगी श्री एम० एस० शिवसामी के दुखद निधन के सम्बन्ध में सभा को सूचना देनी है।

श्री एम० एस० शिवसामी 1971-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने सदन में तमिलनाडु के तिरुचेन्टूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व, वह 1967-1970 तक तमिलनाडु राज्य विधान सभा के सदस्य भी रहे।

एक योग्य संसदविज्ञ होने के साथ साथ वह सदन की कार्यवाहियों में गहरी रुचि लेते थे। राज्य विधान सभा सदस्य के रूप में वह लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति सहित सदन की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे।

उन्होंने कृषि और विदेश व्यापार के क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई और कृषि क्षेत्र में विकास और विदेश व्यापार के क्षेत्रों की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए पूर्व जर्मनी और सोवियत संघ का दौरा किया।

श्री शिवसामी का लगभग 74 वर्ष की आयु में 17 फरवरी, 1991 को तूतीकोरिन में निधन हो गया।

हम उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सभा दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या—एक। श्री वसन्त साठे···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हमने प्रश्नकाल को निलम्बित करने के लिए पूर्व सूचना दी है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मलिक साहब, बैठ जाएं, आप आचार्य जी को क्यों तकलीफ दे रहे हैं। आप सब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने भी पूर्व सूचना दी है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मधु दण्डवते जी, यह आपका आवर है, प्रश्न काल। यह आप लोगों का अधिकार है, आप अधिकारों को क्यों खोते हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह देश हमारा है और खाड़ी भी हमारी है। महोदय, यह भी सच है। नियम 388 के अधीन मैं आपकी अनुमति से प्रश्न काल सम्बन्धी नियम 32 को निलम्बित करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि खाड़ी युद्ध के मामले में सरकार की विफलता पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा की जा सके···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो आवर में नहीं हो सकता क्या ? आपके विवाद के लिए जीरो आवर है। प्रश्नकाल हो जाए, इसे उसके बाद लेंगे। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, सोमनाथ बाबू, कि प्रश्न काल को क्यों स्थगित करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चाहते हैं कि प्रश्नकाल को निलम्बित कर दिया जाए ताकि स्थगन प्रस्ताव को तुरन्त चर्चा के लिए लिया जा सके। महोदय देश की विदेश नीति को तिलांजलि दे दी गई···(व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : प्रश्न काल के बाद 12.00 बजे स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जा सकती है ··(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, विषय की गम्भीरता को देखते हुए प्रश्नकाल को निलम्बित किया जा सकता है और स्थगन प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा कराई जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, यदि आप प्रश्नकाल जारी रखते हैं तो भी विषय का महत्व कम नहीं होगा । यह वैसा ही रहेगा ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ऐसा पूर्व उदाहरण है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (बदायूं) : अध्यक्ष महोदय, जो गम्भीर परिस्थितियां हैं, उसके चलते और विशेष तौर से इस सवाल को लेकर, आज आपको प्रश्नकाल ससपेंड कराकर इस पर चर्चा करानी चाहिए । **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय यद्यपि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है; आप ऐसा नहीं मानते । **(व्यवधान)** उनके वर्तमान आधार के बावजूद उनकी खाड़ी सम्बन्धी नीति उनके साथ ही शुरू हुई । इसलिए वे इस पर चर्चा करने में झिझक रहे हैं । उन्हें याद होगा कि 1985 से उनकी यही नीति रही है और अमरीकी सरकार के साथ उनके घनिष्ठ सम्बन्धों के कारण खाड़ी के मामले में यह प्रश्न उठा है । **(व्यवधान)** वे जिसकी आलोचना कर रहे वह उनकी अपनी नीति है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है । बारह बजे के बाद हो जाएगा ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : गल्फ का मामला आपके लिए गम्भीर नहीं है । क्वेश्चन-आवर महत्वपूर्ण है :

श्री वसंत साठे : बहुत गम्भीर है । बहुत महत्व का है ।··· **(व्यवधान)**

श्री कालका दास (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, हरिजनों पर कत्ले-आम किया जा रहा है । यह गम्भीर स्थिति देश में है । यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है । मैंने एडजॉनमेंट मोशन दिया है, इस पर आपको चर्चा करानी चाहिए । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका मोशन मिला है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : आप तुरन्त प्रश्नकाल को निलम्बित कर दें । **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मुद्दे के महत्व को देखते हुए दूसरी सभा भी अन्य कार्य को निलम्बित कर इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रही है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नकाल है ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल यह कहना है कि······ **(व्यवधान)** महोदय, क्या आप मुझे अनुमति देंगे ? **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : हम यह चाहते हैं कि आप प्रश्नकाल को निलम्बित कर दें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय मेरा केवल यह कहना है कि खाड़ी संकट के मुद्दे पर सभा में मतभेद की न तो आवश्यकता है और न ही मतभेद होना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी (सीवन) : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन आवर ससपैंड करिए। देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस पर चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री कालका दास : देश में हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं।

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि खाड़ी संकट सदन को विभाजित करने वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। यदि सभा की कार्यवाही से यह आभास होता है कि इस मुद्दे पर हमारा मतभेद है तो राष्ट्र के लिए इसका अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव अच्छा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यही विपक्षी दल राज्य सभा में सर्वसम्मत संकल्प और चर्चा पर सहमत हुए हैं। हम भी उनके सुझाव स्वीकार कर लेते हैं। असहमति की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, क्वैश्चन-आवर को ससपैंड करिए और हरिजनों पर हुए अत्याचार पर चर्चा करवाइए।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो बजट को ही ससपैंड करवा दिया है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कुरियन ने बताया है कि राज्य सभा में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। राज्य सभा में स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वे इस संकल्प का प्रस्ताव करने पर बाध्य हो गए। लेकिन यह ऐसी व्यवस्था है और इसलिए हम प्रश्न काल को निलम्बित करके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बासुदेव आचार्य : राज्य सभा में प्रश्न काल निलंबित कर दिया गया है और उन्हें खाड़ी पर चर्चा शुरू कर दी है। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं केवल यह निवेदन करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभा में मतभेद नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रश्न काल के तुरन्त बाद हम इस पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : उसके लिए समय नहीं है क्योंकि शुक्रवार को हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को नहीं छोड़ सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा हरिजनों पर अत्याचार किया गया है, हरिजनों का दमन किया जा रहा है, उनकी हत्यायें की जा रही हैं, इसलिए क्वेश्चन-आवर को ससपैंड करके इस पर चर्चा करनी चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के लिए मैं कहां मना कर रहा हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले हम प्रश्नकाल को समाप्त करें और तब स्थगन प्रस्ताव को चर्चा के लिए ले सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डु, कृपया आप बैठ जायें, व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा जघन्य अपराध किए गए हैं, हरिजनों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन-आवर को ससपैंड करके इस पर चर्चा करवाई जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब आप बैठ जाइए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, हमने प्रश्नकाल को निलंबित करके खाड़ी और अमरीकी लड़ाकू विमानों को सरकार द्वारा ईंधन की सुविधा दिए जाने के मुद्दे पर लाए एए स्थगन प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा कराने के लिए सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा यह कहना है कि हम प्रश्नकाल को चलने दें। इस सम्बन्ध में हम प्रश्न काल के बाद निर्णय करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हरिजनों पर जो पुलिस फायरिंग हुई है यह बहुत ही शर्मनाक बात है। (व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : हरिजन हत्याकाण्ड को आप पहले लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० सेल्वारासू (नागापट्टिनम) : तमिलनाडु में लोकतन्त्र की हत्या हुई है। प्रधान मन्त्री को त्यागपत्र देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप सीट पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल हरिजनों के बारे में अभी उठा था, वह मेरे क्षेत्र का है। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर हरिजनों के साथ ज्यादती हुई है, सरकार ने उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। प्रधान मन्त्री जी यहां मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे यहां से उसकी जांच करवाकर तत्काल कदम उठाएं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, आपने हमारी बात नहीं सुनी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात् स्थगन-प्रस्ताव लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उस पर चर्चा नहीं हो रही है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन मना कर रहा है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं मामले पर विचार कर रहा हूं। प्रश्नकाल चलने दीजिए जो कि सदस्यों का अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हो जाने के पश्चात् मैं सदस्यों को मामले उठाने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन तिवारी : पहले भी महत्वपूर्ण मामलों पर प्रश्न-काल स्थगित हुआ है, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हरिजनों का मामला सबसे जरूरी है।

[अनुवाद]

मैं आपके साथ कोई तर्क नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : जब बजट ससपैंड किया जा सकता है कांग्रेस के कहने पर तो प्रश्नकाल को क्यों नहीं ससपैंड कर सकते।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, वहां आग लग रही है उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते तो फिर क्या करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैं मना नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री कालका दास : प्रश्नकाल को स्थगित करें, हरिजनों वाले मामले पर विचार करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप हरिजनों का मामला उठा रहे हैं, वे दूसरा उठा रहे हैं और कुछ अन्य सदस्य तीसरा उठा रहे हैं तो यह कैसे होगा।

[अनुवाद]

सरकार के सामने कई मामले हैं। मैं केवल आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि प्रश्नकाल को चलने दें। प्रश्नकाल को चलने दीजिए तथा फिर मैं आपकी सुनूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें प्रश्न काल को चलने देना चाहिए। मैं आपके 'स्थगन प्रस्ताव' को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनार्दन यादव (गोड्डा) : हरिजनों का मामला बड़ा गम्भीर मामला है। इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कब मना कर रहा हूं, हरिजनों पर चर्चा होगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विषय पर चर्चा करने से आपको कोई नहीं रोक रहा है।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : प्रश्न काल ससपैंड कर दें।

श्री कालका दास : जो आपने स्थगन प्रस्ताव लिए हैं, उनमें से हरिजन वाले मामले पर सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : 13 आदमी मारे गए, उत्तर प्रदेश और बिहार में हरिजनों और गरीब लोगों की निर्मम हत्यायें की जा रही हैं, बलिया में भी इनको मौत के घाट उतारा गया है, पहले आप इस विषय को लें।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप अपनी सीट पर चले जाएं। मैं देख रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, खुराना जी।

श्री जनार्दन तिवारी : अध्यक्ष महोदय, आप क्वेश्चन-आवर को ससपैंड करके यह वाद-विवाद कराइए। बहुत भारी अत्याचार हो रहा है।

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, कई लोग मारे गए हैं···हत्याओं पर शोक प्रकट करें और···(व्यवधान)

श्री राम कृष्ण यादव : उत्तर प्रदेश में भयंकर असंतोष पैदा हो रहा है। खून का बदला खून से लेने के लिए तैयार हैं। स्थिति भयावह हो जाएगी···

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप अपनी सीट पर जाइए। मैंने आपकी बात सुन ली है। यह ठीक नहीं है।

श्री जनार्दन यादव : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करके हरिजनों की हत्या···क्योंकि देश में हरिजन सबसे कमजोर हैं···

श्री दाऊ दयाल जोशी : हरिजनों की हत्या हुई है। मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त किया जाए। कृपा करके प्रधान मन्त्री जी मुलायम सिंह यादव सरकार को बर्खास्त करें। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार इसको टाल रही है। यह घबरा रही है। पुलिस द्वारा हरिजनों की हत्या की जा रही है। सरकार अपराधी है। यह सरकार इसके लिए···

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप अपनी सीट पर जायें। मैंने आपको सुन लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। यादव जी, आप अपनी सीट पर जाइए। कालका दास जी···

श्री मदन लाल खुराना : मुलायम सिंह को बर्खास्त किया जाए। उसकी सरकार को बर्खास्त किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है। अब हमको भी सुनिए।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन यादव : हरिजनों की हत्यारी सरकार···

श्री कालका दास : अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो हरिजनों को यह लगेगा···

अध्यक्ष महोदय : कालका दास जी, आपके मन में क्यों शंका है ?

श्री कालका दास : यह जो हरिजनों की हत्या की गई है, अगर इस विषय पर चर्चा नहीं की गई तो देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हमने आपको सुन लिया, कालका दास जी, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : आप मुलायम सिंह को ससपेंड करिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों की भिन्न-भिन्न सवालों के प्रति चिंता समझ सकता हूं। मैंने सब सदस्यों को सुना और स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैं अभी फिलहाल अपने चैम्बर में नेताओं को बुला रहा हूं और इस स्थगन प्रस्ताव के बारे में उनसे सलाह-मशविरा करूंगा। उस वक्त तक जब तक कि हम फैसला नहीं कर पाते हैं, हमारे एक चेयरमैन इस सीट को संभालें और सवाल-जवाब चलता रहेगा और फिर हम कार्यवाही शुरू करेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं चाहूंगा कि सदस्य प्रधान मन्त्री जी की बात को धैर्य पूर्वक सुनें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि जो चिन्ता के विषय उठाए गए हैं, वह दोनों चिन्ता के विषय गम्भीर विषय हैं और सरकार इन दोनों पर चर्चा करना चाहती है। माननीय सदस्यों ने जो हरिजनों की हत्या के बारे में सवाल उठाया है, सरकार उस पर पूरी चर्चा करेगी। हमारे कई मित्रों ने उस सवाल को पहले भी बताया। दिनेश सिंह जी ने अभी मुझे लिखकर भेजा। हम अभी सरकार से जानकारी कर रहे हैं। (व्यवधान)

हमारे मित्र मदन लाल खुराना ने ज्यादा प्रभावी ढंग से उस सवाल को उठाया है। मदन लाल खुराना के भाषण ने मेरे ऊपर ज्यादा प्रभाव किया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर इस पर चर्चा करनी है तो चर्चा ऐसे माहौल में होगी जिसमें एक-दूसरे की बातों को कम से कम हम सुन सकें। 15 मिनट तो मैं यह समझ ही नहीं पा रहा था कि किस चीज के लिए हमारे मित्र खुराना जी उत्तेजित हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि प्रश्नकाल का समय चले और आप निर्णय करें, जो आप फैसला करें, जिसको आप पहले लाना चाहें लाएं, लेकिन मैं माननीय खुराना जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस पर आप सार्थक बहस चाहते हैं तो थोड़ा समय हमें भी उसके बारे में दीजिए ताकि हम उसके बारे में जानकारी कर सकें। (व्यवधान)

श्री कालका दास : प्रधान मन्त्री को मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है। प्रधान मन्त्री जी कहते हैं दिनेश सिंह जी ने बताया। (व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : प्रधान मन्त्री ने मान लिया कि बहस होगी, तो मान लीजिए और बहस शुरू करा दीजिए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर : ये दोनों प्रश्न बड़े गम्भीर हैं। दोनों की बहस साथ तो नहीं हो सकती। आप फैसला कर दीजिए जिस पर बहस करना चाहते है। आप नेताओं से बात करें और फैसला करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोकनाथ चौधरी जी आप बैठ जाइए, अब मैं विपक्ष के नेता को सुनना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, दो विषयों पर विपक्ष के लोग चिंतित हो रहे हैं और दोनों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया है। एक औपचारिक प्रस्ताव प्रश्नोत्तर काल को ससपेंड करने के सम्बन्ध में भी है। वैसे 40 मिनट बीत चुके हैं। मेरा निवेदन होगा कि सस्पेन्शन का प्रस्ताव मान लें।

और आप जिस विषय को महत्वपूर्ण समझें, उस पर तुरन्त चर्चा आरम्भ करा दें। प्रधान मन्त्री और सरकार भी उसके लिए तैयार हैं। इन दोनों विषयों में से एक है—उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 18 हरिजनों की हत्या हुई है और दूसरा विषय है''' (**व्यवधान**)

और दूसरा विषय है खाड़ी के युद्ध के बारे में। मैं समझता हूं कि दोनों ही विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और दोनों पर चर्चा होगी ही, परन्तु यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि किस विषय पर चर्चा की अनुमति आप पहले दें। आप जो निर्णय करना चाहें, कर लें लेकिन अब यदि 20 मिनट प्रश्नकाल चलता है तो मेरे विचार में उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसलिए आप प्रश्नकाल को स्थगित किए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और किसी एक विषय पर चर्चा आरम्भ किए जाने की अनुमति दें, यही मेरा आपसे निवेदन है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, हमने प्रश्नकाल स्थगन हेतु नोटिस ऐसे ही नहीं दिया था। यह बहुत सोच विचारकर लिया गया निर्णय था। अमरीकी लड़ाकू विमानों को ईंधन सुविधा देने वाला यह एक ऐसा गम्भीर मसला है जो पूरे देश से सम्बन्धित है। उसी कारण समाचार पत्रों में प्रधान मन्त्री के निर्णय के बारे में परस्पर-विरोधी खबरें प्रकाशित हो रही हैं। हमें ज्ञात हुआ है कि अमरीका ने ही स्वयं ईंधन सुविधा लेना बन्द कर दिया है न कि हमारी सरकार ने कोई निर्णय लिया था। (**व्यवधान**) इसीलिए मामले की गम्भीरता को समझते हुए हमने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए एक नोटिस दिया था। यह एक बहुत सोच-विचार कर लिया गया निर्णय था। क्या यह कोई साधारण मामला है? मुझे नहीं मालूम कि इस सम्बन्ध में कांग्रेस दल का क्या रवैया है। (**व्यवधान**) हम अमरीका को ईंधन-सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी मामले पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इसीलिए हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। चालीस मिनट के पश्चात् सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। हमने संसदीय कार्य मंत्री को सुना था। परन्तु पिछले चालीस मिनट से सरकार क्या कर रही थी? कोई उत्तर नहीं दिया गया। यह कहना आसान है कि "हम अब इस चर्चा से सहमत हैं।" तब फिर वे सारे समय इसका विरोध क्यों कर रहे थे तथा इस सम्बन्ध में बिल्कुल शांत क्यों बैठे हुए थे? यह मामला महत्वपूर्ण है अथवा मैं इस सभा से जानना चाहूंगा। अतएव मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अमरीका को ईंधन सुविधा देने सम्बन्धी इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार करें। मैं अन्य मुद्दे के महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। वह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जैसाकि श्री आडवाणी जी ने ठीक ही कहा था, प्रश्नकाल समाप्त होने में मुश्किल से 15 अथवा 20 मिनट ही रह गए हैं। अतः हमें अमरीकी विमानों को ईंधन-सुविधा देने सम्बन्धी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिए। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, यह मामला पूरी संसद चाहे वह लोक सभा हो अथवा राज्य सभा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।

एक माननीय सदस्य : पूरे देश के लिए यह मामला महत्वपूर्ण है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं संसद की कार्य-प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। महोदय, सच्चाई यह है कि एक सदन में संसदीय परम्परा के अनुसार दूसरे सदन का उल्लेख नहीं किया जाता है। मैं कह सकता हूं कि प्रश्नकाल स्थगित करके अब इस मामले को चर्चा हेतु उठाया गया है। दोनों सदनों के सदस्य इस बात से चिन्तित हैं कि प्रश्नकाल करवाने के अधिकार को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु आज जब इस देश का एक विशाल वर्ग तथा इस सभा में भी अधिकांश सदस्य यह

समझते हैं कि खाड़ी-युद्ध के सम्बन्ध में लम्बे अर्से से चली आ रही शांति तथा गुट-निरपेक्ष सम्बन्धी नीति का उल्लंघन किया गया है, अमरीकी युद्ध-विमानों को इंधन सुविधा देने के मुद्दे पर ही नहीं अपितु अन्य पहलुओं तथा कुछेक उद्घोषणाओं के सम्बन्ध में भी तो हम चाहते हैं कि इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा की जाए क्योंकि उसमें निन्दा की बात की है। अतः अन्य सदन के समान हम यहां पर भी यही चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा की जाए। चूंकि अब कुछ ही समय शेष रह गया है अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमें स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा हम सीधे ही इस मुद्दे पर चार्चा शुरू कर देंगे जिसे लेकर आज वास्तव में समूचा विश्व ही चिन्तित है।

(व्यवधान)

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, खाड़ी युद्ध के दौरान अमरीकी युद्ध विमानों को इंधन सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी मामला महत्वपूर्ण है। खाड़ी युद्ध के कारण सम्पूर्ण विश्व ही चिंतित है। इंधन सुविधा देने सम्बन्धी मामला एक महत्वपूर्ण मामला है। यह कोई साधारण मसला नहीं है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है जो भारत की सभी परम्पराओं के खिलाफ है। अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्रश्नकाल स्थगित करके हमें स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। मैं मानता हूं कि दूसरा मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप प्रश्नकाल को स्थगित कर दें तथा हमें स्थगन-प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति प्रदान करें। प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव सरकार द्वारा किए गए ऐसे कार्य के लिए सरकार की निन्दा करने के लिए होता है जिसे कोई भी भारतीय पसन्द नहीं करेगा। अतः इस पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : हमने प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए साधारण रूप में नोटिस नहीं दिया था। हमने यह विचार किया था कि प्रश्नकाल सभा के सदस्यों से सम्बन्धित है। खैर हम किसी भी रूप में सभा के गैर-सरकारी सदस्यों के अधिकार को छीनना नहीं चाहेंगे। परन्तु हमारे देश में विशेष रूप से खाड़ी-युद्ध के कारण एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमने सम्पूर्ण देश तथा विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया है कि शांति तथा गुट-निरपेक्षता कायम करने वाली हमारी विदेश नीति भारत सरकार की नीतियों से मेल नहीं खाती। अतएव संसद ही सरकार की इस मुद्दे के सम्बन्ध में निन्दा कर सकता है।

आपको सभा को अपने कई बड़े कार्य करने के अधिकार का उपयोग करने से वंचित नहीं करना चाहिए। (**व्यवधान**) मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको इस ससद को इस राष्ट्रीय मुद्दे पर सरकार की आलोचना तथा निन्दा करने का अवसर देना चाहिए। अतः हमने उचित विचार-विमर्श हेतु एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं समझता हूं कि आपको हमें इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए।

जहां तक दूसरे मुद्दे का सम्बन्ध है वह भी इतना ही महत्वपूर्ण है। इस पर बाद में विचार किया जाना चाहिए। परन्तु खाड़ी-युद्ध के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे शान्ति तथा गुट-निरपेक्ष के बारे में देश की नीति की मूलभूत भावना का उल्लघन होता है। (**व्यवधान**)

डा० तम्बि दुरै (करुर) : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हरिजनों तथा अमरीकी युद्ध विमानों को इंधन सुविधा देने सम्बन्धी अन्य मुद्दों के महत्व को कम नहीं कर रहे हैं।

परन्तु आपने पहले ही सभा में जिक्र कर दिया है। प्रश्नकाल समाप्त होने में सिर्फ पन्द्रह मिनट ही शेष रह गए हैं। अतः प्रश्नकाल समाप्त होते ही हम इस मामले को उठा सकते हैं। प्रधान मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि प्रश्नकाल के समाप्त होते ही हम इस मामले को उठा सकते हैं। **(व्यवधान)** आज, हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यों पर भी विचार कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि अब हम किस मामले पर चर्चा करते रहे हैं ? जैसाकि आपने उल्लेख किया है। विभिन्न दलों के नेताओं को इन मामलों पर चर्चा करनी चाहिए। **(व्यवधान)** हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं सभी सदस्यों तथा प्रधान मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात् उन सभी मामलों को उठाएं तथा चार बजे के पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों के मामले को उठाया जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : महोदय, मैं उन दो विषयों के लिए निवेदन करना चाहता हूं जो विचाराधीन हैं, एक हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों का है और दूसरा खाड़ी के प्रश्न पर है। मेरा निवेदन है कि आप जो भी विषय लेते हैं, यह आपका अपना निर्णय है। किन्तु जब हम खाड़ी के प्रश्न पर विचार करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से सदन से कहना चाहूंगा कि पुन तेल भरने का मुद्दा अवश्य महत्वपूर्ण है किन्तु यह पूर्ण दृष्टिकोण नहीं है। खाड़ी-युद्ध का हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। अतः युद्ध का सम्बन्ध राष्ट्रीय सुरक्षा से है। इसलिए, यदि हम खाड़ी पर चर्चा करते हैं, तो मेरा निवेदन है कि हमें खाड़ी सम्पूर्ण स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए न कि केवल तेल भरने के मुद्दे पर। इसलिए, यह निर्णय आपको लेना है कि खाड़ी पर चर्चा करने का उत्तम तरीका स्थगन प्रस्ताव पेश करना है अथवा कोई अन्य तरीका अपनाया है। **(व्यवधान)**

श्री समरेन्द्र कुन्डु (बालासोर) : महोदय, आपके समक्ष दो प्रस्ताव हैं। एक, स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में नोटिस, और अन्य, प्रश्नकाल को निलम्बित करने से सम्बन्धित प्रस्ताव। अब, जब ये दो प्रस्ताव हैं तो इनमें से स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं।

(व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डु : महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है कि समय बर्बाद किए बिना, स्थगन प्रस्ताव के विषय को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि इस विषय में कोई विदेश नीति शामिल नहीं है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कुन्डु, मैंने आपकी बात समझ ली है। आप कृपया अपनी जगह पर बैठें। श्री दिनेश सिंह।

(व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, सदन के समक्ष दो प्रस्ताव हैं, एक, हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में और दूसरा खाड़ी के बारे में। मेरे मित्र ने खाड़ी के प्रस्ताव को पहले ही प्राथमिकता दे दी है। माननीय सदस्य, श्री जसवन्त सिंह ने कहा था कि इंधन की सुविधा देना एक सीमित प्रश्न नहीं है। यह खाड़ी का अति व्यापक प्रश्न है और राष्ट्रपनि गोरबाचोव ने एक प्रस्ताव रखा है जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार हो रहा है। मेरे विचार में समय आ गया है जब इस सदन और सरकार को चाहिए कि वे राष्ट्रपति गोरबाचोव द्वारा दिए गए प्रस्ताव के प्रति समर्थन व्यक्त करें।

इसलिए, यह अधिक उचित होगा कि इसे स्थगन प्रस्ताव के अलावा किसी और व्यापक प्रस्ताव के रूप में लें ···**(व्यवधान)**···हरिजनों के विषय और खाड़ी विषय पर स्थगन प्रस्ताव को एक व्यापक प्रस्ताव के रूप में उठाना चाहिए जिसमें हम सब अपने विचार व्यक्त कर सकें और विशेष तौर पर, हम राष्ट्रपति गोरबाचोव के सुझावों का समर्थन करते हैं । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी ऐडजोनमेंट मोशन ले रहा हूं, आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि में स्वयं प्रतापगढ़ होकर आई हूं । 14 तारीख की रात को हरिजनों को उनके घरों से पुलिस बुलाकर ले गई और उनके हाथ-पांव बांधकर एकान्त में, जंगलों में उनको शूट किया गया···**(व्यवधान)** उसके बाद उनकी लाशों को जीप में रखकर लाया गया और यह बताया गया कि इन्होंने हम पर फायर किया था इसलिए हमने इनको मारा है ।···**(व्यवधान)** उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात के लिए बाध्य हुई कि दोषी पुलिस अधिकारियों को ससपैंड करें । इससे यह साबित होता है कि निश्चित रूप से पुलिसकर्मी उसमें दाषी थे और जिन लोगों को मारा गया है उनमें से दो-चार लोगों को छोड़कर किसी के बारे में किसी प्रकार की कोई एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की । इससे साबित होता है कि जानबूझकर उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार द्वारा हरिजनों की हत्या की जा रही है ।···**(व्यवधान)** बेकसूर लोगों की हत्या की गयी है । इसी प्रकार से 14 जनवरी को जिन हरिजनों की हत्या की गयी है वे बिल्कुल बेकसूर और निर्दोष थे । इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मामले को प्राथमिकता दी जाए और सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करे । **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री वी० पी० सिंह, लैफ्ट पार्टी के हमारे साथी श्री भोगेन्द्र झा और श्री सैफुद्दीन चौधरी और मैं वहां पर गए थे । यह घटना सचमुच हृदयविदारक घटना है । जिस प्रकार से चौरा में···**(व्यवधान)** प्रशासन ने, प्रतापगढ़ में एक थाना है कुंडा, बस्ती का नाम है चौरा. उसमें ले जाकर 13 शैडयूल कास्ट के लोगों को और तीन पिछड़ी जाति के कुर्मी लोगों को ले जाकर जघन्य हत्या की है । जिस में कोई किसी के खिलाफ केस नहीं है । पुलिस द्वारा कहा गया कि तुम्हारे भाई के यहां जो डकैती हुई है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता है, उसके संबंध में क्रिमिनल को पकड़ा गया है, तुम जाकर उसकी शिनाख्त करो । वहां जाकर उनके हाथ-पैर बांध कर उन्हें गोलियों से भून डाला गया । ये सब पुलिस के द्वारा किया गया । इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें डायरेक्ट प्रशासन इनवाल्व है । अभी प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि मैं इसकी तहकीकात करा रहा हूं । प्रधान मन्त्री जी, यह घटना 14 जनवरी की है···**(व्यवधान)**···एक महीना आठ दिन हो गए हैं और प्रधान मन्त्री आज यह कह रहे हैं कि हम घटना की जानकारी ले रहे हैं । इसके पहले भी मैंने यह मांग की थी कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए···**(व्यवधान)**···यह बहुत अच्छी बात है कि आपने क्वैश्चन आवर को ससपैंड करके गल्फ के ऊपर चर्चा कराने का निर्णय लिया है । शैडयूल्ड कास्ट्स की जो यह मामला है उसको भी आप ऐसी ही प्रायरिटी दें । **(व्यवधान)**

श्री राम सजीवन (बांदा) : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ के कुंडा थाने में 13 हरिजनों की हत्या की गयी । राम विलास पासवान और मेरे दल के भोगेन्द्र झा व सी० पी० एम० के सैफुद्दीन चौधरी जी

मौके पर गए। इसके अलावा इस सदन के और भी सदस्य मौके का जायजा लेने के लिए गए। सभी की सर्वसम्मति से यह राय है कि यह हत्याकांड अपराधिक हत्याकांड है। इसलिए इसमें किसी किस्म की जांच की जरूरत नहीं है बल्कि जरूरत इस बात की है कि उन पुलिस कर्मचारियों को जेल भेजा जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए। पिछली बार जब फतेहपुर में एक हरिजन की हत्या हुई उस समय वी० पी० सिंह प्रधान मंत्री थे तब श्री राजीव गांधी वहां मौके पर गए थे लेकिन जब यहां 13 हरिजन मारे गए तो राजीव गांधी मौके पर नहीं गए और न ही उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां गया। इतना ही नहीं विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी भी मौके पर नहीं गए थे। वह यहां फर्जी हमदर्दी दिखा रहे हैं। श्री दिनेश सिंह जी को उनसे बहुत हमदर्दी है। मैं जानता हूं पूरे सदन को उनसे बड़ी हमदर्दी है वर्तमान प्रधान मन्त्री श्री चन्द्रशेखर जी सहानुभूति प्रकट करने तक के लिए वहां नहीं गए। यह बहुत गम्भीर मामला है। इस मामले को लेकर मुलायम सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। 2-2 और 4-4 साल के बच्चे भूखों मर रहे हैं। उनको अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है। राज्य सरकार ने उन्हें सहायता के रूप में 25 हजार रुपए दिए हैं। हमारी मांग है कि मृत परिवार के आश्रितों को 2-2-लाख रुपए दिए जाएं। (**व्यवधान**) उनको सहायता दी जाए। साथ ही हमारी यह भी मांग है और इससे सारा सदन सहमत है कि उनको जमीन के पट्टे दिए जायें। इसी के साथ-साथ उनकी मदद के लिए उनके परिवार के एक-एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए, इस तरह उनकी मदद की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं।

श्री राम सजीवन : प्रधान मन्त्री जी की मौके पर न जाने के लिए यह पूरा सदन निन्दा करता है और मांग करता है, आह्वान करता है कि आखिर राजीव जी कहां चले गए।...(**व्यवधान**)... बी० जे० पी० वाले बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, यह अयोध्या तो पहुंच जाते हैं, और जगह पहुंच जाते हैं लेकिन वहां हरिजन मारे गए तो आडवाणी साहब को क्या हुआ। वहां हमारी पार्टी के नेता गए, मार्क्सवादी पार्टी के नेता गए लेकिन यह कहां रहे। हमारा कहना है कि इसकी सारी जड़ मुख्य मन्त्री हैं इसलिए उनका इस्तीफा मांगना चाहिए।

श्री कालका दास : अध्यक्ष जी, मैंने यह मामला उठाया था। यह जो जघन्य हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, इसमें विशेष प्रयत्न इस बात का है कि यह समाज के किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं की गई हैं बल्कि यह पुलिस के द्वारा की गयी हैं इसलिए इस पर चर्चा कराना बहुत ही महत्वपूर्ण है। (**व्यवधान**) अध्यक्ष जी, अभी जो बात कही गयी है मुलायम सिंह की बर्खास्तगी के बारे में, सारा सदन उसे चाहता है। मेरा यह निवेदन है कि प्रधान मन्त्री जी के लिए एक महीने का कारण नहीं है। मेरी यह मांग है कि प्रधान जी को अगर हरिजनों से जरा भी लगाव है तो अपनी इस अनभिज्ञता के लिए उन्हें तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको यह मालूम ही नहीं है।

श्री यादवेन्द्र दत्त : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ में हरिजनों पर जो अत्याचार हुए हैं (**व्यवधान**) यह मामला मानवता से सम्बद्ध है। यह हत्याएं मुख्यमन्त्री ने कराई हैं, उनके इशारे पर आज यह सब हो रहा है इसलिए आप इस पर व्यवस्था दें और बाकी मामला जो है...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

[अनुवाद]

*1. **श्री बसंत साठे :**
श्री रामेश्वर प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अर्थव्यवस्था संकट से उबरने के लिए आर्थिक उपायों और (देश और विदेश दोनों से) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए नवीन उपायों सहित क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है तथा इसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या राज्य सरकारों को भी इस बारे में कोई मार्गनिर्देश भेजे गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) खाड़ी संकट/युद्ध से भुगतान सन्तुलन पर भारी दबाव पड़ा है, राजकोषीय स्थिति में गिरावट आई है, मुद्रा-स्फीति कारी दबावों में बढ़ोतरी हुई है और औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) खाड़ी संकट/युद्ध से उत्पन्न समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदमों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के वास्ते प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर; पेट्रोलियम उत्पादों पर सरकारी खर्च में कमी करने और विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में किफायत बरतने के उपाय, निर्यात बढ़ाने के लिए तथा गैर-जरूरी आयातों को कम करने के लिए उपाय, खाड़ी से भिन्न स्रोतों में कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रयास; अनिवासी भारतीयों; द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतों जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल है; से अतिरिक्त देशीय मुद्रा संसाधन जुटाना और पी० ओ० एल० की आपूर्ति से सम्बन्धित विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही योजनाएं तैयार करना शामिल हैं। किए गए उपायों से खाड़ी संकट से उत्पन्न कठिन स्थिति का सामना करने में मदद मिलने की सम्भावना है तथापि, उपर्युक्त उपायों के परिणामों का अभी पूरा अनुमान लगाना कठिन है।

(घ) और (ङ) मन्त्रिमण्डल सचिव ने 1 जनवरी, 1991, 25 जनवरी, 1991 और

12 फरवरी, 1991 को सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखे। प्रधान मन्त्री ने 17-1-1991 को, जिस दिन खाड़ी में युद्ध शुरू हुआ था, मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई थी। मन्त्रिमण्डल सचिव द्वारा 18-1-91 को सभी मुख्य सचिवों की एक बैठक भी बुलाई थी। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे आपात योजनाएं, विशेष रूप से पी० ओ० एल० और उर्वरकों के सम्बन्ध में आपात योजनाएं तैयार करें। योजना में महत्वपूर्ण बातों की समीक्षा करने और उनके व्यवस्थित विभाजन की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था में कम से कम अव्यवस्था आ सके। राज्यों को रेलों और राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के बीच निकट समन्वय स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि एच० एस० डी० का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। पी० ओ० एल० की आपूर्ति इस तरह से नियमित की जानी है कि लम्बी दूरी के मालवाहकों को कठिनाई न हो और उद्योग के लिए महत्वपूर्ण निविष्टियों तथा अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति में अव्यवस्था न हो। उनसे राज्य परिवहन उपक्रमों की किराया दरों और बिजली की दरों को भी युक्ति संगत बनाने की सलाह दी गई है। अर्थव्यवस्था और सरकारी खर्च में कटौती से सम्बन्धित समान उपाय भी किए जा सकते हैं। राज्य सरकारों को उच्च स्तरीय संकट प्रबन्ध समूह गठित करने होंगे जो खाड़ी युद्ध के सन्दर्भ में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपट सकें।

महाराष्ट्र में आदिवासियों को स्वामित्व अधिकार

[हिन्दी]

*2. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में आदिवासियों को उस भूमि का स्वामित्व अधिकार देने का निर्णय किया है जो अनेक वर्षों से उनके कब्जे में है;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सहित सभी राज्य सरकारों को वन भूमि पर अवैध कब्जों के ऐसे मामलों को नियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन मामलों में स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार कुछेक पात्रता मापदण्ड तैयार किए गए थे और 25-10-1980 से पूर्व ऐसे मामलों को नियमित करने के बारे में निर्णय लिया गया था। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1-2-1972 से 31-3-1978 की अवधि के दौरान किए गए कब्जे दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत आते हैं और उनको नियमित करने का निर्णय निर्दिष्ट तारीख से पहले ले लिया गया।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

[अनुवाद]

*3. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** :
श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1991 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के न्यायालयवार कितने-कितने न्यायाधीश थे; और

(ख) सरकार ने इन वर्गों को इन न्यायालयों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) अगस्त, 1990 में उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से प्राप्त जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) सरकार ने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को पत्र लिखकर यह पता लगाने के लिए अनुरोध किया है कि वे वकीलों (बार) में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों से सम्बद्ध ऐसे व्यक्तियों और महिलाओं का पता लगाएं जो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए उपयुक्त हों ।

विवरण

उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से अगस्त, 1990 में यथा प्राप्त जानकारी

उच्च न्यायालय का नाम	न्यायाधीश			
	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़े वर्ग के	अल्पसंख्यक
1	2	3	4	5
इलाहाबाद	2	—	1	3
आंध्र प्रदेश	—	—	3	2
मुम्बई	4	—	2	7
कलकत्ता	—	—	—	3
दिल्ली	—	—	—	1
गवाहाटी	—	2	—	1
गुजरात	1	—	1	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
जम्मू-कश्मीर	—	—	—	2
कर्नाटक	1	2	17	3
केरल	1	—	8	5
मध्य प्रदेश	—	—	—	2
मद्रास	3	—	11	6

1	2	3	4	5
उड़ीसा	—	—	—	—
पटना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पंजाब और हरियाणा	—	—	—	—
राजस्थान	—	1	—	1
सिक्किम	—	—	—	—
कुल :	12	5	43	36
उच्चतम न्यायालय	2	—	लागू नहीं	लागू नहीं

टिप्पणी :—कुछ मामलों में कुछ अल्पसंख्यक समुदायों को अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग अर्थात्, दोनों में, दिखाया गया है।

परिचालन में काला धन

*4. श्री तारीफ सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989 की तुलना में वर्ष 1990 के अन्त में देश में अनुमानतः कितना काला धन परिचालन में था;

(ख) देश के वित्तीय ढांचे पर इस समानान्तर अर्थव्यवस्था का कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) विभिन्न करों के अपवंचन, विभिन्न निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी और विभिन्न वस्तुओं की जमाखोरी तथा काले बाजार में बिक्री से प्रति वर्ष अनुमानतः कितना काला धन पैदा होता है;

(घ) काले धन की वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों में क्या कमियां रह गई हैं; और

(ङ) इस दिशा में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ङ) देश में कितना काला धन प्रचलन में है, इसका कोई सरकारी अनुमान नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान ने "आस्पेक्ट्स ऑफ दि ब्लैक इकानामी इन इण्डिया" शीर्षक नामक अपनी रिपोर्ट में वर्ष 1983-84 में उत्पन्न काले धन की मात्रा 31,584 करोड़ रु० से 36,786 करोड़ रु० के बीच होने का अनुमान लगाया है। फिर भी, उक्त रिपोर्ट के लेखकों ने यह स्वीकार किया है कि उनका अनुमान अनेक पूर्वानुमानों तथा अनुमानों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक को चुनौती दी जा सकती है। इसके पश्चात् से अब तक देश में जो काला धन प्रचलन में है, उसकी मात्रा का अनुमान लगाने के बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया है।

काले धन की उत्पत्ति से मुद्रास्फीति तथा प्रदर्शनकारी उपभोग में वृद्धि होने और कर प्रणाली की न्यायसंगत को दुर्बल बनाने के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे,

निवेश के सम्बन्ध में सरकार की योजनाओं में भी बाधा आती है क्योंकि काले धन का निवेश गैर-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किए जाने की सम्भावना हो सकती है।

अवैध धन का अभिप्राय उस कर-अपवंचित आय से है, जिसे किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि से प्राप्त किया गया हो, चाहे वह गतिविधि वैध हो अथवा अवैध हो। निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने तथा जिन्सों की जमाखोरी करने तथा काले-बाजार में उनकी बिक्री करने जैसी अवैध गतिविधियों से प्राप्तव्य आय को आयकर प्राधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप काला धन पैदा होता है। लेकिन वैध अथवा अवैध गतिविधियों से उत्पन्न हुई ऐसी कर-अपवंचित आय के बारे मे अलग-अलग अनुमान लगा पाना सम्भव नहीं है।

जिन तथ्यों से काले धन की उत्पत्ति होती है, उनकी जड़ें हमारी अर्थव्यवस्था में काफी गहरी हैं। जिन कारणों का पता लगाया गया है, उनमें से अन्य कारणों के साथ-साथ कुछेक कारण ये भी हैं—कराधान का ढांचा, आर्थिक नियन्त्रणों की जटिलता, सरकारी खर्चे में वृद्धि, नैतिक मानदण्डों में ह्रास, मुद्रास्फीति तथा कर अपवंचन के खिलाफ पूरी तरह कठोरता नहीं बरता जाना। आर्थिक नीतियों के अन्तर्गत नौकरशाही नियन्त्रणों को पहले से कम करने तथा लाइसेंस रद्द करने जैसे परिवर्तनों को लागू किया गया है, जिससे काले धन की उत्पत्ति में कमी होने में सहायता मिलेगी। कर-अनुपालन में सुधार लाने के लिए कर दरों को सुव्यवस्थित करने तथा प्रवर्त्तन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने जैसे अन्य उपाय भी किए गए हैं। इस दिशा में बराबर नए-नए उपाय किए जाते रहते हैं। उपयुक्त समझे जाने वाले आवश्यक विधायी तथा प्रशासनिक उपाय समय-समय पर किए जाते हैं।

राजधानी में आयकर सम्बन्धी छापे

*5. **श्री आर० एम० भोये :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 के दौरान राजधानी और इसके आसपास के क्षेत्रों में आयकर विभाग द्वारा छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां, तो पेट्रोल पम्पों पर मारे गए छापों सहित प्रत्येक छापे का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक छापे के क्या परिणाम निकले; और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयकर विभाग द्वारा जनवरी, 1991 के दौरान दिल्ली में तथा उसके आसपास ली गई तलाशियों के बारे में विस्तृत ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है। प्रत्येक मामले में समुचित अनुवर्ती कार्यवाही की जाती है।

विवरण

जिन मामलों में माह जनवरी, 1991 के दौरान दिल्ली तथा उसके आसपास तलाशियां ली गई थीं, उन मामलों के ब्यौरे

क्रम सं०	मामले का नाम	कारोबार का स्वरूप	तलाशी की तारीख	अभिगृहीत की गई परि-सम्पत्तियों का मूल्य (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	नरिन्दर कुमार/मदन लाल एवं अन्य	पी० वी० सी० चप्पलों का विनिर्माण तथा मेजों को किराए पर देना	8-1-91	2.05
2.	श्रीमती मिनाती मिश्रा उड़ीसा स्टेवेडोर्स (प्रा०) लि०	स्टेवेडोर्स	9-1-91	शून्य
3.	श्री ज्ञान गुप्त एवं अन्य मैसर्स राकेश फिलिंग स्टेशन	पेट्रोल पम्पों का संचालन, पट्टे पर देना तथा वित्त-पोषण करना	14-1-91	41.37
4.	श्री जे० सी० चावला	साबुन-विनिर्माण	14-1-91	2.00
5.	श्री डब्ल्यू० एन० कोछर एवं अन्य, मैसर्स कोछर ट्रांसपोर्ट, कैरियर (प्रा०) लि०	भाड़ा-वाहन	15-1-91	5.13
6.	श्री पवन कुमार चावला, उर्फ श्री राजकुमार एवं अन्य मैसर्स गणेश दास एण्ड कं०	पी० वी० सी० शीटों का विनिर्माण तथा बिक्री	18-1-91 तथा 19-1-91	21.51
7.	मैसर्स इन्दप्रो डिस्ट्रीब्यूटर्स	कागज तथा गत्ते का कारोबार	17-1-91	शून्य
8.	श्री ए० के० खन्ना	—	17-1-91	1.90
9.	श्रीमती गीता चोपड़ा	आटोमोबाइल डीलर	21-1-91	शून्य
10.	श्री गुरुबक्श सिंह	प्लास्टिक का कारोबार	29-1-91	2.20

1	2	3	4	5
11.	बोध राज नागपाल एवं अन्य	प्रापर्टी डीलर तथा भवन-निर्माता	29-1-91	4.60
12.	श्री महेश कुमार गुप्त एवं अन्य	—यथोक्त—	29-1-91	28.60
13.	श्री कमल किशोर एवं अन्य	—यथोक्त—	29-1-91	16.66
14.	श्री आर० के० ढींगरा एवं अन्य मैसर्स खन्ना मोटर्स	प्रापर्टी डीलर एवं आटो पार्ट्स के व्यापारी	29-1-91	0.35
15.	श्री वासुदेव मनचन्दा एवं अन्य	—यथोक्त—	29-1-91	1.83

पूर्ववर्ती महीनों में ली गई तलाशियों के अनुक्रम में निम्नलिखित मामलों में भी तलाशियां ली गई थीं

क्रम सं०	मामले का नाम	कारोबार का स्वरूप	तलाशी की तारीख	अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	यू० एस० सितानी एवं अन्य	चार्टर्ड एकाउन्टेंट रियल सम्पदा, सिगरेट के थोक खरीददार	3-1-91	शून्य
2.	ठाकुरदास भाटिया एवं अन्य	वित्त-दलाल	3-1-91	शून्य
3.	श्री राकेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य, मैसर्स गुलमोहर एस्टेट्स लि०, मैसर्स आयोगी इन्वेस्टमेंट लि०	रियल सम्पदा, होटल तथा सिगरेट का व्यापार	8-1-91	2.24
4.	—यथोक्त—	—यथोक्त—	10-1-91	[illegible]

1	2	3	4	5
5.	श्री भीमसेन गुप्त एवं अन्य मैसर्स आर० के केबिल हाउस	विद्युत केबिलों का विनिर्माण	9-1-91	5.85
6.	श्री गुलशन राय	एडवोकेट	10-1-91	1.16
7.	मैसर्स दिल्ली वाच एम्पोरियम	घड़ियों के व्यापारी	16-1-91	17.87
8.	श्री एस० सी० जैन, डी० सी० जैन एवं अन्य मैसर्स गुलशन टॉयज, मैसर्स राजा टॉयज	खिलौनों का विनिर्माण	11-1-91	शून्य
9.	मैसर्स भगवान दास खन्ना एवं अन्य	ज्वैलर्स	14-1-91	शून्य
10.	मैसर्स कांटीनेंट पम्प एवं मैसर्स महावीर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (प्रा०) लि०, गाजियाबाद	पम्पों का विनिर्माण	14-1-91	5.23
11.	एस० सी० जैन, डी० सी० जैन एवं अन्य मैसर्स गुलशन टॉयज मैसर्स राजा टॉयज	खिलौनों का विनिर्माण	16-1-91	शून्य
12.	मैसर्स सिकन्द एण्ड कं०	आटोमोबाइल डीलर	15-1-91	2.55
13.	—यथोक्त—	—यथोक्त—	22-1-91	0.40
14.	मैसर्स विकास मोटर्स (प्रा०) लि०	आटोमोबाइल डीलर	24-1-91	147.70 (सा० जमा रसीदें)
15.	एस० सी० गुप्त, एस० जी० गुप्त मैसर्स दिल्ली वाच एम्पोरियम	घड़ियों के व्यापारी	24-1-91	शून्य
16.	मैसर्स क्लासिक मोटर्स (प्रा०) लि०	आटोमोबाइल डीलर	30-1-91	24.50 (सा० जमा रसीदें)

व्यापार घाटा

***6. श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात और निर्यात की दृष्टि से व्यापार सन्तुलन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 के दौरान व्यापार घाटे में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार ने निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत के विदेश व्यापार के सम्पूर्ण आंकड़े अप्रैल-दिसम्बर, 1990 तक के उपलब्ध है। अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान भारत के निर्यात 23189 करोड़ रुपए के हुए, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1989 के दौरान 19255 करोड़ रुपए के निर्यात हुए थे। इस प्रकार 20.4% की वृद्धि हुई। इसी अवधि में अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान भारत के आयात 31724 करोड़ रुपए के थे, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 24773 करोड़ रुपए के आयात हुए थे। इस प्रकार 28.1% की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसम्बर, 1990 के दौरान व्यापार घाटा 8535 करोड़ रुपए का था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1989 के दौरान 5518 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। इस प्रकार 54.7% की वृद्धि हुई।

सितम्बर, 1990 से पहले के महीनों की तुलना में सितम्बर, 1990 से व्यापार घाटे में तीव्र वृद्धि हुई है।

सरकार ने निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकार ने निर्यात-निष्पादन को मानीटर करने और मुख्यतः नकद मुआवजा सहायता के रूप में कुछ उपदान देकर अतिरिक्त निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिए भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। अतिरिक्त निर्यात सृजन की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सभी प्रमुख क्षेत्रों में निर्यातकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रशासनिक बाधाएं दूर करके और ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करके कृषि निर्यात के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। अतिरिक्त निर्यात का पता लगाने और कुछ क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन में वृद्धि का लाभ उठाने के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं। निर्यात संवर्धन परिषदों से अनुरोध किया गया है कि वे खाड़ी संकट से प्रभावित क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाकर निर्यात-स्तर बनाए रखने के प्रयास करें। खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय मिशनों से अनुरोध किया गया है कि वे उन निर्यात-मदों का पता लगाएं, जिनके लिए युद्ध आरम्भ हो जाने के परिणामस्वरूप मांग बढ़ती है। विश्व व्यापार परिस्थिति में अनिश्चितता को देखते हुए हमने निर्यात बढ़ाने के लिए गहन द्विपक्षीय विचार-विमर्श शुरू किए हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत वाणिज्य मन्त्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल की चीन यात्रा से

की जा चुकी है। इसके साथ-साथ गैर-आवश्यक और कम प्राथमिकता वाले आयात कम करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं।

इस्पात संयंत्रों में "स्क्रैप" का इकट्ठा हो जाना

***7. श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में इकट्ठा हो गए स्क्रैप की, संयंत्र-वार अनुमानित मात्रा कितनी है और उसका मूल्य क्या है;

(ख) वहां स्क्रैप इकट्ठा हो जाने के क्या कारण हैं और विभिन्न संयंत्रों में यह स्क्रैप कब से इकट्ठा होता रहा है; और

(ग) इसको वहां से उठाने और इसके निपटान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) "सेल" के इस्पात संयंत्रों में एकत्रित विभिन्न प्रकार के स्क्रैपों में अनुमानित किस्मों और उनका मूल्य संयंत्र-वार नीचे दर्शाया गया है :—

1-2-91 की स्थिति

संयंत्र	अनुमानित मात्रा (मी० टन)	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
भिलाई इस्पात संयंत्र	26500	582.00
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	18000	436.45
राउरकेला इस्पात संयंत्र	33566	206.00
बोकारो इस्पात संयंत्र	10000	500.00
इस्को (बर्नपुर)	60000	1800.00
अलाए इस्पात संयंत्र		
दुर्गापुर	5000	200.00
सेलम इस्पात संयंत्र	240	27.00
वी०आई०एस०एल० (भद्रावती)	13856	806.98

*भिलाई इस्पात संयंत्र में क्वालिटी तथा मूल्य से सम्बन्धित स्टाक की जानकारी दिनांक 19-2-91 की स्थिति के अनुसार है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना) में अभी हाल ही में उत्पादन शुरू हुआ है और इसलिए यहां कोई स्क्रैप एकत्र नहीं हुआ है। वास्तव में यह संयंत्र अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहर से कुछ स्क्रैप खरीद रहा है।

(ख) और (ग) इस्पात संयंत्रों में लौह और इस्पात स्क्रैप का बनना लोहा और इस्पात बनाने की प्रक्रिया का एक अंग है। अतः संयंत्र निरन्तर स्क्रैप की प्राप्ति करते रहते हैं, उसका संयंत्रों में पुनः चक्रण होता रहता है तथा कुछ प्रकार के स्क्रैप को बेच भी दिया जाता है। इस प्रकार पुनः प्राप्ति सामान्यतः संयंत्रों द्वारा स्वयं की जाती है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों जैसे कि मैसर्स फैरो स्क्रैप निगम लि०, मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि० की सहायता से किया जाता है। भिलाई तथा इस्को जैसे कुछ मामलों में इस प्रक्रिया में निजी ठेकेदार भी शामिल कर लिए जाते हैं।

अधिशेष स्क्रैप बाहरी पार्टियों को बेचने का कार्य संयंत्रों द्वारा स्वयं निर्धारित मूल्य, निविदा अथवा नीलामी के माध्यम से अथवा मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन के माध्यम से भी किया जाता है।

ललपनिया से डुमरी (बिहार) तक रेल लाइन बिछाए जाने और सड़कों को चौड़ा किए जाने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति

[हिन्दी]

***8. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तेनुघाट ताप विद्युत संयंत्र की कोयले की मांग पूरी करने की दृष्टि से कोयला खानों से कोयले की ढुलाई के लिए ललपनिका से डुमरी (बिहार) तक वन क्षेत्र के साथ-साथ रेल लाइन बिछाए जाने और सड़कों को चौड़ा किए जाने के लिए पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह स्वीकृति कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) जी नहीं। वानिकी की दृष्टि से मंजूरी की स्थिति के बारे में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस मन्त्रालय ने तेनुघाट ताप बिजली परियोजना को पर्यावरण और वानिकी की दृष्टि से मंजूरी दे दी है। तेनुघाट ताप बिजली-घर के लिए डुमरी (बिहार) रेलवे स्टेशन से ललपनिया तक रेल लाइन के निर्माण के लिए 35.72 हे० वन भूमि के प्रयोग के सम्बन्ध में बिहार सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए मई, 1990 में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। चूंकि यह प्रस्ताव अधूरा था और उसमें अनिवार्य ब्यौरे नहीं दिए गए थे, इसलिए राज्य सरकार से पूरी सूचना मांगी गई है और अभी उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। पूरी सूचना प्राप्त हो जाने पर ही इस मामले में अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है। सड़कों को चौड़ा करने के लिए वानिकी की दृष्टि से मंजूरी देने के सम्बन्ध में मन्त्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

केरल में औद्योगिक इकाइयों को वन भूमि पट्टे पर देना

[अनुवाद]

*9. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हाल ही में केरल सरकार से वन भूमि को औद्योगिक इकाइयों को पट्टे पर देने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान केरल में औद्योगिक प्रयोजनों के लिए कोई वन भूमि पट्टे पर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान केरल में वन भूमि का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय को राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) जी, हां । एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1988, 1889 और 1990 के दौरान मंजूर किए गए प्रस्तावों के ब्योरे

प्रस्तावों के नाम	क्षेत्रफल हे० में	जिला/मण्डल	भारत सरकार के आदेश सं० एवं दिनांक
1	2	3	4
1988 के दौरान मंजूर परियोजनाएं			
1. निचली पेरियार जल विद्युत परियोजना	127.00	मन्नार मण्डल	8-360/82-वन (संरक्षण)/3-4-1986
2. विद्युत उत्पादन के लिए पेरिंगलकुथु जलाशय के फालतू जल को मोड़ने के लिए एक खुले चैनल का निर्माण	7.5	वझाचल मण्डल	8-40/88-एफसी/18-4-1988
3. पवन विद्युत जेनरेटर लगाना एवं 11 के वी लाइन बिछाना	0.255	मन्नारकड़ मण्डल (पालघाट विशेष मण्डल)	8-325/88-एफसी/19-9-1988
4. मलापुड में एक कुंआ सहित पम्प हाऊस का निर्माण	0.075	तिरुवनंतपुरम मण्डल	8-295/87-एफसी/1-11-1988
1989 के दौरान मंजूर प्रस्ताव			
1. भूमिगत तार बिछाने के लिए	0.0009 (9 वर्ग मीटर)	तिरुवनन्तपुरम मण्डल	8-523/88-एफसी/5-1-1989

1	2	3	4
2. वेन्नाकोड जनजाति कालोनी में विद्युतीकरण के लिए 11 कि० वा० पारेषण लाइन बिछाना	0.9	निलाम्बुर साउथ मण्डल	8-128/89-एफसी/10-4-1989
3. मन्नापट्टुविरा को जल पम्पिंग के लिए एक विद्युत घर का निर्माण	0.0৭60 (860 वर्गमीटर)	एर्नाकुलम जिला मलयातुर मण्डल	8-334/89-एफसी/9-8-1989
4. पेराकुट्टु के लिए एलटी-3 चरण की पारेषण लाइन बिछाना	0.24	एर्नाकुलम जिला कोठामंगलम मण्डल	8-524/88-एफसी/12-9-1989
5. अरेश्वरम मन्दिर के लिए सिंगल फेज लाइन खींचना	0.1989 (198.9 वर्गमीटर)	त्रिसूर जिला चालाकुडी मण्डल	8-475/89-एफसी/13-12-1989
6. नेदुमपोयल 66/11 के० वी० सबस्टेशन के लिए 10 वर्ष हेतु भूमि पट्टे पर देना	0.113	कन्नानोर जिला वायनाड मण्डल	8(ख)-(4)-6/89-एफसी/एस/26-12-1989
1990 के दौरान मंजूर प्रस्ताव			
1. पेपारा एस०एच०ई० स्कीम	0.63	तिरुअनन्तपुरम जिला	8(ख)-(8)-1/89-एफसी (एस) 18-1-80
2. कहाक्कामन डिपो के परिसर में एक बोरवेल का निर्माण	0.0120 (120 वर्गमीटर)	कोलाम जिला पुनालुर मण्डल	8(ख)-(7)-4/89-एफसी (एस) 5-2-90
3. मलापारा को जल आपूर्ति स्कीम	0.3645	इदुक्की जिला वाइल्डलाइफ मण्डल, थेक्काडी	8(ख)-(7)-5/84-एफसी (एस) 22-2-90

1	2	3	4
4. कोवाडापुरा की आदिवासी बस्ती को पारेषण लाइन लगाना	0.08	तिरुअनन्तपुरम जिला तिरुअनन्तपुरम मण्डल	8(ख)-(4)-7/89-एफसी (एस) 23-2-1990
5. थेनमाला को जल आपूर्ति स्कीम	0.261	थेनमाला मण्डल	8(ख)-(7)-8/89-एफसी (एस) 23-2-1999
6. इलिटनोडु से मुलाकोझी तक विद्युत लाइन का निर्माण	0.450	मलयात्तूर मण्डल	8(ख)-(4)-8/89-एफसी (एस) 6-4-1990
7. थोलानुर, कोटामाला और पोनमुदी में पवन निगरानी उपकरण लगाना	0.054 (540 वर्गमीटर)	पालघाट जिले में थोलानुर और कोटामाला जिले (पालघाट विशेष मण्डल) तिरुअनन्तपुरम जिले में पोनमुदी, तिरुअनन्तपुरम मण्डल	8(ख)-(13)-1/89-एफसी (एस) 1198 दिनांक 23-4-1990
8. काबिनकाड जनजाति कालोनी में पाइप लाइन बिछाना	200 मीटर	त्रिसूर मण्डल	8-233/88-एफसी/8-5-90
9. लोवर पेरियर कोचीन तक 220 के० वी० लाइन	16.41	कोठामंगलम मण्डल मन्नार मण्डल	8-284/87-एफसी/10-7-1990
10. त्रिसूर से कोझीकोड तक 220 के० वी० लाइन	22.40	त्रिसूर मण्डल	8-98/87-एफसी/10-7-90
11. इडुक्की से लीवर पेरियर तक 220 के० वी० लाइन	25.585	मन्नार मण्डल एवं कोठामंगलम मण्डल	8-8/89-एफसी/10-7-90
12. अन्नाकयाम लघु जल विद्युत स्कीम	8.00	वझाचल मण्डल	8-35/90-एफसी/18-7-90

1	2	3	4
13. के० वी० थेनामाला-एडामोन पारेषण लाइन	14.1516	पुनालुर मण्डल और थेनमाला	8-220/88-एफसी/10-7-90
14. सेंट थोमस चर्च की कब्रिस्तान हेतु आबंटन	0.40	रानी मण्डल	8(ख)-(15)-4/90-एफसी (एस) 1772 25-7-90
15. उदमलपेट से त्रिचूर तक 400 के० वी० लाइन	12.615	त्रिसूर मण्डल	8-107/86-एफसी/6-8-90
16. 11 के० वी० कोन्नी-मन्नोरा लाइन खींचना	0.035	कोन्नी मण्डल	8(ख)-(4)-318-एफसी (एस) 13-9-1990
17. साफ्टवूड प्लांटेयन में मिर्च की खेती	300.00	वायनाड मण्डल कोझी-कोड मण्डल; वायनाड वन्यप्राणी प्रभाग	8(ख)-(4)-3/8-एफसी (एस) 13-9-90

सार

वर्ष	प्रस्तावों की संख्या	वनेत्तर उपयोग की गई भूमिका क्षेत्र (हे०)
1988	4	134.8300
1989	6	1.5388
1990	17	401.4681
कुल :	27	537.8369

किसानों को बैंकों से ऋण

[हिन्दी]

*10. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 का प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किस-किस हद तक कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी-कितनी धनराशि बांटी गई है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आगामी रबी/खरीफ फसलों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों और सहकारी बैंकों से किसानों को नये ऋण दिए जाएं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) 18 फरवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार, 2.52 करोड़ हिताधिकारियों को 6516 करोड़ रुपए की ऋण राहत प्रदान की गई है। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों और राज्य भूमि विकास बैंकों को योजना की लागत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के हिस्से के रूप में अब तक 875 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। राज्यवार ब्योरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) और (घ) योजना के अन्तर्गत, सभी ऋणकर्ताओं को, जिनके ऋण खाते बन्द हैं अथवा जिस मामले में अतिदेय बकाया राशि 1,000 रुपए से कम है, बैंकों द्वारा नये सिरे से ऋण प्रदान किए जाते हैं ।

विवरण-1

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	पहचान किए गए हिताधिकारियों की संख्या	हिताधिकारियों की संख्या जिन्हें ऋण राहत दी गई	राशि (करोड़ रु०)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2855198	2430308	712.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	5277	4905	0.86
3.	असम	522745	278570	59.31
4.	बिहार	3615315	2746570	680.22
5.	गोवा	19783	17013	3.57
6.	गुजरात	1317421	1236406	465.30
7.	हरियाणा	580430	532196	209.36
8.	हिमाचल प्रदेश	242716	79237	18.38
9.	जम्मू एण्ड कश्मीर	15922	10527	3.34
10.	कर्नाटक	1607997	1321247	409.77
11.	केरल	124554	31814	6.53
12.	मध्य प्रदेश	1825297	1688897	393.53
13.	महाराष्ट्र	2877300	2760339	732.39
14.	मणिपुर	67989	17042	4.69
15.	मेघालय	17209	16238	6.59
16.	मिजोरम	2246	2009	0.91
17.	नागालैंड	13301	9917	4.43
18.	उड़ीसा	2272803	2060566	374.80
19.	पंजाब	469259	418269	176.73
20.	राजस्थान	2029804	1688381	456.87
21.	सिक्किम	8992	8501	2.51
22.	तमिलनाडु	1412737	1783754	487.00
23.	त्रिपुरा	173486	136731	21.34
24.	उत्तर प्रदेश	5085955	4341666	892.67

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल	2404824	1052584	193.93
26.	चण्डीगढ़	1233	1027	0.44
27.	दादरा और नागर हवेली	1211	1211	0.14
28.	दमन और दीव	217	211	0.07
29.	दिल्ली	16851	8713	3.55
30.	लक्षद्वीप	77	—	—
31.	पाण्डिचेरी	17844	17664	4.67
32.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	3961	2609	0.62

विवरण-2

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	राज्य सहकारी बैंक	राज्य भूमि विकास बैंक	कुल
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	58.50	19.00	77.50
2.	मध्य प्रदेश	72.50	10.26	82.76
3.	राजस्थान	43.00	7.33	50.33
4.	तमिलनाडु	50.50	25.50	76.00
5.	गुजरात	59.00	7.50	66.50
6.	पश्चिम बंगाल	19.00	3.00	22.00
7.	पंजाब	50.00	3.00	53.00
8.	कर्नाटक	27.00	6.50	33.50
9.	आन्ध्र प्रदेश	47.00	22.67	69.67
10.	महाराष्ट्र	114.50	24.00	138.50
11.	बिहार	46.50	28.50	75.00
12.	उड़ीसा	39.66	5.00	44.66

1	2	3	4	5
13.	असम	1.00	0.46	1.46
14.	हिमाचल प्रदेश	1.00	0.33	1.33
15.	केरल	23.33	5.00	28.33
16.	हरियाणा	41.00	11.50	52.50
17.	मणिपुर	0.66	—	0.66
18.	गोवा	0.50	—	0.50
19.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	—	0.50

खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*11. **श्री आर० एन० राकेश :**
डा० चिन्ता मोहन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1991 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में 'प्राइस सिचुएशन वर्सनिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चालू वित्तीय वर्ष के पहले नौ महीनों के दौरान आम उपभोक्ता वस्तुओं विशेषकर खाद्य वस्तुओं, के मूल्यों में हुई वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य वस्तुओं की तुलना में तैयार सामान के मूल्यों में कम वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो मार्च, 1990 से दिसम्बर 1990 तक की अवधि के दौरान मूल्यों में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए कोई कदम उठाए थे; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गयी है :

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू० पी० आई०) में प्रतिशत परिवर्तन

(आधार : 1981-82=100)

मदें	मार्च से दिसम्बर	
	1990-91	1989-90
सभी वस्तुएं	8.7	6.1
खाद्य वस्तुएं	16.19	(—) 0.12
1. खाद्यान्न	14.64	(—) 1.81
(क) अनाज	16.06	(—) 3.15
(ख) दालें	8.33	5.43
2. फल व सब्जियां	25.16	(—) 5.57
3. अण्डे, मछली व मांस	14.44	6.27
4. गर्म मसाले व मसाले	22.04	(—) 1.79
खाद्य उत्पाद	7.95	7.30
(क) चीनी, खांडसारी व गुड	(—) 0.07	8.06
(ख) खाद्य तेल	21.65	8.21
विनिर्मित उत्पादन	5.27	8.84

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1982=100) में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में हुई 5.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में मार्च-दिसम्बर, 1990 में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(च) और (छ) सरकार ने मुद्रास्फीति के नियन्त्रण की उच्च प्राथमिकता दी है। कीमतों में वृद्धि तथा मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों में वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए जो उपाय अपनाए गए/प्रस्ताव रखा गया है, उनमें सरकारी व्यय की मानीटरिंग के जरिए सख्त राजकोषीय अनुशासन, अर्थव्यवस्था में द्रव्यता के विस्तार पर नियन्त्रण रखना, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति व मांग के सम्बन्ध में अधिक प्रभावी प्रबन्ध करना तथा जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना शामिल है।

खाड़ी में तेल छोड़े जाने के कारण भारतीय समुद्र तट के लिए उत्पन्न खतरा

[अनुवाद]

*12. प्रो० महादेव शिवनकर :
श्री एडुआर्डो फलेरो :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी में समुद्र में तेल छोड़े जाने के कारण भारतीय समुद्र तट के लिए खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और इस सम्बन्ध में क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इस पारिस्थितिकीय विपत्ति को रोकने के लिए सभी प्रभावित देशों की कोई संयुक्त कार्यवाही योजना तैयार की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) खाड़ी में तेल छोड़ने जाने के कारण पश्चिमी तट पर तार बालों की थोड़ी बहुत मात्रा में सम्भावित जमाव के सिवाय इसका भारतीय समुद्री तट पर कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) तेल छोड़े जाने के कारण भारतीय पर्यावरण पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। लेकिन इसके फैलाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ।

(ग) और (घ) तेल छोड़े जाने के कारण सम्भावित पारिस्थितिकीय संकट को रोकने के लिए सभी प्रभावित देशों की एक संयुक्त कार्य योजना बनाने के प्रस्ताव पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है ।

विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

*13. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी संकट के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा भारत को हाल ही में मंजूर किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है और इनसे विदेशी मुद्रा कोष की कठिन स्थिति का मुकाबला करने में कहां तक सहायता मिलेगी;

(ख) इनकी वापसी अदायगी की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या इन ऋणों को मन्जूरी के लिए कोई विशिष्ट शर्तें रखी गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन ऋणों के उपयोग के लिए कोई आबंटन किए गए हैं या किए जा रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो ये आबंटन कब तक कर दिए जाएंगे ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 18 जनवरी, 1991 को भारत के लिए दो उधार स्वीकृत किए हैं—एक, 7169 लाख एस० डी० आर० का उधार प्रतिपूर्ति एव

आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा (सी० सी० एफ० एफ०) के अन्तर्गत और दूसरा, 5519.3 लाख एस० डी० आर० का उधार वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत है। इन उधारों की राशि प्रचलित विनियम दर पर लगभग 3250 करोड़ रुपए है और उम्मीद है कि इससे भारत को विदेशी मुद्रा भण्डार का उपयुक्त स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी जो खाड़ी संकट से सम्बद्ध घटनाओं के कारण गम्भीर दबाव में आ गया था।

जहां तक विश्व बैंक का सवाल है, खाड़ी संकट से उत्पन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग से कोई ऋण मन्जूर नहीं किया गया है। वैसे, विश्व बैंक ने एक सितम्बर, 1990 से 31 दिसम्बर, 1991 तक की अवधि के लिए अस्थायी उपाय के रूप में बहुत सी परियोजनाओं में अपने वित्तीय अंश में वृद्धि कर दी है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त होने वाले इन दोनों उधारों की वापिस अदायगी निकासी की तारीख के तीन वर्ष और तीन महीने बाद से प्रारम्भ करके बराबर बराबर की आठ तिमाही किस्तों में की जानी है और इसे पांचवे वर्ष में पूरा कर लिया जाना है। दोनों उधारों पर ब्याज की दर वह होगी जिसका निर्धारण कुछ समायोजनों के साथ एस० डी० आर० की प्रचलित ब्याज दर के आधार पर समय-समय पर किया जाता है। 23 जनवरी, 1991 को परिकलित दर लगभग 9 प्रतिशत थी। इस समय यह दर 8.4 प्रतिशत है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। इन उधारों का उपयोग समय-समय पर उत्पन्न होने वाली देश की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

*14. **श्री आर० गुंडूराव :**
श्री बी० एन० रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा देश में पूंजी निवेश की प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें इस सम्बन्ध में अतिरिक्त सुविधाएं तथा रियायतें देने के लिए क्या प्रयास किए हैं; और

(ख) खाड़ी युद्ध से उत्पन्न संकट की स्थिति को देखते हुए अनिवासी भारतीयों के निवेश का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) अनिवासी भारतीयों से निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से 1982 में अनेक स्कीमें/सुविधाएं घोषित की गयी थीं। सरकार अब भी अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को महत्व देती है और ऐसे निवेशों को आकर्षक बनाने के लिए बहुत से कदम उठाती रहती है। अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाई गयी नीतियों और स्कीमों की विभिन्न क्षेत्रों से, जिनमें अनिवासी भारतीय और अनिवासी भारतीय संगठन शामिल हैं, प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए लगातार समीक्षा की जाती है। प्रक्रियाओं को तेज बनाने के लिए

भी सतत् प्रयास किए जाते हैं जिससे कि भावी अनिवासी भारतीय निवेशकों के लिए अवरोधों और बाधाओं को दूर किया जा सके। सरकार ने, सरकारी निर्णयों के कार्यान्वियन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या से निपटने और विभिन्न अनिवासी भारतीयां और अनिवासी भारतीय संगठनों द्वारा दी गयी सलाह तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए सुझावों पर विचार करने के लिए हाल ही में एक समन्वय समिति गठित की है। यद्यपि अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने के प्रयास जारी रहे हैं तथापि भुगतान सन्तुलन स्थिति पर ऐसे निवेशों का अनुकूल प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐसे प्रवाहों की मात्रा कितनी है जो इस समय बहुत अधिक नहीं है।

जब्त किए गए सोने की बिक्री

[हिन्दी]

*15. **श्री छेदी पासवान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, जब्त किया गया सोना कुल कितनी मात्रा में बेचा गया और उससे कितना मूल्य प्राप्त हुआ है;

(ख) इस सोने के खरीदारों के लिए क्या शर्तें निश्चित की गयीं और यह किन-किन स्थानों पर बेचा गया;

(ग) क्या सरकार कर्मचारियों को भी इस सोने को खरीदने की अनुमति है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान जब्त किए गए सोने की वर्षवार मात्रा और उसका मूल्य नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन में)	किसको बेचा गया	मूल्य
1987-88	—	—	—
1988-89	—	—	—
1989-90	5.63	भारतीय रिजर्व बैंक	128.3

(ख) लन्दन मेंटल एक्सचेंज की प्रचलित कीमत पर भारतीय रिजर्व बैंक को सोना बेचा गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(ङ) ऐसी बिक्री के लिए कोई औचित्य नहीं है : सरकार ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है।

मध्य प्रदेश में वन भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वा े व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

*16. **श्री छविराम अर्गल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार की उन व्यक्तियों को भूमि के आवंटन का कोई प्रस्ताव भेजा है जिन्हें 31 दिसम्बर, 1976 की स्थिति के अनुसार वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा किए हुए पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार समूचे निर्वनीकृत क्षेत्र को राजस्व विभाग को सौंपने और अनधिकृत भूमि के समस्त कब्जाधारियों को ऐसी भूमि पर कब्जा बनाए रखने की अनुमति देने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को भेजे गए मामलों का ब्योरा क्या है और ये मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने मई, 1989 में राज्य के विभिन्न जिलों में वन भूमि पर अनधिकृत रूप से हुए कब्जों को विनियमित करने के लिए 2,72,458.370 हेक्टेयर वन भूमि को उपयोग में लाने के बारे में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति मांगने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। बाद में, इस मन्त्रालय की सलाह पर राज्य सरकार ने 45 जिलों में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों को विनियमित करने के लिए 2,69,326.35 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने के बारे में जिले-वार प्रस्ताव फिर से प्रस्तुत किए थे। केन्द्र सरकार ने कतिपय निर्धारित शर्तों के तहत जुलाई, 1990 में केवल अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले पात्र व्यक्तियों के पक्ष में वनों की सीमा के पास किए गए कब्जों को विनियमित करने के लिए 1,03,873.658 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की स्वीकृति दी है।

"गैट" (जी० ए० टी० टी०) वार्तालाप सम्बन्धी उरुग्वे सम्मेलन

[अनुवाद]

*17. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री आनन्द सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "गैट (जी०ए०टी०टी०) वार्तालाप सम्बन्धी उरुग्वे सम्मेलन के समक्ष प्रस्तावों" पर 30 दिसम्बर, 1990 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसका निष्कर्ष यह था कि यदि

इन प्रावधानों को स्वीकार किया गया, तो भारतीय उद्योग के कुछ क्षेत्रों पर इसके विनाशकारी प्रभाव होंगे;

(ख) यदि हां, तो गैट (जी०ए०टी०टी०) वार्तालाप सम्बन्धी अगले उरुग्वे सम्मेलन में कौन से विशिष्ट प्रस्ताव रखे जाएंगे और इनसे भारतीय उद्योग पर किस प्रकार दुष्प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) भारतीय उद्योग के प्रभावित क्षेत्रों के बचाव के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) नेशनल वर्किंग ग्रुप, आन पेटेंट लाज ने, जो एक प्राइवेट संगठन है, 30 दिसम्बर, 1990 को एक कार्यशाला का आयोजन किया जिसने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निष्कर्ष निकाला कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों (ट्रिप्स) के व्यापार से सम्बन्धित पहलुओं, व्यापार से सम्बन्धित निवेश उपायों (ट्रिम्स) और सेवाओं के नए क्षेत्रों में विकासशील देशों को अत्यधिक घाटा होगा।

ब्रुसेल्स में 3-7 दिसम्बर, 1990 के दौरान हुई उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ताएं समिति की सरकारी स्तरीय बैठक बिना कोई निर्णय लिए समाप्त हो गई। बैठक में जिन प्रस्तावों पर, विशेष रूप से बौद्धिक सम्पदा, निवेश और सेवाओं के नए क्षेत्रों पर विचार किया गया था उन पर अनन्तिम रूप से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया जिससे भारत को दौर के परिणामस्वरूप, होने वाले लाभ और लागत का मूल्यांकन किया जा सके।

ब्रसेल्स में ट्रिप्स से सम्बन्धित जिन मुद्दों पर विचार किया गया, उनके महत्वपूर्ण पहलुओं पर मतभेद हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सका। भाग लेने वाले कुछ सदस्यों ने ऐसे एकल ट्रिप्स समझौते का सुझाव दिया जिसमें वार्ताओं के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया हो, जबकि कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव रखा कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की उपलब्धता, कार्यक्षेत्र और उपयोग सम्बन्धी सिद्धान्तों और मानदण्डों पर समझौते को सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में क्रियान्वित किया जाना चाहिए, गाट में नहीं। पेटेन्टेबिलटी के महत्वपूर्ण क्षेत्र में कुछ सदस्य चाहते थे कि कम से कम मदों को इस दायरे से बाहर निकाला जाए, जबकि अन्य भागीदारों ने ऐसे करार की मांग की जिसमें जनहित, राष्ट्रीय सुरक्षा, जन स्वास्थ्य या पोषण के आधार पर कुछ उत्पादों और विनिर्माण की प्रक्रिया की पेटेन्टबिलटी से बाहर निकालने की सम्भावना शामिल हो। इनमें खाद्य पदार्थ, रसायन और भेषजीय उत्पाद और उनके विनिर्माण से सम्बन्धित प्रक्रिया शामिल हैं। उन्होंने पौधों और जानवरों को भी इससे बाहर रखने की मांग की और वह चाहते थे कि बायो-टैक्नोलोजिकल आविष्कारों की पेटन्टीबिलटी के सम्बन्ध में अधिक प्रतिबन्ध लगाने के लिए व्यवस्था की जाए। ये सभी विचार मसौदा पाठ में दिए गए हैं जिन पर ब्रुसेल्स की बैठक में विचार किया गया।

ट्रिम्स के सम्बन्ध में मूल रूप से मतभेद होने की वजह से ब्रुसेल्स बैठक में कोई सरकारी मसौदा प्रस्तुत नहीं किया जा सका। उदाहरण के लिए, इस बात पर कोई सहमति नहीं थी कि क्या व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव की शिकायत की जांच करने के लिए इन निवेश उपायों पर निषेध सहित कोई दण्ड-विधान लागू किया जाना चाहिए या इन उपायों की मामला-वार जांच की जाए।

सेवाओं के मुद्दे पर, हालांकि अध्यक्ष ने अपनी ओर से समझौते का मसौदा पाठ प्रस्तुत किया था

लेकिन भाग लेने वाले सदस्यों में बहुत मतभेद थे और इनमें से अधिकांश पाठ में दिए गए हैं। इसके अलावा, समझौते के ढांचे के अन्तर्गत किसी भी देश ने बाजार में प्रवेश का वादा नहीं किया है और भाग लेने वाले कुछ देशों ने अपनी प्रारम्भिक और शर्त सहित पेशकश की है।

सरकार राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखेगी और इस उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करेगी कि न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को परिणामों के समग्र लाभ पहुंचे वरन उद्योग के अलग-अलग क्षेत्रों के वाजिब हित भी सुरक्षित रहें।

नारियल के तेल और खोपरे का आयात

*18. **श्री वी० कृष्णराव :**

श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का श्रीलंका से नारियल के तेल और खोपरे का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो नारियल के तेल और खोपरे का कितनी मात्रा में आयात करने का विचार है;

(ग) क्या नारियल उगाने वालों ने और कुछ राज्यों ने सरकार से नारियल के तेल का आयात न किए जाने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नारियल के तेल के सम्भावित आयात के विरुद्ध सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) सरकार महसूस करती है कि नारियल के तेल का आयात करने के लिए उपयुक्त समय नहीं है।

खाड़ी युद्ध का मूल्य वृद्धि पर प्रभाव

*19. **श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :**

श्री यूसुफ बेग :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में अत्यधिक वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारत की अर्थव्यवस्था पर खाड़ी युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा है और गत तीन महीने के दौरान मुद्रास्फीति एवं मूल्य सूचकांक में कितने-कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) मूल्य वृद्धि एवं मुद्रास्फीति को रोकने तथा अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) थोक मूल्य सूचकांक जो दिनांक 29 दिसम्बर, 1990 को 186.0 था बढ़कर दिनांक 26 जनवरी, 1991 को 188.9 हो गया जो जनवरी, 1991 के दौरान 1.6 प्रतिशत वृद्धि का द्योतक है। पिछले वर्ष जनवरी के दौरान थोक मूल्य सूचकांक में तदनुरूप वृद्धि 1.1 प्रतिशत की थी। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ने के कारण निम्नलिखित हैं : (i) राजकोषीय असन्तुलन, जिससे मुद्रा पूर्ति में अधिक वृद्धि हुई और इस प्रकार प्रभावी मांग बढ़ गई (ii) मुख्यतः पूर्ति में कमी के कारण संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति और मांग में असन्तुलन (iii) नकदी बाहुल्य और मुद्रास्फीतिकारी सम्भावनाएं। खाड़ी संकट के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि और जिसके परिणामस्वरूप परिवहन लागतों में हुई वृद्धि ने भी कीमतों पर विपरीत प्रभाव डाला है।

(ग) इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था पर खाड़ी युद्ध के प्रभावों का पूर्ण रूप से आकलन करना बहुत कठिन है। अक्तूबर 1990 के महीने में लगाए गए 25 प्रतिशत के खाड़ी अधिभार के कारण थोक मूल्य सूचकांक पर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव 1.3 प्रतिशत होने का अनुमान है (थोक मूल्य सूचकांक में पेट्रोलियम उत्पादों को दिया गया भरांश)। पिछले तीन महीनों के दौरान (नवम्बर 1990 से जनवरी 1991) थोक मूल्य सूचकांक जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1990 को 184.6 था, दिनांक 26 जनवरी, 1991 को बढ़कर 188.9 हो गया, जो 2.3 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है।

(घ) सरकार ने मुद्रास्फीति के नियन्त्रण को उच्च प्राथमिकता दी है, कीमतों और मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों में वृद्धि को रोकने के लिए किए गए/प्रस्तावित उपायों में सरकारी खर्च के मानीटरिंग द्वारा कठोर राजकोषीय अनुशासन, अर्थव्यवस्था में नकदी के विस्तार को रोकना, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति और मांग का अधिक प्रभावी तरीके से प्रबन्ध और जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना शामिल है।

चाय के निर्यात के लिए श्रीलंका के साथ संयुक्त विपणन नीति

*20. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय के निर्यात और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बिक्री हेतु श्रीलंका के साथ मिलकर एक संयुक्त विपणन योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणाम क्या निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नर्मदा परियोजना के लिए राजस्थान को पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति

1. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान में नर्मदा परियोजना, जो कि जालोर तथा बाड़मेर जिलों के मरु-क्षेत्रों को पेयजल तथा सिंचाई आवश्यकताओं को पूरा करेगी, के सम्बन्ध में पर्यावरण और पारिस्थितिकीय पहलुओं तथा उपचारात्मक उपायों के अध्ययन पर एक प्रत्यावेदन जांच तथा स्वीकृति के लिए पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय को राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) नर्मदा सागर और सरदार सरोवर परियोजनाओं को जून, 1987 में पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी। तथापि, नर्मदा नियन्त्रण प्राधिकरण के मार्ग-निर्देश में इन परियोजनाओं में भागीदार राज्य पर्यावरणीय कार्य योजनाओं के स्वयं अलग-अलग ब्यौरे दे रहे हैं।

निर्यात लक्ष्य

2. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990-91 के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का लक्ष्य पूरा करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) ऐसी आशा है कि वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए निर्धारित 36000 करोड़ रुपए के निर्यात-लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ कमी रह जाएगी। निर्यात-लक्ष्य प्राप्त करने में कमी के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ विश्व अर्थव्यवस्था की धीमी गति, खाड़ी संकट आरम्भ होने से विकासशील देशों विशेषतः संयुक्त राज्य अमरीका में मन्दी, आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार ने निर्यात-निष्पादन को मानीटर करने तथा मुख्यतः नकद मुआवजा सहायता के रूप में कुछ उपदान देकर अतिरिक्त निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सचिवों की भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन किया है। सभी प्रमुख क्षेत्रों में अतिरिक्त निर्यात सृजित करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए निर्यातकों के साथ गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रशासनिक बाधाएं दूर करके कृषि निर्यात बढ़ाने, विनिर्माताओं के अतिरिक्त निर्यातों का पता लगाने, घरेलू उत्पादन में वृद्धि कर लाभ उठाने और खाड़ी संकट से प्रभावित निर्यातों के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाने आदि के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं।

बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने के कार्यक्रमों को समाप्त करना

3. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री शंकर सिंह वघेला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर उनके प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने के कार्यक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को लाभप्रद बनाने के लिए उनके प्राथमिकता क्षेत्रों को ऋण देने के कार्यक्रमों को समाप्त करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के परामर्श से अगस्त 1986 में प्रो० ए० एम० खुसरो की अध्यक्षता में, देश में कृषि ऋण पद्धति की गहन रूप से संवीक्षा करने के लिए कृषि ऋण संवीक्षा समिति (ए० सी० आर० सी०) नियुक्त की थी, जिसकी परिकल्पना नाबार्ड-I ऋण परियोजना की विश्व बैंक स्टाफ मूल्यांकन रिपोर्ट में की गयी थी। सम्भावतया, माननीय सदस्य कृषि ऋण संवीक्षा समिति की रिपोर्ट का ही उल्लेख कर रहे हैं। अगस्त 1989 में समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण कार्यक्रमों को समाप्त करने का सुझाव नहीं दिया है, अपितु इस अपेक्षा को सुनिश्चित करने पर बल दिया है कि बैंकों के लिए सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने सम्बन्धी जो लक्ष्य निर्धारित किए जाएं वह ऐसे होने चाहिए जिनमें अन्तर्ग्रस्त जोखिम बैंकों की वित्तीय क्षमता के अनुसार हो। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने की योजना 1969 में देश में बड़े-बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ही तैयार की गयी थी और सरकार का इसे त्यागने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के तहत बैंकों को अपने बकाया ऋण का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्रों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करना है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन

4. **श्री परस राम भारद्वाज** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता सामग्री क्षेत्र में विदेशी ब्रांड के नामों के प्रयोग को रोकने और भारतीय ब्रांड के नामों का प्रयोग करने के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28 में संशोधन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दक्षिणी राज्यों से निर्यात

5. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु से विभिन्न मदों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए, मदों का पता लगाने के लिए हाल ही में मद्रास में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन मदों का पता लगाया गया है और दक्षिणी राज्यों से मदों के निर्यात में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) तमिलनाडु राज्य से निर्यातों के संवर्धन हेतु कार्य योजना पर एक संगोष्ठी 31-1-91 को मद्रास में आयोजित की गयी थी।

(ख) व्यापार विकास प्राधिकरण ने संगोष्ठी के लिए एक प्रस्ताव पत्र तैयार किया था तथा तमिलनाडु से निर्यात विकास के लिए निम्नलिखित थ्रस्ट क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है।

(1) कृषि पर आधारित मदें;

(2) चमड़े की वस्तुएं, वस्त्र तथा फुटवियर;

(3) खनिज पर आधारित वस्तुएं;

(4) इंजीनियरी वस्तुएं;

(5) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर;

(6) वस्त्र पर आधारित उत्पाद;

(7) रसायन और सम्बद्ध उत्पाद;

(8) हस्तशिल्प।

व्यापार विकास प्राधिकरण सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के लिए उत्पाद विशिष्ट कार्य योजना प्रदान करता है। व्यापार विकास प्राधिकरण ने इसी प्रकार की एक रिपोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए भी तैयार की है।

इस्पात की कमी

6. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात की कमी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए तैयार इस्पात की 153.5 लाख मी० टन की अनुमानित घरेलू मांग की तुलना में अब घरेलू उत्पादन का अनुमान लगभग 134 लाख मी० टन है।

मुख्यतया बिजली और कोयले की कमी के कारण जिससे उत्पादन कम हुआ, उत्पादन सम्बन्धी योजनाओं को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका। अपर्याप्त घरेलू क्षमता के कारण जहाज बनाने/बायलर क्वालिटी की प्लेटों, पूर्ण रूप से मर्दित गम्भीर कर्षण और अतिरिक्त गम्भीर कर्षण क्वालिटी के तप्त एवं शीत रोल्ड शीटों/क्वायलों, टी० एम० बी० पी० आदि विशेष प्रकार के इस्पात की भी कमी है।

(ग) सरकार निजी/गौण क्षेत्र में इस्पात के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है : विद्युत चाप भट्टी/ऊर्जा इष्टमीकरण प्रौद्योगिकी, जिसमें लघु धमन भट्ठी शामिल है, पर आधारित दस लाख मी० टन की क्षमता वाली गौण क्षेत्र की इकाई में अतिरिक्त इस्पात बनाने की क्षमता सृजित करने की स्वीकृति देने का भी निर्णय लिया गया है। एकीकृत इस्पात संयंत्र भी विस्तार एवं आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वियन कर रहे हैं। सेल के संयंत्रों के मामले में विद्यमान संयंत्रों और उपकरणों के बेहतर अनुरक्षण पर तथा प्रौद्योगिकीय जानकारी देने के लिए भी बल दिया जा रहा है ताकि उनको प्रचालित किया जा सके, अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जा सके और बेहतर कार्य संवर्धन के प्रयास हो सकें तथा अपेक्षित क्वालिटी के आदानों को पर्याप्त एवं समय पर उपलब्ध कराया जा सके।

इस समय लागू आयात-निर्यात नीति के अनुसार विभिन्न इस्पात क्षमताओं के आयात की अनुमति है।

कर्नाटक में बैंकों द्वारा लघु उद्यमियों को सहायता

7. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक स्थित सभी राष्ट्रीयकृत बैंक राज्य में लघु उद्यमियों को सहायता देकर उनके विकास हेतु प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इनमें से कुछ बैंकों के विरुद्ध राज्य सरकार की एजेन्सियों से शिकायतें मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इस सम्बन्ध में उठाए जाने वाले प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने सूचित किया है कि वह अन्यों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके द्वारा कर्नाटक में कारीगरों और छोटे एककों सहित लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को दिए गए सावधि ऋणों पर पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है। चालू वर्ष में अप्रैल, 1990 से जनवरी, 199 तक की अवधि के दौरान राज्य में सभी बैंकों को संवितरित 58.22 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त सहायता में से राष्ट्रीयकृत बैंक को इस अवधि में दी गई पुनर्वित सहायता 23.32 करोड़ रुपए है।

नई दिल्ली में अनिवासी भारतीयों का सम्मेलन

8. **श्री बी० देवराजन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारत की अनिवासी भारतीय कल्याण समिति द्वारा अनिवासी भारतीयों के सम्बन्ध में दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को कोई ज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारत की अनिवासी भारतीय कल्याण सोसायटी ने 21 जनवरी, 1991 को नई दिल्ली में अनिवासी भारतीयों की द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। सोसायटी के महासचिव द्वारा दिए गए भाषण और ज्ञापन की एक प्रतिलिपि सरकार को प्राप्त हुई थी उसकी जांच की गई थी। सरकार नीतियों और प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि अनिवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों के संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर, अनिवासी भारतीय निवेशकों की बाधाओं को दूर किया जा सके।

उद्योगों के लिए बैंक ऋण

[हिन्दी]

9. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 के दौरान केन्द्र और राज्य सरकारों के लघु एवं कुटीर उद्योग विभागों के संयुक्त तत्वाधान में बिहार के मधुबनी एवं दरभगा जिलों में तीन दिवसीय उद्यमी विकास शिवर लगाए गए थे जिनमें राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया;

(ख) यदि हां, तो विनिर्माता बैंकों के संवर्धन में बैंकों का क्या योगदान था;

(ग) क्या इन जिलों में चालू वर्ष के दौरान भी ऐसे शिविर लगाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का इन जिलों में प्रायोगिक आधार पर बैंकों के माध्यम से लघु और स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों को ऋण मंजूर कराने सम्बन्धी कोई नीति बनाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने बिहार के मधुबनी तथा दरभंगा जिलों में कोई भी उद्यमी विकास कार्यक्रम शिविर आयोजित नहीं किया है। अलबत्ता, उक्त बैंक, विभिन्न राज्यों में महिलाओं के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम शिविरों सहित, उन उद्यमी विकास कार्यक्रम शिविरों को समर्थन प्रदान करता आ रहा है जिनका मुख्य उद्देश्य उद्यमियों का विकास करना है ताकि वे स्वयं अपने उद्यम स्थापित कर सकें और इस प्रकार रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान कर सकें। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने, मार्च, 1990 के अन्त तक, बिहार में 67 उद्यमी विकास शिविरों को समर्थन प्रदान किया था जिन पर कुल 21.92 लाख रुपए की धनराशि खर्च हुई थी।

उक्त बैंक ने वर्ष 1989-90 में, मधुबनी जिले में महिलाओं के लिए उद्यमी विकास कार्यक्रम का समर्थन किया था जिस पर 0.63 लाख रुपए की रकम खर्च हुई थी और इससे 25 प्रशिक्षणार्थियों को लाभ पहुंचा था। इसी प्रकार, इस बैंक ने वर्ष 1988-89 में, 0.40 लाख रुपए की लागत वाले एक सामान्य उद्यमी विकास कार्यक्रम के लिए सहायता दी जिससे 49 प्रशिक्षणार्थियों को लाभ पहुंचा।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर तैयार करने तथा साथ ही उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित करने वाली एजेंसियों को और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, अति लघु और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए दी गई प्राथमिकता के सन्दर्भ में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने हाल ही में ग्रामीण उद्यमी विकास कार्यक्रमों को समर्थन देने का फैसला किया है।

लौह अयस्क के निर्यात का लक्ष्य

[अनुवाद]

10. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क के बारे में सरकार की नीति क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विभिन्न देशों को लौह अयस्क के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इस अवधि के दौरान, देशवार कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क, वास्तव में निर्यात किया गया; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) लौह अयस्क का निर्यात भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० (एम० एम० टी० सी०) के जरिए सरणीबद्ध किया जाता है।

गोआ मूल का लौह अयस्क जब जापान दक्षिण कोरिया, ताइवान और पश्चिमी यूरोप को निर्यात किया जाता है तब इस निर्यात की अनुमति ओ० जी० एल०-3 के तहत दी जाती है, बशर्ते कि संविदाओं का गोआ खनिज अयस्क निर्यात संघ में पंजीकरण करवाया गया हो।

कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड (के० आई० ओ० सी० एल०) को भी अपने उत्पाद अर्थात् लौह अयस्क सान्द्रण और पेलेट्स सभी बाजारों को सीधा निर्यात करने की अनुमति है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए निर्धारित वर्ष-वार समग्र निर्यात निम्नलिखित हैं :

वर्ष	लक्ष्य मिलियन मी० टन में
1985-86	29.60
1986-87	32.00
1987-88	34.40
1988-89	32.00
1989-90	33.00

इसी अवधि के दौरान देशवार वास्तविक निर्यात संलग्न विवरण-1, विवरण-2, और विवरण-3 में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान लौह अयस्क का निर्यात प्रति वर्ष 33 मिलियन से 36 मिलियन मी० टन के बीच होने का अनुमान है।

विवरण-1

सातवीं योजना अवधि के दौरान एम० एम० टी० सी० द्वारा लौह अयस्क का निर्यात

(मात्रा : मिलियन मी० टन)

देश	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
जापान	9.017	9.899	8.987	10.496	10.083
कोरिया गण०	2.127	2.300	2.448	3.112	2.915
रूमानिया	3.394	4.148	1.416	2.356	2.325
चेकोस्लोवाकिया	0.059	0.056	—	—	—
हंगरी	0.048	0.030	0.015	0.031	0.010
जर्मन जन० गणराज्य	0.758	0.779	0.745	0.612	0.701
बलगारिया	—	—	0.109	—	—
युगोस्लाविया	—	—	0.055	0.036	—
पोलैंड	0.070	0.072	—	—	—
यू० ए० ई०	0.290	0.061	0.048	0.146	0.330
कुवैत	0.024	—	—	0.021	—
दक्षिण कोरिया	0.093	0.167	0.098	0.343	0.364
पाकिस्तान	0.121	0.147	0.284	0.338	0.391
तुर्की	—	—	0.043	—	—
चीन	0.334	0.361	0.338	0.151	0.251
आस्ट्रेलिया	—	—	—	—	0.149
नेपाल	0.003	0.003	—	0.002	0.002

विवरण-2

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लि० द्वारा लौह अयस्क का निर्यात आठवीं योजनावधि

(मात्रा : मि० मी० टन)

देश	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
जापान	1.383	2.600	2.723	2.367	2.82
बेहरीन	0.343	0.059	—	0.128	0.457
चेकोस्लावि	0.113	0.117	0.161	0.149	0.168
फ्रान्स	0.196	2.268	0.081	—	0.108
युगोस्लाविया	—	0.220	0.271	0.337	—
आस्ट्रेलिया	—	0.054	0.083	0.255	0.366
चीन	0.025	0.069	0.040	0.022	0.045
हंगरी	—	0.984	0.435	0.594	0.531
पोलैंड	—	0.036	—	—	—
टर्की	—	—	0.176	0.357	0.325
इन्डोनेशिया	—	—	0.004	0.043	0.127
कतार	—	—	—	0.025	0.052
दक्षिण कोरिया	—	—	—	0.020	—
सं० अ० अमीरात	—	—	—	0.109	0.056
प० जर्मनी	—	—	—	0.176	0.115
मलेशिया	—	—	—	0.011	—
ताइवान	—	—	—	0.060	0.059
इराक	—	—	—	0.032	0.090
भिलाई (भारत)	—	—	—	0.019	—
ईरान	—	—	—	—	0.031

विवरण-3

सातवीं योजनावधि के दौरान गोआ के निर्यातकों द्वारा लोह अयस्क का निर्यात

(मात्रा : मिलियन टन)

देश	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
जापान	9.516	8.645	7.978	8.336	7.868
पश्चिम यूरोप	1.575	1.517	1.154	1.665	2.117
द० कोरिया	0.728	0.697	0 697	0.996	0.613
ताइवान	0.106	0.125	—	—	0.036

विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण

11. **श्री ए० विजयराघवन : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 से 1990 तक भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से प्राप्त हुए विभिन्न ऋणों का ब्यौरा क्या है तथा तत्सम्बन्धी शर्तें क्या-क्या थीं; और

(ख) अब तक कितना मूलधन तथा कितना ब्याज का वापसी-भुगतान किया जा चुका है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वर्ष 1984 से 1990 तक की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ कोई ऋण अनुबन्धित नहीं किए गए थे। 1984-85 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 20 करोड़ एस० डी० आर० की निकासी की गयी थी लेकिन ऐसा, विस्तारित कोष सुविधा व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया था जिस पर 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहमति हुई थी। 1984-1990 के दौरान विश्व बैंक समूह के साथ निष्पन्न किए गए ऋण/उधार करारों का विस्तृत विवरण संलग्न है। आई० बी० आर० डी० के ऋणों को पांच वर्षों की रियायती अवधि सहित बीस वर्षों में वापस अदा करना होता है और इनकी ब्याज की दरें परिवर्तनीय होती हैं तथा असंवितरित शेष राशि पर वचनबद्धता प्रभार लगता है जो इस समय क्रमशः 7.73 प्रतिशत और 0.25 प्रतिशत निर्धारित है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के उधार ब्याज मुक्त होते हैं और इन पर परिवर्तनीय वचनबद्धता प्रभार, जो इस समय शून्य प्रतिशत है, तथा 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार अदा करना होता है। सन 1988 और उससे बाद के हस्ताक्षरित आई० डी० ए० के उधारों की वापसी अदायगी 35 वर्षों में और 1988 से पहले निष्पन्न उधारों की वापसी अदायगी 50 वर्षों की अवधि में करनी है तथा इन दोनों ही मामलों में 10 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है।

(ख) 3 -12-1990 तक की स्थिति के अनुसार, विभिन्न ऋणों पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को दी जाने वाली मूलधन की वापसी अदायगी व ब्याज की राशि निम्नलिखित प्रकार

है :—

(करोड़ अमेरिकी डालर)

	मूलधन	ब्याज
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	467.370	224.101
विश्व बैंक	225.204	381.427

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (लाख अमेरिकी डालर)	करार की तारीख	समापन तारीख
1	2	3	4	5
1.	तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं सफाई	730	14-11-84	30-6-91
2.	म० प्र० उर्वरक	1846	25-5-84	30-6-91
3.	रेलवे विद्युतीकरण	2792	25-5-84	30-9-91
4.	न्हावाशेवा पत्तन	2500	25-5-84	30-6-91
5.	दुधिचुआ कोयला	1098	25-5-84	31-3-91
6.	एन० ए० ई० पी०-I	504	12.12-84	31-3-91
7.	वर्षा-पोषित क्षेत्रों में जल विभाजक विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	383	8-2-84	31-12-91
8.	कर्नाटक सामाजिक वानिकी	270	9-2-84	31-12-90
9.	एन० सी० डी० सी०-III	2200	12-10-84	30-6-91
10.	केरल वानिकी	318	12-12-84	31-12-90
11.	गुजरात मध्यम सिंचाई	1720	29-6-84	31-12-91
12.	उपरी गंगा सिंचाई आधुनिकीकरण	1250	29-6-84	30-9-91
13.	पेरियार बेगई सिंचाई-III	350	12-10-84	30-4-91
14.	कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम	2135	25-5-84	30-9-90

1	2	3	4	5
15.	द्वितीय फरक्का तापीय	3008	29-6-84	31-12-91
16.	चौथी ड्राम्बे तापीय	1354	12-12-84	30-6-91
17.	बम्बई शहरी विकास	1380	1-3-85	30-9-91
18.	केरल जल आपूर्ति एवं सफाई	410	24-9-85	31-3-91
19.	चौथी जनसंख्या	510	24-9-85	31-8-93
20.	महाराष्ट्र पेट्रो-रसायन	3000	10-5-85	30-9-91
21.	राष्ट्रीय राजमार्ग	2000	16-9-85	30-6-92
22.	झरिया कोकिंग कोयला	577	10-5-85	31-12-92
23.	एन० ए० ई० पी०-II	656	10-5-85	31-3-91
24.	राष्ट्रीय वानिकी	1650	24-9-85	31-12-90
25.	महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई	990	27-9-85	31-3-91
26.	नर्मदा नदी विकास एस० एस० बांध एवं बिजली	3000.0	10-5-85	30-6-95
27.	नर्मदा नदी विकास एस० एस० पी० जल आपूर्ति एवं निकासी	1500	10-5-85	1-7-91
28.	इन्दिरा सरोवर बन बिजली	3000	1-3-85	30-6-92
29.	चन्द्रपुर तापीय	3000	16-9-85	31-12-92
30.	रिहन्द बिजली पारेषण	2500	16-9-85	31-12-91
31.	केरल विद्युत	1760	5-12-85	30-9-91
32.	पं० बंगाल लघु सिंचाई	990	27-9-85	31-8-91
33.	गुजरात शहरी विकास	620	15-4-86	31-12-92
34.	सहकारी उर्वरक	1502	22-7-86	31-12-91
35.	सहकारी उर्वरक (इफको)	1450	22-7-86	30-6-92
36.	सीमेंट उद्योग	2000	22-7-86	30-6-92
37.	औद्योगिक निर्यात (इन्जीनियरी उत्पाद)	2500	21-1-86	31-12-91
38.	नाबार्ड-I	3750	28-5-86	30-6-91
39.	एन० ए० आर० पी-II	908	25-2-86	30-6-93
40.	द्वितीय ए० पी० सिंचाई	2710	28-5-86	30-6-94

1 2	3	4	5
41. संयुक्त चक्र बिजली	4350	27-10-86	31-12-97
42. तृतीय बम्बई जल-आपूर्ति एवं मल-निकासी	1850	12-5-87	30-6-94
43. मद्रास जल-आपूर्ति एवं सफाई	690	21-12-87	31-12-95
44. उ० प्र० शहरी विकास	1500	21-12-87	31-3-96
45. गुजरात ग्रामीण सड़कें	1196	12-5-87	31-12-91
46. नौवीं दूर-संचार	1930	20-6-87	31-12-92
47. कोयला खनन तथा गुणवत्ता सुधार	3430	29-6-87	30-9-94
48. एन० ए० ई० पी-III	935	26-6-87	31-[illegible]-94
49. सूखा सहायता	3746	25-11-87	31-3-89
50. बिहार जन ट्यूबवेल	680	13-1-87	31-5-94
51. राष्ट्रीय जल प्रबन्ध	1140	12-5-87	31-3-94
52. भारतीय तेल पेट्रोलियम	1400	29-6-87	30-9-94
53. कर्नाटक बिजली	3300	21-12-87	31-12-95
54. राष्ट्रीय राजधानी बिजली आपूर्ति	4850	21-12-87	31-12-96
55. तलचर तापीय बिजली	37[illegible]0	21-12-87	31-3-96
56. एच० डी० एफ० सी०	2500	21-4-88	30-9-91
57. तमिलनाडु शहरी विकास	3002	16-9-88	30-9-95
58. पांचवीं जनसंख्या	570	16-9-88	31-12-95
59. औद्योगिक वित्त एवं तकनीकी सहायता	3600	12-5-88	31-12-95
60. रेलवे आधुनिकीकरण	3900	12-5-88	31-12-95
61. राज्य सड़कें	2500	17-11-88	30-6-95
62. द्वितीय राष्ट्रीय डेरी	3600	13-1-88	31-12-94
63. एन० एस० पी-III	1500	12-12-88	30-6-95
64. पश्चिमी गैस विकास	2835	21-4-88	30-6-94
65. द्वितीय कर्नाटक बिजली	2600	27-7-88	31-12-95

1 2	3	4	5
66. उ० प्र० बिजली	3500	27-7-88	31-12-96
67. व्यावसायिक प्रशिक्षण	2800	16-6-89	31-12-96
68. छठी जनसंख्या	1246	11-9-89	31-3-97
69. राष्ट्रीय रेशम कीट पालन	1770	16-6-89	31-12-96
70. औद्योगिक प्रौद्योगिक विकास	2000	8-12-89	31-12-95
71. निर्यात विकास	2950	26-5-89	31-3-96
72. इलैक्ट्रानिक उद्योग	2100	7-7-89	1.12-95
73. पेट्रोलियम परिवहन	3400	11-9-89	30-6-95
74. ऊपरी कृष्ण सिंचाई	3250	16-8-89	31-12-96
75. नाथ्पा झाकड़ी विद्युत	4850	15-5-89	31-12-97
76. महाराष्ट्र विद्युत	4000	11-9-89	30-12-96
77. हैदराबाद जल आपूर्ति एवं सफाई	899	23-5-90	31-3-98
78. तकनीशियन शिक्षा	2600	13-8-90	30-6-98
79. तमिलनाडु पोषणाहार-II	958	14-9-90	31-12-97
80. सातवीं जनसंख्या	967	23-10-90	30-6-98
81. आई० सी० डी० एस-I	1060	23-10-90	31-12-97
82. द्वितीय सीमेंट उद्योग	3000	13-6-90	30-6-96
83. द्वितीय पेट्रो रसायन	2450	7-11-90	31-3-96
84. ए० पी० चक्रवात आपात पुनर्निर्माण	2100	23-10-90	31-3-94
85. पंजाब सिंचाई एवं जल निकासी	1650	9-2-90	31-3-98
86. उत्तरी क्षेत्र पारेषण	4850	3-10-90	3-9-98

नान-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा एकोमोडेशन बिलों का डिस्काउन्ट काटना

12. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नॉन-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां बड़े पैमाने पर एकोमोडेशन बिलों पर "डिस्काउन्ट" काटती है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाद में ऐसे एकोमोडेशन बिलों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से "रीडिस्काउन्ट" कराते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी रीडिस्काउंटिंग से भारतीय रिजर्व बैंक के जमा अनुक्रमण व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित जमा सीमा से अधिक हो जाती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों को और ऐसे "एकोमोडेशन बिलो" को रीडिस्काउन्ट न करने के निर्देश देने का विचार है जिनके पीछे स्टाक का समर्थन नहीं होता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों द्वारा भुनाए गए निभाव पत्रों (अकामोडेशन बिल) के बारे में उसके पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) बैंकों से निभाव पत्रों को स्वीकार करने की आशा नहीं की जाती है ।

(ग) सभी बिल सुविधाएं एक ऋणकर्ता के कुल कार्यचालन वित्त का भाग है और इन सुविधाओं का निश्चय माल सूची (इन्वेन्ट्री) और प्राप्ति सम्बन्धी मानदण्डों द्वारा किया जाता है ! ऐसे स्वीकार्य बैंक वित्त के अलावा दी गयी बिल सुविधाओं से ऋण अनुशासन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्रों के माध्यम से बैंकों को बार-बार उनके बिलों के पोर्टफोलियों के प्रति सचेत रहने के लिए कहा है जिन बिलों को बैंकों द्वारा खरीदा जाता है/भुनाया जाता है, उनका सम्बन्ध माल की यथार्थ आवाजाही से होना चाहिए । जब कभी निभाव पत्रों के वित्त पोषण के मामले भारतीय रिजर्व बैंक की जानकारी में आते हैं, उन बैंकों को ऐसे कार्य न करने तथा निवारक उपाय करने के लिए कहा जाता है ।

भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर (उत्तर प्रदेश)

[हिन्दी]

13. **श्री रामलाल राही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश की सीतापुर जिले में भगीरथ ग्रामीण बैंक के कार्यकरण में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि कोई जांच नहीं की गई, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) अध्यक्ष, भगीरथ ग्रामीण बैंक, सीतापुर को शिकायतों की जांच करने के लिए कहा गया था । सूचित किया गया है कि शिकायतों में एक शिकायत उसकी रामपुर स्थित शाखा के बैंक के

एक कर्मचारी के कथित दुर्व्यवहार के विरुद्ध थी, जो सही नहीं पायी गयी। खण्ड मच्चरहता ग्राम सभा कुनेता लाची रामपुर के निवासियों की, किसानों के ऋण माफी को नामन्जूर किए जाने सम्बन्धी शिकायत सही नहीं पाई गयी है क्योंकि कृषि ग्रामीण ऋण राहत योजना के तहत सम्बन्धित किसान ऋणों की माफी के लिए पात्र नहीं पाए गए। चांदपुर शाखा द्वारा कृषकों को ऋण संवितरित न करने सम्बन्धी अन्य शिकायत को भी ठीक नहीं पाया गया है क्योंकि 1-4-1990 से 93 किसानों को 3.03 लाख रु० के फसल ऋण संवितरित किए गए हैं।

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

[अनुवाद]

14. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धातु अपशिष्ट व्यापार निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड बिना मुख्य कार्यकारी के कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक का पद जनवरी, 1990 में तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल पूरा हो जाने के परिणामस्वरूप रिक्त हुआ। प्रारम्भ में इस रिक्त स्थान के लिए चुने गए उम्मीदवार द्वारा नियुक्ति ग्रहण करने से इन्कार कर दिया गया। अतएव अन्य उम्मीदवार के चयन के लिए कारंवाई की गयी। यह प्रक्रिया हाल ही में पूरी हुई है।

(ग) कम्पनी के मुख्य कार्यपालक की नियुक्ति करने के लिए दिनांक 13-2-91 को आदेश जारी कर दिया गया है।

तैयार चमड़े का निर्यात

15. **श्री राजमोहन रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में तैयार चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) निकट भविष्य में परिष्कृत चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कच्चे माल की बजाय मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने 31 अगस्त, 1990 को इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है कि 1 अप्रैल, 1991 से सभी प्रकार के परिष्कृत चमड़े के निर्यात की आयात एवं निर्यात नीति, भाग II के केवल खुला सामान्य लाइसेंस सं० 3 के अन्तर्गत अनुमति दी जाएगी।

शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक योजना

16. **श्री प्रकाश बी० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एकक महासंघ से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें निर्यातोन्मुखी एकक योजना की उन खामियों का उल्लेख किया गया है जिनकी मान्यता प्राप्त निर्यातोन्मुखी एककों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो परिसंघ ने निर्यातोन्मुखी एककों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए हैं; और

(ग) सरकार ने निर्यातोन्मुखी एककों की कठिनाइयां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) कनफेडरेशन आफ 100% एक्सपोर्ट यूनिट्स 100% निर्यातोन्मुख एकक योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर सुझाव देता रहा है ।

(ख) यह सुझाव, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा शुल्क क्रियाविधियों को सरल बनाने और घरेलू टैरिफ क्षेत्र को एककों की भांति ही .00% निर्यातोन्मुख एककों को पूर्ण नकद मुआवजा सहायता देने से सम्बन्धित होते हैं ।

(ग) सीमा शुल्क से सम्बन्धित समस्याओं पर राजस्व विभाग से उपयुक्त स्तर पर चर्चा की गई है और वह विभाग कनफेडरेशन के सुझावों की जांच पड़ताल कर रहा है । 50% की सामान्य दर के बजाय पूर्ण मुआवजा सहायता देने के उनके सुझाव को अभी हाल ही में इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया है कि उनमें प्रयुक्त कम-से-कम 75% कच्चा माल स्वदेशी मूल का हो ।

रुग्ण एककों से वसूली

17. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़ : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने एकक रुग्ण हैं और इन एककों पर वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों का कुल कितना ऋण बकाया है;

(ख) इन एककों से वित्तीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों की बकाया राशि की वसूली करने सम्बन्धी नीति क्या है;

(ग) कर्मियों के अधिकारों, जिनमें इन एककों से प्राप्त बकाया राशि शामिल है कि रक्षा करने सम्बन्धी विद्यमान नियम क्या है; और

(घ) देश में वित्तीय और रोजगार स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली इस बढ़ती हुई बुराई को रोकने हेतु क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार रुग्ण एककों

की कुल संख्या 241814 थी जिसका बकाया बैंक ऋण 5528.30 करोड़ रुपए था। 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार चार बड़ी वित्तीय संस्थाओं की निवेश सूची में रुग्ण एककों के विवरण निम्न प्रकार से हैं :—

(करोड़ रुपए)

संस्था का नाम	एककों की संख्या	बकाया राशि
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	248	532.00
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	283	300.47
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	148	213.32
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	169	200.05

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्ण/कमजोर एककों के बारे में, जो पुनरूज्जीवन के लिए सम्भाव्यतः अर्थक्षम है, पुनर्स्थापना कार्यक्रम को तैयार करने/कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, पुनर्स्थापना कार्यक्रम में एक चरणबद्ध ढंग में वापसी अदायगी के लिए बढ़ाई गई अवधि के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान बकाया राशियों के निधियन, ब्याज में रियायत, नए सावधि ऋण की मन्जूरी के साथ-साथ कार्यशील पूंजी सुविधाओं की भी व्यवस्था है। श्रम युक्तिकरण योजना के तहत 50 : 50 के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा नए पुनर्स्थापना सावधि ऋणों की मन्जूरी द्वारा कर्मचारियों को देय बकाया धनराशि को भी सुनिश्चित किया जाता है। जिस मामले में एककों को अर्थक्षम नहीं समझा जाता है उन मामलों में बकाया राशि की वसूली न्यायालय में कारंवाई, एक मुश्त समझौता आदि द्वारा की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रुग्णता की पूर्व जांच करने के लिए अपनी संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ सूचना प्रणाली और प्रारम्भिक स्तर पर रुग्णता की जांज करने के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे की पर्याप्त की पुनरीक्षा करने के लिए कहा है।

वित्तीय संस्थाओं के पास भी किसी कम्पनी के कार्यनिष्पादन पर नजर रखने के लिए व्यापक प्रणाली है जिसमें आवधिक परियोजना कार्यान्वयन/प्रगति रिपोर्ट तैयार करना, प्लांट के दौरे, किसी कम्पनी के कार्यों को ध्यानपूर्वक समझने के लिए सहायता प्राप्त एककों में मनोनीत निदेशकों से प्राप्त सूचना शामिल है। जिन मामलों में खराब कार्य निष्पादन पाया जाता है, रुग्ण एककों के परामर्श से अपेक्षित उपचारात्मक उपाय प्रारम्भ किए जाते हैं। अर्थक्षम पाए गए एककों के लिए पुनर्स्थापना कार्य-क्रम तैयार करते समय श्रमिकों की जायज बकाया राशियों को ध्यान में रखा जाता है और उनके भुगतान के लिए उपयुक्त प्रावधान किया जाता है।

रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत रुग्ण एककों के सम्बन्ध में निवारक और सुधारात्मक उपायो के निर्धारण करने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनः-निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) का गठन किया गया है। अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम का उद्देश्य निवारक उपायों के शीघ्र निर्धारण के लिए सम्भावित रुग्ण औद्योगिक एककों की समय पर पहचान करना है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों को मानदेय

18. **श्री मदन लाल खुराना :** क्या **विधि और न्याय मन्त्री** केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों का मानदेय के बारे में 7 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 5056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक इस बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे सभा पटल पर कब प्रस्तुत किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में हुई देरी के क्या करण हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) प्रश्न सं० 5056 के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र कर ली गई थी और तारीख 28 दिसम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न सं० 386 के उत्तर में सदन के पटल पर रख दी गई थी। उक्त उत्तर की प्रति इसके साथ विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों को मानदेय

386. **श्री हरीश पाल :** क्या **विधि और न्याय मंत्री** केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में मामलों की पैरवी करने वाले अधिकारियों को मानदेय देने के बारे में 7 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी मांग ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह जानकारी कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) सरकार ने न्यायालयों या अभिकरणों में मामलों में प्रतिरक्षा करने के लिए प्राइवेट वकील नियुक्त न करने के बारे में कोई विनिश्चिय नहीं किया गया है। चूंकि सरकारी मामलों की प्रतिरक्षा सरकारी काउंसेल करते हैं अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता कि अधिकारी मामलों में प्रतिरक्षा करे या इस सम्बन्ध में उन्हें कोई मानदेय दिया जाए।

कर्नाटक में सोने की खानें

19. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में स्थित सोने की खानों का ब्यौरा क्या है और उनमें सोने की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ख) इन खानों में दैनिक औसत उत्पादन कितना होता है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन खानों में सोने के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) कर्नाटक में दो स्वर्ण खानें हैं—भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की कोलार गोल्ड फील्ड्स खानें (के० जी० एफ०) तथा हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लि० की हट्टी खानें। के० जी० एफ० तथा हट्टी स्वर्ण खानों में कुल स्वर्ण अयस्क भण्डार क्रमशः 3.87 मिलियन टन तथा 5.5 मिलियन टन हैं।

(ख) के० जी० एफ० तथा हट्टी खानों में स्वर्ण का औसत दैनिक उत्पादन क्रमश: 1.58 किलो ग्राम तथा 3.6 किलोग्राम है।

(ग) आठवीं योजना के दौरान के० जी० एफ० तथा हट्टी खानों से स्वर्ण उत्पादन का प्रयोजन इस प्रकार है :—

वर्ष	के० जी० एफ० खानें (किलोग्राम)	हट्टी खानें (किलोग्राम)
1990-91	475	900
1991-92	440	1000
1992-93	440	1000
1993-94	440	1000
1994-95	440	1000

लोक अदालत अभियान

[हिन्दी]

20. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक अदालत अभियान ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है जिसके लिए इसे प्रारम्भ किया गया था; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार उन्हें और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) कुल मिलाकर देश में लोक अदालत अभियान 1985 के अन्त में आरम्भ हुआ था। विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वियन समिति के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार 7-2-1991 तक 4,319 लोक अदालतें

आयोजित की गई थीं उनमें 25.71 लाख मामले निबटाए गए। इस समय लोक अदालतें विवादों को समझा-बुझाकर और उनमें सुलह करा कर निपटाने का स्वैच्छिक प्रयत्न करती हैं। उपर्युक्त उपलब्धियां लोक अदालत अभियान की सफलता को दर्शाती हैं।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

[अनुवाद]

21. **श्री नन्दलाल मीणा :**

श्री प्रताप राव बी० भोंसले :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी कितनी अवधि के लिए एक शाखा में तथा एक स्टेशन पर कार्य कर सकते हैं;

(ख) दिल्ली में बैंक की शाखाओं में कितने कर्मचारी निर्धारित अवधि के उपरान्त कार्य कर रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन सभी कर्मचारियों को अन्य शाखाओं में स्थानान्तरित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) बैंक के कितने कर्मचारियों के पास उनके ज्ञात आय स्रोतों के अनुपात से अधिक धन और सम्पत्ति पाई गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) यूनियन बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि अधिकारियों और लिपिक कर्मचारियों की एक स्थान पर तैनाती की अवधि सामान्यतः क्रमशः 3 वर्ष और 5 वर्ष होती है, बशर्ते कि, कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता न हो।

(ख) और (ग) बताया गया है कि दिल्ली की उसकी शाखाओं के 69 अधिकारियों ने अपनी निर्धारित अवधि पूरी कर ली है ओर उनका स्थानान्तरण किया जाना है। कर्मचारियों का स्थानान्तरण बैंकों द्वारा शिक्षा वर्ष की समाप्ति पर चरणबद्ध रूप में किया जाना है, बशर्ते कि, कोई प्रशासनिक अत्यावश्यकता न हो।

(ग) शून्य।

केरल में कम्पनियों पर करों की बकाया राशि

22. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में उन कम्पनियों/फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन पर 10 लाख या उससे अधिक धनराशि का वसूल कर बकाया है;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) बकाया कर वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए है या उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) उन कम्पनियों/फर्मों के नाम की सूची जिन पर 10 लाख या उससे अधिक धनराशि का कर बकाया है, विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ग) बकाया कर वसूल करने के लिए समय-समय पर ऐसे विधिक प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं जो आवश्यक समझे जाएं ।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी/फर्म का नाम	बकाया
1	2	3
	1-1-91 को उत्पाद शुल्क का बकाया	
1.	केरल राज्य इलैक्ट्रानिक विकास निगम, त्रिवेन्द्रम	19-45
2.	पूनालूर कागज मिल्स, पूनालूर	735.00 जमा 105.00 (कं० पर जुर्माना)
3.	पूनालूर कागज मिल्स का एल० एन० डालमिया	25.00
4.	राम रबर्स	10.65
5.	f.या रबर्स	62.30
6.	पोबस बैटरी कन्टेनर्स	13.10
7.	रूबी रबर चन्गनाचेरी	21.35
8.	त्रिवेणी रबर्स	15.04
9.	नेशनल रबर फैक्टरी	66.35
10.	प्रीमियर टायर्स कालामैसरी	223.76
11.	केरल एग्रो मशीनरी निगम अगमली	21.34
12.	उषा रबर्स कालामैसरी	17.91
13.	ट्रावनकोर रेयान्स पेरूम्बबूर	10.27
14.	किक्टो रबर्स किजाक्कम्बलम	19.53
15.	आरती रबर्स उत्पादन	15.75

1	2	3
16.	सेडसेल रबर्स कोथाटुकलम	31.28
17.	रूबीकॉन रबर उत्पादन	21.16
18.	पॉलोज एवं मेथन गैस्स इलूर	19.84
19.	फेक्ट उद्योगमण्डल	16.98
20.	जेन्सो सॉस्ट ड्रिंक्स अरूर	30.59
21.	जोनाकेप्स अलेप्पी	14.00
22.	टाटा ऑयल मिल्स कं० लि० अर्नाकुलम	79.16
23.	मेट्ल बॉक्स इण्डिया लि० एडापेल्ली	11.01
24.	टेक्सन रबर उत्पादन, भूरकानिक्कारा	124.63
25.	तीसुन रबर्स	59.68
26.	स्टील इण्डस्ट्रियल फोर्जिंग्स लि० अथानी	35.57
27.	चन्द्रिका प्रिन्टर्स, इरिन्नालाकुडा	46.31
28.	ज्योति रबर्स, वालीवत्तोम	5९.90
29.	पक्षी मार्क बीड़ी, कोलानोडे	15.35
30.	ग्वालियर रेयान्स फाईबर प्रभाग	21.51
31.	कालकट रबर कम्पनी कालीकट	77.30
32.	मेडन बीड़ी कम्पनी कालीकट	25.25
33.	स्टील इण्डस्ट्रीज केरल लि० शेरताली	25.34
34.	पोलीमर उत्पादन मनजेरी	13.77
35.	भारत प्लाईवुड एवं टिम्बर उत्पादन कन्नानोर	77.32
36.	शालीमार रबर इण्डस्ट्रीज	14.44
37.	मैसर्स टी० ई० एल० के०, अंगामाली	11.93
38.	ए० एस० राघिनाम एण्ड संस, शिरब्रेकर्स कोचीन	25.73
39.	नॉट रबर वर्क्स	15.00
40.	मैसर्स रूबी रबर्स, अरामुला	51.13
41.	इन्टरनेशनल रबर्स, वर्क्स	41.60
42.	स्टैण्डर्ड रबर	35.00
43.	लामर रबर वर्क्स	11.00

1	2	3
	दिनांक 30-6-90 को आयकर बकाया	
44.	मैसर्स जोसफ मिहायल एण्ड ब्रदर्स	109.59
45.	ट्रावनकोर इलैक्ट्रिक कैमिकल इन्डस्ट्रीज लि०	148.97
46.	मैसर्स केरल स्माल इण्डस्ट्रीज डिबलपमेंट कारपोरेशन लि०	77.68
47.	राजमोहन प्रा० लि०	76.60
48.	श्री रामा केषो (प्रा०)	60.78
49.	मैसर्स ट्रावनकोर शुगर एण्ड केमिकल लि०	92.92
50.	मैसर्स द मलाया मानोरमा कम्पनी लि०	46.08
51.	मैसर्स द नैरोथ ऑयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड	37.16
52.	मैसर्स द नेशनल टायर एण्ड रबर कम्पनी आफ इण्डिया लि०	30.26
53.	मैसर्स द ट्रोपिकल पलेन्टाटेशस लि०	31.21
54.	मैसर्स एलाइन्स आयर्न एण्ड स्टीड	45.43
55.	मैसर्स उपासना अस्पताल एण्ड**	25.95
56.	मैसर्स एण्टोसर (प्रा०) लि०	13.97
57.	मैसर्स ड्यूराफ्लेक्स कायर इण्डस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड	13.82
58.	मैसर्स एक्सेल ग्लासेज लि०	12.44
59.	मैसर्स केरल मौमुदी (प्रा०) लि०	12.85
60.	मैसर्स ए० सी० जोन एण्ड संस लि०	21.26
61.	मैसर्स द पादिनजारेकर एजेंसीज	22.09
62.	मैसर्स मंगलम पब्लिकेशन	15.25
63.	मैसर्स श्री मुरुगम ट्रेडिंग कम्पनी	14.93
64.	मैसर्स ओरिएन्टल फाइनेंस एण्ड एक्सचेंज कम्पनी	18.09
65.	मैसर्स औलम्पिक वाइन्स	17.21
66.	मैसर्स मीना हैण्डलूम सैन्टर	20.09
67	मैसर्स के० जी० पुरुषोत्तमन एसोसिएट्स	17.28

**नर्सिंग होम

नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड का उत्पादन

23. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा एल्यूमिनियम के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य पूरा हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान अब तक कुल कितना उत्पादन किया गया है; और

(घ) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नाल्को) आरम्भ में 1,80,000 टन एल्यूमिनियम धातु तथा 7,60,000 टन एल्यूमिना का उत्पादन लक्ष्य रखा था। किन्तु मार्च, 1990 में ग्रहीत विद्युत संयंत्र में अचानक आग लग जाने से एल्यूमिनियम धातु उत्पादन का लक्ष्य घटाकर 1,50,000 टन अनुमानित कर दिया गया।

(ख) और (ग) जनवरी, 1991 के अन्त तक, नाल्को ने 1,20,878 टन एल्यूमिनियम धातु तथा 5,18,370 टन एल्यूमिना उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 1990-91 के दौरान नाल्को द्वारा एल्यूमिनियम का 1,50,000 टन संशोधित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त हो जाने की आशा है। तथापि, एल्यूमिना के उत्पादन में कुछ कमी रहेगी, जो मुख्यत: मई, 1990 में आंध्र प्रदेश तट पर आए समुद्री तूफान के फलस्वरूप दामनजोड़ी सेक्टर में रेल यातायात में गतिरोध के कारण है, जिससे एल्यूमिनियम संयंत्र को दो माह से भी अधिक समय के लिए बन्द करना पड़ा था।

(घ) एल्यूमिनियम उत्पादन में परवर्ती वृद्धि के प्रयोजन से पौट उत्पादन में उच्चस्तर दक्षता हासिल करने के लिए पौटों की संख्या बढ़ाने तथा पौट-पैरामीटरों को सुस्थिर करने जैसे उपाय किए गए हैं।

उड़ीसा में ग्रामीणों को बैंक ऋण

[हिन्दी]

24. **श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर, मयूरभंज और सुन्दरगढ़ जिलों के ग्रामीण लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध करायी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या उक्त जिलों के लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना तैयार करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बैंक उड़ीसा के उक्त जिले सहित देश के सभी भागों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सभी वर्गों के ऋणकर्ताओं को ऋण प्रदान करता है। ऋणदात्री संस्थान सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के तहत पता लगाए गए लाभार्थियों को वित्तपोषण प्रदान करती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत अप्रैल से सितम्बर 1990 की अर्धवार्षिक अवधि के दौरान ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा उक्त जिलों में संवितरित ऋणराशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपए)

	क्योंझर	मयूरभंज	सुन्दरगढ़
सहकारी बैंक	1.32	—	0.42
वाणिज्यिक बैंक	12.44	14 41	29.34
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	7.86	11.23	3.18
	21.62	25.64	32.94

काली मिर्च, अदरक, नारियल और इलायची के मूल्यों में गिरावट

[अनुवाद]

25. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप, काली मिर्च, अदरक, नारियल और इलायची के मूल्यों में आई गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए नए और वैकल्पिक बाजार ढूंढने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) इलायची के सम्बन्ध में मसाला बोर्ड द्वारा उठाए गए कदम नीचे दर्शाए गए हैं :—

(1) नीलामियों के लिए आवक को व्यवस्थित करना।

(2) बड़ी मात्रा में बोलियों को सुनिश्चित करना।

(3) इलायची रोपणकर्त्ता, नीलामकर्त्ता तथा व्यापारिक संघों के माध्यम से नीलामी प्रणाली को मानीटर करना।

(4) अधिक निर्यात को सुनिश्चित करना।

(5) महत्वपूर्ण देशों को उपभोक्ता पैकों में निर्यात पर नकद मुआवजा सहायता तथा हवाई भाड़ा उपदान प्राप्त करना।

इलायची की औसत नीलामी कीमत वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से काफी अधिक रही है।

अन्य मसालों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) निर्यात को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) नए बाजारों का पता लगाना जैसे चीन, कोरिया, आस्ट्रेलिया आदि।

(2) विभिन्न विदेशी बाजारों में होने वाले व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी।

(3) बिक्री प्रतिनिधि मण्डलों को प्रायोजित करना।

(4) विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रांडों का संवर्धन।

(5) तेल तथा तेल राल के लिए बाजारों को विकसित करना।

खाड़ी से स्वदेश भेजे जाने वाली धनराशि में आई गिरावट

26. **श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी से स्वदेश भेजे जाने वाले धन में आई गिरावट के कारण देश को होने वाली हानि और खाड़ी युद्ध के कारण विभिन्न परियोजनाओं को होने वाले हानि का कोई आकलन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) 1988-89 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का कुल निजी अन्तरण प्राप्तियों (प्रेषणाओं) के 23500 लाख अमरीकी डालर होने का अनुमान है जिसमें से 10600 लाख अमरीकी डालर मध्य-पूर्व (खाड़ी सहित) से प्राप्त हुए थे। लगभग 2000 लाख अमरीकी डालर जो कि कुल प्राप्तियों का 8.5 प्रतिशत हैं, कुवैत से आए थे जबकि इराक का अंशदान 50 लाख अमरीकी डालर था। अनुमान है कि खाड़ी से धनराशि की प्राप्ति बन्द हो जाने के कारण देश को लगभग 2000 लाख अमरीकी डालर का नुकसान होने की सम्भावना है। जहां तक परियोजनाओं का सम्बन्ध है, इस समय कुवैत निधि द्वारा दो परियोजनाओं के लिए निधि की व्यवस्था की जाती तथा अगस्त 1990 से खाड़ी क्षेत्र में अशांति के कारण कोई सवितरण नहीं किए जा सके। परियोजनाओं के विस्तृत ब्यौरे के सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

परियोजना	प्रभावी तारीख	ऋण की राशि (अल्प ब्याज ऋण)	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4
1. झींगापालन के लिए केरल मत्स्य उद्योग विकास परियोजना	27-6-1989 से 1-7-94	कुवैती दीनार 70 लाख	शून्य

1	2	3	4
2. काली नदी पन बिजली परियोजना (चरण-II)	23-9-86 से 31-12-91	कुवैती दीनार 70 लाख	कुवैती दीनार 8.24 लाख

खाड़ी से वापस आए लोगों के चेकों और ड्राफ्टों का निपटान

27. **श्री सुरेश कोडीकुन्नील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को खाड़ी से वापस आए लोगों के चेकों और ड्राफ्टों के निपटान में केरल के बैंकों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप खाड़ी से वापस आए लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) खाड़ी क्षेत्र में अशांत/युद्ध स्थितियों के कारण वाणिज्यिक बैंकों ने खाड़ी देशों से आने वाले वित्तीय दस्तावेजों को भुनाने पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिए हैं । यह वाणिज्यिक निर्णय तथा विवेकशील बैंकिंग के सिद्धान्त पर आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय दस्तावेज जारी करने वाले बैंकों के पास रुपए खाते में पर्याप्त बकाया राशि रहे । तथापि खाड़ी से वापिस आने वाले भारतीयों की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक ने अब इन शर्तों में ढील दे दी है और अपनी शाखाओं को खाड़ी क्षेत्र में उनके द्वारा प्रबन्धित एक्सचेंज कम्पनियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों को भुनाने के लिए अनुदेश दिए हैं । ममनुरूप बैंकों व अन्य एक्सचेंज कम्पनियों द्वारा जारी किए गए वित्तीय दस्तावेजों के सम्बन्ध में भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं को प्रस्तुत किए जाने पर 10,000 रुपए तक के दस्तावेज भुनाने के निर्देश दिए हैं । 10,000 रुपए से अधिक की राशियों का भुगतान आहरण बैंकों/एक्सचेंज कम्पनियों के शेष का सत्यापन करने के बाद किया जाएगा ।

भुगतान सन्तुलन की स्थिति

28. **श्री खेमचन्द सोमाभाई चावड़ा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुगतान सन्तुलन में घाटे की ताजा स्थिति क्या है;

(ख) खाड़ी युद्ध से यह किस हद तक प्रभावित हुई है; और

(ग) उनके मन्त्रालय द्वारा इसे रोकने के लिए कौन-कौन से उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भुगतान सन्तुलन के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े केवल 1988-89 (अनन्तिम) की अवधि के लिए

हैं। तथापि भुगतान सन्तुलन की नवीनतम स्थिति मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों के स्तर में परिलक्षित होती है। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों का स्तर मार्च, 1990 के अन्त में 5787 करोड़ रुपए से कम होकर दिसम्बर, 1990 के अन्त तक 2152 करोड़ रुपए रह गया है। भुगतान सन्तुलन पर खाड़ी संकट के प्रभाव की सीमा विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भण्डारों की क्षीणता से प्रकट होती है।

(ग) सरकार ने निर्यातों को बढ़ावा देने और गैर-जरूरी आयातों में कटौती करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। विदेशी सहायता के त्वरित संवितरण सहित पूंजी अन्त प्रवाहों के जरिए विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

राज्यों में क्षतिपूरक वानिकी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कम्प्यूटरीकरण योजना

29. **श्री अजीत कुमार पाँजा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने क्षतिपूरक वानिकी और राज्यों में परियोजनाओं को मंजूरी देते समय निर्धारित किए गए अनुबन्धों के कार्यान्वियन की निगरानी के लिए कोई कम्प्यूटरीकरण योजना शुरू की है;

(ख) क्या सरकार को इन योजनाओं के कार्यान्वियन के प्रति किसी राज्य सरकार की उदासीनता का पता लगा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सभी राज्यों ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूर किए गए सभी प्रस्तावों के सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लक्ष्य पूर्णतः प्राप्त नहीं किए हैं और उनके साथ स्थिति की पुनरीक्षा की जा रही है।

एशियाई विकास बैंक से रियायती दर पर ऋण

30. **श्री के० एस० राव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हाल में एशियाई विकास बैंक से रियायती आधार पर उदार शर्तों पर ऋण लेने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कितना ऋण लिया गया है; और

(ग) इसके वापसी भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

कास्ट आयरन स्क्रेप का आयात

31. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री एस० एन० बेकारिया :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खुला ओपन सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कास्ट आयरन स्क्रेप का आयात करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं ।

(ग) खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत कास्ट आयरन स्क्रेप आयात करने को अनुमति देने के सुझाव पर सम्बन्धित विभागों के परामर्श से हाल ही में विचार किया गया है । लेकिन, भुगतान सन्तुलन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस मद को ओ० जी० एल० सूची में शामिल करना सम्भव नहीं है ।

भारत से निर्यात पर खाड़ी युद्ध का प्रभाव

32. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**
श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :
श्री मनोरंजन सुर :
श्री एस० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध का इराक और खाड़ी के अन्य देशों को होने वाले निर्यात तथा इन देशों से धनागम पर कितना प्रभाव पड़ा है; और

(ख) खाड़ी देशों को होने वाले निर्यात में हुई कमी को पूरा करने हेतु अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) इराक और कुवैत पर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने वाले संयुक्त राष्ट्र परिषद संकल्प को देखते हुए इन देशों से व्यापार पर रोक लगा दी गई है । खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप पश्चिम एशिया के देशों को होने वाले सामान्य निर्यात तथा इन देशों से धनागम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं ।

(ख) किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :—

(i) खाड़ी देशों के निर्यातकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अन्तर मन्त्रालयी शक्ति

प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने खाड़ी क्षेत्र को निर्यात जारी रखने के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं।

(ii) निर्यात संवर्धन परिषदों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने उत्पादों के लिए वैकल्पिक बाजारों का पता लगाकर निर्यातों की गति को बनाए रखने के लिए उपाय करे।

(iii) खाड़ी क्षेत्र में भारतीय दूतावासों से भी कहा गया है कि वे बड़े पैमाने पर निर्यातों में वृद्धि करने के लिए सम्मुखी क्षेत्रों को अभिज्ञात करें। हमारे शिष्ट मण्डलों/मिशनों से प्राप्त जानकारी (फीड बैंक) निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों को दे दी गई है।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड का आधुनिकीकरण

33. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री धर्मपाल सिंह गुप्त :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बर्नपुर एकक के आधुनिकीकरण की योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय यह किस स्तर पर है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक सेन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण की योजना को अन्तिम रूप देने की कार्रवाई की जा रही है, इससे सम्बन्धित विभिन्न पहलू इस समय परीक्षणाधीन हैं।

बम्बई के मौसम पर खाड़ी युद्ध का असर

34. **श्री शान्ताराम पोटदुखे :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रीय सोसायटी ने बम्बई के मौसम गर्म होने का कारण खाड़ी युद्ध में मिसाइल राकेट छोड़े जाने और सुपर-सोनिक हवाई उड़ानों से अत्यधिक मात्रा में ईंधन का जलना बताया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप बम्बई के मौसम के गर्म होने के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं और स्थिति का मुकाबला करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 23 जनवरी से 30 जनवरी, 1991 के मध्य बम्बई में सामान्य से अधिक तापमान के बारे में अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग एक सप्ताह की इस संक्षिप्त अवधि में बम्बई में सामान्य से अधिक तापमान होना किसी भी

प्रकार से खाड़ी युद्ध से सम्बन्धित नहीं है। ये सामान्य मौसम-विज्ञान-सम्बन्धी परिवर्तन हैं और इनके लिए किसी प्रकार की कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं है।

खाड़ी के देशों से भारतीय बैंकों में जमा धनराशि

35. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री वामन राव महाडीक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी देशों के निवासियों ने भारतीय बैंकों में विदेशी मुद्रा में धनराशि जमा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो क्या इसकी सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में प्राइवेट उद्यमियों से तथा सरकारी स्तर पर भी बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इन जमाकर्ताओं द्वारा यदि कोई विशेष लाभ मांगे गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि खाड़ी युद्ध के कारण खाड़ी देशों के बड़े-बड़े जमाकर्ता अपना धन भारतीय बैंकों में रखने के लिए उत्सुक हैं या नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में कार्यरत बैंकों से देश के बाहर से बड़ी धनराशियों को स्वीकार करने के बारे में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं परन्तु ये प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हुए हैं।

गौण क्षेत्र में इस्पात का उत्पादन

37. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गौण क्षेत्र में कुल कितने कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ;

(ख) गौण क्षेत्र को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या भूमिका सौंपी गई थी; और

(ग) वर्तमान इस्पात संयंत्रों के नवीनीकरण और विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण को चालू करने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) वर्ष 1987-88, 1988-89 तथा 1989-9। के दौरान गौण क्षेत्र (विद्युत चाप भट्टी) में उत्पादित अपरिष्कृत इस्पात की मात्रा क्रमशः 31.1 लाख मी० टन, 31.7 लाख मी० टन तथा 31.3 लाख मी० टन थी।

(ख) आठवीं योजना की समाप्ति तक गौण क्षेत्र द्वारा 60 लाख मी० टन अपरिष्कृत इस्पात उत्पादन करने की आशा है।

(ग) सरकार द्वारा फरवरी 1989 में 2667 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण की मंजूरी दे दी गई है और उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

सरकार द्वारा अक्तूबर 1989 में 2461 करोड़ की अनुमानित लागत से राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी गई है और उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

"इस्को" तथा बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के चरण-I के तहत सभी बड़ी इकाइयों को चालू कर दिया गया है इसमें छड़े मिल तथा कोक ओवन बैटरी नं० 2 शामिल नहीं है। इन्हें अब वर्ष 1991 की प्रथम छमाही के दौरान चालू किया जाना है। चरण-II के तहत इकाइयों को क्रम से वर्ष 1992 के दौरान चालू करने का प्रस्ताव है।

पूर्वो राज्यों में पर्यावरण और वनों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

38. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को मणिपुर राज्य से, राज्य में विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण और वनों के विकास के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार सभी पूर्वोत्तर राज्यों के सन्दर्भ में उक्त मामले का अध्ययन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति की स्थापना कब तक की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। 1987-88 से 1989-90 के दौरान निम्नलिखित स्कीमों के लिए मणिपुर राज्य सरकार से आर्थिक सहायता का अनुरोध प्राप्त हुआ था :—

1. राष्ट्रीय उद्यानों का विकास
2. वन्यजीव अभ्यारण्यों का विकास
3. संकटापन्न प्रजातियों का बन्दी प्रजनन और पुनर्वास
4. अवैध शिकार और व्यापार पर नियन्त्रण
5. लघु वन उत्पाद का विकास
6. वन्यजीव शिक्षा और विवेचन
7. ऑपरेशन मृदा निगरानी

8. ग्रामीण ईंधन की लकड़ी की पौधरोपण

9. लोकटक झील का संरक्षण और प्रबन्ध

(ख) 198¯-88 से 1989-90 के दौरान मणिपुर में पर्यावरण और वन के विकास के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता नीचे दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	स्कीम	दी गई सहायता 1987-88	1988-89	1989-90
1.	राष्ट्रीय उद्यानों का विकास	11.69	13.45	2.35
2.	वन्यजीव अभ्यारण्यों का विकास	—	—	9.20
3.	संकटापन्न प्रजातियों का बन्दी प्रजनन और पुनर्वास	1.00	1.00	2.00
4.	वन्यजीव शिक्षा और विवेचन	1.00	1.50	2.00
5.	अवैध शिकार और व्यापार पर नियन्त्रण	1.00	0.10	0.67
6.	लघु वन उत्पाद का विकास	—	—	11.00
7.	ऑपरेशन मृदा निगरानी	43.96	43.26	61.10
8.	ग्रामीण जलाने की लकड़ी की पौधरोपण	62.89	70.16	109.91
9.	लोकटक झील का संरक्षण और प्रबंध	—	17.90	—
	जोड़ :	121.54	147.37	198.23

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कार्यान्वयन से अर्जित राजस्व

[हिन्दी]

39. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा अन्य सम्बन्धित अधिनियमों को लागू करने से कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा विदेशी ,मुद्रा विनियमन अधिनियम के कार्यान्वयन के जरिए अर्जित राजस्व के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

40. **श्री हरीश रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों को सेवानिवृति के तीसरे लाभ के रूप में पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करने पर सहमत हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में एक औपचारिक निर्णय कब तक लिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि और उपदान के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ पहले से ही उपलब्ध हैं । इसमें निहित वित्तीय देनदारियों को देखते हुए सरकार के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों को तृतीय सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में उनकी पेन्शन की मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है । 1-11-1990 से भारतीय रिजर्व बैंक में एक पेंशन योजना लागू कर दी गयी है जो मोटे तौर पर केन्द्र सरकार की पेंशन योजना के अनुरूप है ।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चालान

41. **प्रो० प्रेम कुमार धूमल :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रदूषण रोकने की दृष्टि से 31 दिसम्बर, 1990 तक कितने सरकारी और प्राइवेट वाहनों का चालान किया गया;

(ख) इन पर किए गए जुर्माने का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके कारण कम हुए प्रदूषण की मात्रा का पता लगाने का कोई प्रयास किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) परिवहन निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने पर 31 दिसम्बर, 1990 तक 1798 वाहनों का चालान किया है। इनमें 1205 निजी वाहन, दिल्ली परिवहन निगम के 384 वाहन तथा 209 सरकारी वाहन शामिल हैं।

(ख) प्रदूषण मानकों के उल्लंघन के लिए 14-2-1991 तक 969 मामलों में सक्षम न्यायालयों द्वारा प्रत्येक मामले में 1000 रु० का जुर्माना किया गया है।

(ग) परिवहन विभाग द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि चैक किए गए वाहनों में से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का अनुपात मार्च, 1990 तथा दिसम्बर, 1990 के बीच 15.4% रह गया जबकि दिसम्बर, 1987 से फरवरी, 1990 के बीच यह अनुपात 36% था।

पर्यावरण न्यायालय

[अनुवाद]

42. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में और केन्द्र में पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ये न्यायालय कब तक स्थापित किए जाएंगे।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है।

भारतीय निर्यातकों को इराक द्वारा देय-राशि

43. **डा० सी० सिलवेरा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्थगित भुगतान समझौतों के अन्तर्गत इराक ने भारतीय निर्यातकों को करोड़ों रुपए देने हैं;

(ख) क्या इराक से ऐसी देय राशि नहीं मिल रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन भारतीय निर्यातकों को सक्षम बनाए रखने तथा उनके व्यापार को चलाए रखने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) इराक सरकार के साथ मार्च, 1990 में हुए आस्थिगत भुगतान समझौते के अनुसार वर्ष 1990-91 के दौरान इराक से कच्चा तेल खरीद का 85 मिलियन अमरीकी डालर की बकाया राशि पूरी की जानी थी। लेकिन, अगस्त, 1991 तक केवल 21.17 मिलियन अमरीकी डालर ही वसूल किए जा सके । बाद में इराक के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान बकाया राशि की वसूली की कोई सम्भावना नहीं है ।

(ग) और (घ) जो राशि वर्ष 1990-91 के दौरान वसूल नहीं की जा सकी, उसके लिए सम्बन्धित परियोजना निर्यातकों पर अतिरिक्त निर्यात दायित्व के लिए वित्तीय सहायता का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

राजस्व गुप्तचर निदेशालय में चोरी

[हिन्दी]

44. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1991 के "जनसत्ता" में "राजस्व गुप्तचर निदेशालय के मुख्यालय में पांच लाख की चोरी" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तथाकथित चोरी के लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के प्रशासन और लेखा अनुभाग में एक अलमारी में ब्रीफकेस में रखी गई 5 लाख रुपए की रकम की 31-1-91 को चोरी हो जाने का पता लगा । 31-1-91 को इन्द्रप्रस्थ इस्टेट/केन्द्रीय जिला पुलिस थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी और पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457/380 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है । उनके द्वारा इस समय मामले की जांच की जा रही है । इसके अलावा, अन्तर-विभागीय जांच भी की जा रही है । तथापि, कार्यालय भवन के सामने पार्क किए गए एक अभिगृहीत ट्रक से 11-2-91 को 5 लाख रुपए की रकम बरामद की गई ।

खाड़ी युद्ध के कारण भारतीय पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव

45. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** :
श्री सूर्य नारायण यादव :
श्री कृपाल सिंह :
श्री वामनराव महाडीक :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध में बड़े पैमाने पर मिसाइलों और परमाणु हथियारों के प्रयोग और खाड़ी देशों में तेल के कुओं में भयानक आग से निकले धुएं के कारण भारतीय पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो दिसम्बर, 1990 से अब तक भारतीय पर्यावरण को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने युद्ध के कुप्रभाव से भारतीय पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) अन्तरिक्ष विभाग द्वारा उपग्रह प्रतिबिम्बकी का प्रयोग करके तेल के फैलाव पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। एक अन्तर-विभागीय समिति इस सम्बन्ध में अपेक्षित उपचारी उपायों से सम्बन्धित गतिविधियों की मानीटरिंग कर रही है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

46. **श्री जनार्दन यादव :**
श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में, न्यायालयवार कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए;

(ख) इन न्यायालयों में न्यायाधीशों के कितने पद न्यायालयवार अभी भी रिक्त पड़े हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिए सम्बन्धित सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श प्रक्रिया में शीघ्रता की जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	उच्च न्यायालय	15-12-1990 से अब तक की गई नई नियुक्तियों की सं०	15-2-1991 की रिक्तियों की सं०
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	3	3

1 2	3	4
2. आन्ध्र प्रदेश	—	4
3. मुम्बई	1	5
4. कलकत्ता	—	3
5. दिल्ली	—	3
6. गुवाहाटी	—	1
7. गुजरात	—	—
8. हिमाचल प्रदेश	—	1
9. जम्मू-कश्मीर	1	—
10. कर्नाटक	—	2
11. केरल	—	2
12. मध्य प्रदेश	1	5
13. मद्रास	2	—
14. उड़ीसा	2	—
15. पटना	—	6
16. पंजाब और हरियाणा	—	2
17. राजस्थान	—	3
18. सिक्किम	—	1
योग :	10	41
उच्चतम न्यायालय	—	3

कृषि सम्बन्धी ऋणों की वसूली

[अनुवाद]

47. श्री एम० एस० पाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के अन्त में ऋण माफी योजना में शामिल धनराशि के अलावा कृषि सम्बन्धी ऋणों की अनुमानित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान वसूल किए गए ऋणों की धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1990 के दौरान वसूल किए जाने वाले कृषि सम्बन्धी ऋणों की वसूली धीमी रही है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1990 के दौरान दिए गए कृषि सम्बन्धी ऋणों की धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1991 के दौरान वसूल किए जाने वाले ऋण की वसूली की क्या सम्भावनाएं हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (घ) जून 1990 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार कृषि और सम्बद्ध कार्यों के लिए सहकारी बैंकों का कुल बकाया ऋण 10,345 करोड़ रुपए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 1,838 करोड़ रुपए और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल बकाया ऋण 16433.53 करोड़ रुपए है। दिसम्बर 1988 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कृषि ऋणों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह पता लगाना सम्भव नहीं है कि इन बकाया ऋणों में से कितने को ऋण राहत योजना के तहत बट्टे खाते में डाला गया है। तथापि, दिसम्बर 1990 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों ने अपने हिताधिकारियों के लिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किसान, कारीगर और बुनकर शामिल हैं, 4947.24 करोड़ रुपए के ऋणों को बट्टे खाते डाला।

(ख) (ग) और (ङ) पिछले तीन वर्षों (अद्यतन उपलब्ध) में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वसूली की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	मांग की तुलना में वसूली का प्रतिशत
जून 1987	57.1
जून 1988	56.8
जून 1989	58.1

इसके बाद के आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। आगामी वर्षों में बैंकों की वसूली की स्थिति को इस समय बता पाना सम्भव नहीं है। अलबत्ता, बैंक स्वयं ही कृषि सम्बन्धी वसूलियों पर बारीकी से निगरानी रखते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार भी इस सम्बन्ध में निगरानी रखती हैं।

विवरण

दिसम्बर 1988 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कृषि सम्बन्धी बकाया अग्रिमों की राज्यवार स्थिति

(लाख रुपए में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बकाया अग्रिम
1	2
1. उत्तरी क्षेत्र	**264016**
हरियाणा	58726

1	2
हिमाचल प्रदेश	6780
जम्मू एण्ड कश्मीर	4956
पंजाब	95053
राजस्थान	68784
चण्डीगढ़	17053
दिल्ली	12663
2. उत्तर-पूर्व क्षेत्र	**17374**
असम	11877
मणिपुर	541
मेघालय	915
नागालैंड	1476
त्रिपुरा	1798
अरूणाचल प्रदेश	211
मिजोरम	169
सिक्किम	385
3. पूर्वी क्षेत्र	**148705**
बिहार	6222
उड़ीसा	33050
पश्चिम बंगाल	53204
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	223
4. मध्य क्षेत्र	**215575**
मध्य प्रदेश	80912
उत्तर प्रदेश	134663
5. पश्चिमी क्षेत्र	**220467**
गुजरात	78699
महाराष्ट्र	138891
गोवा दमन और दीव	2821

1	2
दादरा और नागर हवेली	55
6. दक्षिणी क्षेत्र	**529436**
आन्ध्र प्रदेश	182680
कर्नाटक	128168
केरल	58312
तमिलनाडु	156733
पांडिचेरी	3106
लक्षद्वीप	36
अखिल भारत	1395572

नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेकण्डरी स्टील टेक्नॉलाजी

48. **श्री कमल चौधरी :**
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेकण्डरी स्टील टेक्नालॉजी की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी स्थापना कहां की जाएगी; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ सेकण्डरी स्टील टेक्नालॉजी के लिए स्था; काम्प्लेक्स स्थापित करने और इसके स्थान-स्थिति के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में स्थित कारखानों द्वारा प्रदूषण-रोधी कानूनों का उल्लंघन

[हिन्दी]

49. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान और 31 जनवरी, 1991 तक, दिल्ली के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित किन-किन कारखानों ने प्रदूषण-रोधी कानूनों का उल्लंघन किया है;

(ख) कितने कारखाना-मालिकों के विरुद्ध प्रदूषण-रोधी कानूनों के उल्लंघन के कारण कानूनी कार्यवाही की गई है और इनमें से कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) भविष्य में प्रदूषण-रोधी कानूनों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली के आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में जिन कारखानों ने प्रदूषण-रोधी कानूनों का उल्लंघन किया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं :

हरियाणा

कुण्डली औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स सेफम लेबोरेटीज
	मैसर्स सेफम आरगेनिक
	मैसर्स रोलेटटेनर्स लि०
	मैसर्स सूर्य रबर इण्डस्ट्रीज
	मैसर्स काश्मीर कत्था इण्डस्ट्रीज
बहादुरगढ़ औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स बाल्को फार्मा
	मैसर्स श्री कृष्ण पेपर मिल
	मैसर्स सैनी लैदर्स
	मैसर्स एडवान्स कैमिकल्स
	मैसर्स फ्लो पेच इण्डस्ट्री
	मैसर्स अजन्ता पोलिसर वर्क्स
	मैसर्स सत्यम् सेंसव लि०
	मैसर्स फार्मा कैमीकल्स
	मैसर्स यूनाइटिड स्टील एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज
	मैसर्स सूर्य प्लास्टिक सीजर्स एण्ड कैमिकल्स
	मैसर्स सटेक इण्डस्ट्रीज
	मैसर्स सन फ्लो इण्डस्ट्रीज
गुड़गावां औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स लोंगवैल फोर लि०
फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स के० जी० खोसला कम्प्रेशर लि०
	मैसर्स खोसला फाउण्ड्री लि०

	मैसर्स सामंता प्राइवेट लि०
	मैसर्स जगसनबान फार्मेसुटिकल लि०
उत्तर प्रदेश	
मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स मोहन क्रिशटल ग्लास वर्क्स
	मैसर्स आल्पस टैक्सटाइल
	मैसर्स रितुराज टैक्सटाइल
	मैसर्स चन्दक टैक्सटाइल
	मैसर्स चन्दक एक्सपोर्ट एण्ड इम्पोर्ट (प्रा०) लि०
	मैसर्स कमल बोर्ड मिल
	मैसर्स कुमार बोर्ड मिल्स
	मैसर्स सीतल बोर्ड मिल्स
	मैसर्स डून सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स
	मैसर्स सुमीत कैमिकल्स
	मैसर्स रचना कैमिकल्स
	मैसर्स संजय कैमिकल्स
	मैसर्स भारत कैमिकल्स कम्पनी
	मैसर्स बतरा कैमिकल्स
	मैसर्स सूर्य कैमिकल्स
साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स मनीष पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स लि०
	मैसर्स प्रगति पेपर मिल्स (प्रा०) लि०
	मैसर्स जैन प्रोसेसिंग एण्ड वीविंग मिल्स
	मैसर्स साहिबाबाद डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स
	मैसर्स गुप्ता पेपर मिल्स लि०
	मैसर्स जैन प्रोसेसर एण्ड इन्जीनियरिंग प्रा० लि०
	मैसर्स कापरी इण्टरनेशनल प्रा० लि०
	मैसर्स पवन एक्सपोर्ट प्रा० लि०
	मैसर्स मालवीय कैमिकल्स एण्ड फार्मेसुटिकल्स प्रा० लि०
	मैसर्स रोहणी कैमिकल्स प्रा० लि०

मैसर्स कॉन्टीनेंटल प्लास्टिक प्रा० लि०
मैसर्स क्रायोजेनिक इण्डिया लि०
मैसर्स नीलम टैक्सटाइल्स
मैसर्स प्रेमडाइंग एण्ड प्रिंटिंग मिल
मैसर्स मैगनम पेपर मिल्स
मैसर्स मुंजल स्टील प्रा० लि०
मैसर्स मेरीटीक इण्डिया लि०
मैसर्स एडवांस स्टील ट्यूब लि०
मैसर्स रानी सती पेपर मिल
मैसर्स हपूरिया पेपर मिल्स
मैसर्स शिवानी बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स
मैसर्स सेन प्रोसेसरस एण्ड वीविंग मिल्स
मैसर्स वन्दरावती पोलिमर्स प्रा० लि०
मैसर्स जवाहर मैटल इण्डस्ट्रीज
मैसर्स यूनाइटिड एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०
मैसर्स अरीहन्त एक्सपोर्ट (प्रा०) लि०
मैसर्स एच० एन० कैमिकल्स
मैसर्स पाल कैमिकल्स
मैसर्स अम्बीकल स्टील प्रा० लि०
मैसर्स जी० डी० स्टील
मैसर्स मोहता प्लाईवुड लि०
मैसर्स मोडर्न इण्डस्ट्रीज

नौएडा औद्योगिक क्षेत्र

मैसर्स संदीप पेपर मिल्स
मैसर्स सिंघल पेपर मिल
मैसर्स शिवानी बोर्ड एण्ड पेपर मिल
मैसर्स ग्रेवाल पेपर मिल
मैसर्स सचदेवा डाइंग एण्ड ब्लीचिंग मिल्स
मैसर्स विजय प्रोसेसरर्स प्रा० लि०
मैसर्स आर० सी० इलोरिकर्स

	मैसर्स रामा टैक्सटाइल एण्ड प्रिंटिंग
	मैसर्स राधिका विटामिट इण्डस्ट्रीज
	मैसर्स इस्टाइल डायर्स
	मैसर्स नवीन कैमिकल्स (प्रा०) लि०

(ख) सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के तहत निम्नलिखित उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ की :—

हरियाणा

कुण्डली औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स सैफलान लैब
	मैसर्स सैफलान आर्गेनिक
	मैसर्स कश्मीर कत्था इण्डस्ट्रीज
	मैसर्स एल्को फार्मा

उत्तर प्रदेश

मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स मोहन मीकिंस
	मैसर्स रितुराज टैक्सटाइल
	मैसर्स चन्दोक टैक्सटाइल
साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स प्रगति पेपर मिल
	मैसर्स साहिबाबाद डाइंग एण्ड प्रिंटिंग
	मैसर्स जैन प्रोसेसर्स एण्ड इन्जीनियरिंग प्रा० लि०
	मैसर्स कापरी इण्टरनेशनल
	मैसर्स पवन एक्सपोर्ट
	मैसर्स रोहणी कैमिकल्स
	मैसर्स वाडेक्स फार्मासुटिकल्स
नौएडा औद्योगिक क्षेत्र	मैसर्स ग्रेवाल पेपर मिल

(ग) राज्य सरकारों के परामर्श से प्रदूषण नियन्त्रण के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार की गयी है जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों से अपेक्षा की गयी है कि वे 31 दिसम्बर, 1991 तक मानकों को पूरा करें।

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा "ईको टास्क फोर्स" का गठन

50. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की "ईको टास्क फोर्स" के गठन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं योजना में प्रस्ताव पर उसके गुण-दोषों के आधार पर निधियों की व्यापक उपलब्धता के सन्दर्भ में जांच की जाएगी।

बिहार में वृक्षों का काटा जाना

51. **श्री रामदास सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस बात की जानकारी है कि बिहार के वनों में भारी पैमाने पर अवैध रूप से वृक्षों की कटाई की जा रही है;

(ख) क्या बिहार के पलामू जिले के अन्तर्गत बेल्टा पर्यटन केन्द्र में बिना रोकटोक के वृक्ष काटे जा रहे है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त वन क्षेत्रों और पर्यटन केन्द्रों में अवैध रूप से वृक्षों की कटाई रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मद्य निर्माताओं पर आयकर की बकाया राशियां

52. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मद्य निर्माताओं पर आयकर की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इसकी वसूली के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तुओं की बिक्री

[अनुवाद]

53. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी** :
श्री शंकर सिंह बघेला :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश और यूरोपीय बाजारों में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) विदेशी बाजारों में भारतीय वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी नहीं। वास्तव में ब्रिटेन और यूरोप की बाजारों (पूर्वी और पश्चिमी दोनों) को भारत के समग्र निर्यात पिछले तीन वर्षों के दौरान बढ़े हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपयों में)

	1987-88	1988-89	1989-90	1990 (अप्रैल-नवम्बर)
ब्रिटेन	1033.38	1164.89	1601.63	1349.42
पश्चिम यूरोप	4362.85	5473.31	7660.76	5889.47
पूर्व यूरोप	2593.00	3356.00	5336.00	4034.00

स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस, कलकत्ता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि भारतीय माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए सुविधा दी जाए।

चाय उद्योग पर खाड़ी संकट का प्रभाव

[हिन्दी]

54. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी संकट के कारण चाय उद्योग को हुए घाटे को पूरा करने और विश्व चाय बाजार में भारत की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक दो सूची कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाड़ी संकट के कारण चाय के निर्यात मूल्य में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, नहीं। अप्रैल, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक भारतीय चाय की प्रति यूनिट निर्यात कीमत 52.76 रुपए प्रति किलोग्राम रही है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान यह 42.10 रुपए प्रति किग्रा० थी।

वानिकी सम्बन्धी मन्जूरी के लिए लम्बित मध्यप्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं

55. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वानिकी सम्बन्धी मन्जूरी के लिए लम्बित मध्यप्रदेश की बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या है; और

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है और इन्हें कब तक मन्जूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) वानिकी मन्जूरी के लिए लम्बित मध्य प्रदेश के सिंचाई मामलों के ब्यौरे और साथ ही उनको वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गयी है। इन मामलों का निपटान उनके गुणावगुण पर विचार करके तथा प्रस्ताव के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर किया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	प्रस्ताव	जिला	क्षेत्र	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	चारगांव टैंक लघु सिंचाई परियोजना	बस्तर	19.780 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
2.	लहसुआना टैंक लघु सिंचाई परियोजना	शहडोल	35.180 है०	स्थान निरीक्षण के लिए मामले को क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया है।
3.	मोहिरंगा टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	49.400 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
4.	झिरिया टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	30.920 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
5.	कोटियाघिरी टैंक लघु सिंचाई परियोजना	इन्दौर	10.660 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
6.	मुरीपार टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	32.200 है०	मामले पर कार्यवाही की जा रही है।
7.	परसोरा टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	47.439 है०	मामले पर कार्यवाही की जा रही है।
8.	अम्हा टैंक परियोजना	पन्ना	88.380 है०	मामले पर कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
9.	बन्दकपुर सेमर खोर लघु सिंचाई परियोजना	दामोह	102.050 है०	मामले पर कार्यवाही की जा रही है।
10.	पाडरखेड़ा टैंक लघु सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	77.500 है०	मामले पर कार्यवाही की जा रही है।
11.	इण्डिया कंडिया लघु सिंचाई परियोजना	खारगांव	46.210 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
12.	अमदानिया डायवर्जन स्कीम	राजनन्द गांव	5.240 है०	कार्यवाही की जा रही है।
13.	कोनेसर टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	25.400 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
14.	अम्झीर टैंक लघु सिंचाई परियोजना	शहडोल	1.704 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
15.	पिरौदा टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	6.928 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
16.	माधर टैंक लघु सिंचाई परियोजना	शिवपुरी	265.050 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
17.	मजत गंडी टैंक सिंचाई परियोजना	बस्तर	20.180 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
18.	कोंडे टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	25.400 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
19.	सावला टैंक लघु सिंचाई परियोजना	सरगुजा	56.680 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

1	2	3	4	5
20.	डोरडे टैंक लघु सिंचाई परियोजना	बस्तर	4.040 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
21.	पाली टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायपुर	36.370 है०	स्थान निरीक्षण करने के लिए मामले को क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
22.	पीपली टैंक लघु सिंचाई परियोजना	रायसेन	41.305 है०	स्थान निरीक्षण के लिए मामले को क्षेत्रीय कार्यालय भेजा गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
23.	गनियान टैंक लघु परियोजना	रायपुर	81.855 है०	—वही—
24.	देवानी टैंक लघु सिंचाई परियोजना	शहडोल	3.900 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।
25.	कीट टैंक लघु सिंचाई परियोजना	शहडोल	59.910 है०	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

धार्मिक स्थलों पर प्रदूषण की रोकथाम

56. **श्री मित्र सेन यादव :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक स्थलों पर पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण की रोकथाम करने के लिए किसी योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे धार्मिक स्थल कौन-कौन से हैं; और

(ग) अयोध्या में प्रदूषण की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राष्ट्रीय महत्व के धार्मिक स्थानों पर प्रदूषण की जांच और पर्यावरण के परिरक्षण विशिष्ट उद्देश्य की कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गंगा और यमुना को प्रदूषण रहित करने की योजनायें

57. **प्रो० रासा सिंह रावत :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गंगा और यमुना को प्रदूषण रहित करने की विभिन्न योजनाओं पर योजना-वार कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) क्या सरकार ने इन उपायों के निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के लिए कोई योजना भी बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा योजना-वार खर्च की गई धनराशि नीचे दी गयी है :—

(रु० करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	खर्च की गई धनराशि
1.	सीवेज अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन	89.12
2.	सीवेज उपचार संयंत्र	50.22
3.	अल्प-लागत स्वच्छता	18.55
4.	विद्युत शवदाह-गृह	11.93
5.	नदी तटाग्र सुविधाएं	11 70
6.	अन्य	9.61
	कुल योग :	191.13

(ख) और (ग) गंगा नदी की जल गुणवत्तता की लगातार निगरानी मुख्य नदी के 20 स्थानों पर और इसकी 7 प्रमुख सहायक नदियों में प्रत्येक में एक-एक स्थान पर की जा रही है। प्रदूषण निवारण योजनाओं के पूरा होने के पहले और उनके पूरा हो जाने के बाद जल गुणवत्ता पैरामीटरों में हुए परिवर्तनों की जांच की जा रही है। इलाहाबाद में, जहां पर प्रदूषण निवारण कार्यक्रमों का बहुत बड़ा भाग पूरा कर लिया है, जांचे गए पैरामीटर मान (वेल्यू) में जल गुणवत्ता में सुधार की प्रवृत्ति देखी जाती है।

गुजरात में वनों की कटाई

58. **श्री चन्दू भाई देशमुख :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात के भड़ौच और सूरत जिलों में वनों की बड़े पैमाने पर अवैध रूप से कटाई हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चीन के साथ वस्तु-विनिमय व्यापार

[अनुवाद]

59. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट :**
श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन वस्तु-विनिमय व्यापार के लिए सहमत हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) भारत और चीन, सीमा व्यापार को पुनः शुरू करने के लिए सिद्धान्त रूप में सहमत हो गए हैं। इसमें विनिमय व्यापार की सम्भावनाएं भी शामिल हैं।

अरब सागर में तेल रिसाव और कुवैत में तेल कुओं में लगी आग का प्रवासी पक्षियों पर प्रभाव

60. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में तेल रिसाव और कुवैत में तेल कुओं में आग से, भरतपुर (राजस्थान)

के क्योलादेव राष्ट्रीय पक्षी पार्क (घाना) में विद्यमान लाइबेरियाई सारस और अन्य जंगली मुर्गाबी समेत हजारों प्रवासी पक्षियों के वापस उड़ जाने का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए किन्हीं उपायों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) इस बात का कोई संकेत नहीं है कि खाड़ी में तेल रिसाव या कुवैत में तेल-कुओं में लगी आग से प्रवासी पक्षियों के लिए लौटने में खतरा पैदा हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी वाहनों द्वारा पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी

61. **श्री जे० चोक्का राव :**
श्री मदन लाल खुराना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी युद्ध से उत्पन्न संकट को देखते हुए सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वाहनों द्वारा पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी करने के लिए कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी निर्देश जारी किए हैं;

(घ) क्या अधिकारियों को कार उपलब्ध कराने के बजाय उन्हें कार भत्ता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है ताकि पेट्रोल/डीजल की खपत को और अधिक कम किया जा सके;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और अब तक यह लक्ष्य किस हद तक प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) मध्य पूर्व संकट से पहले ही सरकार ने मन्त्रालयों/विभागों में तेल की खपत में कमी करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। तदनुसार आदेश जारी कर दिए गए थे कि स्टाफ कारों सहित सरकारी वाहनों में पेट्रोल/डीजल की खपत में 1989-90 के दौरान की खपत से 20% तक की कटौती की जाए। तेल की मांग को और कम करने के कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अनुदेश जारी किए गए थे कि आपात तथा अपरिहार्य प्रचालनात्मक ड्यूटियों पर लगाए जाने के अलावा रविवार को स्टाफ कारों सहित सरकारी वाहनों का प्रयोग नहीं किया जाए। इन अनुदेशों को पुनः जारी किया गया है। ऐसे आदेश भी जारी किए गए हैं कि 31-3-91 तक कोई वाहन नहीं खरीदा जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में भी पेट्रोल और डीजल की खपत में कटौती करने के लिए ऐसे ही अनुदेश जारी किए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों को भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में कमी करने के लिए उपयुक्त कदम उठाएं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) उपर्युक्त (क) और (ख) में बताए गए उपायों के परिणामस्वरूप यह देखा गया है कि कुछ सरकारी संगठनों में पेट्रोल/डीजल की खपत में कमी आई है । तथापि, कटौती के सम्बन्ध में अब तक की उपलब्धि की ठीक-ठीक मात्रा बता पाना सम्भव नहीं है ।

गोवा में विधान सभा काम्प्लेक्स के निर्माण के लिए धनराशि

62. **प्रो० गोपालराव मायकर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा राज्य ने राज्य में विधान सभा काम्पलेक्स के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी रकम मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । राज्य सरकार ने राज्य में विधान सभा भवन के निर्माण के लिए 1990-91 के दौरान 8 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था । यह मामला विचाराधीन है ।

विदेशी ऋण

63. **प्रो० के० वी० थामस :**
श्री राम मोहन रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत की विदेशी ऋण की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1991 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से और अधिक ऋण लेने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत का बकाया विदेशी ऋण (अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों को छोड़कर) निम्नानुसार है :—

निम्नलिखित तारीख के अन्त में बकाया	(करोड़ रुपए)
31-3-86	39,691
31-3-87	48,348
31-3-88	54,650
31-3-89	69,361
31-3-90	79,982

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड ने 23-1-91 को भारत के लिए 1268,825,000 एस डी आर (विशेष आहरण अधिकार) का ऋण अनुमोदित किया है। इसमें से 551,925,000 एस डी आर (1243,51,68,371 रुपए के समतुल्य) वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत और 716,900,000 एस डी आर (1615,21,44,232 रुपए के समतुल्य) प्रतिपूरक और आकस्मिक वित्तीय सुविधा (सी सी एफ एफ) के अन्तर्गत हैं।

सोवियत संघ के साथ व्यापार ठेके

64. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय फर्मों ने सोवियत संघ से 25 करोड़ रुपए मूल्य के व्यापार ठेके लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन ठेकों में शामिल मदों का विवरण क्या है; और

(ग) सोवियत संघ के साथ और अधिक मदों का व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) भारतीय फर्मों द्वारा सोवियत संघ के संगठनों के साथ की गई संविदाओं के संविदावार ब्यौरे भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न उपाय कर रही है। इनमें व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकें, वाणिज्यिक और व्यापार शिष्ट मण्डलों का विनिमय शामिल हैं चूंकि यू० एस० एस० आर० के साथ सन्तुलित रुपया व्यापार प्रणाली से उत्पन्न होने वाले निर्यातों की वित्त व्यवस्था करने के लिए आयात से रुपया धनराशि प्राप्त होती है, इसलिए उस देश से आयातों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

इन्जीनियरी माल का निर्यात

[हिन्दी]

65. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितना इन्जीनियरी माल निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार इन्जीनियरी माल के निर्यात में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान निर्यात किए गए इन्जीनियरी सामान का मूल्य निम्नलिखित है। इसमें इलेक्ट्रानिक मदें शामिल नहीं हैं।

वर्ष	(करोड़ रु० में) (अनन्तिम)
1988-89	1589
1989-90	2350

(ख) और (ग) सरकार ने इन्जीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रयास हैं। नकद मुआवजा सहायता देना, निर्यात के लिए निवेश का अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्रावधान, रियायती दर पर निर्यात वित्त की आपूर्ति, और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं जैसे आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत पुन: पूर्ति लाइसेंस योजना तथा निर्यात उत्पादन के लिए पूंजीगत माल का रियायती दर पर आयात आदि।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रबड़ की खरीद

[अनुवाद]

66. **प्रो० पी० जे० कुरियन** :
श्री सुरेश कोडीकुन्नील :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने रबड़ की खरीद आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितनी मात्रा में रबड़ खरीदने का प्रस्ताव है; और

(घ) यह खरीद किस दर पर किए जाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) एस० टी० सी० को सलाह दी गयी है कि वह आर० एम० ए० ग्रेड रबड़ को

बाजार में उपलब्ध रबड़ की सर्वोचित कीमत पर खरीद ले। एस० टी० सी० यह खरीद इसलिए करेगा ताकि रबड़ की कीमत को निर्धारित मूल्य सीमा में लाया जा सके।

वाणिज्य मंत्री की चीन यात्रा

67. **कुमारी उमा भारती** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों के बारे में भारत-चीन संयुक्त दल की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) क्या किसी व्यापार प्रोटोकोल पर भी हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) क्या वे चीन के प्रधान मन्त्री और अन्य नेताओं से भी मिले थे; और

(ङ) यदि हां, तो इन वार्ताओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) आर्थिक सहयोग, व्यापार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर भारत, चीन मन्त्री स्तरीय संयुक्त ग्रुप की दूसरी बैठक (फरवरी 6-8, 1991) में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व वाणिज्य मन्त्री ने किया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों में आर्थिक, व्यापार, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में गतिविधियों की समीक्षा की और इस सम्बन्ध में उन निश्चित उपायों पर चर्चा की जिन्हें अपनाना जरूरी है। इस बैठक के समापन पर, "स्वीकृत कार्यवृत्त" तथा फरवरी, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के लिए एक "व्यापार प्रोटोकोल" पर हस्ताक्षर किए गए।

(घ) से (ङ) वाणिज्य मन्त्री ने राज्य पार्षद और प्रभारी राज्य मन्त्री विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आयोग माननीय श्री सांग जियान, उप प्रीमियर माननीय श्री वू क्षियान, चीन के आर्थिक प्रणाली पुनर्गठन आयोग राज्य मन्त्री माननीय श्री चेन जिनहुआ तथा योजना आयोग के उप राज्य मन्त्री माननीय श्री गान जियाद से मुलाकात की तथा अनेक विषयों पर चर्चा की जैसे व्यापार विविधीकरण और विस्तार, आर्थिक सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाना, विज्ञान दूर संचार, रेलवे, नागरिक उड्डयन, धातुकर्म (मेटालर्जी), फार्मास्यूटिकल्स आदि।

खाड़ी के देशों में परियोजनाएं स्थापित करना

68. **श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खाड़ी के देशों में विभिन्न परियोजनाओं से व्यापक रूप से सम्बद्ध है तथा वर्तमान खाड़ी युद्ध से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इराक में कार्यरत भारतीय परियोजना निर्यातकों का ब्यौरा क्या है तथा इस समय इन परियोजनाओं के सम्बन्ध में इराक की ओर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) खाड़ी के देशों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अन्य किसी देश के साथ मिलकर संसाधन जुटाने की सम्भावनाओं के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	(क) डी वी ए संविदा मूल्य	(क) डी वी ए प्रतिधारण राशि	(ख) अन्तिम बिल	(ख) देय ब्याज	(ख) अन्य देय	कुल	(ग) रुद्ध नकद संविदा	(ग) रुद्ध परिसम्पत्तियों का मूल्य	कुल योग (8+9+10) योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	कोन्टीनेंटल कोन्स लि०	115.00	—	—	—	140.0	255.0	3.0	72.0	330.0
2.	मेकर्स डिवे० सर्विसेस लि०	31.90	3.05+ 0.736	0.13+ 0.032	7.05	19.69+ 4.672	67.26	0.35	0.29	67.324
3.	इण्डियन रेलवे कंस० कं० लि०	66.80	4.73	2.16	12.84	—	86.53	—	1.11	87.64
4.	सोम दत्त बिल्डर्स लि०	—	8.187+ 2.685	35.967	6.378	—	53.217	3.59	26.42	83.227
5.	नेशनल बिल्डिंग्स कंस० कार० लि०	42.02	3.126	3.45	5.38	0.57	54.54	1.989	1.60	58.129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	जयप्रकाश इण्ड० लि०	57.56	—	—	2.49	—	60.05	26.583	41.66	128.293
7.	लारसन एण्ड टाउब्रो लि०	12.53	1.23	—	1.68	—	15.44	0.141	0.80	16.38
8.	शाह् कंस० लि०	1.62	2.88	1.89	0.70	—	7.09	—	4.44	11.53
9.	हिन्दुस्तान कंस० कं० लि०	5.62	2.46	1.15	1.80	—	11.03	0.138	1.48	12.648
10.	भण्डारी बिल्डर्स लि०	9.12	1.51	0.47	1.88	19.344	32.324	—	3.0	35.324
11.	भागीरथ इन्जी०	13.85	1.38	0.10	3.18	—	18.51	—	4.0	22.51
12.	दलाल कंस० लि०	0.376	—	—	—	—	0.376	—	—	0.376
13.	एशिया फाउ० एण्ड कंस० लि०	2.16	—	0.49	0.51	—	3.16	0.376	—	3.536
14.	ब्रिज एण्ड रुफ कं० (इण्ड०) लि०	—	—	—	—	—	—	1.75	—	1.75
15.	इ० पी० आई० लि०	—	8.33	5.39	—	19.85+ 8.65	42.22	—	—	42.22
16.	गेमन इण्डिया लि०	4.26	—	—	—	—	4.26	—	—	4.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	रेकोन्डो लि०	2.66	—	—	—	—	2.66	—	—	2.66
18.	अंसल प्रो० एण्ड इण्ड० लि०	—	—	0.59	12.88	—	13.47	—	1.60	15.08
19.	भसीन एसो० लि०	5.99	1.23	1.23	2.48	—	10.93	—	—	10.93
20.	नेशनल प्रो० कंस० कार० लि०	9.51	2.33	0.95	1.14	0.31	14.24	—	—	14.24
21.	यू० पी० स्टेट ब्रिज कार० लि०	1.57	1.54	—	—	7.62	10.73	—	—	10.73
22.	रे० इं० टे० एण्ड इक० सर्विसिस	—	—	—	2.82	—	2.82	2.0	1.388	6.208
23.	अरविन्द कंस० कं० लि०	—	—	—	—	—	—	—	0.32	0.32
	योग :	382.54	45.41	54.00	63.21	220.70	765.857	39.602	159.847	965.306

केरल में बैंक शाखाएं खोलना

69. **श्री के० मुरलीधरण :**
श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1991-92 के दौरान केरल में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की नई शाखायें खोलने का है;

(ख) केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में अब तक कितने आवेदन पत्र मिल चुके हैं; और

(ग) केरल में बैंक शाखाओं को खोलने के लिए अब तक यदि कोई स्थान चुने गए हों तो वे स्थान कौन-कौन से हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 194 के उपबंधों के अन्तर्गत बैंकों को शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर 1990 में नई शाखा लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है और उसने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए अपने प्रस्ताव 30 जून, 1991 तक लीड बैंकों और सम्बन्धित राज्य सरकारों के मार्फत भेज दें। इस सब सम्बन्ध में व्यक्ति विशेष या संगठनों आदि से प्राप्त किसी भी आवेदन या प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक गुण-दोषों के आधार पर विचार करेगा। इस समय यह बता पाना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1991-92 के दौरान केरल में बैंकों की कितनी शाखाएं खोली जाएंगी।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल परियोजना के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

[हिन्दी]

70. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मन्त्रालय की मंजूरी के बावजूद योजना शीर्ष के अन्तर्गत जोधपुर लिफ्ट कैनाल के लिए जीवन बीमा निगम ने ऋण देने से इन्कार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने जोधपुर-जल प्रदाय परियोजना के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करने का निर्णय पहले ही ले लिया है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

71. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण की सहायक कम्पनी विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) वी० आई० एस० एल० के भद्रावती वर्क्स में संस्थापित सुविधाओं का इष्टतम उपयोग करने और आधुनिकीकरण करने के लिए सेल इस समय विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। समग्र रूप से आधुनिकीकरण करने के लिए 49.35 करोड़ रुपए की लागत से प्रतिवर्ष 216,000 मी० टन तप्त धातु का उत्पादन करने हेतु 530 घन मी० धमन भट्टी स्थापित करने के लिए सेल का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह चार विद्युत गहन कच्चा लोह भट्टियों के स्थान पर है। एस० एफ० सी० 28 जनवरी, 1991 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमोदित करने की सिफारिश की गई है।

जीवन बीमा पालिसियों का व्यपगत होना

72. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुम्बई और बंगलौर में जीवन बीमा निगम की वेतन बचत योजना के अन्तर्गत जारी की गई बीमा पालिसियों के व्यपगत होने के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम जमा करने का काम जीवन बीमा निगम के पास है;

(ग) यदि हां, तो क्या जीवन बीमा निगम उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कुछ मामलों में प्रीमियम इकट्ठा करने और पालिसियों को चालू करने में नाकाम रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा लघु पालिसी धारकों के हित की रक्षा के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) साधारणतया भारतीय जीवन बीमा निगम को वेतन बचत योजना के अधीन जारी की गई बीमा पालिसियों के सम्बन्ध में लगभग सभी नियोक्ता नियमित रूप से प्रीमियम अदा कर रहे हैं। तथापि बहुत थोड़े से नियोक्ताओं से सम्बन्धित प्रीमियम कई कारणों से जैसे कि आर्थिक कठिनाई, ताला बन्दी, हड़ताल इत्यादि की वजह से समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कारोबार की मात्रा की दृष्टि से ऐसे मामलों की संख्या नगण्य है। वेतन बचत योजना के अधीन प्रीमियम की वसूली पालिसीधारक के वेतन में से कर्मचारी (पालिसीधारक) द्वारा जी० बी० नि० के माध्यम से अपने नियोक्ता को प्रस्तुत किए गए प्राधिकार ऋण के आधार पर उसके नियोक्ता द्वारा की जाती है। यह जीवन बीमा निगम द्वारा पालिसी धारकों की सुविधा के लिए प्रदत्त केवल एक सुविधा है। प्रीमियम की समय पर अदायगी करके पालिसी को जारी रखने का भार पालिसीधारक पर है।

(घ) इसकी वेतन बचत स्कीमों के अन्तर्गत सम्बन्धित कर्मचारियों (स्थानान्तरण से पहले या बाद में) के वेतनों में से प्रीमियम काटने के सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम में इस समय प्रचलित व्यवस्था सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रही है तथा इसकी वजह से काफी बड़ी सीमा तक

त्रुटियां नहीं होती हैं। फिर भी, निगम ने पालिसियों के परिशोधन के काम को, जिसमें वेतन बचत स्कीम शामिल है, शाखा कार्यालयों को सौंपकर विकेन्द्रीकृत कर दिया है, तथा पालिसीधारकों की सेवाओं में सुधार करने के लिए सूक्ष्म-संसाधन भी प्रारम्भ किए हैं।

कर कानूनों में असंगतियां

73. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इन्कम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन दिल्ली द्वारा "दण्ड और अभियोजना" पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) क्या विचार गोष्ठी में भाग लेने वाले जाने माने व्यक्तियों ने वित्तीय त्रुटियों के लिए किसी प्रकार का मुकदमा चलाने के विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए थे;

(ग) क्या विचार गोष्ठी में "कर कानूनों में असंगतियां" पर भी चर्चा की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो वे क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार-पत्र की रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि इस सेमिनार में प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत दण्ड लगाने तथा अभियोजन सम्बन्धी उपबन्धों से सम्बन्धित विविध मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(घ) इस सम्बन्ध में अभिव्यक्त किए गए सभी संगत विचारों को ध्यान में रखते हुए दण्ड लगाने तथा अभियोजन सम्बन्धी उपबन्धों के साथ-साथ कर कानूनों की भी आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है।

वाणिज्य मंत्री की ब्रुसेल्स यात्रा

74. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री आनन्द सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपनी हाल ही की ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान उन्होंने किसी इजराइली मंत्री से मुलाकात की थी;

(ख) क्या उनके साथ यह मुलाकात औपचारिक थी या व्यक्तिगत;

(ग) क्या इस मुलाकात से सरकार के राजनीति और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में गलतफहमी पैदा हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस गलतफहमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) से (घ) वाणिज्य मन्त्री की ब्रूसेल्स यात्रा के दौरान भारतीय इजराइली प्रतिनिधिमण्डल के बीच किसी भी स्तर पर कोई सरकारी बैठक नहीं हुई। किन्तु चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में बैठने की व्यवस्था अकारादिक्रम में होती है और इसके फलस्वरूप भारतीय और इजराइली प्रतिनिधिमण्डल एक-दूसरे के पास बैठे थे, अतः वाणिज्य मन्त्री का अपने प्रतिपक्षी से बातचीत करना अवश्यंभावी था। चूंकि हम इजराइल के साथ सरकारी स्तर पर कोई सम्पर्क नहीं रखते हैं और हमारी इजराइल के साथ कोई व्यापार समस्या नहीं है, अतः ऐसी बातचीत से कोई भी गलतफहमी नहीं हो सकती।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा व्यय

75. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान सबसे अधिक व्यय करने वाले पहले सात राष्ट्रीयकृत बैंकों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को व्यय कम करने सम्बन्धी कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) उन सात राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम, जिनका व्यय उनके प्रकाशित तुलन पत्रों के अनुसार मार्च 1990 को समाप्त हुई अवधि में अधिकतम रहा है, नीचे दर्शाए गए हैं :—

क्रम सं०	बैंक का नाम
1.	बैंक आफ इण्डिया
2.	बैंक आफ बड़ौदा
3.	केनरा बैंक
4.	पंजाब नेशनल बैंक
5.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
6.	यूको बैंक
7.	सिंडिकेट बैंक

मार्च 1991 को समाप्त अवधि के लेखे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को व्यय में कमी करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए कहा है। बैंकों से पेट्रोलियम/डीजल की खपत, प्रचार, मनोरंजन

इत्यादि से सम्बन्धित व्यय में कटौती के लिए उपाय करने के लिए विशेष रूप से हिदायत दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से विचार-विमर्श के दौरान उन्हें यात्रा लेखन सामग्री इत्यादि पर होने वाले खर्च में कमी करने की आवश्यकता पर बल दिया है। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे नई भर्ती पर भी नियंत्रण रखें।

केरल में तस्करी के सोने और चांदी का पकड़ा जाना

76. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान केरल के तट पर तथा तटदूर क्षेत्र में कितने मूल्य का एवं कितनी मात्रा में तस्करी का सोना और चांदी पकड़ा गया;

(ख) क्या केरल में वर्ष 1988-89 और 1989-90 की तुलना में वर्ष 1990-91 के दौरान तस्करी की घटनाएं बढ़ गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

हवाई अड्डों पर तस्करी किए गए सामान का पकड़ा जाना

77. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान देश के विभिन्न हवाई अड्डों में तस्करी के कितने मामले पकड़े गए तथा इनमें कितना सोना जब्त किया गया तथा उसका मूल्य क्या है; और

(ख) हवाई अड्डों पर तस्करी की गतिविधियां रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अन्तर्गत किए गए संग्रहण पर वित्तीय लिखतों का प्रभाव

78. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम जैसे वित्तीय संस्थानों द्वारा हाल ही में शुरू की गई बहुत आकर्षक वित्तीय लिखतों और बैंक के म्युचुअल फण्डों से, जिनमें प्रतिभागी को कर-लाभ भी मिलता है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के संग्रहण को बुरी तरह प्रभावित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को मिलने वाली धनराशि, जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत होने वाले संग्रहण से सम्बन्धित है, कम होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों को कम धनराशि न मिले, क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्थगन आदेशों के कारण राजस्व की हानि

79. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए "स्थगन" आदेशों के कारण भारी मात्रा में सरकारी राजस्व अवरुद्ध पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये "स्थगन" आदेश दोषपूर्ण अधिसूचनाओं राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों की गलत व्याख्या/उत्पीड़न आदि के कारण जारी होते हैं;

(ग) यदि हां, तो "स्थगन" आदेशों का प्रभाव समाप्त करने में कितना समय लगता है तथा वसूली के लिए कितनी राशि लम्बित पड़ी है; और

(घ) राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) दिनांक 30-12-90 की स्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की फंसी हुई रकम अनुमानतः 2048 करोड़ रुपए है। न्यायालय द्वारा जिन आयकर की मांगों को स्थगित किया गया है वह दिनांक 30-6-90 की स्थिति के अनुसार 342.18 करोड़ रु० है। इन सभी मामलों में अन्तर्वलित विषय सुसंगत विधियों और आदेशों/उनके अधीन जारी की गई अधिसूचनाओं के निर्वचन से सम्बन्धित है। करों की अधिकतम वसूली करने के लिए और न्यायालयों के मामलों में फंसे बकायों सहित बकाया की वसूली के लिए समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले सभी विधिक, प्रशासनिक और अन्य उपाय किए जा रहे हैं। उच्च न्यायालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायपीठों का गठन करें।

टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इण्डिया के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अध्ययन

80. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम टेनरी एण्ड फुटवियर कार्पोरेशन आफ इण्डिया की सहायता करने एवं उसके कार्य निष्पादन में सुधार के लिए एक विस्तृत अध्ययन कराया था;

(ख) क्या सरकार और अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों ने इसका अनुमोदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि लोक उद्यम विभाग और उद्योग मन्त्रालय के सुझाव पर और टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिए विविधीकरण/आधुनिकीकरण और पुनरूद्वार सम्बन्धी योजना की अर्थक्षमता का अध्ययन किया गया था। दिनांक 24 दिसम्बर, 1990 को उद्योग मन्त्रालय द्वारा आयोजित बैठक में रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ था। इस बैठक में अध्ययन के इस मुख्य निष्कर्ष को मान लिया गया था कि कम्पनी द्वारा तैयार की गई योजना टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया का दीर्घावधिक अर्थक्षमता को बनाए नहीं रख सकती। तथापि, टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इण्डिया से कहा गया था कि वह संशोधित विस्तृत आधार वाले प्रस्ताव भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पास उसके विचार के लिए पुन: भेजे जो अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इन संस्थाओं की कम्पनी में न तो कोई वित्तीय भागीदारी है, न ही इन संस्थाओं से किसी समय सहायता की मांग की गई थी।

आंध्र प्रदेश में किसानों को ऋण

81. **श्री राजमोहन रेड्डी :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के किसानों को ऋण किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार किसानों को विशेषकर छोटे और मझौले किसानों के साथ तम्बाकू उगाने वाले किसानों को ऋण देने की प्रक्रिया को सरल करने और उसमें छूट देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में किसानों को ऋण देने के लिए निकट भविष्य में कौन सी योजनाएं शुरू की जाएंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) आंध्र प्रदेश में किसानों को तम्बाकू की खेती सहित सभी कृषि कार्यों के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा ऐसे कार्यों को वित्त प्रदान करना निरन्तर आधार पर उनके द्वारा सामान्य ऋण देने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण प्रक्रिया को सरल और उदार बनाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में ये बातें हैं :—

1. फसल ऋणों के लिए वित्त की सीमा का निर्धारण जैसा कि वे विभिन्न फसलों के लिए जिलों में गठित तकनीकी समितियों द्वारा तैयार की गई हैं और बैंकों द्वारा उन्हें समान रूप से अपनाया जाना है। इन सीमाओं में लागत में वृद्धि को देखते हुए, हर वर्ष संशोधन किया जाता है।

2. 25,000 रुपए तक के ऋण आवेदनों का 15 दिन के भीतर तथा 25,000 रुपए से अधिक तक के आवेदनों का 8 से 9 सप्ताह के भीतर निपटान।

3. ग्रामीण शाखा के प्रबन्धकों को ऋण मंजूरी के लिए उचित अधिकार देना ताकि अधिकांश ऋण आवेदन शाखा स्तर पर ही स्वीकृत हो जाएं।

4. 10,000 रुपए तक के फसल ऋणों और 10,000 रुपए तक के सावधि ऋण, जहां चल परिसम्पत्तियां सृजित की जाती हैं, के मामले में बन्धक/भूमि-प्रभार या तीसरी पार्टी की गारन्टी के रूप में कोई सम्पार्श्विक प्रतिभूति नहीं ली जानी चाहिए।

5. अल्पावधि, मध्यावधि/दीर्घावधि ऋणों के लिए 10,000 रुपए तक के कृषि ऋण के लिए किसी मार्जिन की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ऋणों पर रियायती ब्याज दरें ली जाती हैं।

आर्थिक विभागों में फेरबदल करने का प्रस्ताव

82. **श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयात-निर्यात, सीमा शुल्क विभाग और सामान्य आबकारी जैसे आर्थिक विभागों में फेरबदल करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों को सीमा शुल्क में छूट

83. **श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजी जाने वाली राशियों पर उन्हें सीमा शुल्क में छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) आगामी केन्द्रीय बजट को देखते हुए, इस प्रश्न का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

निर्यात संवर्धन परिषदें

84. **श्री बसन्त साठे : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1991 के "दि इकानामिक टाइम्स" में "रिओरियंटिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कही गई विभिन्न बातों, विशेषकर निर्यात संवर्धन परिषदों और कामोडिटी बोर्डों के पुनर्गठन की आवश्यकता के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस समय कार्यरत और निर्यात संवर्धन परिषदों और कामोडिटी बोर्डों का ब्यौरा क्या है और क्या निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संदर्भ में उनके कार्य निष्पादन का उद्देश्यपरक आकलन किया गया है; और

(घ) इन्हें और अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) न्यूज रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है ।

(ग) और (घ) वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्य-निष्पादन और क्रियाकलापों की वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा की जाती है । परिषदों के क्रियाकलाप में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद को अध्ययन कार्य सौंपा गया था और उसमें की गई सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

विवरण

वस्तु बोर्डों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची

1. चाय बोर्ड,
   कलकत्ता ।
2. काफी बोर्ड,
   बंगलौर ।
3. कयर बोर्ड,
   एर्नाकुलम दक्षिण,
   कोचीन ।
4. केन्द्रीय रेशम बोर्ड,
   बंगलौर ।
5. तम्बाकू बोर्ड,
   गुन्तूर ।
6. मसाला बोर्ड,
   कोचीन ।
7. रबड़ बोर्ड,
   कोट्टायम ।

निर्यात संवर्धन परिषदें

1. इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल,
   कलकत्ता ।
2. ओवरसीज कान्सट्रंक्शन काउन्सिल आफ इण्डिया,
   नई दिल्ली ।

3. मूलभूत रसायन भेषज तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद,
बम्बई ।

4. रसायन तथा सम्बद्ध उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद,
कलकत्ता ।

5. प्लास्टिक तथा लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद,
बम्बई ।

6. काउन्सिल फार लेदर एक्सपोर्ट्‌स,
मद्रास ।

7. स्पोर्ट्‌स गुड्स निर्यात संवर्धन परिषद,
नई दिल्ली ।

8. रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद,
बम्बई ।

9. चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद,
कलकत्ता ।

10. काजू निर्यात संवर्धन परिषद,
कोचीन ।

11. इलेक्ट्रानिक तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद,
नई दिल्ली ।

12. काटन टैक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद,
बम्बई ।

13. सिन्थेटिक रेयन टैक्सटाइल निर्यात संवर्धन परिषद,
बम्बई ।

14. इण्डियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल,
बम्बई ।

15. अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद,
नई दिल्ली ।

16. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
नई दिल्ली ।

17. कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल,
नई दिल्ली ।

18. हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद,
मद्रास ।

19. हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद,
नई दिल्ली।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता

85. **श्री बसन्त साठे :**
श्री वी० कृष्ण राव :
श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या :
श्री डी० सी० सिलवेरा :
श्री वामनराव महाडीक :
श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जुलाई, 1990 से दिसम्बर, 1990 तक की अवधि में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या दिसम्बर, 1990 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में तीव्र वृद्धि होने के कारण सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को क्या राहत देने का विचार है और इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) 30-6-1990 के 912 की तुलना में 31-12-1990 को 981 था।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता/महंगाई राहत दिए जाने सम्बन्धी मामला विचाराधीन है तथा शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में वकील कल्याण निधि योजना

[हिन्दी]

86. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में वकील कल्याण निधि योजना लागू है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत वकीलों को दी जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना की स्वीकृति मिलने के बाद कितने वकीलों को प्रतिवर्ष ऐसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन

87. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल शाखाएं कितनी है तथा इनमें कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन बैंकों पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि व्यय की जा रही है;

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान इन बैंको की उपलब्धि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार इन बैंकों द्वारा राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि मार्च 1990 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 589 शाखाएं कार्यरत हैं। यद्यपि महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या का जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, बैंकवार स्थिति निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	नियुक्त स्टाफ				
		अधिकारी	क्षेत्रीय पर्यवेक्षक	लिपिक	अन्य	जोड़
1.	मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक	280	74	384	244	982
2.	औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक	72	8	6	122	208
3.	चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक	72	16	73	59	220
4.	अकोला ग्रामीण बैंक	56	7	56	37	156
5.	रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक	47	11	59	9	126
6.	शोलापुर ग्रामीण बैंक	48	8	47	37	140
7.	भण्डारा ग्रामीण बैंक	57	22	65	49	193
8.	यवतमाल ग्रामीण बैंक	25		34	3	62
9.	बुलढ़ाना ग्रामीण बैंक	27	24		2	53
10.	थाणे ग्रामीण बैंक	35	2	21	27	85
	कुल :	719	172	745	589	2225

(ख) महाराष्ट्र में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1989-90 में 1867.14 लाख रुपए की राशि खर्च की थी। इसमें से 986 38 लाख रुपए की रकम ब्याज पर खर्च हुई। 880.76 लाख रुपए की शेष रकम में से 636.01 लाख रुपए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के रूप में दिए गए।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में कार्यरत सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 73,857 खातों में 3144.18 लाख रुपए की रकम संवितरित की थी। मार्च 1990 तक 2,70,752 खातों में बकाया अग्रिमों की राशि 12,671.77 लाख रुपए थी और 9,17,127 खातों में 11105.45 लाख रुपए की जमाराशियां जुटायीं गयी। बैंकों ने पहले ही कमजोर वर्गों से सम्बन्धित 2,70,752 खातों के लिए सहायता दी है। बैंक, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों अर्थात्, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर योजना आदि में भी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं जो केवल कमजोर वर्गों के लिए बनाए गए हैं।

भारत-अमरीका सरसृप विज्ञान परियोजना

[अनुवाद]

88. **श्री तारीफ सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका सरसृप विज्ञान परियोजना के अन्तर्गत देश को 1984 से दुर्लभ जन्तुओं की क्षति हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या यह परियोजना जिसको 1987 तक चलाना था, को 1993 तक के लिए बढ़ा दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) भारत-अमरीका सरीसृप विज्ञान परियोजना एक अनुसंधान परियोजना है, जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उभयचरों और सरीसृपों की पर्यावरणीय विविधता का अध्ययन करने के लिए कार्नेगी प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमरीका के सहयोग से राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा शुरू की गई है। चुने गए स्थानों से क्षेत्र दलों द्वारा ऐसे एकत्रित नमूनों को आगे अपेक्षित जांच और विश्लेषण के लिए कार्नेगी संग्रहालय भेजा जाता है। परियोजना में यह प्रबन्ध है कि कार्नेगी संग्रहालय में अध्ययन पूर्ण कर लेने के पश्चात् एकत्रित किए गए नमूनों का 50 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, नई दिल्ली में वापस भेज दिया जाएगा।

(ग) और (घ) 1990 तक काफी कम फील्ड वर्क हुआ था। इसलिए परियोजना को परिचालित करने वाले समझौते के ज्ञापन के तहत परियोजना को अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विलयन

89. **श्री आर० एम० भोये :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
श्री आर० एन० राकेश :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारी घाटे में चल रहे कुछ सरकारी बैंकों का अन्य सरकारी बैंकों में विलयन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चलने वाले बैंकों के क्या नाम हैं;

(घ) इन बैंकों का सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों के साथ का विलयन कब तक हो जाएगा; और

(ङ) अगर उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो घाटे में चलने वाले बैंकों के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) फिलहाल किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक का किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ग) यूको बैंक तथा न्यू बैंक आफ इण्डिया ने वर्ष 1989-90 के दौरान के अपने प्रचलनों में घाटे की सूचना दी है ।

(घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य निष्पादन तथा लाभ अर्जित करने की क्षमता को सुधारने के लिए बहुत से उपाय किए हैं । इनमें उनकी पूंजी में वृद्धि, सेवा प्रभारों और ब्याज दर संरचना को युक्तियुक्त बनाना, कर्मचारियों की वृद्धि पर नियन्त्रण तथा परिचालन ऋण सीमा के अनुप्रयुक्त भाग पर प्रतिबद्धता प्रभार लगाना शामिल है । बैंकों से यह भी कहा गया है कि पेट्रोलियम के उपयोग, विज्ञापन आदि सम्बन्धी खर्च पर नियन्त्रण करने के उपाय करें तथा कार्यात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्य योजनाएं बनाए और प्रभावी कारोबार आयोजना और विकास के माध्यम से अपनी अर्थक्षमता और लाभप्रदता को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई करें ।

दिल्ली हवाई अड्डे पर जब्त किया गया सोना

90. **श्री आर० एम० भोये :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 2 फरवरी, 1991 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गोल्ड सीज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, के सीमा शुल्क अधिकारियों ने जगदीश चन्द्र नामक एक यात्री को रोका, जो 1 फरवरी, 1991 को हांगकांग से आया था। उसकी जमातलाशी लेने पर विदेशी मूल की 22 स्वर्ण छड़ों की बरामदगी हुई और उनका अभिग्रहण किया गया, जिनका कुल भार 2468 ग्राम था और शुद्धता 24 कैरट की थी एवं उनका कुल मूल्य लगभग 9.38 लाख रुपए आंका गया था। उक्त सोना कमर पर बंधे हुए काले पाउच में छुपाया हुआ था। श्री जगदीश चन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया था और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के तहत क्षेत्राधिकारिक न्यायालय में एक परिवाद दायर किया गया है।

सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए वनों की कटाई सम्बन्धी मार्ग निर्देश

91. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गांवों को बिजली, जल, सड़क इत्यादि जैसी सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वनों की कटाई के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत कृषि मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर वन भूमि के वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे और समेकित दिशा-निर्देश इस मन्त्रालय के दिनांक 31-7-86, 23-6-89 और 24-10-89 के पत्रों के द्वारा जारी किए गए हैं।

गांवों में बिजली, जल, सड़कों आदि की व्यवस्था करने जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए वन भूमि के प्रयोग की अनुमति से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार करने के बारे में कुछेक दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं :—

1. राज्य सरकारों को परियोजना के (क) मानचित्र (ख) वनेतर प्रयोजनों के लिए अपेक्षित क्षेत्र (ग) काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या (घ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव वार्डन (जहां आवश्यक हो) तथा राज्य सरकार की सिफारिश, (ङ) प्रतिपूरक वृक्षारोपण का विवरण आदि जैसे अनिवार्य ब्यौरों के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्ताव भेजने होते हैं। एक हेक्टेयर से कम क्षेत्र के वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रयोग से सम्बन्धित मामलों पर मन्त्रालय से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों द्वारा तथा एक हेक्टेयर और उससे अधिक वन भूमि के मामलों पर मन्त्रालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

2. सार्वजनिक सेवाओं से सम्बन्धित दिशा-निर्देशों में कुछ छूट दी गई है, जैसे :—

(1) पारेषण लाइनें अथवा पेय जल आपूर्ति के लिए पाइप लाइनें बिछाने के मामलों में, जिनमें वृक्षों की कटाई नहीं करनी पड़ती है, सरल प्रोफार्मा निर्धारित किया गया है।

(2) आमतौर पर भवन निर्माण के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने पर विचार नहीं किया जाता है। किन्तु, उस क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए बनाए जाने वाले स्कूलों, अस्पतालों, औषधालयों, सामुदायिक हालों, सहकारी संगठनों, पंचायतों, सरकार के लघु ग्रामीण औद्योगिक शेडों आदि के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति है। लेकिन इस प्रकार से वन भूमि को उपयोग में लाने की अनुमति वास्तविक रूप से अपेक्षित क्षेत्र के लिए ही दी जानी चाहिए और यह क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) पहाड़ी जिलों और अन्य जिलों में जहां भौगोलिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं, वहां वनेतर भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने पर जोर नहीं दिया जाता है तथा वनेतर प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि से दुगुनी अवक्रमित भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण की अनुमति दी जाती है, बशर्ते अपेक्षित वन भूमि 5 हेक्टेयर से कम हो और वन भूमि का इस्तेमाल सम्पर्क सड़क बनाने, लघु जल निर्माण कार्यों, लघु सिंचाई कार्यों, स्कूल भवन, औषधालय, अस्पताल, सरकारी लघु ग्रामीण शेडों, इसी प्रकार के किसी ऐसे अन्य कार्य के लिए किया जाना हो, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ पहुंचता हो।

खतरनाक रसायनों के उत्पादन की अनुमति देना

92. **श्री पी० आर कुमारमंगलम :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि खतरनाक रसायनों को परिभाषित करने के लिए क्या मानदण्ड अथवा पैरामीटर बनाए गए हैं तथा ऐसे खतरनाक रसायनों का बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए उत्पादन की अनुमति किन आधार पर दी जाती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : परिसंकटमय रसायनों को परिभाषित करने का मापदण्ड पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली, 1989 के नियम 2(ङ) में निर्धारित किया गया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। इस तरह के परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण शुरू करने के लिए जिस आधार पर अनुमति प्रदान की जाती है उसका ब्यौरा अनुबन्ध संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

परिसंकटमय रसायनों के लिए संकेतात्मक मापदण्ड

(क) विषाक्त रसायन :

अधिक विषाक्तता के निम्न मूल्यों वाले रसायन, जो अपने भौतिक और रासायनिक गुण-धर्मों

के कारण प्रमुख दुर्घटना परिसंकट पैदा कर सकते हैं :—

क्र० सं०	विषाक्तता की मात्रा	मौखिक मार्ग से मध्यम घातक खुराक (मौखिक विषाक्तता) एल डी 50 (परीक्षण पशुओं का शरीर वजन मिग्रा०/ कि०ग्राम)	त्वचीय मार्ग से मध्यम घातक खुराक (त्वचीय विषाक्तता) एल डी 50 (परीक्षण पशुओं का शरीर वजन मिग्रा०/ कि०ग्राम)	श्वास मार्ग से मध्यम घातक खुराक (चार घण्टे) परीक्षण पशुओं में श्वास एल सी 50 (मिग्रा/1)
1.	अत्यन्त विषाक्त	1-50	1-200	0.1-0.5
2.	अति विषाक्त	51-500	201-2000	0.5-2.0

(ख) ज्वलनशील रसायन :

(1) ज्वलनशील गैस : ऐसे रसायन, जो गैस के रूप में सामान्य दबाव पर और वायु के साथ मिश्रित होने पर ज्वलशील बन जाते हैं और सामान्य दबाव पर जिनका उबाल स्तर 20° अथवा इससे कम है;

(2) अति ज्वलनशील तरल : ऐसे रसायन, जिनका फ्लैश स्तर 23° से० से कम है और जिनका सामान्य दबाव पर उबाल स्तर 20° से अधिक है;

(3) ज्वलनशील तरल : ऐसे रसायन, जिनका फ्लैश स्तर 65° से० से कम हैं और जो दबाव में भी तरल बने रहते हैं, जहां उच्च दाब और उच्च ताप जैसी विशेष संसाधन परिस्थितियां प्रमुख दुर्घटना संकट पैदा कर सकती हैं ।

(ग) विस्फोटक : ऐसे रसायन, जो लपट, ऊष्मा अथवा फोटो-रसायन परिस्थितियों के प्रभाव में विस्फोट कर सकते हैं अथवा जो झटकों या घर्षण के प्रति डिनिट्रोबेंजीन की तुलना में अधिक संवेदनशील हैं ।

विवरण-2

परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण के लिए जिस आधार पर अनुमति दी जाती है, उसका ब्यौरा

(1) **स्थल अधिसूचना** : किसी दखलदार को परिसंकटमय रसायनों से सम्बन्धित कोई औद्योगिक गतिविधि शुरू करने की तब तक अनुमति नहीं दी जाती है, जब तक उसने एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत न कर दी हो, जिसमें उस गतिविधि के शुरू किए जाने के कम से

कम तीन माह पूर्व अथवा मुख्य फैक्टरी निरीक्षक द्वारा दिए गए इससे भी कम समय में विनिर्दिष्ट ब्यौरा दिया गया हो ।

(2) **सुरक्षा रिपोर्ट** : किसी दखलदार को परिसंकटमय रसायनों से सम्बन्धित कोई औद्योगिक गतिविधि शुरू करने की तब तक अनुमति नहीं दी जाती है जब तक उसने उस औद्योगिक गतिविधि के बारे में एक सुरक्षा रिपोर्ट तैयार न कर ली हो, जिसमें विनिर्दिष्ट सूचना दी गयी हो और उस रिपोर्ट की एक प्रति गतिविधि शुरू किए जाने के कम से कम 90 दिन पूर्व मुख्य फैक्टरी निरीक्षक को प्रस्तुत न कर दी हो ।

(3) **आन-साइट आपात योजना तैयार करना** : परिसंकटमय रसायनों से सम्बन्धित कार्य करने वाले किसी दखलदार के लिए नई औद्योगिक गतिविधि शुरू करने से पूर्व आन-साइट आपात योजना तैयार करना अपेक्षित है, जिसमे परिसर में प्रमुख दुर्घटनाओं से निपटने के बारे में ब्यौरा दिया गया हो ।

(4) **आफ-साइट आपात योजनाएं तैयार करना** : नई औद्योगिक गतिविधि शुरू किए जाने से पूर्व ज़िला प्राधिकारियों के लिए एक आफ-साइट आपात योजना बनाना अपेक्षित है, जिसमें उस परिसर में सभी सम्भावित प्रमुख दुर्घटनाओं से निपटने के तरीकों का ब्यौरा हो। आफ साइट योजना तैयार करने से सम्बन्धित सूचना दखलदार को जिला प्राधिकारियों को उपलब्ध करानी होती है।

(5) **प्रमुख दुर्घटना से प्रभावित होने वाले लोगों को दी जाने वाली सूचना** : नई औद्योगिक गतिविधि शुरू किए जाने से पूर्व दखलदार के लिए परिसर से बाहर के लोगों को प्रमुख दुर्घटना के बारे में जो घटित हो सकती है और ऐसी स्थिति में क्या करें या क्या न करें—इस बारे में जानकारी देने के लिए उपयुक्त उपाय करना अपेक्षित है ।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय का विकेन्द्रीकरण

93. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के विकेन्द्रीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरूषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) सरकारी मन्त्रालयों/विभागों के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के माध्यम से माल और उपस्करों की केन्द्रीयकृत खरीद की नीति के पुनरीक्षण के बाद पिछले वर्ष यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों के अपने इस्तेमाल के लिए मदों की अधिप्राप्ति के कार्य को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में इस कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों और स्टाफ के साथ मांगकर्ता मन्त्रालयों/विभागों को स्थानान्तरित कर दिया जाए । तथापि, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधिकारी और कर्मचारी संघों, उद्योगों और अन्यों से प्राप्त अभिवेदनों तथा इस मामले के अन्य पहलुओं को देखते हुए, उक्त निर्णय का पुनरीक्षण तथा पुनः विचार किया जा रहा है ।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

94. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित ऐसे मामलों की न्यायालय-वार संख्या क्या है जिनमें एक पक्ष के रूप में भारत सरकार सम्बद्ध है; और

(ख) सरकार ने इन लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मद्रास स्टील स्टॉकयार्ड में कार्यालय भवन परिसर का निर्माण कार्य

95. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्तनागडु में स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के मद्रास स्टील स्टॉकयार्ड में किसी विशाल कार्यालय भवन परिसर का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य पर कुल कितनी लागत आयी है तथा किस अधिकारी ने निर्माण कार्य की स्वीकृति दी थी;

(ग) क्या उस परिसर को निर्मित-स्थान का पूरा उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसका पूरा उपयोग न किए जाने के कारण प्रतिवर्ष कितनी-कितनी वित्तीय हानि हो रही है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) "सेल" ने मद्रास, स्थित सन्तनागडु में अपने स्टाकयार्ड में लगभग 900 वर्ग मीटर क्षेत्र के एक कार्यालय भवन का निर्माण किया है।

(ख) लगभग 34 करोड़ रुपए। यह निर्माण 'सेल' के सक्षम प्राधिकारी, उप महा प्रबन्धक विशेष परियोजना प्रभाग द्वारा अनुमोदित था।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोडरमा और गनवा तिसरी (बिहार) के वनों में खनन कार्य

[हिन्दी]

96. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गिरिडीह जिले में कोडरमा वनों तथा गनवा तिसरी घाटी एवं वनों में अभ्रक और पत्थर के खनन के लिए कितने खनन पट्टे स्वीकृत किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त स्थानों पर खनन कार्य रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और सरकार ने इस शर्त पर खनन कार्य जारी रखने के लिए अनुमति देने हेतु क्या कदम उठाए हैं कि पट्टेधारी सीमित खनन पट्टों की भूमि के बराबर के क्षेत्र में पेड़ लगायेंगे; और

(घ) सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है जो अवैध रूप से हजारों वर्ग किलोमीटर के उस वन को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है जहां कोई खनन कार्य नहीं चल रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) राज्य सरकार से विस्तृत सूचना मांगी गयी है तथा उसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

रबड़ का मूल्य

[अनुवाद]

97\. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** :
प्रो० पी० जे० कुरियन :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान रबड़ के मूल्य स्थिर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1990 के दौरान रबड़ के मूल्य में माहवार कितना उतार-चढ़ाव आया;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1990 के दौरान कच्चे रबड़ का अधिक मात्रा में आयात किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कच्चे रबड़ की अधिक मात्रा आयात करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जनवरी, 1991 से 14 फरवरी, 1991 के दौरान रबड़ की कीमत आर० एम० ए० 11/ग्रेड के लिए 2010 रु० और 2100 रुपए प्रति क्विंटल के बीच घटती-बढ़ती रही ।

(ख) वर्ष 1990 के दौरान आर० एम० ए० IV ग्रेड रबड़ की कीमतों में उतार-चढ़ाव ।

कोट्टायम बाजार में प्रति-क्विंटल रुपए में मासिक औसत

1990	अधिकतम	न्यूनतम
1	2	3
जनवरी	2180	2140

1	2	3
फरवरी	2180	2100
मार्च	2190	2150
अप्रैल	2250	2175
मई	2300	2240
जून	2500	2300
जुलाई	2300	2225
अगस्त	2050	2020
सितम्बर	2150	2050
अक्तूबर	2125	1975
नवम्बर	2000	1965
दिसम्बर	2025	1960

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (च) वर्ष 1991—92 के दौरान आयात किए जाने वाले रबड़ की मात्रा मांग-पूर्ति अन्तराल पर निर्भर करेगी।

निर्यात गृहों को निर्यात से आय

[हिन्दी]

98. **श्री तेजनारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश निर्यात गृह अपने उत्पादों के निर्यात से पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं अर्जित कर रहे हैं;

(ख) क्या अधिकांश विदेशी मुद्रा लघु एककों के उत्पादों के निर्यात से ही अर्जित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार का विचार वर्तमान नीति में कोई परिवर्तन करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी नहीं। वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान निर्यात घरानों और

व्यापार घरानों द्वारा किए गए कुल निर्यात में लघु स्तर के क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत से भी कम है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निर्यात घराने/व्यापार घराने का दर्जा देते समय एन० एफ० ई० आय का हिसाब लगाने में लघु स्तर के क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों को दोहरा वेटेज देते हुए पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

विदेशी ऋण

99. **श्री आर० एन० राकेश :**
डा० चिन्ता मोहन :
श्री मदन लाल खुराना :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेश व्यापार के सम्बन्ध में भुगतान सन्तुलन के संकट को देखते हुए अन्य देशों से नए ऋण लेने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत पर दिसम्बर, 1990 तक कुल कितना विदेशी ऋण बकाया था ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। व्यापार घाटे, भुगतान संतुलन और ऋण परिशोधन को उचित सीमाओं में बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार समय-समय पर ऋण लेती है, बशर्ते कि शर्तें स्वीकार्य हों और वे राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता के अनुरूप हों।

(ख) 31-3-90 को भारत के बकाया विदेशी ऋण की कुल राशि 79,982 करोड़ रुपए थी। वर्ष के किसी भाग के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राजस्व गुप्तचर निदेशालय द्वारा सोने और चांदी को जब्त करना

[अनुवाद]

100. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व गुप्तचर निदेशालय ने 16 जनवरी, 1991 को दिल्ली में करोड़ों रुपयों का तस्करी का सोना और इन्दौर में चांदी की छड़ें जब्त की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में आगे क्या कार्रवाई की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने दिल्ली में 16 जनवरी, 1991 को लगभग एक-

एक कि० ग्रा० वजन की 40 स्वर्ण छड़ें अभिगृहीत की हैं जिनका मूल्य लगभग 1.48 करोड़ रुपए आंका गया है। एक मिनी बस जिसका मूल्य 1.5 लाख रुपए आंका गया है और 74,320/-रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा भी अभिगृहीत की गयी है। दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें तदन्तर विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के तहत नजरबंद किया गया है।

जहां तक इन्दौर के निकट अभिग्रहण का सम्बन्ध है: माननीय सांसद शायद 10.7 टन भार की 344 चांदी की छड़ों के अभिग्रहण का हवाला दे रहे हैं जिनका मूल्य लगभग 8 करोड़ रुपए आंका गया है और जिनका अभिग्रहण उन दो ट्रकों से किया गया जिन्हें दि० 14 जनवरी, 1991 को मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों की सीमा के निकट राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों द्वारा रोका गया था। दोनों ट्रकों एवं एक मारुति वैन का भी अभिग्रहण किया गया था जिनका कुल मूल्य 5 लाख रुपए आंका गया है। 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और तदनन्तर उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के तहत नजरबन्द किया गया है।

वानिकी की दृष्टि से स्वीकृति के लिए महाराष्ट्र की लम्बित सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

101. **प्रो० महादेव शिवनकर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन बड़ी मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो वानिकी की दृष्टि से स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1991 तक लम्बित सिंचाई मामलों की स्थिति सहित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	वर्तमान स्थिति
(क) बड़ी सिंचाई परियोजनाएं :	
1. ऊपरी वर्धा बड़ी सिंचाई परियोजना का निर्माण (1357.41 हे०)	राज्य सरकार से मांगी गयी अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो गयी है। मामले पर कार्रवाई की जा रही है।
2. अदन बड़ी सिंचाई परियोजना	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

3. अहमदनगर जिले में ऊपरी परवरा बड़ी सिंचाई परियोजना	राज्य सरकार को जल्द ही इसकी सूचना दी जा रही है।
4. नागपुर जिले में निचली वून्ना परियोजना का निर्माण (13.06 हे०)	राज्य सरकार से मांगी गयी अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो गयी है। मामले पर कारंवाई की जा रही है
(ख) मझौली सिंचाई परियोजना	
5. अमरावती जिले में धमनगांवगढ़ी में मझौले सिंचाई टैंक का निर्माण।	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
6. नासिक जिले में अम्बेदरी देहिदी मझौले सिंचाई टैंक का निर्माण।	इस मन्त्रालय के भोपाल स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है, जिसकी प्रतीक्षा है।
(ग) लघु सिंचाई परियोजनाएं :	
7. महागांव अकोला करंजा जिले में लघु सिंचाई टैंक का निर्माण (23.50 हे०)	सलाहकार समिति में मामले पर चर्चा की गयी। निर्णय लेने की कारंवाई की जा रही है।
8. धुले जिले के नावें में रिसन टैंक का निर्माण (20 हे०)	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। उत्तर की प्रतीक्षा है।
9. रंजनी पिम्परखोद वितरण प्रणाली का निर्माण।	सलाहकार समिति में मामले पर चर्चा की गयी। निर्णय लेने की कारंवाई की जा रही है।
10. चन्द्रपुर जिले में पाइपलाइन बिछाना।	राज्य सरकार से मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो गयी है। मामले पर कार्यवाई की जा रही है।

न्यू बैंक आफ इण्डिया का कार्यकरण

102. **श्री छेदी पासवान :**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यू बैंक आफ इण्डिया के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास न्यू बैंक आफ इण्डिया का अन्य किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू बैंक आफ इण्डिया सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के कार्यनिष्पादन और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कई उपाय किए हैं। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं—उनकी पूंजी में वृद्धि, सेवा प्रभारों और ब्याज दर संरचना को युक्तियुक्त बनाना, कर्मचारियों की वृद्धि पर नियंत्रण तथा परिचालन ऋण सीमा के अनुप्रयुक्त भाग पर प्रतिबद्धता प्रभार लगाना। बैंकों से यह भी कहा गया है कि पेट्रोलियम के उपयोग, विज्ञापन आदि सम्बन्धी खर्च पर नियंत्रण करने के उपाय करें तथा कार्यात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए कार्य योजनाएं बनाएं और प्रभावी कारबार आयोजना और विकास के माध्यम से अपनी अर्थक्षमता और लाभप्रदता को सुदृढ़ करने के लिए अन्य उपाय करें।

(ग) न्यू बैंक आफ इण्डिया का किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में विलय का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत परियोजनाओं को मंजूरी

103. **श्री छविराम अर्गल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत परियोजनाओं जो मंजूरी देने में आने वाली कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी देने के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई परिपत्र जारी किया गया है;

(ग) क्या उन परियोजनाओं के प्रस्तावों को, जिन पर कार्य 25 अक्तूबर, 1980 से पहले शुरू कर दिया गया था, इस अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा अथवा क्या केन्द्रीय सरकार उन पर आसान शर्तों पर विचार करेगी;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं को, जिनमें वन भूमि और गैर वन भूमि दोनों अन्तर्ग्रस्त हैं, तथा जिन पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, इस अधिनियम का उल्लंघन होने का परवाह किए बिना मंजूरी देने का विचार है; और

(ङ) क्या मध्य प्रदेश की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए गैर-वन क्षेत्र वनरोपण का शर्त लागू नहीं की जाएगी और वनरोपण कार्य को मान्यता दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) इस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावों को पूर्ण रूप से तैयार न किए जाने के कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को मंजूर करने में इस मन्त्रालय को निम्नलिखित मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है :—

(1) अपर्याप्त मानचित्र।

(2) क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उतने ही वनेतर क्षेत्र की शिनाख्त तथा उसके ब्यौरे उपलब्ध न कर पाना।

(3) राज्य सरकार द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की विशिष्ट टिप्पणियों को नहीं भेजा जाता है।

(4) जहां लोगों को अन्यत्र बसाया जाना हो, उसके बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्थापित लोगों को फिर से बसाने की उपयुक्त स्कीम तैयार न करना।

(5) खनन परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भूमि उद्धार योजना तैयार न करना।

(ख) जी, हां।

(ग) जिन मामलों में किसी परियोजना के सम्बन्ध में वन क्षेत्रों के अनारक्षण या उनका वनेतर प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के बारे में राज्य सरकार द्वारा 25-10-1980 से पूर्व आदेश जारी किए गए थे, उन्हें केन्द्र सरकार को भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन, जिन मामलों में वन भूमि के अनारक्षण या वन कटाई के बारे में विशेष आदेशों के बिना परियोजना के बारे में प्रशासनिक अनुमोदन ही जारी किया था, ऐसे मामलों पर इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी लेना जरूरी होती है।

(घ) जिन परियोजनाओं में गैर-वन भूमि और वन भूमि को उपयोग में लाया जाना हो तथा जहां गैर-वन भूमि पर कार्य आरम्भ किया गया था, उनको वन भूमि को उपयोग में लाने के औचित्य और मामले के गुण-दोष के आधार पर मंजूर किया जा सकता है।

(ङ) जी, नहीं।

संयुक्त राज्य अमरीका को भारतीय इंजीनियरी और रसायन वस्तुओं का निर्यात

[अनुवाद]

106. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इन्जीनियरी और रसायन वस्तुओं के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध हटाने और इन वस्तुओं का सामान्य निर्यात मदों के अन्तर्गत उदार शर्तों पर निर्यात की अनुमति देने हेतु अमरीकी सरकार से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अमरीकी सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) से (ग) भारतीय हित की अधिकांश इन्जीनियरी और रसायन मदें संयुक्त राज्य अमरीका में वरीयताओं की सामान्यीकृत प्रक्रिया (जी० एस० पी०) के अन्तर्गत शुल्क से छूट के लिए पहले ही पात्र हैं। लेकिन वार्षिक समीक्षा क्रिया विधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आवेदन पर सं० रा० अमेरिका की सरकार कुछ

खास मदों को जी० एस० पी० से हटाने का विचार करती है। अभी हाल के वर्षों में स्टील वायर रोप, क्लीनिकल थर्मामीटर, आइबुप्रोफेन और ओलियोरेजिन जैसे कई उत्पाद इस समीक्षा के अधीन रहे। निर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर ओलियोरेजिन, आइबुप्रोफेन और क्लीनिकल थर्मामीटर के बारे में याचिकाओं को अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन, उसके बाद क्लीनिकल थर्मामीटर को केवल भारत के लिए जी० एस० पी० से हटा दिया गया क्योंकि भारतीय निर्यातकों को, जिनका 50% से भी अधिक हिस्सा है, प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक मानदण्ड के कारण नुकसान पहुंचा। स्टील वायर रोप को सभी देशों के सम्बन्ध में जी० एस० पी० से हटा दिया गया। आईबुप्रोफेन से सम्बन्धित एक अन्य याचिका विचाराधीन है।

जी० एस० पी० की समीक्षा के लिए अंकटाड में होने वाली वार्षिक बैठक के दौरान हम सभी विकसित देशों से जी० एस० पी० योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद कवरेज विस्तार और अधिक स्थायित्व लाकर, सुधार करने तथा इसे सुदृढ़ बनाने का अनुरोध करते हैं। इस मामले को आवधिक रूप से होने वाली द्विपक्षीय बैठक में भी उठाया जाता है। इसमें सर्वाधिक हाल की बैठक 2-3, अप्रैल 1990 को वाशिंगटन में आयोजित भारत-यू० एस० आर्थिक और वाणिज्यिक उप आयोग की बैठक थी।

उसके प्रत्युत्तर में संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार सामान्यतः जी० एस० पी० के अन्तर्गत रियायतों की स्वायत्त प्रकृति पर जोर देती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा सोने का आयात

107. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**
श्री बी० देवराजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सोने की तस्करी को रोकने के लिए अनिवासी भारतीयों को देश में सोना लाने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तें क्या हैं;

(ग) इससे प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में सोना आएगा और सोने की तस्करी रोकने के क्या परिणाम होंगे;

(घ) क्या सरकार का ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट हाउसों को मान्यता देने के तरीके में संशोधन करने का भी विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) इस समय सरकार अनिवासी भारतीयों को देश में सोना लाने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है।

(घ) और (ङ) आयात और निर्यात नीति की समीक्षा करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और समय

समय पर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट हाउस की मान्यता के लिए मापदण्ड के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बैंक अधिकारियों के घरों पर छापे मारना

[हिन्दी]

108. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या वित्त मन्त्री 23 मार्च, 1990 के तारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त छापों के दौरान जिन अधिकारियों के घरों/कार्यालयों से अवैध परिसम्पत्तियां हासिल हुई थीं, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालल में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध और उपयुक्त सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गंगोत्री क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन

[अनुवाद]

109. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय में गंगोत्री क्षेत्र को बचाने के लिए तथा उस क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को अव्यवस्थित होने से रोकने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और इस पर कितनी धन-राशि खर्च होने का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगोत्री क्षेत्र को बचाने के लिए निम्नलिखित कारंवाई की है :—

(क) एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

(ख) क्षेत्र के लिए राज्य सरकार ने मास्टर प्लान का एक प्रारूप तैयार किया है।

(ग) गंगोत्री में एक अभ्यारण्य तथा एक राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है।

(घ) इमारती लकड़ी को काटने के लिए परमिट जारी करने पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है।

2. निम्नलिखित उपाय भी सुझाए गए हैं :—

(क) अतिरिक्त पट्टों को मंजूर न करने या अतिरिक्त आवासीय सुविधाएं न देने के बारे में नीति निर्णय;

(ख) क्षेत्र में पर्वतारोहण अभियानों पर कठोर नियंत्रण;

(ग) उत्तर काशी से बहने वाले सीवेज के प्रदूषण पर नियंत्रण;

(घ) गंगोत्री घाटी में अवैध कब्जों को खाली कराना;

(ङ) गंगोत्री में रात को ठहरने के लिए अतिरिक्त आवास की अनुमति न देना;

(च) वनों को बचाने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों तथा मिट्टी के तेल और एल० पी० जी० की आपूर्ति को बढ़ावा देना;

(छ) विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को पर्यटन के प्रचार के बजाए जलसंभरों के संरक्षण और प्रबन्ध के अनुकूल बनाना।

विदेशी बैंकों का कार्य निष्पादन

110. **श्री शांताराम पोटदुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत विदेशी बैंकों का कुल शाखा नेटवर्क में कितना हिस्सा है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष 1989-90 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया है;

(ग) इस अवधि के दौरान विदेशी बैंकों ने देश में अपने व्यापार द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया;

(घ) इन विदेशी बैंकों के नाम क्या हैं और इनमें से अधिकांश लाभ अर्जित करने वाले बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ङ) भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशी बैंकों के बेहतर कार्य निष्पादन के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की तुलना में, भारत में कार्यरत विदेशी बैंक शाखाओं का प्रतिशत 0.2 बैठता है।

(ख) वर्ष 1989-90 के प्रकाशित वार्षिक लेखे के अनुसार न्यू बैंक आफ इण्डिया और यूको बैंक को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के बाकी सभी बैंकों ने लाभ दिखाया है जो समग्रतः 366.88 करोड़ रुपए है।

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान देश मे कार्यरत विदेशी बैंकों ने अपने कार्यचालन से 183.80 करोड़ रुपए का कुल निवल लाभ अर्जित किया है।

(घ) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत कुल 22 विदेशी बैंकों में से छः बैंकों अर्थात अमेरिकन एक्सप्रस, ए० एन० जेड ग्रिंडलेय बैंक, बैंक आफ अमेरिका, सिटिबैंक, हांगकांग बैंक और स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक का निवल लाभा समग्रतः 158.96 करोड़ रुपए था जो भारत में कार्यरत सभी विदेशी बैंको के कुल लाभ का 86.5 प्रतिशत बैठता है।

(ङ) विदेशी बैंकों के बेहतर कार्य निष्पादान, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से है—महानगरों तथा पत्तन शहरों में उनकी अधिकांश शाखाओं का होना, कार्यचालन का यन्त्रीकरण और कम्प्यूटरीकरण, प्राथमिक क्षेत्रों को कम ऋण देना और उच्च स्तर पर गैर निधिगत कारबार।

स्टाक एक्सचेंज इत्यादि के क्षेत्र में खाड़ी युद्ध से उत्पन्न स्थिति

111. **श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाड़ी युद्ध से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए, विशेष रूप से स्टाक एक्सचेंज और अन्य वित्तीय संस्थाओं के क्षेत्र में जिनका भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने विदेशी मुद्रा के संरक्षण, विदेशी मुद्रा का देश में प्रवाह बढ़ाने और खर्च में किफायत करने के लिए पहले ही उपयुक्त कदम उठाए हैं। सरकार ने पेट्रोल की खपत राजकीय मेजबानी, स्टाफ प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दौरों आदि पर होने वाले खर्च को कम-से-कम करने के लिए अनेक किफायती सम्बन्धी उपाय शुरू किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यात को समर्थन देने के लिए ठोस प्रयास करने के वास्ते अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है। यथा सम्भव अधिकतम विदेशी मुद्रा संसाधन जुटाने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने प्रयास जारी रख रहा है ताकि देश की भुगतान संतुलन स्थिति को समर्थन मिल सके इसके अतिरिक्त यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्रोतों से यथासंभव शीघ्र निकासी करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। स्टाक एक्सचेंजों ने भी स्टाक एक्सचेंजों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं।

तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव

112. **श्री पी० एम० सईद : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के पश्चात् तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव कराने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) विधान सभा चुनाव कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) इस समय राज्य में राष्ट्रपति शासन है। तमिलनाडु में विधान सभा के लिए निर्वाचन कराने के बारे में विनिश्चय उपयुक्त समय पर, राज्य की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने इस बीच ऐसे आवश्यक उपाय कर लिए हैं कि वह अल्पकालिक सूचना पर वहां निर्वाचन करा सकता है।

मैं० पेप्सी फूड्स (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा मशीनरी का आयात

113. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैं० पेप्सी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने मैं० फ्रन्च बेरल फूड्स कम्पनी, डल्लास, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमरीका के माध्यम से संयुक्त राज्य अमरीका से आयात की गई मशीनरी के लिए कथित रूप से मूल्य से अधिक बीजक दिखाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा मामले की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) मैं० पेप्सी फूड्स प्रा० लि० द्वारा मैं० फ्रन्च बैरल फूड्स इन्स डल्लास, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमरीका के माध्यम से मशीनरी के आयात के कथित बीजकों के बारे में जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आरम्भ की गई है।

चीन के साथ व्यापार

114. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री सुरेन्द्र सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और चीन के बीच व्यापार हेतु नये क्षेत्रों तथा आयात-निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का पता लगाया गया है;

(ख) क्या हाल की उनकी चीन यात्रा के दौरान कोई नया आश्वासन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) से (ग) आर्थिक सहयोग और व्यापार, विज्ञान एवं टैक्नोलोजी सम्बन्धी संयुक्त मन्त्रिस्तरीय समूह की दूसरी बैठक के सिलसिले में वाणिज्य मन्त्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल पेईचिंग गया था। दोनों पक्ष व्यापार, आर्थिक तथा टैक्नोलोजी सहयोग बढ़ाने की संभावना पर सहमत हुए और उन्होंने इस प्रयोजन हेतु अपनाए जाने वाले आवश्यक उपायों पर विचार-विमर्श किया। बैठक के समापन पर सम्मत कार्यवृत्त और फरवरी, 1991 से फरवरी, 1992 तक की अवधि के लिए व्यापार संलेख पर हस्ताक्षर किए गए।

दोनों पक्षकारों ने द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने और उसके विविधीकरण पर सहमति व्यक्त की।

व्यापार संलेख में भारतीय निर्यात हित की मदों के रूप में आयल फील्ड, रसायन, कृषि-रसायन,

विद्युत उत्पादन उपस्कर, दूरसंचार उपस्कर, फोटो कापियर, रेलवे रौलिंग स्टाक, कंप्यूटर साफ्टवेयर जैसी गैर-परम्परागत मदों को शामिल किया गया है। चीन की निर्यात मदों में कोककर कोयला, आयल ड्रिलिंग उपस्कर, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद शामिल किए गए हैं। इस बात पर सहमति हुई है कि चीन भारत से अपेक्षतया अधिक लोह अयस्क का आयात करेगा और वह कच्ची रेशम तथा रेशम यार्न की अधिक मात्रा हमें सप्लाई करेगा।

दोनों पक्षकार सीमावर्ती व्यापार आरम्भ करने पर सिद्धान्त रूप में राजी हो गए हैं।

विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अलग खण्डपीठ की मांग

115. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की एक अलग खण्डपीठ स्थापित करने के बारे में आंध्र प्रदेश की सामान्य जनता से कोई अभ्यावेदन/मांग केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह पीठ कब तक स्थापित की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की उनके मुख्य स्थान से दूर स्थापना से सम्बन्धित प्रस्ताव पर केवल तभी विचार किया है जब प्रस्ताव सम्बद्ध राज्य सरकार से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात् प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा

116. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से क्रेडिट कार्ड योजना के प्रचालन की समीक्षा करने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो समीक्षा के दौरान किन मुख्य बातों का पता चला है और अगर इसमें कोई कमी है तो उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने नवम्बर, 1990 में, क्रेडिट कार्ड के कारोबार में लगे हुए बैंकों को, अपने-अपने बैंक में क्रेडिट कार्ड योजना के प्रचालन पर व्यापक समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने और ऐसी समीक्षा रिपोर्टों को सम्बन्धित बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इन समीक्षा रिपोर्टों में अन्य बातों के साथ-साथ जारी किए गए और बकाया कार्डों की संख्या, सक्रिय कार्डों

की संख्या, प्रति कार्ड औसत टर्नओवर, कार्ड-धारियों से देय रकमें वसूल करने में लगने वाले औसत समय, क्रेडिट कार्ड कारोबार का लागत लाभ विश्लेषण आदि से सम्बन्धित ब्यौरा दिए जाने की अपेक्षा की जाती है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक को, क्रेडिट कार्ड के कारोबार में लगे हुए कुल बैंकों से ऐसी समीक्षा रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों को देखने से यह पता चलता है कि क्रेडिट कार्ड के कारोबार ने इन बैंकों की समग्र लाभप्रदता और ग्राहक सेवा में योगदान दिया है। सम्बन्धित बैंकों के बोर्डों ने, समीक्षाओं के आधार पर, वसूली में लगने वाले समय को कम करने और अतिदेय खातों पर बारीकी से अनुवर्ती कार्रवाई करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

भारत-चीन सीमा व्यापार

117. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**
प्रो० यदुनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-चीन सीमा व्यापार को कब निलम्बित किया गया था और इसके क्या कारण थे;

(ख) क्या सरकार ने चीन के साथ सीमा व्यापार पुनः शुरू करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए कौन से नए क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) भारत-चीन सीमा व्यापार के कब से पुनः शुरू होने की सम्भावना है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) चीन के साथ दिनांक 29 अप्रैल, 1954 को 8 वर्ष के लिए एक सीमा-व्यापार समझौता किया गया था। चूंकि किसी भी देश ने इस अवधि को और बढ़ाने की इच्छा जाहिर नहीं की, अतः यह समझौता वर्ष 1962 में समाप्त हो गया।

(ख) से (घ) भारत और चीन सीमा व्यापार पुनः आरम्भ करने के लिए सिद्धान्त रूप में तैयार हो गए हैं। वास्तविक रूप में सीमा व्यापार पुनः आरम्भ तभी हो सकता है, जब दोनों देशों के बीच इसके ब्यौरे को आपस में अन्तिम रूप दे दिया जाए।

पूर्वोत्तर राज्यों में भू-सर्वेक्षण

118. **श्री एन० [illegible]बी सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-सर्वेक्षण ने पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मणिपुर और नागालैंड में खनिजों का सर्वेक्षण कराया है या कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मणिपुर और नागालैंड सहित उत्तर-पूर्वी राज्यों में खनिज गवेषण शुरू किया है और उसे आगे जारी रखने का विचार है।

(ख) मणिपुर और नागालैंड में चल रहे खनिज सर्वेक्षण से मणिपुर में जिला उखरूल में सीमेंट ग्रेड चूना-पत्थर और क्रोमाइट/प्लैटिनोइड तथा नागालैंड के जिला पेक, जिफू-वाशेलो क्षेत्र में आधार-धातु के संकेत मिले हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थाई पीठ की स्थापना

119. **श्री एन० टोम्बी सिंह :** क्या विधि और न्याय मंत्री उच्च न्यायालयों की पीठों की स्थापना करने के बारे में 30 मार्च, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थाई पीठों की स्थापना करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सम्बन्धित राज्यों ने इन पीठों की स्थापना हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध करा दी हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पीठों की स्थापना कब तक की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (घ) गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ 5-7-90 से मिजोरम में ऐजोल में स्थापित की जा चुकी है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समाधानप्रद रूप में, अपने-अपने राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के लिए पूर्वापेक्षित अवसरंचनात्मक सुविधाओं के पूरा किए जाने के बारे में, अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। इस विषय में राज्य सरकारों से नियमित रूप से सम्पर्क रखा जा रहा है।

नवम्बर, 1990 से जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान आयात

[हिन्दी]

120. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 नवम्बर, 1990 से 31 जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान आयात की गई वस्तुओं के नाम और उनका मूल्य क्या है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान निर्यात की गई वस्तुओं का मूल्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) दिनांक 10 नवम्बर, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक की अवधि के लिए जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े तारीख-वार नहीं रखे जाते हैं।

"भारत बिजिनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड" में हुआ व्यय

121. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भारत बिजिनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड" के गठन से विघटन तक इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं, जिनसे उक्त राशि निकाली गयी है; और

(ग) सरकार का विचार सम्बन्धित संस्थाओं को किस प्रकार इस धन को वापस करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) बी० बी० आई० एल० की स्थापना से जनवरी, 1991 तक की अवधि के लिए उस पर कुल अनन्तिम व्यय 169.88 लाख रुपए हुआ है।

(ख) इस राशि का भुगतान एम० एम० टी० सी० और एस० टी० सी० द्वारा किया गया और उसे बी० बी० आई० एल० के नामे डाला गया।

(ग) यह व्यय बी० बी० आई० एल० की सहायक कम्पनियों द्वारा अपने-अपने कारोबार के अनुपात के हिसाब से वहन किया जाएगा।

बरेली, उत्तर प्रदेश में बैंक आफ बड़ौदा का जोनल कार्यालय खोला जाना

122. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली, उत्तर प्रदेश में बैंक आफ बड़ौदा का जोनल कार्यालय खोलने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ग) उक्त जोनल कार्यालय कब तक खुल जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख एकक

123. **श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन एककों की स्थापना कब तक की जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) 100% निर्यातोन्मुख एकक उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती है और सरकार अनुमोदन बोर्ड के जरिए इन प्रस्तावों पर केवल विचार करती है।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

[अनुवाद]

124. **श्री पी० सी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त मन्त्रालय के लागत लेखा अध्ययन में सुझाए गए प्राकृतिक रबड़ का "बेंच मार्क मूल्य" कितना है और सरकार द्वारा निर्धारित "बेंच मार्क मूल्य" कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार "बेंच मार्क मूल्य" की पुनरीक्षा करके इसमें वृद्धि करने का है;

(ग) क्या सरकार ने एजेंसियों के माध्यम से "बेंच मार्क मूल्य" पर रबड़ खरीदना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में तथा कृषकों के लिए घोषित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) प्राकृतिक रबड़ के आर० एम० ए-4 ग्रेड बेंच मार्क कीमत, जिसकी वित्त मन्त्रालय के लागत लेखा अध्ययन द्वारा सिफारिश की गई है और जो सरकार ने दिनांक 15-1-1991 से निर्धारित की है, वह है 21,450 रुपए प्रति मीट्रिक टन।

(ग) और (घ) सरकार ने एस० टी० सी० को आर० एम० ए-5 ग्रेड की प्राकृतिक रबड़ खरीदने की सलाह दी है और एस० टी० सी० ने एजेन्सियों के जरिए बाजार में उपलब्ध सर्वाधिक कीमत पर यह रबड़ खरीदना शुरू कर दिया है।

खाड़ी संकट का व्यापार पर प्रभाव

[हिन्दी]

125. **प्रो० यदुनाथ पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान खाड़ी संकट के परिणामस्वरूप आई भारत और विदेशी व्यापार में मन्दी के कारण किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इससे कुल कितनी क्षति हुई है;

(ख) इससे किन-किन देशों के साथ व्यापार सम्बन्धी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इन देशों के साथ विनिमय होने वाले माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन देशों के साथ अपने व्यापार सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) यह अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें 25 अमरीकी डालर प्रति बैरल मान ली जाए तो भुगतान सन्तुलन पर अक्तूबर, 1990 से 12 महीनों से खाड़ी युद्ध का कुल प्रभाव 2.8 बिलियन अमरीकी डालर का होगा।

(ख) और (ग) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा इराक और कुवैत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबन्धों के परिणामस्वरूप इन देशों के साथ व्यापार बन्द कर दिया गया है। व्यापार पर प्रतिबन्ध से पहले इन देशों से आयात की जाने वाली मदों में कच्चा तेल, सल्फर और रासायनिक पदार्थ शामिल हैं। इन देशों को निर्यात की जाने वाली मदों में इन्जीनियरी वस्तुएं, चावल, चाय, मसाले, वस्त्र, संसाधित खाद्य आदि शामिल हैं। इराक और कुवैत पर व्यापार पर रोक हटने के बाद हमारे व्यापार सम्बन्ध सामान्य हो जाएंगे।

बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

126. **श्री जनार्दन यादव** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार और आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के कार्य को सरकार ने पहले ही सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया है। "सेल" का इस योजना को दो चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव है। सरकार को प्रथम चरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसका मुख्य उद्देश्य सतत् इस्पात ढलाई तकनीक और सुविधाएं स्थापित करना है। इस समय इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है। यदि यह प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया गया तो इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

"इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड" से कर्मचारियों को निलम्बित किया जाना

[अनुवाद]

127. **श्री कमल चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय तथा इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड में 5 वर्ष से भी अधिक समय से कितने-कितने कर्मचारी निलम्बित हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी सरकारी निर्देशों/अनुदेशों की अपेक्षा करके इन्हें इतनी लम्बी अवधि तक निलम्बित रखने तथा प्रत्येक मामले में जांच प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात् भी निलम्बन आदेश वापिस न लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) निलम्बित कर्मचारियों को इस कारण से अनावश्यक रूप से हो रही कठिनाइयों से बचाने के लिए तथा निलम्बित कर्मचारियों को बिना कार्य किए दिए जा रहे वेतन के कारण सरकार को हो रहे घाटे से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) वाणिज्य मन्त्रालय के 2 (दो) कर्मचारी और भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का। (एक) कर्मचारी 5 वर्ष से अधिक समय से निलम्बित हैं।

(ख) वाणिज्य मन्त्रालय में कार्यरत दो कर्मचारियों का आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन पर दोष सिद्धि के फलस्वरूप निलम्बित कर दिया गया था। इस मामले में उन्हें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की अदालत में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चार्ज शीट किया गया था। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लम्बित है क्योंकि अभियुक्त कर्मचारियों ने उच्चतर न्यायालयों में अपील कर दी।

आई० आई० एफ० टी० के कर्मचारी के जांच को पूरा करने में असहयोगी रवैये के कारण निलम्बित चल रहा है। उसने जांच के विरुद्ध 1985 में घोषणा और व्यादेश (इन्जक्शन) के लिए दावा दायर किया। कुछ बीच की अवधि के लिए न्यायालय ने जांच को रोक दिया था। मई, 1988 में व्यादेश के खत्म होने के बाद भी यह जांच आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि अभियुक्त अधिकारी किसी न किसी बहाने से जांच की कार्यवाही होने में बाधा डालता रहा है। इन बहानों में शामिल जांच अधिकारी सहित जांच से सम्बन्धित लगभग सभी व्यक्तियों के विरुद्ध पक्षपात का आरोप आदि। इस कारण कई बार जांच अधिकारियों को भी बदलना पड़ा। पक्षपात के आरोप से निपटने के लिए वाणिज्य मन्त्रालय में निदेशक स्तर के एक अधिकारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। जांच अधिकारी की रिपोर्ट इस समय अनुशासनिक प्राधिकारी के विचाराधीन है।

(ग) इन कर्मचारियों के निलम्बन को इस विषय पर सरकारी निर्देशों/अनुदेशों को ध्यान में रखकर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और इसके साथ ही निलम्बित अधिकारियों को होने वाली कठिनाई तथा उनके कोई काम नहीं करने पर भी उन्हें निर्वाह भत्ते के भुगतान से सरकार को होने वाली हानि को भी ध्यान में रखा जा रहा है। निलम्बित अधिकारियों को सरकारी नियमों के अनुसार स्वीकार्य निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है।

बैंकों में जालसाजी के मामले

128. **श्री कमल चौधरी :**
श्री के० डी० सुल्तानपुरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान बैंकों में पाए गए/पकड़े गए जालसाजी मामलों की संघ राज्य क्षेत्र/राज्य-वार तथा बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों में शामिल धनराशि का संघ राज्य क्षेत्र/ राज्यवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विभिन्न मामलों में लिप्त बैंक अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(घ) दोषी पाए गए बैंक अधिकारियों की संख्या का संघ राज्य क्षेत्र/राज्यवार और बैंकवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान इन अधिकारियों से कितनी धनराशि वसूल की गई?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्तमान प्रबन्धन सूचना प्रणाली बैंक धोखाधड़ियों की

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूचना प्रदान नहीं करती है। तथापि, वर्ष 1990 के दौरान सरकारी क्षेत्र की बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ियों की संख्या एवं अन्तर्ग्रस्त धनराशि दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। 1990 के दौरान जिन बैंक कर्मचारियों को धोखाधड़ियों के लिए दण्ड दिया गया, और जिनके विरुद्ध कार्रवाई लम्बित है उनका बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंक कर्मचारियों से की गई वसूलियों के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार जैसा कि वाणिज्य बैंकों द्वारा उसे सूचित किया गया है, दिसम्बर 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान लगभग 795 लाख रुपए की राशि वसूल की गई है। यह वसूली की राशि विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के पास लम्बित धोखाधड़ियों के सभी मामलों के बारे में है, केवल 1990 के लिए नहीं।

विवरण-1

वर्ष 1990 के दौरान धोखाधड़ियों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि का बैंकवार ब्यौरा

क्रम सं०	बैंक का नाम	धोखाधड़ियों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक	506	990.94
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	32	113.94
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	24	74.16
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	13	335.60
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	34	30.86
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	12	36.04
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	8	21.87
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	11	33.77
9.	इलाहाबाद बैंक	31	24.97
10.	आंध्रा बैंक	38	799.40
11.	बैंक आफ बड़ौदा	80	181.83
12.	बैंक आफ इण्डिया	81	255.73
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	6	979.19
14.	केनरा बैंक	156	2295.96

1	2	3	4
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	50	148.63
16.	कारपोरेशन बैंक	17	49.16
17.	देना बैंक	22	24.35
18.	इण्डियन बैंक	45	87.10
19.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	46	11.04
20.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	25	774.63
21.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	12	26.10
22.	पंजाब नेशनल बैंक	63	268.40
23.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	15	33.70
24.	सिंडिकेट बैंक	113	123.36
25.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	59	343.70
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	42	17.36
27.	यूको बैंक	29	131.88
28.	विजया बैंक	33	1069.81

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

विवरण-2

धोखाधड़ियों में लिप्त होने के कारण दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 1990 (केवल सितम्बर तक) के दौरान की गयी कार्रवाई का बैंकवार ब्यौरा

क्रम सं०	बैंक का नाम	दोष सिद्ध कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें बड़ा/छोटा दण्ड दिया गया	इनमें से (कालम 4) उन कर्मचारियों की सं० जिन्हें बरखास्त/पद मुक्त/हटाया गया	उन कर्मचारियों की सं० जिनके विरुद्ध अदालती कार्रवाई लंबित है	उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई लम्बित है
1	2	3	4	5	6	7
1.	भारतीय स्टेट बैंक	45	141	68	144	342
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	—	30	6	11	51
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	2	1	1	17	22
4.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर	—	—	—	5	23
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	—	11	10	2	16
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	—	9	6	9	4

1	2	3	4	5	6	7
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	—	6	1	14	10
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	2	9	7	1	24
9.	इलाहाबाद बैंक	—	76	12	12	29
10.	आन्ध्रा बैंक	1	21	3	16	79
11.	बैंक आफ बड़ौदा	1	16	9	49	52
12.	बैंक आफ इण्डिया	—	18	5	10	31
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	—	2	1	9	14
14.	केनरा बैंक	—	27	16	6	71
15.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	—	22	19	37	21
16.	कारपोरेशन बैंक	—	7	4	11	11
17.	देना बैंक	—	21	11	21	39
18.	इण्डियन बैंक	18	34	6	14	63
19.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	—	23	14	18	40
20.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	—	15	—	21	38
21.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	—	4	2	9	11
22.	पंजाब नेशनल बैंक	—	22	16	53	62
23.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक	—	4	—	—	19

1	2	3	4	5	6	7
24.	सिंडिकेट बैंक	1	43	21	18	75
25.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	—	24	14	—	15
26.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	—	16	9	35	66
27.	यूको बैंक	4	13	2	44	28
28.	विजया बैंक	—	7	1	46	10

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

नयी आयात-निर्यात नीति के सम्बन्ध में पंजाब का अभ्यावेदन

129. **श्री कमल चौधरी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को नयी आयात-निर्यात नीति के सम्बन्ध में पंजाब से कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुद्दों को उठाया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दे निर्यात घराने को मान्यता देने के लिए जो न्यूनतम निर्धारित सीमा 4 करोड़ रुपए की है उसे घटाकर 2 करोड़ रुपए तक (एन० एफ० ई० आधार पर) करने से सम्बन्धित है। सरकार ने इस मुद्दे पर विचार किया था। लेकिन इस सुझाव को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया।

दक्षिण में वनों का विनाश

130. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि दक्षिण के राज्यों में व्यवस्थित रूप से वन संपदा नष्ट की गई है; और

(ख) यदि हां, तो दक्षिण में वनों और वन्यजीवों को नष्ट करने में जिससे पर्यावरण सम्बन्धी समस्याएं पैदा होती हैं, व्यापक रूप से रत अपराधियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राज्य सरकारें वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के कार्य की देखभाल करती है। दक्षिण के राज्यों में वन सम्पदा की सुनियोजित तरीके से विनाश किए जाने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु विनाश के बारे में जिन विशेष मामलों की रिपोर्ट मिल रही है राज्य सरकारें उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई करती है और जैसा उचित होता है दण्डात्मक कार्रवाई करती है।

विदेशों से आने वाले व्यक्तियों को परेशान करना

131. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री विदेश से आने वाले व्यक्तियों को कस्टम अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के बारे में 31 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3946 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक इस बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसे सभा पटल पर कब रखा जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो सूचना एकत्र करने में हुई देरी के क्या कारण है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) दिनांक 31-8-90 के प्रश्न संख्या 3946 के उत्तर में दिए गए आश्वासन के प्रत्युत्तर में सूचना को सभा पटल पर रखने के लिए लोक सभा सचिवालय से, 28-2-91 तक का समय मांगा गया था। सूचना संकलित हो जाने के बाद, उसे 31-3-91 तक सभा पटल पर रख दिए जाने की सम्भावना है।

(ग) इस सूचना को विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से एकत्रित किया जाना था जिन्हें गत 2 वर्षों के सभी रिकार्डों की छान-बीन करनी पड़ती है।

आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन

132. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत आयात और निर्यात पर नियंत्रण रखने के लिए प्रावधान करने हेतु मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ऐसे प्रत्यायोजन आदेशों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रखने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 19-7 की धारा 3 के अन्तर्गत मुख्य नियत्रक, आयात-निर्यात को शक्तियों के प्रत्यायोजन के मामले की सक्रिय रूप से जांच की जा रही है और जैसे ही इसे अन्तिम रूप दिया जाएगा, उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरों में संशोधन

133. **श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रमुख खनिजों पर रायल्टी की दरों में संशोधन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और दरों में संशोधन कब तक हो जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) विभिन्न खनिजों (कोयला, लिग्नाइट और भराई बालू को छोड़कर) की रायल्टी दरों में पिछला संशोधन 5-5-1987 से किया गया था।

(ख) खनिजों पर विद्यमान रायल्टी दरें संलग्न विवरण में दी गयी हैं।

(ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3) के

अनुसार, केन्द्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी खनिज पर देय रायल्टी दर में इस शर्त के साथ घट-बढ़ कर सकती है, कि किसी खनिज की रायल्टी दर में तीन वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक घट-बढ़ नहीं की जाएगी। अत: कोयला, लिग्नाइट और भराई बालू को छोड़कर, किसी खनिज की रायल्टी दर में घट-बढ़ केवल 5-5-1990 से ही अनुज्ञेय हुई है। केन्द्र सरकार द्वारा अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है कि कोयला, लिग्नाइट और भराई बालू को छोड़कर, खनिजों पर रायल्टी दरों में संशोधन किया जाए अथवा नहीं।

विवरण

1 द्वितीय अनुसूची

(देखें खण्ड 9)

रॉयल्टी दरें

1. एगेट	पचपन रुपए प्रति टन
2. सभी बहुमूल्य और कम मूल्य के रत्न (एगेट और हीरे के सिवाय)	गर्तमुख पर विक्रय कीमत का बीस प्रतिशत
3. एपाटाइट और शैल फास्फेट :	
(क) 27% पी$_2$ ओ$_5$ से अधिक युक्त अयस्क	पैंतालीस रुपए प्रति टन
(ख) 20% पी$_2$ ओ$_5$ से 27% पी$_2$ ओ$_5$ तक का अयस्क	पच्चीस रुपए प्रति टन
(ग) 20% से कम पी$_2$ ओ$_5$ युक्त अयस्क	दस रुपए प्रति टन
4. ऐस्बेस्टास :	
(क) क्रिसोटाइल	दो सौ पिचासी रुपए प्रति टन
(ख) ऐम्फिबोल	पन्द्रह रुपए प्रति टन
5. बैराइट्स :	
(क) श्वेत (हिमश्वेत और उच्चतर हिमश्वेत सहित)	बीस रुपए प्रति टन
(ख) आफ कलर	दस रुपए प्रति टन
6. बाक्साइट	दस रुपए प्रति टन

1. दिनांक 5-5-1987 के सा०का०नि० 458(ङ) द्वारा प्रतिस्थापित।

7. काडमियम	एक टन अयस्क में काडमियम धातु के प्रति एक प्रतिशत पर सोलह रुपए और आनुपातिक आधार पर।
8. कैल्साइट	पन्द्रह रुपए प्रति टन
9. चीनी मिट्टी : जिसे काओलिन भी कहा जाता है (जिसके अन्तर्गत बालकलें भी हैं) और श्वेत शेल :	
(क) अपरिष्कृत	आठ रुपए प्रति टन
(ख) प्रसंस्कृत जिसके अन्तर्गत धुली हुई भी हैं	पैंतीस रुपए प्रति टन
10. क्रोमाइट (संपीडित अचूर्णशील अयस्क और सान्द्र दोनों) :	
(क) जिसमें 48% सी० आर०$_2$ ओ$_3$ और उससे अधिक हो	साठ रुपए प्रति टन
(ख) जिसमें 48% से कम सी० आर०$_2$ ओ$_3$ और 40% से अधिक सी० आर$_2$ ओ$_3$ हो	तीस रुपए प्रति टन
(ग) 30% से 40% से कम सी० आर०$_2$ ओ$_3$ हो	बीस रुपए प्रति टन
(घ) 30 से कम सी० आर०$_2$ ओ$_3$ हो	पांच रुपए प्रति टन
11. कोयला :	
(I) ग्रुप-1 कोयला :	
(क) कोककारी कोयला स्टील ग्रेड-1 स्टील ग्रेड-2 धोवनशाला ग्रेड-1	सात रुपए प्रति टन
(ख) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित हस्तायित कोयला	—वही—
(II) ग्रुप-2 कोयला :	
(क) कोककारी कोयला धोवनशाला ग्रेड-2 कोककारी कोयला धोवनशाला ग्रेड-3	छः रुपए पचास पैसे प्रति टन

(ख) अर्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-1 अर्ध-कोककारी कोयला ग्रेड-2	—वही—
(ग) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड क गैर-कोककारी कोयला ग्रेड ख	—वही—
(घ) असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में उत्पादित, उन्नयित आर० ओ० एम० कोयला	—वही—
(III) ग्रुप-3 कोयला :	
(क) कोककारी कोयला धोवनशाला ग्रेड-2	पांच रुपए पचास पैसे प्रति टन
(ख) गैर-कोककारी कोयला ग्रेड ग	—वही—
(IV) ग्रुप-4 कोयला :	
गैर-कोककारी कोयला ग्रेड घ गैर-कोककारी कोयला ग्रेड ङ	चार रुपए तीस पैसे प्रति टन
(V) ग्रुप-5 कोयला :	
गैर-कोककारी कोयला ग्रेड च गैर-कोककारी कोयला ग्रेड छ	दो रुपए पचास पैसे प्रति टन
(VI) ग्रुप-6 कोयला :	
आन्ध्र प्रदेश में उत्पादित कोयला (सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी लिमिटेड)	पांच रुपए प्रति टन

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए कोयले के ऐसे प्रत्येक ग्रड का विनिर्देश वैसा होगा जैसाकि कोयला खान नियन्त्रण आदेश 1945 के खण्ड 3 के अधीन विहित है।

12. ताम्र अयस्क	एक टन अयस्क में ताम्र धातु के प्रति एक प्रतिशत पर पांच रुपए और आनुपातिक आधार पर
13. कुरंडम	एक सौ दस रुपए प्रति टन
14. हीरा	गर्तमुख पर विक्रय कीमत का पन्द्रह प्रतिशत
15. डायास्पोर	तीस रुपए प्रति टन
16. डोलोमाइट	आठ रुपए प्रति टन

17. फेल्सपार	छः रुपए प्रति टन
18. अग्निसह मृत्तिका (जिसमें प्लास्टिक पाइप, अश्ममुद्रणीय और प्राकृतिक (पोजोलेनिक) मृत्तिका भी है)	पांच रुपए प्रति टन
19. फ्लुओरस्पार (जिसे फ्लुओराइट भी कहा जाता है) :	
(क) 85% या अधिक सीएएफ$_2$ युक्त	एक सौ दस रुपए प्रति टन
(ख) 70% या उससे अधिक सीएएफ$_2$ या उससे अधिक किन्तु 85% सीएएफ$_2$ से कम	पचहत्तर रुपए प्रति टन
(ग) 30% या उससे अधिक सीएएफ$_2$ किन्तु 70% सीएएफ$_2$ से कम	पचास रुपए प्रति टन
(घ) 30% सीएएफ$_2$ या उससे कम	बीस रुपए प्रति टन
20. गार्नेट (अपघर्षक)	पन्द्रह रुपए प्रति टन
21. स्वर्ण	अयस्क के प्रति टन में स्वर्ण प्रत्येक ग्राम पर दो रुपए और आनुपातिक आधार पर
22. ग्रेफाइट :	
(क) 80% या उससे अधिक नियत कार्बन सहित	पचहत्तर रुपए प्रति टन
(ख) 40% या अधिक नियत कार्बन सहित किन्तु 80% नियत कार्बन से कम	चालीस रुपए प्रति टन
(ग) 20% या अधिक नियत कार्बन सहित किन्तु 40% नियत कार्बन से कम	पन्द्रह रुपए प्रति टन
(घ) 20% नियत कार्बन से कम	दस रुपए प्रति टन
23. जिप्सम	आठ रुपए प्रति टन
24. इलमेनाइट	दस रुपए प्रति टन
25. लोहा	

(i) अयस्क लम्पस :	
(क) जिसमें 65 प्रतिशत या अधिक लोहा हो	छः रुपए प्रति टन
(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 65 प्रतिशत से कम लोहा हो	तीन रुपए पचास पैसे प्रति टन
(ग) जिसमें 60 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 62 प्रतिशत से कम लोहा हो	दो रुपए पचास पैसे प्रति टन
(घ) 60 प्रतिशत से कम	दो रुपए प्रति टन
(ii) अयस्क चूर्ण :	
(अ) चूर्ण (जिसमें अयस्क के खनन और चिक्कणा किए जाने के अनुक्रम में उत्पादित प्राकृतिक चूर्ण भी है।	
(क) जिसमें 65 प्रतिशत या उससे अधिक लोहा हो	तीन रुपए पचास पैसे प्रति टन
(ख) जिसमें 62 प्रतिशत या उससे अधिक लोहा हो किन्तु 65 प्रतिशत से कम लोहा हो	दो रुपए प्रति टन
(ग) जिसमें 62 प्रतिशत से कम लोहा हो	एक रुपए पचास पैसे प्रति टन
(आ) निम्न ग्रेड अयस्क जिसमें 40 प्रतिशत या उससे कम लोहा हो के सज्जीकरण और/या सांद्रण द्वारा निर्मित सांद्रण	पचास पैसे प्रति टन
26. कायमाइट और एण्डालुसाइट	चालीस रुपए प्रति टन
27. सीसा अयस्क	एक टन अयस्क में धातु के प्रति एक प्रतिशत पर तीन रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
28. चूना खोल (चूनेदार और बालू खड़िया सहित)	दस रुपए प्रति टन

29. चूना पत्थर (जिसमें चूना कंकड़ भी हैं)	दस रुपए प्रति टन
30. मैग्नेजाइट	दस रुपए प्रति टन
31. मैंग्नीज अयस्क :	
(क) मैंग्नीज डाइआक्साइड (जिसमें 78 प्रतिशत या अधिक एमएनओ$_2$ और 4 प्रतिशत या अधिक लोहा है)	पैंतालीस रुपए प्रति टन
(ख) 46 प्रतिशत एमएन और उससे अधिक	पन्द्रह रुपए प्रति टन
(ग) 35 प्रतिशत एमएन और उनसे अधिक किन्तु 46 प्रतिशत एमएन	नो रुपए प्रति टन
(घ) 35 प्रतिशत एमएन से कम किन्तु 25 प्रतिशत एमएन से ऊपर	छः रुपए प्रति टन
(ङ) 25 प्रतिशत एमएन और उससे कम	दो रुपए प्रति टन
32. अभ्रक :	
(क) अपरिष्कृत अभ्रक	दस रुपए प्रति 100 कि०ग्रा०
(ख) गहरे अभिरंजित, घने अभिरंजित या बिन्दुयुक्त दूसरी क्वालिटी से भिन्न सभी प्रकार का समाकर्तित अभ्रक	साठ रुपए प्रति 100 कि०ग्रा०
(ग) गहरा अभिरंजित, घना अभिरंजित या बिन्दुयुक्त दूसरी क्वालिटी का समाकर्तित अभ्रक	तीस रुपए प्रति कि०ग्रा०
(घ) अभ्रक अपशिष्ट और कतरन	चार रुपए प्रति 100 कि०ग्रा०
(ङ) अपशिष्ट गोले	पांच रुपए प्रति 100 कि०ग्रा०
33. मानेजाइट	चालीस रुपए प्रति टन
34. निकल अयस्क	एक टन में निकल धातु के प्रति एक प्रतिशत पर दो रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
35. ओकर	छः रुपए प्रति टन

36. पाइराइट्स	एक टन में गंधक युक्त पाइराइट्स के एक टन पर पच्चीस पैसे प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
37. पाइरोफीलाइट	दस रुपए प्रति टन
38. क्वार्टज और सिलिका बालू और सांचा बालू	पांच रुपए प्रति टन
39. क्वार्टजाइट	पांच रुपए प्रति टन
40. रूटाइल	एक सौ रुपए प्रति टन
41. भराई के लिए बालू	चालीस पैसे प्रति टन
42. सेलेनाइट	बीस रुपए प्रति टन
43. सिलीमेनाइट	पचास रुपए प्रति टन
44. चांदी	एक सौ पचास रुपए प्रति कि०ग्रा० धातु
45. स्लेट	अठारह रुपए प्रति टन
46. टेल्क, स्टीटाइट और सोपस्टोन :	
(क) कीटनाशक ग्रेड	दस रुपए प्रति टन
(ख) कीटनाशक ग्रेड से भिन्न	तीस रुपए प्रति टन
47. टंगस्टन अयस्क	प्रति टन में डब्ल्यूओ$_3$ की प्रति प्रतिशतता युक्त अयस्क बारह रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
48. वरमीक्यूलाइट	आठ रुपए प्रति टन
49. वोलास्टोनाइट	तीस रुपए प्रति टन
50. जस्ता अयस्क	अयस्क के प्रति टन में जस्ता धातु की प्रतिशतता छः रुपए प्रति यूनिट और आनुपातिक आधार पर
51. तुरसावा	नब्बे रुपए प्रति टन
52. सभी अन्य खनिज जो इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	गर्तमुख पर विक्रय कीमत का दस प्रतिशत

राज्यों में तलाकशुदा पत्नियों के भरण-पोषण के मामले

134. डा० ए० के० पटेल :
श्री लाल कृष्ण आडवाणी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में, वर्षवार तथा राज्यवार, विभिन्न न्यायालयों में तलाकशुदा पत्नियों के भरण-पोषण सम्बन्धी मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने मामले निपटाए गए हैं; और

(ग) सभी लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी; और

(ग) न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या घटाने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। बकाया मामलों की समस्या का गहन अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित बकाया मामला समिति की सिफारिशें आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अधीन कुछ राज्य सरकारों ने अभी तक कुटुम्ब न्यायालय स्थापित नहीं किए हैं, ऐसी राज्य सरकारों से ऐसे न्यायालय स्थापित करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है।

रुग्ण इकाइयों को बैंक ऋण

[हिन्दी]

135. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक बड़े उद्योगपति करोड़ों रुपए के बैंक ऋण प्राप्त करके उद्योग स्थापित करते हैं और उन्हें रुग्ण घोषित कर देते हैं और पुनः ऋण के लिए आवेदन करते हैं;

(ख) क्या इन उद्योगपतियों के विरुद्ध ऋण लेने के कुछ मामले अदालतों में लम्बित पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार को ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थाएं ऐसे उद्योगों को सहायता देती है जो राष्ट्रीय विकास योजना में निर्धारित राष्ट्रीय प्राथमिकता के अनुरूप होती हैं। प्रत्येक परियोजना का मूल्यांकन तकनीकी क्षमता और वाणिज्यिक लाभप्रदता, वित्तीय सुदृढ़िता, प्रबन्धकीय सक्षमता आदि के आधार पर किया जाता है और केवल उन्हीं परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं। इन मानदण्डों को ध्यान में रखकर, पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित परियोजनाओं, नए और तकनीकी दृष्टि से अर्हता प्राप्त उद्यमियों द्वारा प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान करने की क्षमता वाली परियोजनाओं और उन परियोजनाओं को जो निर्यात उन्मुख और आयात प्रतिस्थापना से सम्बन्धित हों, तो तरजीह दी जाती है। सहायता की मंजूरी देते समय संस्थान सामान्यतः प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि और पूर्ववृत्त की जानकारी लेते हैं और यह भी देखते

हैं कि दूसरी इकाइयों को चलाने में उनका रिकार्ड कैसा है। वित्तीय संस्थाओं में एक पृथक कक्ष भी है जो रुग्ण या रुग्णता के प्रारम्भिक लक्षण वाले मामलों को देखता है। ये कक्ष सहायता प्राप्त इकाइयों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं का बारीकी से निगरानी करते हैं और आवश्यकता पर आधारित उपचारात्मक उपाय करते हैं।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने आगे सूचित किया है कि जब रुग्ण एकक के पुनरुद्धार के सभी उपाय विफल हो जाते हैं तो संस्थान ऋणों की वसूली के लिए मामलों को न्यायालय में ले जाते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य भागीदार संस्थाओं/बैंकों के बड़े उद्योगपतियों के ऋणों के कुछ मामले न्यायालयों में लम्बित हैं।

ऋण शिविर

136. **श्री राम लाल राही : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1989 से अब तक कितने ऋण शिविर आयोजित किए गए;

(ख) इन ऋण शिविरों में प्रत्येक बैंक ने कितनी ऋण राशि वितरित की है;

(ग) क्या इन बैंकों द्वारा वितरित ऋण की वसूली की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऋणों की वसूली करने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ग्राम स्तर पर, उन जगहों पर ऋण कैम्प आयोजित किए जा सकते हैं, जहां हिताधिकारियों की सूची को ऋणों की स्वीकृति के चरण तक अन्तिम रूप दिया जा सकता है ; इस स्कीम से सम्बन्धित आंकड़ा सूचना प्रणाली से इसके लिए लगाए गए ऋण कैम्पों की संख्या सम्बन्धी सूचना प्राप्त नहीं होती है। कमजोर वर्गों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए बैंक अपने आप भी ऋण कैम्पों का आयोजन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋणों की वसूली की प्रतिशतता गत वर्ष 39 प्रतिशत थी।

अनुसूचित जाति के बैंक कर्मचारियों से अभ्यावेदन

137. **श्री राम लाल राही : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बैंक में कार्य करने वाले अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों और अधिकारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उनको तंग किए जाने की शिकायत की गई है;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से अब तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) इन अधिकारियों/कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी है; तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में लघु उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

138. **श्री रामदास सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को लघु उद्योग शुरू करने हेतु बैंकों से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो गिरिडीह और धनबाद जिलों के ग्रामीण व्यक्तियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसने बैंकों को, लघु उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा है। पर्याप्त ऋण सुविधाएं समय पर मन्जूर करने की दृष्टि से, बैंको को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे शाखा प्रबन्धकों को पर्याप्त विवेकाधिकार प्रदान करें और ऐसे ऋण प्रस्तावों पर कार्रवाई करते समय, सही समय-अनुशासन को लागू करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने, इच्छुक ऋणकर्ताओं द्वारा भरे जाने वाले आवेदनों के लिए सरल प्रपत्र निर्धारित किए हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बन्द की अपनी पुनर्वित्तयोजना के तहत लघु औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एककों को सहायता प्रदान कर रहा है। अप्रैल से दिसम्बर, 1990 की अवधि में, बिहार के गिरीहीड तथा धनबाद जिलों में स्थित लघु एककों को क्रमशः 26.51 लाख और 392.31 लाख रुपए की पुनर्वित सहायता दी गयी। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि बिहार में, लघु औद्योगिक क्षेत्र में, ऋण खातों की संख्या और उनमें अन्तर्ग्रस्त बकाया बैंक ऋण की राशि में वृति का संकेत मिलता है।

भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा बिजली के बकाया बिलों का भुगतान

139. **श्री प्यारेलाल खण्डेलवाल** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात संयंत्र पर मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड की कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा अब तक इस राशि का भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को देय बकाया राशि से सम्बन्धित मामले को 17 फरवरी, 1991 को भिलाई इस्पात संयंत्र तथा मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की पारस्परिक सहमति से निपटा लिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को देय बकाया राशि का भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भुगतान कर दिया गया है और अब मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को कोई बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाना है।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित निर्वाचन-याचिका

140. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले लोक सभा और विधान सभा चुनावों सम्बन्धी कितनी निर्वाचन याचिकाएं उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में, न्यायालय-वार, दायर की गई; और

(ख) विभिन्न उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में ऐसी कितनी-कितनी याचिकाएं लम्बित पड़ी हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचन से सम्बन्धित निर्वाचन अर्जियां, उच्च न्यायालयों में फाइल की जाती हैं और ऐसी निर्वाचन अर्जियों में उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपीलें केवल उच्चतम न्यायालय में की जाती हैं। तारीख 13-2-1 91 को विद्यमान स्थिति के अनुसार, नवम्बर, 1989 और फरवरी-मार्च, 1990 में लोक सभा और विधान सभा के लिए हुए निर्वाचनों के सम्बन्ध में विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में फाइल की गयी, निपटाई गई और लम्बित निर्वाचन अर्जियों और अपीलों को दर्शाने वाले तीन विवरण, (विवरण 1, विवरण-2, विवरण-3) जो निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं, संलग्न हैं।

विवरण-1

लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 1989

उच्च न्यायालय में फाइल की गई, निपटाई गई और लम्बित निर्वाचन अर्जियों तथा उच्चतम न्यायालय में अपीलों की संख्या।

(तारीख 13-2-1991 को यथा विद्यमान)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जियां			उच्चतम न्यायालय में अपील		
		फाइल की गई	निपटाई गई	लम्बित	फाइल की गई	निपटाई गई	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	—	2	—	—	—
2.	बिहार	8	2	6	1	—	1
3.	गोवा	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गुजरात	1	—	1	—	—	—
5.	हरियाणा	6	3	3	1	1	—
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
7.	कर्नाटक	2	—	2	—	—	—
8.	केरल	3	3	—	2	—	2
9.	मध्य प्रदेश	6	2	4	—	—	—
10.	महाराष्ट्र	9	2	7	4	2	2
11.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—
12.	उड़ीसा	1	1	—	—	—	—
13.	पंजाब	2	2	—	1	—	1
14.	राजस्थान	2	—	2	—	—	—
15.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
16.	तमिलनाडु	1	—	1	—	—	—
17.	त्रिपुरा	2	1	1	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	13	1	12	—	—	—
19.	पश्चिमी बंगाल	1	—	1	—	—	—
20.	दादर, नागर और हवेली	—	—	—	—	—	—
21.	दमन और दीव	2	2	—	1	—	1
22.	दिल्ली	2	2	—	—	—	—
	योग :	63	21	42	10	3	7

विवरण-2

विधान सभाओं के लिए नवम्बर, 1989 में हुए साधारण निर्वाचन

उच्च न्यायालय में फाइल की गई, निपटाई गई और लम्बित निर्वाचन अर्जियों तथा उच्चतम न्यायालय में अपीलों की संख्या।

(तारीख 13-2-1991 को यथा विद्यमान)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्च न्यायालय में निर्वाचन अर्जियां			उच्चतम न्यायालय में अपील		
		फाइल की गई	निपटाई गई	लम्बित	फाइल की गई	निपटाई गई	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	31	8	23	3	2	1
2.	गोवा	4	1	3	—	—	—
3.	कर्नाटक	18	1	17	—	—	—
4.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—
5.	उत्तर प्रदेश	32	4	28	1	—	1
	योग :	85	14	71	4	2	2

विवरण-3

विधान सभाओं के लिए फरवरी/मार्च, 1990 में हुए साधारण निर्वाचन

उच्च न्यायालय में फाइल की गई, निपटाई गई और लम्बित निर्वाचन अर्जियां तथा उच्चतम न्यायालय में अपीलों की संख्या।

(तारीख 13-2-1991 को यथा विद्यमान)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उच्चतम न्यायालय में निर्वाचन अर्जियां			उच्चतम न्यायालय में अपीलें		
		फाइल की गई	निपटाई गई	लम्बित	फाइल की गई	निपटाई गई	लम्बित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	—	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	बिहार	55	2	53	2	1	1
3.	गुजरात	11	1	10	—	—	—
4.	हिमाचल प्रदेश	4	1	3	—	—	—
5.	मध्य प्रदेश	49	1	48	—	—	—
6.	मणिपुर	1	—	1	—	—	—
7.	महाराष्ट्र	33	1	32	3	3	—
8.	उड़ीसा	5	2	3	—	—	—
9.	राजस्थान	19	1	18	—	—	—
10.	पांडिचेरी	2	—	2	—	—	—
	योग :	181	9	172	5	4	1

मध्य प्रदेश की गोविन्दपुरा-सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय मन्जूरी

141. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने गुना जिले में गोबिन्दपुरा सिंचाई परियोजना सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और इस प्रस्ताव को पर्यावरणीय मन्जूरी हेतु केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को अब तक पर्यावरणिक मन्जूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक मन्जूरी दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) लघु सिंचाई योजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति लेना अपेक्षित नहीं है। इसलिए, गोविन्दपुरा टैंक सिंचाई परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए मन्त्रालय को नहीं भेजा गया है।

लेकिन वन की दृष्टि से इस प्रस्ताव के सितम्बर, 1990 में स्वीकृति दी गई है।

मध्य प्रदेश में निर्यातोन्मुख यूनिटों की स्थापना

[अनुवाद]

142. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने निर्यातोन्मुख यूनिट स्थापित किए गए हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके प्रमोटर कौन-कौन से हैं, उनका परिव्यय और उनकी निर्यात प्रतिबद्धता क्या है;

(ख) कौन-कौन से यूनिट अपनी निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा करने में सक्षम रहे हैं, और गत तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि का निर्यात किया गया;

(ग) कौन-कौन से यूनिट अपनी निर्यात प्रतिबद्धता पूरा नहीं कर पाए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि निर्यातोन्मुख यूनिटों का कार्यनिष्पादन अच्छा हो और वे अपनी निर्यात प्रतिबद्धता को पूरा कर सकें ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (घ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) मध्य प्रदेश में स्थापित निर्यातोन्मुख एककों की संख्या उनके नाम भर्त्संकों के नाम, परिव्यय और निर्यात वचनबद्धता

(क) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख योजना के तहत मध्य प्रदेश में निम्नलिखित तीन एकक स्थापित किए गए हैं :—

क्र० सं०	एकक/प्रवर्तक का नाम	परियोजना में दर्शाया गया परिव्यय (निवेश)	पांच वर्षों में अनुमानित निर्यात कारोबार
1	2	3	4
1.	मैसर्स कल्पना लैम्प कम्पोनैन्ट प्रा० लि०, इन्दौर (श्री जी० ए० शेन्वी)	रु० 110 लाख	रु० 360 लाख
2.	मैसर्स मैथसन प्लास्टिक एण्ड ग्लास प्रा० लि०, पीतमपुर (श्री के० ओ० मैथ्यूकुट्टी, एन० आर० आई०)	रु० 168 लाख	रु० 1305.30 लाख
3.	मैसर्स बूलवर्थ (इंडिया) लि० (श्री के० के० झुनझुनवाला)	रु० 1432 लाख	रु० 2536.30 लाख

(ख) उन एककों के बाद जिन्होंने अपनी निर्यात वचनबद्धता पूरी की और पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की मात्रा,

(ख) और (ग)

(1) मैसर्स कल्पना लैम्प कम्पोनैन्ट प्रा० लि० ने अपने निर्यात-निष्पादन की सूचना इस प्रकार दी है :

1	2	3	4
	(ग) इन एककों के नाम जो अपनी निर्यात बचनबद्धता को पूरा न कर पाने के कारण तथा	1986-87 (सित०-दि०)	1000/-
		1987-88	—
		1988-89 .	1.41 लाख रु०
		(2) मैसर्स मैथसन्स प्लास्टिक एण्ड ग्लास प्रा० लि० ने अभी तक किसी निर्यात की सूचना नहीं दी है ।	
		(3) मैसर्स बुलवर्थ इण्डिया लि० ने सूचना दी है कि उन्होंने निर्यात करने से पहले प्रयोग के तौर पर उत्पादन किया है ।	
	(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय कि निर्यातोन्मुख एकक अपना काम ठीक से करें और अपनी वचनबद्धता पूरी करें ।	(घ) शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों का कार्य निष्पादन मानीटर किया जाता है और जहां आवश्यक होता है वहां अपेक्षित कार्यवाही की जाती है ।	

राज्यों में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करना

143. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा किन सिद्धान्तों तथा प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है;

(ख) क्या गत दस वर्षों के दौरान कुछ उच्च न्यायालयों की पीठ स्थापित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) तारीख 30-4-85 को सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में जसवंत सिंह आयोग ने उन सिद्धांतों और मानदण्डों की सिफारिश की थी जिसका अनुसरण, उच्च न्यायालय के मुख्य स्थान से उनकी न्यायपीठ की स्थापना की समीचीनता और वांछनीयता के प्रश्न का विनिश्चय करते समय किया जाएगा और इसके साथ ही उन बातों की भी सिफारिश की थी जिनको, उक्त न्यायपीठ के स्थान का चयन करते समय ध्यान में रखा जाएगा। आयोग की रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में तारीख 15-10-86 को रख दी गई थी और राज्य सभा तथा लोक सभा के पटल पर, क्रमश: 20-4-87 और 21-4-87 को रख दी गई थी जिसके प्रति निर्देश किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के प्रश्न पर, सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के साथ परामर्श करके, इन सिद्धांतों और मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए तब विचार करती है जब ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त होता है।

(ख) और (ग) पिछले 10 वर्षों के दौरान स्थापित उच्च न्यायालय की न्यायपीठ का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	उच्च न्यायालय की न्यायपीठ का नाम	वह तारीख जिससे न्यायपीठ ने काम करना शुरू किया
1	2	3	4
1.	गोवा	पणजी (मुम्बई)	30-10-1982
2.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद (मुम्बई)	27-8-1984
3.	नागालैंड	कोहिमा (गुवाहाटी)	10-2-1990
4.	मिजोरम	ऐजाल (गुवाहाटी)	5-7-1990

गुजरात में सोना पकड़ा जाना

144. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1990 में, गुजरात में जामनगर समुद्र तट पर एक पोत से चार करोड़ रुपए मूल्य का सोना पकड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) शायद माननीय संसद सदस्य का आशय उन दो मामलों में से एक मामले से है जिसमें सीमा शुल्क समाहर्तालय (निवारक), गुजरात के अधिकारियों द्वारा जामनगर में दिसम्बर, 1990 के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में निषिद्ध सोना पकड़ा गया है। एक मामले में, लगभग 20600 तोले वजन के, 2060 सोने के बिस्कुट 9-12-1990 को "एम० एस० वी—सैफला" नामक एक कार्गो पोत से पकड़े गए थे। दूसरे मामले में, 9.77 करोड़ रुपए मूल्य के लगभग 25000 तोले वजन के, 2500 सोने के बिस्कुट, 12-12-1990 को "एन० एस० बी० नारणप्रसाद" कार्गो पोत से पकड़े गए थे। उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रतिबन्धित आयात नीति

145. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रतिबन्धित आयात से सम्बन्धित अपनी नीति में हाल में परिवर्तन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) जी हां। मुक्त विदेशी मुद्रा के सीमित संसाधनों को सुरक्षित करने की दृष्टि से सरकार ने हाल ही में आयात को जरूरत भर घटाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल हैं :—

(1) ओटोमोबाइल, इलैक्ट्रानिक मदों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के विनिर्माण में लगे वास्तविक उपयोक्ताओं की हकदारी में चाहे वह खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत हो अथवा लाइसेंस के अन्तर्गत, 15% की कटौती लगाई गई है।

(2) कच्चे माल की अनेक मदों; संघटकों तथा पूंजीगत वस्तुओं की, देशी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर खुला सामान्य लाइसेंस सूची से हटा दिया गया है।

(3) उन अनुपूरक लाइसेंसिंग आवेदनों की कड़ी जांच की जा रही है। जिनका 2 करोड़ रु० से अधिक है। वास्तविक उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे उतने मूल्य के आर० ई० पी० अतिरिक्त लाइसेंसों को वापस करें जो 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 50% मूल्य के बराबर हों।

(4) कच्चे माल, संघटक, उपभोज्य और पुर्जे तथा जिग्स, फिक्सचर्स, मोल्ड्स आदि से सम्बन्धित जो मदें आयात नीति में खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट नहीं है उनके आयात की सुविधा 6 नवम्बर, 1990 से 8 माह की अवधि के लिए स्थगित कर दी गई है।

तलाकशुदा पत्नियों के जीवन निर्वाह सम्बन्धी मामलों में निःशुल्क कानूनी सहायता

146. **श्री लालकृष्ण आडवाणी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तलाकशुदा पत्नियों के जीवन निर्वाह सम्बन्धी मामलों में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) विच्छिन्न विवाह पत्नियों सहित सभी महिलाओं को, अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक, सभी स्तरों पर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जा रही है । ऐसी सहायता के लिए आय की कोई सीमा विहित नहीं की गई है ।

इस्पात पर नियन्त्रण समाप्त करना

147. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात विवरण नीति की समीक्षा करने तथा स्वदेशी उपभोक्ताओं को इस्पात की सप्लाई करने सम्बन्धी नियन्त्रण समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात के वितरण के लिए संयुक्त इस्पात संयंत्र के विद्यमान मार्गनिर्देशों की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा गठित कार्य दल की रिपोर्ट विचाराधीन है ।

लोहे और इस्पात की सप्लाई के लिए कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है ।

पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी परियोजनायें

148. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास गत छः महीनों से भी अधिक समय से पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं लम्बित पड़ी हैं ।

(ख) क्या सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति देने के लिए कोई मानदण्ड और समय-सीमा निर्धारित की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) पर्यावरणीय मंजूरी

के लिए 6 महीने से अधिक समय से लम्बित 64 परियोजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। पूर्ण पर्यावरणीय आंकड़े और कार्य योजनाएं प्राप्त होने के बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर पर्यावरणीय मंजूरी से सम्बन्धित निर्णय ले लिया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	6 महीने से अधिक समय से पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
	क : राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	1
3.	बिहार	12
4.	गोआ	1
5.	गुजरात	1
6.	हरियाणा	1
7.	जम्मू व कश्मीर	1
8.	कर्नाटक	3
9.	केरल	1
10.	मध्य प्रदेश	5
11.	महाराष्ट्र	6
12.	पंजाब	1
13.	उड़ीसा	4
14.	राजस्थान	2
15.	सिक्किम	1
16.	तमिलनाडु	4

1	2	3
17.	उत्तर प्रदेश	6
18.	पश्चिम बंगाल	8
	ख : संघ शासित क्षेत्र	
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1
	कुल :	64

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का उत्पादन

[हिन्दी]

150. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1991 में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात का रिकार्ड उत्पादन किया गया;

(ख) यदि हां, तो इस महीने में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की विभिन्द यूनिटों ने अपने निर्धारित लक्ष्य एवं क्षमता से कुल कितना अधिक उत्पादन किया; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की विभिन्न यूनिटों द्वारा किए गए इस्पात-उत्पादन का माहवार ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) जी, हां।

"सेल" के विभिन्न संयंत्रों द्वारा जनवरी, 1991 के दौरान विक्रेय इस्पात का उत्पादन अब तक का "सर्वोत्तम" रहा। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(हजार मी० टन)

संयंत्र	योजना	उत्पादन	लक्ष्य की % पूर्ति	क्षमता उत्पादन का %
भिलाई	257.0	270.1	105	101
दुर्गापुर	66.0	76.1	115	95
राउरकेला	99.0	102.5	104	103
बोकारो	248.8	229.6	92	86
इस्को	29.4	33.1	113	115
सेल	700.2	711.4	102	96

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान विक्रेय इस्पात का महीनेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1985-86 से 1989-90 तक विक्रेय इस्पात का मासिक उत्पादन

(हजार मी० टन)

संयंत्र	वर्ष	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दि०	जनवरी	फरवरी	मार्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बी०एस०पी०	1985-86	140.2	126.1	142.1	159.0	165.2	160.0	167.3	172.3	203.2	194.0	182.1	243.7
दुर्गापुर	1985-86	47.0	55.1	50.3	58.1	58.0	52.0	44.1	58.0	58.0	70.2	72.0	100.6
राउरकेला	1985-86	51.8	26.1	26.2	102.6	107.2	103.2	100.9	103.2	88.1	66.9	95.3	133.2
बोकारो	1985-86	75.1	85.1	135.5	150.0	150.0	151.0	150.0	150.1	167.0	161.5	140.0	205.1
इस्को	1985-86	40.1	40.2	39.2	33.1	38.8	40.0	42.0	39.0	40.6	45.1	44.5	57.5
"सेल"	1985-86	354.2	332.6	393.3	502.8	519.2	506.2	504.3	522.6	556.9	537.6	533.9	740.1
भिलाई	1986-87	107.7	149.8	116.7	167.2	180.0	180.5	182.6	189.6	196.6	217.6	204.6	257.2
दुर्गापुर	1986-87	56.0	46.1	39.1	43.1	30.0	68.0	78.0	70.0	75.1	80.0	80.1	85.6
राउरकेला	1986-87	63.8	67.9	45.7	103.1	104.0	104.1	105.1	106.1	106.3	102.1	95.3	136.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
बोकारो	1986-87	100.1	100.1	90.1	83.1	102.6	146.4	165.2	181.0	186.3	175.1	182.0	232.6
इस्को	1986-87	36.0	38.4	39.2	46.6	45.4	40.3	41.1	45.0	46.2	43.2	48.0	56.3
"सेल"	1986-87	363.6	402.3	330.8	443.1	462.0	539.3	572.0	591.7	610.5	618.0	610.0	768.3
भिलाई	1987-88	169.4	140.7	130.5	160.1	181.0	168.0	183.1	156.7	201.2	228.2	205.0	246.0
दुर्गापुर	1987-88	55.2	58.1	62.0	67.2	64.5	70.0	75.0	72.0	75.0	81.0	73.1	82.2
राउरकेला	1987-88	90.1	85.5	55.6	80.0	88.1	100.7	102.2	97.2	102.1	112.2	105.0	137.6
बोकारो	1987-88	140.6	150.7	109.7	120.1	153.7	161.6	166.0	156.6	191.4	190.5	200.1	227.2
इस्को	1987-88	37.0	40.6	44.3	44.1	44.0	40.4	48.0	44.9	46.3	49.2	47.8	55.2
"सेल"	1987-88	492.3	475.6	402.1	471.5	531.3	540.7	574.3	527.4	619.0	661.1	631.1	749.2
भिलाई	1988-89	195.4	193.2	183.1	200.2	192.7	194.0	210.1	225.1	220.1	210.1	230.0	257.7
दुर्गापुर	1988-89	60.0	59.2	57.0	50.0	70.1	70.0	69.0	75.0	78.1	82.2	72.0	88.9
राउरकेला	1988-89	80.5	85.3	70.1	92.0	95.1	100.1	100.2	102.1	102.9	105.3	96.2	138.5
बोकारो	1988-89	176.4	171.1	188.0	176.6	182.2	164.5	185.8	200.8	201.1	176.5	190.3	263.7
इस्को	1988-89	43.5	40.2	40.3	45.1	38.4	38.3	35.4	28.6	29.1	33.5	32.2	37.7
"सेल"	1988-89	555.8	549.0	538.5	563.9	578.6	566.9	600.5	631.6	631.4	637.6	620.7	786.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भिलाई	1989-90	170.6	166.6	163.9	196.2	204.7	197.4	243.2	232.0	240.1	264.6	236.9	277.5
दुर्गापुर	1989-90	52.0	54.0	44.0	43.5	50.5	50.5	54.9	68.2	66.6	69.0	63.1	83.7
राउरकेला	1989-90	85.4	70.5	68.5	89.	90.5	88.0	100.1	103.7	102.5	104.3	86.4	122.5
बोकारो	1989-90	159.8	183.0	167.9	192.0	200.7	174.7	201.0	201.6	180.1	202.1	190.4	271.9
इस्को	1989-90	27.9	25.5	25.8	34.6	28.5	18.1	24.1	25.2	32.1	28.6	27.5	35.0
"सेल"	1989-90	495.7	499.6	470.1	555.3	574.9	528.7	623.3	630.[illegible]	621.4	668.6	604.3	790.6

पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

151. **प्रो० रासा सिंह रावत : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पड़ोसी देशों को किन-किन मदों का निर्यात किया जा रहा है और उनसे किन-किन मदों का आयात किया जा रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों के साथ देश-वार कितने मूल्य का आयात और निर्यात किया गया;

(ग) पड़ोसी देशों के साथ व्यापार सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या "सार्क" की बैठक में व्यापार के बारे में कोई चर्चा हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) संसार के विभिन्न देशों के साथ भारत के पारस्परिक व्यापार बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं, इनमें उसके पड़ौसी देश भी शामिल है।

निर्यात की जा रही प्रमुख मदें हैं : इन्जीनियरी माल, समुद्री उत्पाद, मूल रसायन, मशीनरी, परिवहन, कोयला, अयस्क एवं खनिज तथा लोहा और इस्पात आदि।

आयातों में मुख्यतः शामिल हैं :—दालें, धातुमय अयस्क, मेटल स्क्रैप, कच्ची रेशम, मिश्र धातुएं, तिलहन, प्लास्टिक सामग्री, गत्ता आदि।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इन देशों के साथ निर्यात एवं आयात के मूल्य निम्नलिखित हैं :

(करोड़ रुपए)

देश		1987-88	1988-89	1989-90
1		2	3	4
बंगला देश	नि०	186.81	261.94	458.03
	आ०	14.79	14.53	19.60
चीन	नि०	33.70	64.40	39.10
	आ०	159.30	132.40	65.80
मालदीव	नि०	2.72	5.91	6.83
	आ०	0.01	0.01	0.05
म्यामा	नि०	0.99	2.25	1.34
	आ०	56.62	77.38	83.85

1		2	3	4
नेपाल	नि०	93.68	97.28	83.41
	आ०	44.66	34.74	56.27
पाकिस्तान	नि०	20.12	36.43	51.39
	आ०	30.59	72.58	53.79
श्रीलंका	नि०	101.63	146.92	97.38
	आ०	11.71	27.54	23.40

आ०—आयात, नि०—निर्यात, आंकड़े अनन्तिम हैं।

स्रोत :—वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी निदेशालय।

भूटान के लिए अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ) सार्क बैठकों में द्विपक्षीय मामले नहीं उठाए जाते, परन्तु इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने और आर्थिक सम्बन्ध सुधारने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया है। सार्क सचिवालय व्यापार एवं क्षेत्रीय सहयोग पर क्षेत्रीय अध्ययन कर रहे हैं।

राजस्थान में वन-संरक्षण एवं विस्तार करने और वन-कटाव को रोकने पर खर्च की गई धनराशि

152. **प्रो० रासासिंह रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में वनों का संरक्षण एवं विस्तार करने तथा वन कटाव पर नियंत्रण करने पर वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ख) इस समय राजस्थान में वन क्षेत्र कितना है;

(ग) क्या बढ़ते हुए रेगिस्तान पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कोई नीति तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) राजस्थान में लगभग 31,151 वर्ग कि० मी० में वन हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत सरकार मरुस्थल को बढ़ने से रोकने के लिए मरुस्थल विकास कार्यक्रम के तहत

राज्य सरकार को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान कर रही है। कार्यक्रम को चुने हुए 11 जिलों अर्थात् जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, झुनझुनु, सीकर, नागोर, चुरू, बाड़मेर, जालोर, पाली और जैसलमेर में कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनिवासी भारतीयों के लिए आर्थिक क्षेत्र की स्थापना

[अनुवाद]

153. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुगतान सन्तुलन की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अनिवासी भारतीयों के लिए एक विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को पेश किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ग) इसे किस सीमा तक क्रियान्वित करना स्वीकार किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए और अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करने के वास्ते बेहतर प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने और नीतियों की समीक्षा करने तथा प्रक्रिया को तेज करने के वास्ते सरकार को समय-समय पर विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त होते रहते हैं। इन प्रस्तावों की, जहां तक ये आर्थिक विकास के समग्र उद्देश्य के अनुरूप और विदेशी मुद्रा प्रवाह को बढ़ाने के लिए उपयुक्त होते हैं, निरन्तर जांच की जाती है और अमल किया जाता है।

संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा भारतीय निर्यात पर निर्बंधन

154. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका सरकार से भारतीय निर्यात पर लगाए गए वर्तमान निर्बंधनों में ढील देने के बारे में अनुरोध किया है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और पूंजी निवेश में वृद्धि की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) भारत-अमरीकी, आर्थिक एवं वाणिज्यिक उप-आयोग की वाशिंगटन में अप्रैल, 1990 में हुई बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने ऐसी अनेक बाधाओं का उल्लेख किया जो अब भी भारतीय निर्यात के सामने आ रही हैं। इनमें प्रतिकारी शुल्क तथा पाटनरोधी जांच, वस्त्र कोटा और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी विनियमन शामिल हैं। अमरीकी पक्ष ने हमारी इस चिन्ता को नोट कर लिया और उसकी जांच कराने का वचन दिया है।

ऐसे ही मामलों पर उरुग्वे वार्ता-दौर में भी बहुपक्षीय आधार पर चर्चा की जा रही है। यह दौर दिसम्बर, 1990 तक पूरा होने की आशा थी किन्तु, उसे आगे बढ़ाना पड़ा। यह कहना अभी संभव नहीं है कि ये वार्ताएं कब समाप्त होंगी।

रुग्ण इकाइयों का पुनर्स्थापन

155. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने यह निर्दिष्ट किया है कि लाभप्रद मानी जाने वाली रुग्ण इकाइयों के आयोजकों को उस इकाई के पुनर्स्थापन पैकेज के हिस्से के रूप में आन्तरिक उत्पादन और सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त धन के अलावा अतिरिक्त धनराशि का अंशदान देना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक एककों के पास अपनी पुनर्वास योजना की लागत को पूरा करने के लिए कभी भी अधिशेष नगदी पैदा करने का कोई आन्तरिक साधन नहीं होता है। पुनर्वास योजना के कार्यान्वियन की अवधि के दौरान यदि कभी थोड़ा बहुत अधिशेष सृजित भी होता है तो उसका श्रेय संस्थानों और बैंकों द्वारा दी गई राहत और रियायतों को जाता है। जहां तक परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकम का सम्बन्ध है, यह बताया गया है कि ये परिसम्पत्तियां हमेशा संस्थानों/बैंकों की होती हैं और उनकी बिक्री से प्राप्त होने वाली किसी भी रकम का इस्तेमाल ऋण सम्बन्धी देनदारी को कम करने या नई परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के लिए किया जाना होता है। अतः प्रवर्तकों का अंशदान नए सिरे से निधि का लगाना होता है और यह आन्तरिक तौर पर सृजित अधिशेष पहले से प्रभारित परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त रकमों से भिन्न होता है। तथापि, जो परिसम्पत्तियां प्रभारित नहीं हैं उनकी बिक्री से प्राप्त रकम को प्रवर्तकों का अंशदान माना जाता है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आर्थिक अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन

156. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगरों में आर्थिक अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष अदालतों के गठन का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन अदालतों का गठन कब तक हो जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ख) आर्थिक अपराधियों के शीघ्र विचारण के लिए कुछ महानगरों सहित दूसरे नगरों में 14 विशेष न्यायालय पहले से ही कार्य कर रहे हैं।

निर्यात में बाधाएं

158. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकानामिक रिसर्च ने सरकार से निर्यात गतिविधियों में बाधाओं को दूर करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा निर्यात संवर्धन के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) दी नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड इकनोमिक रिसर्च (एन० सी० ए० ई० आर०) ने योजना आयोग के अनुरोध पर "भारत के निर्यात निष्पादन और नीति" पर एक अध्ययन किया है और उन्हें मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसे योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया है तथा कुछ परिवर्तनों और संशोधनों के लिए सुझाव दिया है।

सोने का मूल्य

159. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री बी० देवराजन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी युद्ध का समाचार फैलते ही सोने के मूल्यों में रिकार्ड वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सोने के मूल्यों में कमी लाने के लिए अब तक कोई कदम उठाने के बारे में विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) खाड़ी युद्ध के प्रथम दिन दिनांक 17-1-91 को बम्बई बाजार में स्टैण्डर्ड सोने का अधिकतम मूल्य प्रति 10 ग्राम 3850/- रु० था। मद्रास बाजार में दिनांक 18-1-91 से अधिकतम मूल्य 4000/- रु० था। परन्तु तत्पश्चात् धीरे-धीरे मूल्य में गिरावट आती गई और अब बम्बई बाजार में दिनांक 20-2-91 को 3356/- रु० प्रति 10 ग्राम रहा है।

(ख) और (ग) चूंकि सोना एक आवश्यक वस्तु नहीं है, सरकार इसके मूल्य को विनियमित नहीं करती।

सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर

160. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज की दर में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकारी कर्मचारियों को उनके द्वारा सामान्य भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान से अधिक जमा कराई गई धनराशि अन्तिम रूप से निकालने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे इस धनराशि का इन्दिरा विकास पत्रों, आदि में निवेश कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) और (घ) सामान्य भविष्य निधि के अंशदाता सामान्य भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही अन्तिम आहारण के पात्र हैं ।

कर्नाटक में गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना

161. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गैर-सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) कर्नाटक राज्य में निजी क्षेत्र द्वारा इस्पात का निर्माण करने के लिए आशय-पत्र जारी करने के वास्ते कुछ प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए हैं । उक्त प्रस्तावों की प्रारम्भिक जांच की जा रही है ।

जंगली पशुओं का विलोपन

[हिन्दी]

162. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगली जानवरों को संरक्षण करने हेतु "आखेट विहारों" की स्थापना किए जाने के बावजूद उनका विलोपन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) गत 10 वर्षों के दौरान उदयपुर, राजस्थान में जय समन्द अभयारण्य पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) वर्तमान समय में वहां कितने जंगली जानवर हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राजस्थान सरकार ने 1980-81 से 1989-90 के दौरान जय समन्द वन्यजीव अभयारण्य के विकास और रख-रखाव पर 43.529 लाख रु० खर्च किए हैं । इसके अलावा, "अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत अभयारण्य के विकास के लिए 1989-90 में 2 लाख रुपए मंजूर किए थे ।

(घ) राज्य वन विभाग द्वारा 1990 में की गई गणना के अनुसार जय समन्द अभयारण्य में वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या इस प्रकार सूचित की गई है :—

तेंदुआ 19, लक्कडबग्गा 31, जंगली सूअर 311, सांभर 14, चौसिंगा 41, चिंकारा 217, साही 75, खरगोश 458, नेवला 60, लंगूर 4000, मोर 307, मुश्क बिलाव 2 , लोमड़ी 48, जंगली बिल्ली 26, चीतल 38 ।

वनरोपण के प्रयास

163. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में देश में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार वन क्षेत्र कितना-कितना है;

(ख) सरकार द्वारा वनरोपण के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इसमें अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या मौजूदा वनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों को सम्मिलित करने और इन्हें मालिकाना अधिकार देकर नए वन विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) देश में वास्तविक वनावरण का कुल क्षेत्र 64.01 मिलियन हैक्टेयर है । राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। यह मूल्यांकन 1985 से 1987 तक की अवधि के सेटेलाइट द्वारा लिए गए चित्र की व्याख्या पर आधारित है । इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रतिपादित किया गया है और "दि स्टेट ऑफ इण्डियाज फॉरेस्ट रिपोर्ट 1989" में प्रकाशित किया गया है ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन वनीकरण/वृक्षारोपण कार्यकलापों के लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :—

	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
लक्ष्य	1.45	1.71	1.79	2.0	1.68
उपलब्धियां	1.51	1.76	1.77	2.12	1.71

(मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र)

वर्ष 1990-91 के लक्ष्य और उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

	लक्ष्य	उपलब्धि (31-12-90 तक)
फार्म वानिकी (पौद)	250 करोड़	117.38 करोड़
क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर में)	0.55	0.67

(ग) और (घ) मौजूदा वनों के संरक्षण में स्थानीय लोगों को शामिल करने और उन्हें वन भूमि पर मालिकाना अधिकार देकर नए वन विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्थानीय लोगों को वनोपज का उपयोगाधिकार आदि देकर उन्हें वनों के संरक्षण तथा विकास कार्यों में शामिल किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पर्यावरण और वन मन्त्रालय द्वारा 1 जून, 1990 को विस्तृत मार्गदर्शी रूपरेखाएं जारी की गई हैं और इन्हें संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

वास्तविक वनावरण 1989 का मूल्यांकन

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वनावरण 1989 का मूल्यांकन (मिलियन हैक्टेयर में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	4.7911
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.8763
3.	असम	2.6058
4.	बिहार	2.6934
5.	गोवा	0.1300
6.	गुजरात	1.1670
7.	हरियाणा	0.0563
8.	हिमाचल प्रदेश	1.3377
9.	जम्मू व कश्मीर	2.0424
10.	कर्नाटक	3.2100
11.	केरल	1.0149
12.	मध्य प्रदेश	13.3191
13.	महाराष्ट्र	4.4058
14.	मणिपुर	1.7885
15.	मेघालय	1.5690
16.	मिजोरम	1.8178
17.	नागालैण्ड	1.4356
18.	उड़ीसा	4.7137

1	2	3
19.	पंजाब	0.1161
20.	राजस्थान	1.2966
21.	सिक्किम	0.3124
22.	त्रिपुरा	0.5325
23.	उत्तर प्रदेश	3.3844
24.	तमिलनाडु	1.7715
25.	पश्चिम बंगाल	0.8394
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.7624
27.	चंडीगढ़	0.0008
28.	दादर व नगर हवेली	0.0205

विवरण-2

सं० 6-21/89 एफ० पी०

भारत सरकार

पर्यावरण और वन मन्त्रालय

पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग

पर्यावरण भवन, सी० जी० ओ०
कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली

दिनांक 1 जून, 1990

सेवा में,

वन सचिव,

(सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)

विषय : अवक्रमित वन भूमि पर पुनः वनस्पति लगाने के लिए ग्राम समुदायों और स्वैच्छिक एजेंसियों को शामिल करना।

महोदय,

राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में यह व्यवस्था की गई है कि वनों के विकास और उनकी

सुरक्षा का कार्य लोगों को शामिल करके किया जाए। वनों में तथा वनों के नजदीक रहने वाले आदिवासियों तथा अन्य ग्रामीणों की ईंधन, चारा और गृह-निर्माण सामग्री जैसी छोटी-मोटी इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उपज पर पहले उनका अधिकार माना जाना चाहिए। नीति सम्बन्धी दस्तावेजों में वन प्रबन्ध की एक अनिवार्यता के रूप में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वन समुदायों को वनों जिनसे वे लाभ उठाते हैं, के विकास और उनकी सुरक्षा करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।

2. आपके राज्य के सचिव को दिनांक 13 जनवरी, 1989 को भेजे गए अ० शा० पत्र सं० : 1/1/88-टी० एम० ए० में श्री के० पी० गीताकृष्णन्, तत्कालीन सचिव (पर्यावरण और वन) ने वन भूमि के नजदीक रहने वाले ग्राम समुदायों को भोगाधिकार के लाभ देने के तरीकों का पता लगाने का आवश्यकता पर जोर दिया था ताकि वनरोपण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

3. प्रतिबद्ध स्वैच्छिक एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों जिनका अपने क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव हो वे विशेषकर वासस्थलों के चारों ओर की अवक्रमित वन भूमि की सुरक्षा, उस पर वनरोपण करने और उसके विकास में ग्राम समुदायों को अच्छी प्रकार से प्रेरित और संगठित कर सकते हैं। राज्य वन विभागों/सामाजिक वानिकी संगठनों को अवक्रमित वन भूमि की सुरक्षा और विकास में लोगों की अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का पूरा फायदा उठाना चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को अवक्रमित वन भूमि के पुनरुद्धार, उनकी बहाली और विकास के लिए राज्य वन विभागों और ग्राम समुदायों के बीच सम्पर्क माध्यम के रूप में निम्न प्रकार से शामिल किया जाए :—

1. इस कार्यक्रम को स्वैच्छिक एजेंसी/गैर-सरकारी संगठन, ग्राम समुदाय (लाभभोगी) और राज्य वन विभाग के मध्य एक प्रबन्ध के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाए।

2. लाभभोगियों या स्वैच्छिक/गैर-सरकारी संगठन को वन भूमि पर कोई स्वामित्व या पट्टा अधिकार न दिया जाए और ना ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में वर्णित उपबन्धों का उल्लंघन करके उन्हें वन भूमि दी जाए।

3. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार लाभभोगी भोगाधिकार में एक हिस्सा पाने के पात्र हैं। स्वैच्छिक एजेंसी/गैर-सरकारी संगठन भोगाधिकार का लाभ पाने के हकदार नहीं हैं।

4. वन भूमि पर अधिकार और भोगाधिकार के लाभ उन्हीं लाभभोगियों को मिलने चाहिए जो किसी ग्राम संस्था के रूप में संगठित हों और विशेष रूप से वन लगाने या उनकी सुरक्षा में शामिल हों। यह संस्था ग्राम पंचायत या सहकारिता हो सकती है जिसकी सदस्यता पर कोई प्रतिबन्ध न होगा। यह ग्राम वन समिति भी हो सकती है। अलग-अलग व्यक्तियों को वृक्षों के कोई पट्टे न दिए जाएं।

5. लाभभोगियों को घास, वृक्षों की शाखाओं की कतरने और पत्ते लघु वन उपज जैसे भोगाधिकार दिए जाएं। यदि वे वनों की अच्छी प्रकार से सुरक्षा करते हैं तो उन्हें वृक्षों के परिपक्व होने पर उन्हें उनकी पैदावार का एक हिस्सा दिया जाए। (पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्राम वन सुरक्षा

समितियों को बिक्री का 25 प्रतिशत देने के बारे में आदेश जारी किए है। अन्य राज्यों द्वारा भी इस तरह के मापदण्ड अपनाए जाएं)।

6. कार्यक्रम के लिए चुने जाने वाले क्षेत्रों को कोई भी व्यक्ति जो इस स्कीम के तहत लाभभोगी नहीं है, के दावों से मुक्त रखा जाए। (इन दावों में विद्यमान अधिकार, विशेषाधिकार और रियायतें आती हैं) दूसरी ओर, दिए गए स्थान के लिए लाभभोगियों का चयन इस प्रकार किया जाए कि कोई व्यक्ति जिसका चुने हुए स्थान से वन उपज पर अधिकार हो, को इसमें शामिल होने का पूरा अवसर दिए बिना छोड़ दिया जाए।

7. चुने गए स्थान का आंकलन राज्य सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार किया जाए। इस प्रकार की स्कीम 10 वर्ष तक चलनी चाहिए और उसके बाद उसे संशोधित/नवीकृत किया जाए। कार्य योजना लाभभोगियों के परामर्श से तैयार की जानी चाहिए। स्थान की सुरक्षा करने के अलावा, उपर्युक्त स्कीम में अपेक्षित कार्यों को निर्धारित किया जाए जैसे विद्यमान रूट-स्टाक, बीज-रोपण, गैप-फिलिंग के प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रोत्साहन देना और जहां जरूरी हो व्यापक वृक्षारोपण, मृदा की नमी के संरक्षण के उपाय आदि को भी प्रोत्साहन देना। कार्य योजना में अग्नि सुरक्षा, सीमाओं के रख-रखाव निराई, देख-रेख, सफाई, विरलन (थेनिंग) जैसे अन्य कार्यों को भी निर्धारित किया जाए।

8. नर्सरी उगाने, भूमि को पौधरोपण के लिए तैयार करने तथा पौधरोपण के बाद वृक्षों की सुरक्षा करने के लिए लाभभोगियों को सामाजिक वानिकी की निधियों से वन विभाग द्वारा भुगतान किया जाए तथापि, ग्राम समुदाय इन गतिविधियों को आरम्भ करने के लिए अन्य सरकारी एजेंसियों और स्रोतों से धन ले सकते हैं।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस वन भूमि की ग्राम समुदाय द्वारा सुरक्षा की जाती हो उस पर चराई न कराई जाए, इस भूमि में मुफ्त घास काटने और उसे ले जाने की अनुमति दे दी जाए ताकि पशुओं को खूंटे पर चारा खिलाने को बढ़ावा दिया जा सके।

10. वन भूमि में खेती करने की अनुमति न दी जाए।

11. ईंधन, चारा और इमारती लकड़ी के साथ-साथ ग्राम समुदाय को वन-रोपण की समग्र स्कीम के अनुकूल आमला, इमली, आम, महुआ आदि जैसे फलदार वृक्षों और साथ ही झाड़ियों, फलीदार पौधों और घासों को लगाने की अनुमति दी जाए जिससे स्थानीय लोगों की आवश्यकताएं पूरी होंगी, भूमि और जल संरक्षण में मदद मिलेगी तथा अवक्रमित मृदा/भूमि उपजाऊ बनेगी। लाभभोगियों की आवश्यकता और वरीयता के अनुसार देशी औषधीय पौधे भी लगाए जाएं।

12. वृक्षों को काटने की अनुमति उनके काटने योग्य होने तक न दी जाए। वन विभाग को भी ग्राम समुदायों द्वारा सुरक्षित वन भूमि पर वृक्षों को नहीं काटना चाहिए इन्हें केवल कार्य योजना में निर्धारित तरीके से ही काटा जाए। तत्काल जरूरत पड़ने पर ग्राम समुदाय को विश्वास में लिया जाए।

13. जन भागीदारी का लाभ ग्राम समुदायों को मिलना चाहिए न कि ऐसे व्यावसायिक अथवा अन्य लोगों को जो अपने लाभ के लिए कोशिश करते हैं। इस प्रकार, लाभ प्राप्त करने वालों का

चयन केवल उन परिवारों में से किया जाना चाहिए जो स्वयं अपने प्रयत्नों से इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं।

14. वन विभाग द्वारा कार्य का निकट से पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए। यदि लाभ प्राप्त करने वाले तथा/अथवा स्वैच्छिक एजेंसी/गैर-सरकारी संगठन क्षेत्र की चराई, अतिक्रमण से सुरक्षा करने वाले अथवा कार्ययोजना में निर्धारित कार्यों को सन्तोषजनक ढंग से करने में असमर्थ रहते हैं अथवा उसकी उपेक्षा करते हैं तो इससे पहले किए गए कार्य की बिना कोई क्षतिपूर्ति किए, भोगाधिकार के लाभों को वापस ले लिया जाए। इस प्रयोजन के लिए मेमोरेंडम आफ अण्डरस्टेंडिंग में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए।

भवदीय,

हस्ता/-

(महेश प्रसाद)

सचिव, भारत सरकार

उदयपुर की झीलों के जल में प्रदूषण

164. **श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर की झीलों के जल में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विभिन्न राज्यों में झीलों के जल में प्रदूषण को रोकने के लिए विशेष कानून बनाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क)

(1) राजस्थान सरकार ने पिशोला झील में मलजल को जाने से रोकने और उसके नियन्त्रण के लिए आसपास की सीवर लाइनों सहित मल-जल और जल निकासी प्रणालियों और शोधन सुविधाओं का चरणबद्ध निर्माण एवं बिस्तार आरम्भ किया है।

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने बड़े होटलों के प्रबन्धों को अपने घरेलू मल-जल को झीलों में डालने से पूर्व प्रभावी तरीके से शोधित करने के निर्देश दिए हैं।

(3) राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने भी विशेषकर उन उद्योगों को, जो उदयसागर झील में औद्योगिक बहिस्राव डालते हैं, निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए अपने बहिस्रावों को शोधित करने के निर्देश दिए हैं।

(4) निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाली यूनिटों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं।

(5) केन्द्र सरकार ने पिशोला झील को देश के उन 16 नमभूमियों में से एक नमभूमि के रूप में अभिनिर्धारित किया है जहां संरक्षण एवं पारि-पुनरुद्धार के लिए उपाय किए जाने हैं। राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक प्रबन्ध कार्य योजना तैयार की है।

(6) राज्य सरकार ने झील से खर-पतवाड़ हटाने और पर्यावरणीय जागरूकता लाने वाले कार्यक्रमों के लिए 1989-90 में 7 लाख रुपए की राशि बंटित की है।

(7) उदयपुर झीलों के प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए आवश्यक सभी उपायों में तेजी लाने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं। 1988 में यथासंशोधित जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 में झीलों के प्रदूषण नियन्त्रण के समुचित उपबन्ध शामिल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

[अनुवाद]

165. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के मौजूदा व्यापार बढ़ाने एवं आर्थिक सम्बन्धों में सुधार करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले पर "सार्क" की बैठक में चर्चा हुई थी; और

(घ) भारत-पाकिस्तान व्यापार बढ़ाने के बारे में दोनों देशों द्वारा तैयार किए गए संयुक्त योजना कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) पाकिस्तान के साथ व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए प्रयास सरकारी स्तर से विचार-विमर्श और व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों के आदान-प्रदान द्वारा किए गए।

(ग) सार्क बैठकों में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं लेकिन क्षेत्रवार व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों में सुधार के लिए प्रस्तावों पर विचार किया गया है।

(घ) भारत-पाक व्यापार बढ़ाने के लिए कोई खास संयुक्त योजना/कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

चाय निर्यात का लक्ष्य

166. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान चाय के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया और वास्तव में चाय का कितना निर्यात किया गया;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं योजनावधि के दौरान चाय का निर्यात बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) सातवीं योजनावधि के दौरान चाय के निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि नीचे दी गई है :

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1985-86	235	214
1986-87	244	196
1987-88	252	202
1988-89	267	204
1989-90	281	203 (पूर्व)

(ख) और (ग) आठवीं योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र में चाय के निर्यात के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं :

वर्ष	लक्ष्य
1990-91	255
1991-92	265
1992-93	277
1993-94	291
1994-95	305

(घ) निर्यात संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं :—

इन मदों पर नकद मुआवजा सहायता की अनुमति दे दी गई है :—

(1) टी बैग (8 प्रतिशत), पैकेट टी कैडीज (18 प्रतिशत), इंस्टैंट टी (8 प्रतिशत), और क्विक ब्राइंग ब्लैक टी (12 प्रतिशत)।

(2) दार्जिलिंग चाय के लिए एक नया लोगो शुरू कर दिया गया है ताकि दार्जिलिंग चाय के रूप में अन्य चाय के लिए ब्रांड के गलत प्रयोग को रोका जा सके। केवल उन्हीं पैकेट चाय (भारतीय और विदेशी) के लिए इस लोगों के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी, जिनमें कम से कम 60 प्रतिशत शुद्ध दार्जिलिंग चाय हो।

(3) चाय-बैग को उत्पाद शुल्क से छूट दे दी गई है।

(4) चाय-बैग के विनिर्माण में प्रयुक्त छन्ना कागज पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है।

(5) चाय बोर्ड विदेश स्थित अपने कार्यालयों के जरिए संवर्धन अभियान भी चलाता है।

(6) बल्क चाय के निर्यात पर 50 पैसे/150 पैसे/कि.ग्रा० की दर पर उत्पाद शुल्क से छूट।

(7) पैकेट चाय निर्यात पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूरी छूट।

खाना पकाने की गैस की कमी को देखते हुए वृक्ष काटने की अनुमति

167. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं राज्य सरकारों ने खाड़ी संकट के कारण खाना पकाने की गैस की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार से वृक्ष काटने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस पर आधारित स्पंज आयरन संयंत्र

168. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैस पर आधारित कुछ स्पंज आयरन संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों की संख्या कितनी है और ये संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) कौन-कौन सी कम्पनियां ये संयंत्र स्थापित करेंगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा गैस पर आधारित चार स्पंज आयरन परियोजनाओं को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दे दी गई है। कम्पनियों के नाम और संयंत्रों को जिन स्थानों पर स्थापित किए जाने

के प्रस्ताव हैं, नीचे दिए गए हैं :—

कम्पनी	स्थान
1. ग्रेसिम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	जिला रायगढ़, महाराष्ट्र
2. निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड	जिला रायगढ़, महाराष्ट्र
3. उषा रेक्टीफायर लिमिटेड	जिला सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश
4. कल्याणी स्टील्स लिमिटेड	जिला रायगढ़, महाराष्ट्र

उड़ीसा में बाक्साइट भण्डार

169. **श्री गोपीनाथ राजपति** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग अथवा राज्य खान निदेशालय ने कुछ नए बाक्साइट भण्डारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इन खानों के नाम और स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) नए क्षेत्रों में कितनी मात्रा में बाक्साइट भण्डारों का पता चला है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) से (ग) 1970 के दशक के दौरान भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राज्य खनन एवं भू-विज्ञान निदेशालय की सहायता से, ओड़िसा के कालाहांडी तथा कोरापुट जिले में विशाल बाक्साइट निक्षेपों की खोज की गई थी। भारत के कुल ज्ञात 2,600 मिलियन टन बाक्साइट भण्डारों में से 1,600 मिलियन टन भण्डार ओड़िसा राज्य में ही हैं। पंचपटमाली बाक्साइट निक्षेपों की खोज के आधार पर, कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (नाल्को) का खनन तथा शोधन कम्पलेक्स स्थापित किया गया है।

हाल ही में, ओड़िसा के खनन एवं भू-विज्ञान निदेशालय ने आगे खोज शुरू की है, तथा ओड़िसा के कोरापुट जिले में लक्ष्मीपुर के निकट एक वर्ग कि०मीटर क्षेत्र में सर्गीघाटीमाली, रतामदी तथा कर्की में तीन नए बाक्साइट निक्षेप खोज लिए हैं। अन्वेषण आगे जारी हैं तथा भण्डारों के आकलन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

खाल का निर्यात

170. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खालों के निर्यात में वृद्धि किए जाने की गुंजाइश है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वस्तुओं का कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का निर्यात किया गया;

(ग) क्या सरकार का इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) सरकार की नीति यह है कि कच्चे माल के स्थान पर मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात में क्रमिक वृद्धि की जाए इस दिशा में खाल तथा चमड़ी और अर्ध-परिष्कृत चमड़े के निर्यात पर 1973 से धीरे-धीरे प्रतिबन्ध लगा दिया है। अर्ध-परिष्कृत चमड़े का निर्यात अप्रैल, 1990 से बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। सरकार ने 31 अगस्त, 1990 को इस आशय की अधिसूचना भी जारी की है कि 1 अप्रैल, 1991 से परिष्कृत चमड़े के निर्यात की अनुमति आयात एवं निर्यात नीति भाग 11 के केवल खुले सामान्य लाइसेंस सं० 3 के अन्तर्गत दी जाएगी।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्ध-परिष्कृत चमड़े का निर्यात इस प्रकार रहा है :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

क्र० सं०	मद	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90
1.	अर्ध परिष्कृत चमड़ा	49.07	52.50	72.59	45.00	21.07
2.	परिष्कृत चमड़ा	288.20	400.89	485.97	649.88	693.53

पर्यावरण जागरूकता

171. **श्री पलाई के० एम० मैथ्यू** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण जागरूकता लाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में भावी योजनाएं क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया गया है। कई राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में स्वैच्छिक एजेंसियों, शैक्षिक संस्थाओं और व्यावसायिक सोसाइटियों सहित इस अभियान में सरकारी एजेंसियों और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल किया गया है। इस अभियान के तहत विधायकों, प्रशासकों, व्यावसायिकों, विद्यार्थी वर्ग और आम जनता जैसे विभिन्न लक्ष्य वर्गों को शामिल किया गया है।

(ग) यह अभियान सारे देश में कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार के साथ जारी रहेगा।

लौह अयस्क का निर्यात

172. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा देश-वार कितनी-कितनी मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया गया;

(ख) भारतीय पत्तन पर पोत पर्यन्त निष्प्रभार सहित इसका एस० डी० आर० और भारतीय रुपए में वर्ष-वार और देश-वार प्रति इकाई औसत मूल्य क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान लौह अयस्क के निर्यात के लिए निर्धारित की गई मात्रा और मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान एम० एम० टी० सी०, के० आई० ओ० सी० एल०, और जी० ओ० ए० एन० एस० के द्वारा निर्यातित लौह अयस्क की वर्ष-वार और देश-वार मात्रा और मूल्य का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 और विवरण-3 में दिया गया है। यूनिट मूल्य वसूली में बहुत भिन्नता है और यह तुलनीय नहीं है क्योंकि यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे अयस्क की किस्म (लम्प्स, फाइन्स, कन्सेन्ट्रेटस या पैलेट्स), अयस्क का ग्रेड एफ० ई० अंश पर आधारित न्यून, मध्यम उच्च ग्रेड, लादे गए जहाजों का आकार, लदान की दर, आदि। वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान एस० डी० आर० विनिमय दरें क्रमशः 1 एस० डी० आर० रु० 17.21, रु० 19.262 और रु० 21.368 थी।

(ग) वर्ष 1991 के दौरान लगभग 1160 करोड़ रुपए की 33 मिलियन टन लौह आयस्क निर्यात करने का लक्ष्य है।

विवरण-1

मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा लौह अयस्क का देशवार निर्यात

मात्रा मिलियन टन
मूल्य करोड़ रुपए

देश	1987-88		1988-89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
जापान	8.95	192.46	10.49	247.25	10.08	333.11
कोरिया गणराज्य	2.44	50.57	3.11	71.53	2.91	71.32
हंगरी	0.01	0.30	0.03	0.70	0.01	0.34
बल्गारिया	0.11	2.18	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
युगोस्लाविया	0.05	1.11	0.04	0.81	—	—
संयुक्त अरब अमीरात	0.05	0.90	0.15	2.81	0.33	6.61
कुवैत	—	—	0.02	0.30	0.00	—
कोरिया जनवादी गणराज्य	0.09	1.60	0.34	6.20	0.36	7.64
पाकिस्तान	0.28	5.75	0.34	6.93	0.39	10.12
चीन	0.34	6.77	0.15	3.82	0.25	7.98
आस्ट्रलिया	—	—	—	—	0.15	5.12
नेपाल	—	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03
रोमानिया	1.41	17.89	2.35	29.61	2.32	35.74
जर्मन जनवादी गणराज्य	0.74	14.08	0.61	11.29	0.70	18.75
तुर्की	0.04	0.56	—	—	—	—

विवरण-2

(मात्रा मिलियन टन में)
(मूल्य करोड़ रुपए)

देश	1987-88		1988-89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	7.978	118.47	8.336	133.28	7.868	162.36
पश्चिम यूरोप	1.154	14.68	1.665	22.78	2.117	35.56
दक्षिण कोरिया	0.679	10.55	0.996	16.87	0.613	12.96
ताईवान	—	—	—	—	0.036	0.80

विवरण-3

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड (के० आई० ओ० सी० एल०)
द्वारा लौह अयस्क का देशवार निर्यात

(मात्रा मिलियन टन में)
(मूल्य करोड़ रुपए)

देश	1987-88		1988-89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
जापान	2.723	—	2.367	—	2.82	—
बहरीन	—	—	0.128	—	0.457	—
चेकोस्लोवाकिया	0.161	—	0.149	—	0.168	—
फ्रांस	0.081	—	0.00	—	0.108	—
युगोस्लाविया	0.268	—	0.309	—	—	—
आस्ट्रेलिया	0.083	—	0.255	—	0.366	—
चीन	0.040	—	0.022	—	0.045	—
हंगरी	0.435	—	0.594	—	0.531	—
पोलैंड	—	—	—	—	—	—
तुर्की	0.176	—	0.357	—	0.325	—
इण्डोनेशिया	0.004	—	0.043	—	0.127	—
कतर	—	—	0.025	—	0.052	—
उत्तर कोरिया	—	—	0.020	—	—	—
संयुक्त राज्य अमेरिका	—	—	0.109	—	0.056	—
पश्चिमी जर्मनी	—	—	0.176	—	0.115	—
मलेशिया	—	—	0.011	—	—	—
ताईवान	—	—	0.060	—	0.059	—
इराक	—	—	0.032	—	0.090	—
ईरान	—	—	—	—	0.031	—
भिलाई (भारत)	—	—	0.019	—	—	—
योग :	77.62		116.39		174.40	

विदेशी मुद्रा भण्डार

173. श्री ए० के० ए० अब्दुल समद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1988, 89 और 90 को और 1990-91 के दौरान प्रत्येक महीने की पहली तारीख को "एस० डी० आर०" और रुपयों में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति क्या थी; और

(ख) 1990-91 के दौरान संस्थागत और वाणिज्यिक ऋणों सहित कुल कितना विदेशी ऋण वास्तव में एस० डी० आर०/रुपयों के खातों में डाला गया ।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक अप्रैल, 1988, 89 और 90 तथा वर्ष 1991 के दौरान (फरवरी, 1991 तक) प्रत्येक माह की पहली तारीख को रुपए और एस० डी० आर० के रूप में भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां, विशेष आहरण अधिकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण शामिल हैं, की स्थिति संलग्न विवरण-1 में दी गई है ।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान हमारे खाते में क्रेडिट किए गए विदेशी ऋणों का, एस० डी० आर० और रुपए के रूप में, मूल्य भी संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण-1

निम्नलिखित तारीख को	विदेशी मुद्रा भण्डार करोड़ रुपए*	लाख एस० डी० आर०**
1	2	3
1-4-1988	7687	44860
1-4-1989	7040	37150
1-4-1990	6251	30450
1-5-1990	5700	27830
1-6-1990	5882	28210
1-7-1990	5843	27840
1-8-1990	5541	26010
1-9-1990	6001	27120
1-10-1990	5656	25230
1-11-1990	11241	43240

1	2	3
1-12-1990	10343	40010
1-1-1991	9302	36590
1-2-1991	11973	44920

टिप्पणी : *सोने का मूल्य 16 अक्टूबर, 1990 तक 84.39 रु० प्रति 10 ग्राम और उसके बाद इसके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के निकट रखा गया है।

**सोने का मूल्य 16 अक्टूबर, 1990 तक, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी में रखे मूल्य के अनुसार 35 एस० डी० आर० प्रति फाइन ट्राय औंस और उसके बाद इसके अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के निकट रखा गया है।

विवरण-2

एस डी आर के रूप में निर्विष्ट उन विदेशी ऋणों का मूल्य जो सरकारी खाते में क्रेडिट किए गए

संस्था	तारीख/अवधि	लाख एस डी आर	करोड़ रुपए के समतुल्य
1. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	1-4-1990 से 31-12-1990 तक	2969.57	720.15
2. आई एफ ए डी	1-4-1990 से 31-12-1990 तक	34.92	8.27
3. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	23-1-1991	12688	2858.7

इस्पात संयंत्रों द्वारा क्षमता उपयोग

174. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90 के दौरान तथा 1990-91 में (अब तक) इस्पात का कितनी-कितनी मात्रा में उत्पादन, आयात एवं निर्यात हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता कितनी-कितनी थी और कितनी क्षमता का उपयोग किया गया; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान क्षमता का और अधिक उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) वर्ष 1987-88 तथा उसके बाद उत्पादित आयातित तथा निर्यातित तैयार इस्पात की मात्रा निम्नानुसार है :

(लाख टन)

वर्ष	उत्पादन	आयात	निर्यात*
1987-88	116.84	16.9	0.42
1988-89	128.43	16.0**	1.13
1989-90	129.96	13.6**	2.32
1990-91	108.68 (जनवरी, 91 तक)	लागू नहीं होती**	3.05 (संभावित)

**केवल प्रमुख पत्तनों के माध्यम से आयात-महा निदेशक, वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी, कलकत्ता ने सही आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए हैं।

*केवल मुख्य उत्पादकों द्वारा निर्यात से सम्बन्धित हैं।

(ख) स्थापित क्षमता के सम्बन्ध में इस्पात संयंत्रों की क्षमता उपभोग निम्नानुसार है :—

	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91 (संभावित)
सेल	77%	81%	76%	78%
टिस्को	110%	112%	94%	93% (अनुमानित)
गौण उत्पादक*	लागू नहीं होता	72% से 90%	65% से 90%	लागू नहीं होता

*कुल 169 चालू इकाइयां हैं और क्षमता उपभोग ऊपर दिए अनुसार है।

(ग) "सेल" संयंत्रों में क्षमता उपभोग में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. उपयुक्त किस्म तथा अपेक्षित मात्रा में आदानों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना जिसमें कम राख की मात्रा वाला कोककर कोयला भी शामिल है।

2. निजी विद्युत उत्पादन का संवर्द्धन एवं इष्टतमीकरण ।

3. बेहतर उपलब्धता के लिए संयंत्र तथा उपस्करों का सही अनुरक्षण ।

4. प्रौद्योगिकीय मानकों का कड़ाई से पालन ।

5. उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता में सहायक कार्य में परिवर्तन ।

6. जानकारी तथा जिम्मेदारी की भावना में वृद्धि करना ।

7. संयंत्रों का आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन ।

टिस्को में क्षमता उपभोग लाइसेंस क्षमता से अधिक है ।

गौण उत्पादकों को उनकी क्षमता के उपभोग में सुधार को ध्यान में रखते हुए उनके संयंत्रों को आधुनिक बनाने तथा ऊर्जा कार्यक्षम उपस्करों को स्थापित करने की अनुमति दी जाती है ।

मुद्रा-स्फीति दर

175. **श्री एस० कृष्ण कुमार : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान मुद्रा-स्फीति की दर में और वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पिछले दो महीनों (दिसम्बर, 1990 और जनवरी, 1991) के दौरान थोक मूल्य सूचकांक, (आधार 1981-82=100) जो 24 नवम्बर, 1990 को 185.3 था, 26 जनवरी, 1991 को 188.9 हो गया, जो 1.9 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है ।

(ग) और (घ) सरकार ने मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए बहुत से उपाय किए हैं । इनमें, सरकारी व्यय में कटौती करके सख्त राजकोषीय अनुशासन बरतना, अर्थव्यवस्था में नकदी के विस्तार पर नियन्त्रण करना, आवश्यक/संवेदनशील वस्तुओं की पूर्ति व मांग के सम्बन्ध में अधिक प्रभावी प्रबन्ध करना तथा जमाखोरों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करना शामिल है ।

केरल में कृषि ऋणों का माफ किया जाना

176. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत ऋणों की माफी के लिए केरल सरकार को कुल कितनी राशि की सहायता दी गई है;

(ख) क्या केरल सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत ऋणों को माफ करने के लिए और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि 18 फरवरी, 1991 तक उन्होंने केरल राज्य सहकारी बैंक और केरल राज्य भूमि विकास बैंक को ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के 50 प्रतिशत के हिस्से के रूप में 28.33 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया है और योजना के तहत राज्य सरकारों के 50 प्रतिशत हिस्से को पूरा करने के लिए उपर्युक्त सहकारी बैंकों को ऋण के रूप में 28.33 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) केरल राज्य सरकार ने भारत सरकार के पास अभ्यावेदन भेजा है कि वह कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के तहत सहकारी बैंकों के ऋण राहत के सम्पूर्ण भार को वहन करें। तथापि, केन्द्र सरकार सहकारी बैंकों के लिए योजना की लागत के 50 प्रतिशत को वहन करने के लिए सभी राज्यों के प्रति एक समान रवैया अपना रही है।

पुनलूर पेपर मिल

177. **श्री सुरेश कोडीक्कुन्नील** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनलूर पेपर मिल के प्रबन्धन ने अपनी मिल पुनः चालू करने के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम और केनरा बैंक से ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मिल को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो मिल को कब तक पुनः चालू कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) चूंकि कम्पनी और उसके प्रवर्तक अपनी देय राशियों के लिए वित्तीय संस्थाओं और बैंक के साथ अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं, अतः मिल को फिर से खोलने की तारीख सम्बन्धी सम्भावित समय सीमा का उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

राजस्थान में सीमेंट के कंक्रीट ब्लाकों पर उत्पादन शुल्क न लगाया जाना

178. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, राजस्थान ने केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड से इस आशय का अनुरोध किया है कि उसे राजस्थान राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निर्मित लागत-पूर्व सीमेंट कंक्रीट टाइलों/ब्लाकों की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट देते हुए इन्दिरा गांधी नगर के निर्माण में केवल लाइनिंग सामग्री के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दी जाए, ताकि अत्यधिक निर्माण लागत को कम किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम, 1944 की धारा 5(क)(2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी से छूट दिनांक 23 जनवरी, 1991 के आदेश सं० 1/91 द्वारा दी गई है ।

जामनगर, गुजरात में बैंक शाखाओं में धोखाधड़ी और चोरी के मामले

179. **श्री चन्द्रेश पटेल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 जनवरी, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक जामनगर, गुजरात में स्थित कुछ बैंकों की शाखाओं में धोखाधड़ी और चोरी के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) इनमें कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) इन मामलों में कितने व्यक्ति सम्मिलित हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1 जनवरी, 1990 से 31 जनवरी, 1991 की अवधि के दौरान जामनगर स्थित किसी बैंक से भी चोरी के मामले की सूचना नहीं मिली है । जहां तक धोखाधड़ियों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऐसी जानकारी शहर-वार नहीं रखी जाती, अतः यह उपलब्ध नहीं है ।

गुजरात के जामनगर और राजकोट जिलों में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

180. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री एस० एन० वेकारिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जामनगर और राजकोट जिलों में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1990 से 31 जनवरी, 1991 तक ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा उपयुक्त सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना

[हिन्दी]

181. **श्री छेदी पासवान** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बिहार सरकार की ओर से बिहार में छोटे इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) से (ग) बिहार के सिंह भूम जिले के चन्देल में 2,50,000 टन वार्षिक तप्त बेल्लित क्वायलों और कम मात्रा के मिश्र धातु की चादर परियोजना स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने हेतु बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (बिहार सरकार का एक उपक्रम) से जून, 1989 में एक आवेदन प्राप्त हुआ था। आवेदित क्षमता बाद में 5,00,000 टन वार्षिक तक बढ़ा दी गई। यह आवेदन पत्र प्रेस नोट सं० 37 (1988) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद उन सभी आवेदकों जिन्होंने प्रैस नोट सं० 37 (1988) के अन्तर्गत आवेदन किया था, को यह सलाह दी गयी थी कि चाहे तो प्रैस नोट संख्या 6(1990) के अन्तर्गत नया आवेदन कर सकते हैं। तथापि, बिहार राज्य सरकार अथवा इसके किसी उपक्रम से प्रैस नोट सं० 6 (1990) के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा स्वयं संसाधन जुटाया जाना

[अनुवाद]

182. **श्री के० एस० राव** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड ने आठवीं योजनावधि के दौरान स्वयं अधिक से अधिक संसाधन जुटाने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो आन्तरिक संसाधनों से कितनी राशि जुटाने का विचार है; और

(ग) इन संसाधनों का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) आठवीं योजनावधि के दौरान सेल (सहायक कम्पनियों को छोड़कर) द्वारा 4,785 करोड़ रुपए के सकल आन्तरिक ससाधनों का सृजन करने की योजना है।

(ग) इन संसाधनों का उपयोग ऋणों के भुगतान और संयंत्रों तथा उपस्करों के आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकीय उन्नयन, परिवर्द्धन, संशोधन तथा प्रतिस्थापन आदि के लिए विभिन्न पूंजीगत योजनाओं पर पूंजी-निवेश के आंशिक वित्त पोषण हेतु किया जाएगा।

एस० बी० आई० कैपीटल मार्केटस लिमिटेड द्वारा निवेश लिखतों को प्रारम्भ करना

183. **श्री० के० एस० राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० बी० आई० कैपीटल मार्केटस लिमिटेड का घरेलू और अनिवासी निवेशकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निवेश लिखित का एक पैकेज प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों के लिए एक विशेष अनिवासी कोष की स्थापना का भी प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इस कोष की स्थापना के उद्देश्य क्या है; और

(ङ) नई लिखतों को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों में मिलाना

184. **श्री के० एस० राव** : या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों में न मिलाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में लाभप्रद और उपयोगी बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इन बैंकों को प्रति वर्ष दी जाने वाली सब्सिडी की अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का वाणिज्यिक बैंकों के साथ विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन अपने परिचालन क्षेत्र के ग्रामीण ग्राहकों की सेवा के लिए किया गया था और ये ग्रामीण ऋणों के सन्दर्भ में बहु-एजेंसियों सम्बन्धी दृष्टिकोण का एक भाग हैं।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अर्थक्षम बनाने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

(i) जारी पूंजी में वृद्धि।

(ii) प्रायोजक बैंकों के पुनर्वित्त ब्याज की दर को 8.5 से घटाकर 7 प्रतिशत प्रति वर्ष करना,

(iii) स्केल IV तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारियों की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति ।

(iv) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सहायता तथा मार्गदर्शन देने के लिए प्रायोजक बैंकों को और अधिक जिम्मेदारी सौंपना,

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण में सुधार के लिए भारत सरकार तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उनके कार्यनिष्पादन की समय-समय पर अनुवीक्षा की जाती है ।

सरकार ने वर्ष 1990-91 में 42 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त शेयर पूंजी के रूप में 5.25 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। आने वाले वर्ष में इसको और बढ़ाने का प्रस्ताव है।

हीरो और आभूषणों का निर्यात

185. श्री के० एस० राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान हीरों, रंगीन जैमस्टोन्स, सोने के आभूषणों और सोने से इतर आभूषणों के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन मदों के निर्यात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हीरे तथा आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद द्वारा वर्ष 1991 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान 5479.37 करोड़ रुपए (अनन्तिम) मूल्य के रत्न एवं आभूषणों के निर्यात हुए जबकि वर्ष 1988-89 में 4580.96 करोड़ रुपए के ही निर्यात हुए थे। इस प्रकार इसमें 19.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) रत्न एवं आभूषण मदों के निर्यात निष्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निर्यात सम्वर्धन परिषद द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990-91 के लिए इसका अनुमान 5950 करोड़ रुपए का है।

विवरण

(मूल्य करोड़ रुपए में)

वर्ष	हीरा	मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्न	मोती	स्वर्ण आभूषण	स्वर्ण से इतर आभूषण	विदेशी पर्यटकों की बिक्री	योग
1987-88	2439.74	98.50	8.90	86.21	6.30	12.91	2652.56
1988-89	4238.18	146.74	7.72	171.42	7.26	9.64	4580.96
1989-90	4971.93	194.82	8.62	282.90	13.54	7.56	5479.37(अ)

स्रोत : जी जेई बी० सी०
(अ०=अनन्तिम)

10 जनवरी, 1991 "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "कर्नाटक काफी टैक्स वरीज सेन्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

186. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 जनवरी, 1991 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित "कर्नाटक काफी टैक्स वरीज सेन्टर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वास्तविक स्थिति और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई नीचे दी गई है :—

(i) कर्नाटक सरकार खरीद कर की दर 13 प्रतिशत रखे हुए है जबकि केरल और तमिलनाडु राज्यों में यह 6 प्रतिशत है। कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी दरों को कम से कम काफी उगाने वाले पड़ोसी राज्यों की दरों के बराबर ही कर दें।

(ii) वर्ष 1990-91 के लिए काफी के निर्यात का लक्ष्य 400 करोड़ रुपए का रखा गया था। चालू वित्त वर्ष के पहले दस महीनों के दौरान 87.134 मी० टन काफी निर्यात किया गया, जिसका मूल्य 239.99 करोड़ रुपए था। इनका कारण यह है कि 1989-90 में फसल कम रही। इसलिए वर्ष 1990-91 में यह बाजार में थोड़ी मात्रा में उपलब्ध हुई। इसके अतिरिक्त काफी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से भी 1990-91 में काफी

निर्यात से प्राप्त आय प्रभावित हुई है जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय काफी कोटा समाप्त करने के बाद काफी गिरावट आई है।

(iii) काफी की घरेलू खपत पिछले कई वर्षों से 55 हजार टन के लगभग स्थिर है। काफी की घरेलू खपत बढ़ाने के लिए काफी बोर्ड ने 63 लाख रुपए की लागत से तीन वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट और 9.5 करोड़ रुपए की लागत से पांच वर्ष के लिए परियोजना तैयार की हैं। ये परियोजनाएं योजना आयोग के विचाराधीन हैं।

लघु बचत के माध्यम से वसूल की गई धनराशि

187. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान लघु बचत के माध्यम से राज्यों ने अब तक कितनी धनराशि वसूल की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों से प्राप्त धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इसमें से राज्यवार कितनी-कितनी धनराशि प्राथमिकता क्षेत्रों पर व्यय करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राज्यों द्वारा अल्प बचतों के रूप में कोई राशि एकत्र नहीं की जाती है।

(ख) विभिन्न राज्यों में निवल अल्प बचत संग्रह संलग्न विवरण-1 में दर्शाए गए हैं।

(ग) राज्य में हुए निवल अल्प बचत संग्रह, उस राज्य को विकासात्मक प्रायोजनों के लिए दीर्घावधिक ऋण के रूप में दे दिए जाते हैं। वर्ष 1990-91 के दौरान (अब तक) राज्य सरकारों को मन्जूर किए गए ऋण संलग्न विवरण 2 में दर्शाए गए हैं।

विवरण-1

निवल अल्प बचत संग्रह

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91 (नवम्बर, 89 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	48718	31214
2.	अरुणाचल प्रदेश	122	73
3.	असम	24045	9038

1	2	3	4
4.	बिहार	42108	25800
5.	गोवा	4366	1214
6.	गुजरात	78076	40036
7.	हरियाणा	24505	9628
8.	जम्मू और कश्मीर	18061	2723
9.	हिमाचल प्रदेश	14725	5647
10.	कर्नाटक	44176	10457
11.	केरल	21839	9292
12.	मध्य प्रदेश	30702	11021
13.	महाराष्ट्र	49409	19135
14.	मणिपुर	294	161
15.	मेघालय	2888	340
16.	मिजोरम	95	95
17.	नागालैंड	260	81
18.	उड़ीसा	18205	18374
19.	पंजाब	38237	16817
20.	राजस्थान	33470	21369
21.	सिक्किम	124	95
22.	तमिलनाडु	32464	11491
23.	त्रिपुरा	2503	755
24.	उत्तर प्रदेश	113234	65937
25.	पश्चिम बंगाल	100414	55557

विवरण-2

वर्ष 1990-91 (अब तक) के दौरान राज्यों को निवल अल्प बचत संग्रहों के एवज में मंजूर किए गए ऋण

(लाख रुपए)

क्रम सं०	राज्य का नाम	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	38026

1	2	3
2.	अरुणाचल प्रदेश	369
3.	असम	11707
4.	बिहार	46350
5.	गोआ	3348
6.	गुजरात	58906
7.	हरियाणा	13791
8.	हिमाचल प्रदेश	7827
9.	जम्मू व कश्मीर	4941
10.	कर्नाटक	21780
11.	केरल	13142
12.	मध्य प्रदेश	20696
13.	महाराष्ट्र	71292
14.	मणिपुर	531
15.	मेघालय	806
16.	मिजोरम	383
17.	नागालैंड	479
18.	उड़ीसा	9120
19.	पंजाब	25008
20.	राजस्थान	26868
21.	सिक्किम	401
22.	तमिलनाडु	20109
23.	त्रिपुरा	2344
24.	उत्तर प्रदेश	81653
25.	पश्चिम बंगाल	68933

प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत

188. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ की न्यूनतम कीमत में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम का वर्ष 1991-92 के दौरान प्राकृतिक रबड़ के आयात किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कितनी मात्रा का आयात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) प्राकृतिक रबड़ का बाजार में उचित स्तर तक मूल्य बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) सरकार प्राकृतिक रबड़ की कोई न्यूनतम कीमत निर्धारित नहीं करती । किन्तु, यह प्राकृतिक रबड़ की आर० एम० ए० 4 ग्रेड के लिए बैंचमकि कीमत निर्धारित करती है । प्राकृतिक रबड़ के आर० एम० ए० 4 ग्रेड के लिए बैंचमकि कीमत दिनांक 15-1-1991 से 17800 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 21.450 रुपए प्रति मीट्रिक टन कर दी गयी है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1991-92 के दौरान आयातित रबड़ की मात्रा मांग पूर्ति के अन्तर पर निर्भर करेगी ।

(ङ) सरकार ने प्राकृतिक रबड़ की कीमत को उचित स्तर पर रखने के लिए बफर स्टाक स्कीम प्रारम्भ की है ।

पंजाब में औद्योगिक एककों को वित्तीय सहायता

189. **श्री कमल चौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक की बैंक वार एवं जिलेवार कितनी-कितनी शाखाएं चल रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान पंजाब में उक्त बैंकों द्वारा बैंक-वार कितने लघु औद्योगिक एककों का वित्त पोषण किया गया;

(ग) पंजाब में कितने लघु औद्योगिक एककों ने रुग्ण एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए अतिरिक्त वित्त अथवा सुविधाएं देने की मांग की है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त बैंकों द्वारा बैंक-वार कितने मामलों में अर्थक्षम सुविधाएं मन्जूर की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार पंजाब में कार्यरत पंजाब नेशनल बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक की

शाखाओं की संख्या नीचे दी गयी है :

जिले का नाम	पंजाब नेशनल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
	शाखाओं की संख्या	
अमृतसर	55	30
भटिंडा	19	17
फरीदकोट	20	24
फिरोजपुर	28	22
गुरदासपुर	34	23
होशियारपुर	35	11
जालन्धर	52	37
कपूरथला	17	3
लुधियाना	35	27
पटियाला	17	9
रूपनगर	11	5
संगरूर	15	12

(ख) से (घ) भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार उन्होंने जनवरी 1988 से जनवरी 1991 तक की अवधि के दौरान पंजाब में 2896 इकाइयों को वित्त पोषित किया था। लाभ के पुनरुद्धार के लिए 9 रुग्ण इकाइयों ने बैंकों से सम्पर्क किया तथा गत तीन वर्षों के दौरान 5 इकाइयों को पुनरुद्धार सुविधा प्रदान की गयी।

पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने गत तीन वर्षों (1988-1990) में पंजाब की 13,558 लघु उद्योग इकाइयों को वित्त पोषित किया है। पुनरुद्धार सुविधा के लिए 39 रुग्ण इकाइयों द्वारा बैंक से सम्पर्क किया गया था तथा उपरोक्त अवधि के दौरान 12 इकाईयों को उसकी स्वीकृति दी गयी है।

आर० ई० पी० लाइसेन्सों की वैधता की अवधि बढ़ाना

190. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यात संगठन संघ, नई दिल्ली ने सरकार से, जारी किए जा रहे अथवा जारी किए गए आर० ई० पी० लाइसेन्सों की वैधता अवधि को 18 महीने से बढ़ाकर 24 महीने करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली, ने सुझाव दिया है कि सभी आर० ई० पी०/अतिरिक्त लाइसेन्सों की वर्तमान वैधता 18 महीनों के बजाय 24 महीने तक के लिए बढ़ा दी जाए। लेकिन इस सुझाव को स्वीकृत नहीं किया गया है।

निर्यात गृहों के रूप में मान्यता देने के लिए हस्तशिल्प और अन्य उत्पादों के निर्यात हेतु रियायतें

191. प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्यात गृहों के रूप में मान्यता देने के लिए अपेक्षित शर्तों के मामले में हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात हेतु रियायतें दी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित सिलेसिलाए वस्त्रों आदि जैसे अन्य उत्पादों से जिनमें अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलता है के मामले में ये रियायतें देने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) आयात निर्यात नीति और क्रियाविधियों की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते है।

पूर्वी तट में मुक्त बन्दरगाह या मुक्त व्यापार क्षेत्र

192. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पूर्वी तट में मुक्त बन्दरगाह का मुक्त व्यापार क्षेत्र विकसित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो इसे स्थापित करने के लिए कौन सा स्थान चुना गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) देश में मुक्त पत्तन स्थापित करने की वांछनीयता और सम्भाव्यता की जांच करने तथा उसके लिए उपयुक्त स्थल की सिफारिश करने के लिए अभी हाल ही में एक समिति बनाई गयी है।

निर्यात निरीक्षण प्राधिकरण

193. श्री प्रतापराव बी० भोंसले : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्क्रैप निर्यात निरीक्षण प्राधिकरण के सम्बन्ध में कुछ अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) कुछ समाचारपत्रों में ऐसी रिपोर्ट छपी है ।

(ख) और (ग) निर्यात निरीक्षण एजेन्सियों को समाप्त करने का ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की आकस्मिक प्रतिपूरित वित्तपोषण सुविधा

194. **श्री प्रतापराव बी० भोंसले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने आकस्मिक प्रतिपूरित वित्त पोषण सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस ऋण की क्या शर्तें हैं; और

(घ) सरकार का ऐसे क्या कदम उठाने का विचार है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न आए ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : जी, हां ।

(ख) भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्रतिपूर्ति एवं आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा, जो सदस्य राष्ट्रों को उपलब्ध है, के अन्तर्गत संसाधन प्राप्त करने के लिए सम्पर्क किया था ताकि तेल-आयात की लागत में हुई भारी वृद्धि को पूरा किया जा सके । 18 जनवरी, 1991 को भारत को प्रतिपूर्ति एवं आकस्मिक वित्तपोषण सुविधा के अन्तर्गत 7169 लाख एस० डी० आर० की निकासी के लिए प्राधिकृत कर दिया गया था । इस राशि की निकासी 23 जनवरी, 1991 को कर ली गई थी ।

(ग) जो राशि निकाली गई है उसकी वापसी अदायगी बराबर-बराबर की आठ तिमाही किस्तों में की जानी है और पहली किस्त निकासी की तारीख (23 जनवरी, 1991) के 3 वर्ष 3 महीने बाद देय होगी । इस राशि पर ब्याज की दर वह होगी जिसका निर्धारण कुछ समायोजनों के साथ एस० डी० आर० की प्रचलित ब्याज दर के आधार पर समय-समय पर किया जाता है । (23 जनवरी 1991 को यह दर लगभग 9 प्रतिशत थी । इस समय यह दर 8.4 प्रतिशत है ।)

(घ) वित्त मन्त्री ने 27 दिसम्बर, 1990 को संसद के समक्ष दिए गए एक वक्तव्य में समस्याओं और अभीष्ट कार्रवाई के बारे में ब्यौरा दिया था ।

इलायची का आयात

196. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला बोर्ड ने इलायची का आयात बन्द करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) और (ख) इलायची के आयात की अनुमति नहीं है। इसकी अनुमति केवल अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत न्यूनतम निर्धारित मूल्यवर्धन पर इसका पुन निर्यात किए जाने के लिए ही दी जाती है।

काफी का उत्पादन और निर्यात

197. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान आज तक कितनी मात्रा में काफी का निर्यात किया गया है;

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में काफी का उत्पादन हुआ है;

(ग) क्या गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष काफी के उत्पादन में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल) : (क) अप्रैल, 1990 से जनवरी, 1991 के अन्त तक की अवधि के दौरान कुल 87,134 मी० टन काफी का निर्यात हुआ है।

(ख) वर्ष 1990-91 के दौरान 1,73,000 मी० टन काफी का उत्पादन होने की आशा है।

(ग) और (घ) वर्ष 1989-90 के दौरान काफी का जो उत्पादन हुआ था, वह उससे पिछले वर्ष 1988-89 में हुए उत्पादन की तुलना में बहुत ही कम था। विगत पांच वर्षों में हुए काफी उत्पादन के आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं : –

वर्ष	फसल (मी० टन)
1985-86	1,22,450
1986-87	1,92,260
1987-88	1,23,000
1988-89	2,15,000
1989-90	1,17,800

काफी का मूल्य

198. **श्री के० मुरलीधरण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काफी उत्पादकों को दी जा रही वर्तमान वित्तीय राज सहायता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने काफी उत्पादकों की काफी के समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की मांग पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(घ) काफी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) काफी का कोई समर्थन मूल्य नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्य ध्यान प्रति यूनिट क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने पर है, न कि खेती के क्षेत्र का विस्तार करने पर ।

उद्योगों के विकास हेतु राज्य वित्त निगम द्वारा सहायता

[हिन्दी]

199. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** 20 प अप्रैल, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5764 के उत्तर म के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे तकनीकी उद्यमियों के लिए आजीविका का कोई प्रबन्ध किया गया है जिन्हें संस्थान द्वारा सहायता प्राप्त उद्योगों के रुग्ण होने की स्थिति में किसी अन्य परियोजना या उद्यमों में काम करने से रोका गया है;

(ख) क्या राजस्थान के वित्त निगम ने इन उद्यमियों पर कोई राजनैतिक साहित्य प्रकाशित करने पर रोक लगा रखी है;

(ग) यदि हां, तो यह पाबन्दी लगाने का क्या औचित्य है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध तथा कानूनों के अन्तर्गत अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिक्री कर समाप्त करना

200. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान बिक्री कर समाप्त करने के लिए मुख्य मंत्रियों की कई बैठकों का आयोजन किया गया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई सहमति हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकारों को बिक्री कर को समाप्त करने अथवा बिक्री कर की दरों में समानता लाने के लिए आदेश जारी करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(घ) जी नहीं, चूंकि बिक्री कर संविधान के अन्तर्गत राज्य का विषय है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एजेंसियों द्वारा धनराशि जुटाना

[अनुवाद]

201. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी ऐसे प्रस्ताव की जानकारी है जो खाड़ी युद्ध से काफी क्षतिग्रस्त हुए देशों को सहायता करने हेतु धनराशि जुटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त एजेन्सियों के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक समूह ने खाड़ी संकट से प्रभावित देशों को विशेष आपात सहायता के रूप में अतिरिक्त उधार देने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं—विस्थापित कामगारों का पुनर्वास, समायोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना, संवितरण तेज करने के लिए अधिक लागत साझेदारी की व्यवस्था और निम्न मध्यम आय वाले बहुत से ऐसे देशों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की रियायती सहायता देना जो इस समय अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के ऋणकर्ता हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में आकस्मिक एवं प्रतिपूर्ति वित्तपोषण सुविधा (सी० सी० एफ० एफ०) में संशोधन किया है ताकि सी० सी० एफ० एफ० के अन्तर्गत तेल-आयात के घटक को भी शामिल किया जा सके। यह व्यवस्था 1991 के अन्त तक उपलब्ध रहेगी तथा इसमें कच्चे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के आयात की बढ़ी हुई लागत शामिल होगी। एशियाई विकास बैंक ने बुरी तरह से प्रभावित विकासशील सदस्य देशों के रूप में बंगला देश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपाइन्स और श्रीलंका सहित कई देशों का निर्धारण किया है और ऋणों से होने वाली बचतों का उपयोग करके, परियोजना वित्त में बैंकों का हिस्सा बढ़ाकर, अग्रदाय निधि (इम्प्रेस्ट फण्ड) एवं आपात ऋणों का उपयोग करके अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात "स्टील रेलों" की बिक्री

202. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 में नार्दन लीजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को पुनंबिक्री किए जाने के लिए भारी मात्रा में स्टील रेलों की बिक्री की थी;

(ख) यदि हां, तो बेची गई मात्रा का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सप्लाई की गई प्रत्येक रेल की लम्बाई आठ मीटर से अधिक थी;

(घ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की आठ मीटर से अधिक लम्बाई वाली रेलों का सूची मूल्य क्या है और वे कितने मूल्य पर बेची गई;

(ङ) क्या ये रेलें टेस्ट इण्डस्ट्रियल यूच (आई० यू०) श्रेणी की थी;

(च) आई० यू० रेलों पर निर्धारित मार्किग का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा सप्लाई प्राप्त करने के लिए नार्दन लीजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में औपचारिक मुख्तारनामा जारी किया गया था;

(ज) क्या प्राधिकरण ने किसी अन्य विद्युत बोर्ड को या सीधे किसी ऐसे एजेन्ट या फायनेंसियर को कोई सामग्री बेची थी; और

(झ) यदि नहीं, तो सप्लाई की मंजूरी किसने दी थी और यह सप्लाई किन परिस्थितियों में की गई ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) मार्च, 1988 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के आधार पर 1988-89 के दौरान "सेल" द्वारा मैसर्स नार्दन लिजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को लगभग 3600 मी० टन अपरीक्षित (अनटेस्टिड) रेलें (52 कि० ग्रा०) सप्लाई की गई। 1989-90 और 1990-91 के दौरान उन्हें रेलें सप्लाई नहीं की गई।

(ग) जी, हां।

(घ) समय-समय पर प्रचलित संयुक्त संयंत्र समिति के मूल्यों पर सेल द्वारा रेल सप्लाई की जाती हैं। रेल की गुणता के आधार पर संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा मूल मूल्यों की घोषणा की जाती है न कि रेलों की लम्बाई के आधार पर। रेलों के मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

अपरीक्षित (अनटेस्टिड) रेलों का मूल्य ब्यौरा	रुपए/मी० टन (रेल शीर्ष स्टेशन के लिए, इसमें उत्पाद शुल्क शामिल नहीं है। प्रभावी तारीख			
	24-12-87	1-4-88	8-1-89	2-6-89
37 कि० ग्रा०	4990	5030	5630	5765
45 कि० ग्रा०	4960	5000	5600	5735
52 कि० ग्रा०	4960	5000	5600	5735
60 कि० ग्रा०	4940	4980	5680	5715

मैसर्स नार्दन लीजिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से वसूल किया गया वास्तविक मूल्य सुपुर्दगी की तारीख को सम्बन्धित गुणता और मात्रा के लिए लागू संयुक्त संयंत्र समिति का मूल्य था।

(ङ) जी, नहीं।

(च) औद्योगिक इस्तेमाल की रेलें परीक्षित श्रेणी की रेलें होती हैं जो भारतीय रेलवे द्वारा तैयार की गयीं विशिष्टियों के अनुरूप हैं। ये विशिष्टियां रेलों पर निम्नानुसार छाप लगाना निर्धारित करती हैं :—

"मार्किंग" प्रथम श्रेणी की रेलों के लिए आई० आर० एस० विशिष्टि में नं० टी-12 और 90 यू० टी० एस० रेलों के लिए ड्राफ्ट विशिष्टि में उल्लिखित मार्का के अलावा सुगम पहचान हेतु 18 मी० मीटर आकार के ये अक्षर—"आई० यू० जी० आर० अथवा "आई० यू० जी० आर०-II (इण्डिस्ट्रियल यू ग्रेड-I/II जैसा भी मामला हो कोर के दोनों छोरों के सामने तथा प्रत्येक छोर से 500 मी० मीटर की टू पर छोरों के दोनों तरफ छापे जायेंगे।

(छ) "सेल" से सप्लाई प्राप्त करने के लिए मैसर्स नार्दन लीजिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक प्राधिकार पत्र जारी किया गया था।

(ज) "सेल" द्वारा इस्पात और लोहे की सप्लाई उपभोक्ताओं को सीधे अथवा सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा वांछित उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों/एजेन्टों को की जाती है।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, प्रश्न-काल समाप्त हो गया है और अब शून्य-काल है। वास्तव में मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आप अपने विवेकानुसार स्थगन प्रस्ताव के बारे में

और उसके विषय के बारे में निर्णय दें। आप यहां पर उच्चतम पद पर आसीन हैं और आपको ही निर्णय लेना है। लेकिन मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूं कि खाड़ी युद्ध के मामले पर सभा में मत विभाजन करना ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : सभा में मत विभाजन होना चाहिए। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष के बीच एकता नहीं हो सकती है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, आप उच्चतम निर्णायक हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि स्थगन प्रस्ताव संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों को ईंधन देने के विषय से ही सम्बन्धित हो।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को जानकारी देता हूं कि मुझे निम्नलिखित सदस्यों से संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों को ईंधन देना बन्द करने के लिए समय पर निर्णय लेने तथा घोषित राष्ट्रीय विदेश नीति के अनुरूप खाड़ी युद्ध के बारे में उचित पहल करने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव की चौंतीस सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :—

1. श्री यमुना प्रसाद शास्त्री, 2. श्री सन्तोष भारतीय, 3. श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा, 4. प्रो० सैफुद्दीन सोज, 5. प्रो० मधु दण्डवते, 6. श्री इन्द्रजीत गुप्त, 7. डा० चिन्ता मोहन, 8. श्री मंजय लाल, 9. डा० वेंकटेश कांबड़े, 10. श्री एम० एस० पाल, 11. श्री हरि किशोर सिंह, 12. श्री राम सिंह, 13. श्री तसतीमुद्दीन, 14. श्री आई० के० गुजराल, 15. डा० एस० पी० यादव, 16. श्री पलास बर्मन, 17. श्री श्रीकान्त जेना, 18. श्री अनादि चरण दास, 19. श्री ए० के० राय, 20. श्री बसुदेव आचार्य, 21. डा० विप्लव दास गुप्त, 22. श्री सुदर्शन राय चौधरी, 23. श्रीमती सुभाषिनी अली, 24. श्री गोपाल पचेरवाल, 25. श्री सोमनाथ चटर्जी, 26. श्री सैफुद्दीन चौधरी, 27. श्री हरिशंकर महाले, 28. श्री राम विलास पासवान, 29. श्री भजमन बेहेरा, 30. श्री हर्ष बर्धन, 31. श्री युसूफ बेग, 32. श्री गंगा चरण लोधी, 33. श्री० के० पी० उन्नीकृष्णन, 34. श्री चित्त बसु।

मैं श्री ए० के० राय, जिन्होंने बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, को निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं :—

> "संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों को ईंधन देना बन्द करने के लिए समय पर निर्णय लेने तथा घोषित राष्ट्रीय विदेश नीति के अनुरूप खाड़ी युद्ध के बारे में उचित पहल करने में सरकार की असफलता।"

[हिन्दी]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ का मामला कब लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार भी है, मैं लूंगा । मैं आपको बाद में बताऊंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा । प्रतापगढ़ के बारे में जोर से बहस होगी और जमकर बहस होगी ।

(व्यवधान)

श्री फूलचन्द्र वर्मा (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा यह है कि हरिजन वाला मामला कब लेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बता रहा हूं कि प्रतापगढ़, हरिजनों के मामले पर जोर से बहस होगी ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों को ईंधन देना बन्द करने के लिए समय पर निर्णय लेने तथा घोषित राष्ट्रीय विदेश नीति के अनुरूप खाड़ी युद्ध के बारे में उचित पहल करने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसकी अनुमति दिए जाने का विरोध किया जाता है । अनुमति का विरोध नहीं किया गया है ।

अनुमति दी जाती है ।

डा० तम्बि दुरै (करुर) : आप इस पर चर्चा के लिए कितना समय दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : $2\frac{1}{2}$ घंटे ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : समय चार घंटे होना चाहिए ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि श्री ए० के० राय बोलें, मैं एक मिनट में पेपर्स-लेड करवा देता हूं ।

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि

[हिन्दी]

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : मैं श्री दिग्विजय सिंह

की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 686 (अ), जो 1 अगस्त, 1990 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 86/90 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि "फर्म" शब्द के स्थान पर "यूनिट" शब्द प्रतिस्थापित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 843 (अ), जो 16 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय श्वेत आर्कटिक लोमड़ी पर्सियन मेमना और शशकों (श्याम सीमा-शुल्क से आंशिक छूट देना है ताकि इन पर 20 प्रतिशत का मूल और श्वेत) के विनिर्दिष्ट फरदार चर्म को मूल सीमा-शुल्क लगाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 844 (अ), जो 16 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट फरदार चर्मों पर 5 प्रतिशत अनुषंगी शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 845 (अ), जो 16 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 अगस्त, 1988 की अधिसूचना संख्या 228/88 सी० शु० से संलग्न प्राधिकृत कार्य केन्द्रों को सारणी में सात और केन्द्रों के नाम सम्मिलित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 909 (अ), और 910 (अ), जो 15 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय, भारी जल (हैवी वाटर) का आयात जब परमाणु ऊर्जा केन्द्रों में उपयोग के लिए किया गया हो तो उस पर लगने वाले यथा मूल्य 40 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क और पूरी अतिरिक्त तथा अनुषंगी शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 951 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कच्ची ऊन पर मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की सीमा शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 952 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कालीन श्रेणी की ऊन पर मूल्यानुसार 5 प्रतिशत की मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर मूल्यानुसार 10 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 953 (अ), जो 5 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रेशेदार वनस्पति (फाईबर्स वेजीटेबल) सामग्री से यांत्रिक अथवा रसायनिक तरीकों से व्युत्पन्न पल्प (रेयन ग्रेड) लकड़ी

के पल्प के अलावा) पर, भारत में उनके आयात पर लगने वाली मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क तथा पूरे अतिरिक्त शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 954 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रेयन ग्रेड लकड़ी के पल्प पर भारत में उनका आयात किये जाने पर लगने वाली मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क तथा पूरी अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 955 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 322/76 सी० शु० 29 जुलाई, 1986 की अधिसूचना संख्या 386/86 सी० शु० 22 अप्रैल, 1988 की अधिसूचना संख्या 140/88 सी० शुल्क, 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 97/89 सी० शु० तथा 20 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 35/90 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 956 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 178/90 सी० शु० तथा 179/90 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 957 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे कतिपय माल जिन पर आंशिक रूप से मूल शुल्क में छूट दी गई है पर 5 प्रतिशत से अधिक उपषंगी शुल्क से आंशिक छूट देना विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 958 (अ) जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसे कतिपय माल जिन पर अधिसूचना द्वारा आंशिक रूप से मूल शुल्क से छूट दी गई है पर 25 प्रतिशत से अधिक उपषंगी शुल्क से छूट देना विहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 959 (अ) जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 183-सी० शु० तथा 184 सी० शु० का विखंडन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 969 (अ) जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सौ प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपक्रम या मुक्त व्यापार क्षेत्र के भीतर किसी यूनिट को सप्लाई किए गए विनिर्दिष्ट अन्तिम उत्पादों के विनिर्माण के लिए पुनः पूर्ति के रूप में आयातित कच्ची सामग्री

और संघटकों को सीमा शुल्कों की अदायगी से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० नि० 970 (अ) जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय आयल सेक्टर को सप्लाई करने हेतु माल के विनिर्माण के लिए पुनः पूर्ति के रूप में आयातित कच्ची सामग्री और संघटकों पर सीमा शुल्कों की अदायगी से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० का० नि० 972 (अ) जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 अप्रैल, 1987 की अधिसूचना संख्या 181/87 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा० का० नि० 980 (अ) जो 18 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एक मैगावाट और उससे अधिक क्षमता के विद्युत (जनरेटर सैटों सहित) उत्पादन की मशीनों और उपकरणों पर मूल्यानुसार लगने वाले 35 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क से तथा उन पर उद्ग्रहणीय समूचे अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा० का० नि० 981 (अ) जो 18 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 155/86 सी० शु० और 1 मार्च 1987 की अधिसूचना संख्या 59/87 सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 2127/91]

(2) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(एक) सा० का० नि० 782 (अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे प्लास्टिक की पट्टियों अथवा प्लास्टिक की टेपों से बनाए गए प्लास्टिक के बैगों अथवा सैकों पर छूट उपलब्ध न हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 782 (अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्र ाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्लास्टिक की पट्टियों अथवा प्लास्टिक के टेपों से बनाए गए प्लास्टिक के बैगों अथवा सैकों पर उपलब्ध छूट को वापस लेना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 800 (अ) जो 20 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 53/88 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 823 (अ) जो 5 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो एरो-टायरों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से आंशिक छूट देने के बारे में है, ताकि इन टायरों पर 30 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया जा सके तथा का व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा० का० नि० 960 (अ), जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1 मार्च, 1988 की अधिसूचना संख्या 23/88-के० उ० शु० का विखण्डन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा० का० नि० 961 (अ) जो 15 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 982 (अ), जो 18 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 1 मेगावाट और इससे अधिक की क्षमता के विद्युत जनन सेटों को उन पर लगने वाले पूरे उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखीं गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 2128/91]

(3) सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 1991 जो 9 जनवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 16 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2129/91]

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष, 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखता हूं :

(1) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2130/91]

12.08½ म० प०

विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक
राज्यसभा द्वारा यथा पारित

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मैं विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, सभा पटल पर रखता हूं।

———

12.08½ म० प०

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 5 अक्तूबर, 1990 को सभा को सूचित करने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :—

1. छावनी (संशोधन) विधेयक, 1991
2. कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 1991
3. विनियोग विधेयक 1991
4. असम विनियोग विधेयक 1991
5. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 1991

महोदय, मैं 5 अक्तूबर, 1990 को सभा को सूचित करने के पश्चात् गत सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं :—

1. लोक दायित्व बीमा विधेयक, 1991
2. संसद में विपक्ष के नेता का वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक, 1991
3. भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक, 1991
4. भारतीय रिजर्व बैंक (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1991
5. जम्मू और कश्मीर दण्ड विधि संशोधन (संशोधनकारी) विधेयक, 1991
6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा की शर्तें) विधेयक, 1991

———

12.09 म० प०

रेल अभिसमय समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (दुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य अनुषंगी मामलों सम्बन्धी रेल अभिसमय समिति का तीसरा प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : महोदय, आपकी अनुमति से, मैं विपक्ष की ओर से सरकार द्वारा पूरा बजट प्रस्तुत न करने और इसके स्थान पर लेखानुदान प्रस्तुत करने के सरकार के निर्णय का विरोध करता हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सर्वसम्मत विपक्ष।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : समूचा विपक्ष। मेरा विचार है कि यह निर्णय पूरी तरह से अनुचित है। यह उचित नहीं है। अर्थव्यवस्था पर इसके गम्भीर परिणाम होंगे। मुझे विश्वास है कि दो या तीन महीनों के बाद सरकार चाहे यह सरकार रहे या नहीं—स्वयं यह महसूस करेगी कि इस प्रस्ताव को जो चाहे किसी के भी कहने पर लाया गया है। स्वीकार करके इसने देश के लिए बड़ा अहितकर कार्य किया है। इस सत्र को बजट सत्र कहा जाता है, तथा इस दौरान बजट पेश न करने सम्बन्धी इस निर्णय से वह नाम अब मिथ्या होकर रह गया है। यह बजट सत्र नहीं रहा है। वास्तव में हमने लोक सभा सचिवालय से औपचारिक संदेश प्राप्त हुए हैं। मैंने 15 फरवरी का बुलेटिन देखा है जिसमें हमें बताया गया था। सदस्यों को सूचित किया गया है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 204 के अनुसरण में राष्ट्रपति ने वित्त वर्ष 1991-92 के आम बजट तथा रेलवे बजट के प्रस्तुतीकरण के लिए निम्न तारीखें निश्चित की हैं: रेलवे बजट—सोमवार, 25 फरवरी 1991...

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : किस रूल के तहत आपका प्वाइण्ट आफ आर्डर है, कौन सा रूल वायलेट हुआ है?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आडवाणी जी द्वारा लेखानुदान के प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य देने पर या

उनके इस सुझाव पर कि पूरा बजट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन मेरी आपत्ति यह है कि आपने श्री राय के स्थगन प्रस्ताव की सूचना स्वीकार कर ली थी और कहा था कि अब हम स्थगन प्रस्ताव लेंगे। तो अब किस नियम के अधीन श्री आडवाणी जी बोल रहे हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही को नियमित करना होता है। आप इस बात को जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अब श्री आडवाणी।

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं लोक सभा बुलेटिन संख्या 1152 को उद्धृत कर रहा था जिससे हमें पता चला कि आम बजट गुरूवार 28 फरवरी, 1991 को प्रस्तुत किया जाएगा। मुझे कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रपति के निर्देश के अधीन है जो इस बुलेटिन को प्रचालित किया गया है, और यह निर्देश से स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति को वार्षिक वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण के लिए तारीखें निर्धारित करनी होती है। मैं नहीं जानता कि क्या राष्ट्रपति के इस विशेष निर्णय को औपचारिक रूप से रद्द किया गया है, क्योंकि हम तो इतना ही जानते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि सरकार पूरा बजट प्रस्तुत करना नहीं चाहती··· (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : महोदय, जो कुछ वह कह रहे हैं किसी भी समय कहा जा सकता है अब यह नियम है। हम आपका सम्मान करते हैं, महोदय, लेकिन एक बार आप कहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव ले लिया है···(व्यवधान) श्री ए० के० राय ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आपने अपनी सहमति दी है (व्यवधान) अब किस नियम के तहत (व्यवधान) महोदय, हम स्वीकार करते हैं कि आप इस सदन के प्रमुख हैं, लेकिन किस नियम के तहत आप यह कहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव अब स्थगित हो गया है और आडवाणी जी को इन मुद्दों को उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री ए० के० राय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं उन्हें यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा। स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना मेरा काम है।

श्री बसन्त साठे : एक बार स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद क्या कोई सदस्य खड़ा होकर यह सब बातें कह सकता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मन्त्री जी को पहले पत्र रखने की अनुमति दी है।

श्री बसन्त साठे : पत्र रखना अलग बात है। महोदय, क्या आप स्थगन प्रस्ताव को रोकने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आपको ऐसा किसने बताया है?

श्री वसन्त साठे : फिर आपने विपक्ष के माननीय नेता द्वारा दूसरा विषय उठाए जाने की अनुमति क्यों दी है ? मैं यह जानना चाहता हूं। कृपया हमें बताइए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ए० के० राय को स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दूंगा।

श्री वसन्त साठे : समूचा प्रश्न-काल व्यर्थ चला गया था। और हमारे पास स्थगन प्रस्ताव के बजाय अब यह रह गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप किस नियम के तहत इसकी अनुमति दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदन की अनुमति से मैंने पत्र रखने की अनुमति दी थी और श्री आडवाणी को वक्तव्य देने की भी अनुमति दी थी।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकरा) : फिर हमें भी अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री वसन्त साठे : तब हम इस विषय पर चर्चा शुरू करें, न कि स्थगन प्रस्ताव पर। **(व्यवधान)**

प्रो० पी० जे० कुरियन : यदि आप उन्हें अपना निवेदन करने की अनुमति दे रहे हैं तो कृपया आप हमें भी उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की अनुमति दीजिए **(व्यवधान)** यह नियमों का उल्लंघन है। यदि आप विपक्ष के नेता को इस पर कुछ कहने की अनुमति देते हैं, तो हमें भी इस पर कुछ कहने की भी अनुमति दी जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री आडवाणी को अनुमति दी है।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या हमसे यहां यही सब कुछ करने की अपेक्षा की जाती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : निश्चय ही अध्यक्ष नियमों से ऊपर नहीं है, वह किसी को किसी भी समय कोई मुद्दा उठाने के लिए अनुमति दे सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने विपक्ष के नेता को अपना निवेदन करने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : क्या आपने अपना विनिर्णय दिया है कि स्थगन प्रस्ताव को स्थगित किया जाए ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरफ से भी किसी को बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यह नियमों का उल्लंघन है।(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई रिएक्ट करना चाहे, तो कर सकता है।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे न आप ने ही विपक्ष के नेता और न ही हममें से कोई नियमों से ऊपर है। हम नियमों के अधीन हैं। मैं आपसे यह बताने का अनुरोध करूंगा कि जब स्थगन प्रस्ताव लिया जा चुका है तो किस नियम के अधीन आप श्री आडवाणी जी को अपना निवेदन करने की स्वीकृति दे रहे हैं। कृपया हमें नियम बताइए। हम नहीं जानते कि क्या आपने सभी नियमों को निरस्त कर दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने हाऊस से पूछकर और मिनिस्टर को कन्सल्ट करके किया है।

[अनुवाद]

श्री वसन्त साठे : मुझे मालूम नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय को अभी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। उन्होंने अनुमति ले ली है।

(**व्यवधान**)

श्री वसन्त साठे : नहीं, नहीं। (**व्यवधान**) उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक स्थगन प्रस्ताव प्रक्रिया का सम्बन्ध है इसके दो भाग हैं। पहला भाग यह है कि सम्बन्धित सदस्य सभा की अनुमति प्राप्त करे। यदि अनुमति मिल जाती है तो अध्यक्ष महोदय सभा से विचार विमर्श कर समय निश्चित करें। इसलिए स्थगन प्रस्ताव और अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना दोनों अलग-अलग प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अनुमति दे दी गई है और जब आप स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आप बुलाएं तो उस समय उन्हें खड़ा होना है और प्रस्ताव प्रस्तुत करना है। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय…।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको पुनः अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने आपकी बात सुनी थी। व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : प्रो० दण्डवते ने इसकी गलत व्याख्या की है।(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री आडवाणी बोलें।

(**व्यवधान**)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मैंने कल अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांगी थी। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : मुझे यह पता है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : यह कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाए कि केवल पहला प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया : "मैं सभा की अनुमति से निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।" प्रक्रिया यह है कि अनुमति मिलने के बाद वह प्रस्ताव प्रस्तुत करें और तब बोलना शुरू करें। **(व्यवधान)**

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा दिया गया यह विशेष निर्देश, जिसके बारे में आपने नियम 204 के अनुसरण में हमें बताया था, औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया है या यह अभी भी लागू है ? क्या कोई औपचारिक सूचना आपको दी गई है कि संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा की गई व्यवस्था अब लागू नहीं है ? यह बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है जिसे सभा जानना चाहती है। चूंकि पूरे विपक्ष सहित मेरा भी यह विचार है कि सरकार द्वारा लिया गया यह विशेष निर्णय आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा और यह राजनीतिक अनिश्चितता और अस्थिरता की स्थिति और बढ़ा देगा जो इस सरकार के गठन के बाद से ही है और इसलिए कुल मिला कर यह देश के हितों के प्रतिकूल है। ऐसा निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए था। यदि सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जवाब हो तो उसे सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी।

श्री ए० के० राय : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। किन्तु, मैं नहीं चाहता कि मुद्दे पर कोई गलतफहमी पैदा हो। नोटिस जारी करने के पश्चात् बदली हुई परिस्थिति के बारे में राष्ट्रपति को सूचित किया गया था और जो कुछ भी किया गया है वह राष्ट्रपति के जानकारी और सहमति से किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस पर हमें कुछ कहना है। **(व्यवधान)**

श्री लालकृष्ण आडवाणी : इस सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय को एक सूचना 14 फरवरी को प्राप्त हुई। उसके एक दिन बाद यह बुलेटिन जारी किया गया। क्या उस सूचना विशेष को रद्द कर दिया गया।

12.22 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

अमरीका के विमानों को ईंधन देना बन्द करने के लिए समय पर निर्णय लेने तथा विदेश नीति के अनुरूप खाड़ी युद्ध के बारे में उचित पहल करने में सरकार की असफलता

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय, क्या आप कृपया स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैंने प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह प्रस्ताव करना है "कि सभा अब स्थगित हो।" आपने प्रस्ताव में यह नहीं कहा है। आपको सभा की प्रक्रिया जाननी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० राय, आपको नियमों की जानकारी होनी चाहिए। आपको कहना चाहिए "कि सभा अब स्थगित हो।"

श्री ए० के० राय : मैंने पहले ही कह दिया है। मैंने यह कह दिया है। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

हम लोग बहुत ही गम्भीर परिस्थितियों में उलझे हैं और हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने देश में उत्पन्न गम्भीर स्थितियों की ओर ठीक से संकेत किया है और उन पर उत्तेजित होने के स्पष्ट कारण हैं। मैं बजट प्रस्तुत न करने, हरिजन की हत्या के मुद्दे पर तथा वे सभी बातें जो कही गई हैं, उनका समर्थन करता हूं। लेकिन हमारा ध्यान सबसे बड़ी समस्या खाड़ी युद्ध की ओर खींचा गया है जो हमारे और विश्व के लिए भी चिंता का विषय है। हम भारत के लोग इसके लिए बहुत चिन्तित हैं। हमें वहां हो रहे अत्यधिक विनाश की चिन्ता ही नहीं हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में वहां के कष्टों, विध्वंस और मृत्यु के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन बातों में अब कुछ भी नई बात नहीं है। लेकिन पहले लेशमात्र भी ऐसी घटना घट जाती थी तो लोगों में उत्तेजना फैल जाती थी। लेकिन अब हम भी असंख्य लोगों की मृत्यु और उनकी पीड़ा की खबरों के आदी हो गए हैं। स्वतन्त्र कराने के नाम पर उन पर निंदनीय आक्रमण किया गया है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम इस दुखद स्थिति में कुछ भी करने में असमर्थ हैं। करीब एक लाख से अधिक उड़ानें भरी गईं और एक लाख टन से अधिक टी० एन० टी० गिराए गए—जोकि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बमों से छह-सात गुना अधिक है, और लोग मारे गए।

कुछ ही दिन पहले हमने देखा कि किस तरह महिलाएं और बच्चे अति सुरक्षित बंकरों में मार डाले गए और अन्त में सहयोगी सेना के तथाकथित नेता अमरीकी सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह उनकी गलती थी और उन्हें नवीनतम सूचना मिलनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और हम स्वतन्त्रता और न्याय के नाम पर किए जा रहे अपराध को असहाय होकर देख रहे हैं। मेरा यह कहना है कि हम भारतीय दो मुद्दों पर उत्तेजित हैं···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस सरकार के विदेश मन्त्री कौन हैं ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री जी। प्रधान मन्त्री जी हैं, वे अभी इजाजत लेकर गए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री यहां हैं। वह प्रधान मन्त्री के बदले उत्तर देंगे।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अमरीकी वायु सेना को सारा का सारा ईंधन दे दिया गया है। इसलिए जेनेरेटर काम नहीं कर रहा है''' (**व्यवधान**)

श्री ए० के० राय : इस मुद्दे पर सरकार की गम्भीरता को हम जानते हैं। लेकिन हम यह चाहते है कि उस गम्भीरता को सभा में इस तरह प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। इस पूरी दुखद स्थिति के प्रति वे अपनी निर्दयता को दिखा रहे हैं। इसका प्रदर्शन सभा में किया जा रहा है। जबकि खाड़ी युद्ध के मुद्दे पर इस सभा में चर्चा हो रही तो मेरी यह इच्छा है कि कुछ वरिष्ठ मन्त्रियों और प्रधान मंत्री को उन नीतियों पर हमारी बात सुनने के लिए यहां होना चाहिए था जिनका वे अब तक अनुसरण कर रहे थे।

महोदय, खाड़ी युद्ध हमें कई तरह से प्रभावित कर रहा है। यह हमें आर्थिक राजनैतिक और सांस्कृतिक तौर पर प्रभावित करेगा अतीत काल से ही भारत अरब दुनिया से जुड़ा रहा है। उसके बाद भी वर्तमान समय में अरब लोगों से, विशेषकर इराक के लोगों से हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। इराकी सरकार ने हर स्थिति में और संकट की घड़ी में धर्म-निरपेक्षता का सम्मान किया है और हर मामले में इसने भारत के पक्ष का समर्थन किया है और इसने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों और ऐसी चीजों को बढ़ावा नहीं दिया जो इस महाद्वीप में शरारतपूर्ण कार्रवाई करते रहे हैं।

महोदय, हमारे मित्र क्षेत्र का मित्र देश परेशानी में है और प्रतिदिन उन पर बमवर्षा की जा रही है और इससे हमारे देश के लोग क्षुब्ध हैं। लेकिन सरकार इसके प्रति लापरवाह है। इतना ही नहीं आक्रमणकारी पक्ष का कई तरह से सहयोग कर रही है। यह पहली बात है।

दूसरी हम आर्थिक स्थिति तौर पर भी खाड़ी युद्ध से जुड़े हैं। करीब चौदह लाख भारतीय खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं। वहां से करीब 200 करोड़ रुपए से अधिक भेजे जाते हैं। खाड़ी युद्ध छिड़ने के पश्चात् हमारी पूरी अर्थव्यवस्था संकट ग्रस्त हो गई है चूंकि अधिकतर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति कम है। खाड़ी युद्ध ने पेट्रोलियम उत्पादों की कमी पैदा कर दी है। इस संकट ने हमारी पूरी अर्थ-व्यवस्था और बजट को प्रभावित किया है। आज अनेक प्रश्नों में से एक प्रश्न, जो चर्चा के लिए नहीं लिया जा सका, के उत्तर में मन्त्री महोदय को इस बात से सहमत होना पड़ता कि खाड़ी युद्ध ने हमारी अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं पर असर डाला है। अतः जब खाड़ी युद्ध हमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभावित कर रहा है, और जब हमारे विश्वस्त मित्र संकट में है, तब सरकार का यह उत्तरदायित्व बन जाता है कि वह सम्मान के साथ शांति की स्थापना के लिए पहल करे, जिससे कि खाड़ी और विशेषकर अरब जगत के लोग शांति की स्थापना में भारत द्वारा किए गए योगदान को याद रख सकें।

कुछ लोग खाड़ी में अमरीकी हस्तक्षेप की तुलना इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किए जाने से कर रहे हैं। इन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। ऐसा करते समय हममें उत्तरदायित्व की कुछ भावना होनी चाहिए। यह अरबों का आन्तरिक मामला था। मेरा हमेशा यही मत रहा है। यदि अब इतिहास को देखें तो पायेंगे कि यह सब छोटे-छोटे देश साम्राज्यवादियों की कुटिल नीतियों के अन्तर्गत बनाए गए थे, क्योंकि शुरू में यह सब ओटोमन साम्राज्य के अन्तर्गत आते थे। सन् 1920 के बाद जब ओटोमन साम्राज्य का पतन हुआ तब यह देश बनाए गए। उसी समय इराक एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। सऊदी अरब और अन्य देशों के कारण वास्तव में अरब जगत बंट गया। लेबनान

और सीरिया फ्रांस के हिस्से में आए और बाकी राष्ट्र इंगलैंड के हिस्से में आए। इराक को 1932 में स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी। कुवैत को, इसके आर्थिक हितों और तेल कुओं के कारण इराक के नियन्त्रण में रखा गया। कुवैत हमेशा सांस्कृतिक और राजनैतिक तथा प्रत्येक दृष्टि से इराक का भाग रहा है और बसरा का एक जिला रहा है। यह एक छोटा सा क्षेत्र था, जिसमें मुश्किल से 20 लाख लोग रहते थे, जिनमें अधिकांश बाहर के लोग थे। लगभग 18000 वर्ग मील के इस भू-क्षेत्र को 1961 में अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हितों को बनाए रखते हुए स्वतन्त्रता प्रदान कर दी। इराक ने उस समय इस पर आपत्ति की थी। यही नहीं उस समय भी सामन्तवादी शासक, जो कुवैत पर शासन कर रहे थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को बुला लिया। अतएव यह महसूस किया जाना चाहिए कि यह विवाद अतीत से चला आ रहा है। अतः बेशक इराक द्वारा कुवैत पर कब्जे को समर्थन नहीं दिया जाए, फिर भी यह समझ लिया जाना चाहिए कि इन सब बातों के पीछे ऐतिहासिक कारण रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक विवाद है। यह उसी सतत प्रक्रिया का एक भाग है। यह एक ऐसा विवाद है, जो लगातार चलता रहा है और साम्राज्यवादी ताकतें इन छोटे राष्ट्रों को बनाने के लिए हमेशा तत्पर रही हैं, ताकि इनका और शोषण किया जा सके। यह उस नीति के अन्तर्गत हुआ कि अरब जगत को छोटे-छोटे राष्ट्रों में विभाजित किया जाए, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने ऐसा ही किया।

कुवैत और इराक के बीच में लड़ाई ऐसी ही है, जैसी इराक और सीरिया के बीच तथा इराक और इरान के बीच, लेकिन अमरीका का समूची 'नाटों' शक्ति के साथ बीच में कूद पड़ता एक दूसरी बात है। यदि कुवैत के साथ कुछ गलत हुआ, तो कुवैत और अरब लोग उसके विरुद्ध लड़ने के लिए स्वतन्त्र हैं, और इस स्थिति में हम यह निर्णय कर पाते, कि न्याय किस ओर है। लेकिन अरब लोग शांत हैं। कुवैत में किसी प्रकार का विरोध मुकाबला नहीं हुआ। आपने किसी भी अरब राष्ट्र से, जिसमें ईरान भी शामिल है, कुवैत पर इराकी कब्जे के विरुद्ध लोगों के जन-आन्दोलन के सम्बन्ध में नहीं सुना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन कार्यवाहियों के पीछे कुछ कारण है जिनका उस रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन अमरीकी उद्वेलित क्यों है? ऐसा छोटे देशों की स्वतन्त्रता के प्रति उसकी आसक्ति के कारण नहीं, अपितु उनके तेल, समूचे कुवैत का तेल, समूचे सऊदी अरब का तेल और अन्य देशों का तेल, जिनमें इराक भी शामिल है, से सम्बन्धित हितों के कारण है, चूंकि इराक के तेल में इराकी पेट्रोलियम कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के बाद उनका हिस्सा खत्म हो गया, जबकि पहले अंग्रेजों के पास इन कम्पनियों का पूरा हिस्सा था। इसी कारण समूचे क्षेत्र में उन्हें अपने कठपुतली शासकों को साथ में रखना था। अतः यह विश्व की एक तथाकथित महाशक्ति द्वारा एक अरब राष्ट्र के प्रति एक खुली आक्रामक कार्यवाही है। अन्तर अरब जगत का विवाद, जो अतीत में कम हुआ, वह एक बात है और एक बड़ी ताकत द्वारा निर्दयता-पूर्वक बमबारी दूसरी बात है। अतः यह राष्ट्र का, हमारी सरकार और लोगों का दायित्व है कि वह इस आक्रमकता का और एक राष्ट्र पर खुले आक्रमण का विरोध करे।

12.34 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यहां सरकार ने निरपेक्षता के नाम पर वास्तव में अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा इराक जैसे एक छोटे से राष्ट्र पर किए अपराध का समर्थन किया और वास्तव में उनकी खुशामद की, उनका

समर्थन किया। इराकी सेना की वापसी को अमरीका सेना की वापसी के साथ जोड़ा गया। ऐसा नहीं है। अमरीका को अपनी समूची 'नाटो' ताकत के साथ बिना किसी शर्त हट जाना चाहिए। उनका वहां कोई काम नहीं है। यदि अरब राष्ट्रों के बीच कोई आपसी मतभेद हैं, तो अरबों को, जैसे वह उचित समझें, इन्हें सुलझा लेना चाहिए, लेकिन अमरीकियों और 'नाटो' शक्तियों को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः इसकी भर्त्सना पहले की जानी चाहिए। दूसरी बात हमें इराक को भी यह बता देना चाहिए अन्तर अरब विवाद को हल करने का यह कोई तरीका नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने इस तरह कार्य नहीं किया। मैंने सरकार को एक टेलीग्राम भी दिया था, जिसमें उनसे संसद का एक विशेष अधिवेशन बुलाने की मांग की थी। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया गया। यही नहीं इसका जो सबसे शर्मनाक पक्ष है वह अमरीकी लड़ाकू विमानों को बम्बई विमान-पत्तन पर ईंधन देने को जारी रखना है। उनके सबसे बड़े सहयोगी दल कांग्रेस (ई) सहित सभी दलों ने उन्हें चेतावनी दी कि इस तरह हम गुट-निरपेक्षता की अपनी नीति से हट रहे हैं। लेकिन इस ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर में अपना मुंह छिपाने के लिए उन्होंने कुछ गुपचुप कार्यवाही की और अमरीका ने तेल ईंधन भरवाना बन्द कर दिया। इससे यह पता चलता है कि अमरीका सरकार के वर्तमान सरकार से कोई विशेष सम्बन्ध हैं। इसी कारण उन्होंने इस सरकार को और अपने को बेइज्जती से बचाने के लिए बम्बई एयरपोर्ट से ईंधन लेना स्वयं ही बन्द कर दिया। यह बात दोनों सरकारों की मिलिभगत दर्शाती है और हमारे लिए यह शर्म की बात है। महोदय, आपको याद होगा, जब कोरियाई युद्ध हुआ था वहां भी अमरीकियों ने ऐसी ही भूमिका अदा की थी। मैं श्री राधाकृष्णन की जीवनी पर उनके पुत्र श्री एस० गोपाल द्वारा लिखी गई पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि जब कोरियाई युद्ध पर प्रस्ताव भारत द्वारा समर्थन किया गया, तब उनकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उन्होंने यह कहा कि भारत सरकार को इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की एक गुट-निरपेक्षता राष्ट्र वाली छवि धूमिल हो जाती। उनके गम्भीर प्रयासों के फलस्वरूप, आखिरकार सम्बन्धों में सुधार आया और भारत ने जो पक्ष अपनाया, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। लेकिन आज जो हो रहा है वह कहीं अधिक भयावह और आपराधिक है। इस तरह से तो हम अमरीकी आक्रमकता को जिसका कोई आधार नहीं है, समर्थन दे रहे हैं। किसी ने भी अमरीका को समूचे विश्व के पुलिस मैन की भूमिका निभाने की अनुमति नहीं दी है। अमरीका को इस प्रकार का बर्ताव करने की किसने अनुमति दी है? बगदाद पर अमरीका द्वारा की जा रही उस बमबारी को, जिसमें औरतों और बच्चे भी शिकार हुए हैं, अनुमति संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव संख्या 678 के द्वारा नहीं दी गई थी। इसके द्वारा किसी देश को, यदि वह ऐसा कर सके, केवल कुवैत को आजाद कराने की अनुमति दी गई थी। लेकिन उन्हें इससे एक इन्च भी आगे नहीं बढ़ना था। उनमें कुवैत में एक इन्च भी बढ़ने की हिम्मत नहीं है, और इसी कारण वह बगदाद पर बमबारी कर रहे हैं। यह महाशक्तियां कुवैत, सऊदी अरब को आजाद कराने नहीं आयी है, अपितु उस क्षेत्र में अपनी कठपुतली सरकारी को बचाने आई हैं, जिससे उनके तेल हित सुरक्षित रहें।

यहां मैं यह कहना चाहूंगा यह बात उचित रूप से उठाई गई है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्ताव संख्या 678 को स्वीकार किया जाना है, तो इजराइल को गोलान पहाड़ियों और गाजा पट्टी तथा अन्य अधिकृत क्षेत्रों से हट जाने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ के दो प्रस्तावों को भी स्वीकार क्यों नहीं किया जाता? ऐसा न करने का कोई आधार नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ऐसे कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है, जहां मित्र राष्ट्रों की कोई भूमिका नहीं रही है। तब उनकी अन्तरात्मा नहीं जागती है। उदाहरणार्थ, सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव संख्या 242 को लागू करने

के सम्बन्ध में, जिसमें इजराइल से 1967 की लड़ाई में उसके द्वारा हथियाए गए पश्चिमी किनारे और गाजा पट्टी से अपनी सेनाओं को हटाने की मांग की गई थी, और 1980 में पारित प्रस्ताव संख्या 46', जिसके द्वारा इजराइलियों से उनके द्वारा अधिकृत अरब भूमि पर बसाई गई बस्तियों को खाली करने की मांग की गई थी और 1980 की प्रस्ताव संख्या 478 जिसमें इजरायली संसद द्वारा येरूशलम को इजराइल का अविभाजित राजधानी बनाने सम्बन्धी कानून की भर्त्सना की गई थी। आप यह पायेंगे कि कहीं भी अमरीकियों या उन सभी पश्चिमी लोगों की अन्तरात्मा नहीं जागी और आजादी बनाए रखने की उनकी इच्छा कभी बलवती नहीं हुई। लेकिन यहां अचानक यह बलवती हो उठी। ऐसा क्यों ? यह खाड़ी क्षेत्र में 1000 बिलियन बेरल तेल की वजह से और इस कारण से भी लोग अमीरों शेखों और सुल्तानों की सरकारों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे, जो साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक ताकतों के पिट्ठू थे। आज वहां जनआंदोलन चल रहा है। अत: अमरीकी आक्रांता वहां पहुंच गए और आप जानते हैं कि कितने स्थानों पर बमबारी की गई। एक लाख टन से ज्यादा टी० एन० टी० बम गिराए गए। कई लोग मारे गए। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अमरीका को यह तर्क स्वीकार होगा कि यदि अमरीका बगदाद की बमबारी को उचित ठहराता है, और सोवियत संघ तेल अवीव पर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव संख्या 242 को लागू करने के लिए बमबारी करता है, तो आज समूचे विश्व की क्या प्रतिक्रिया होती ? अत: महोदय एक पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकत द्वारा अरब देशों के खिलाफ यह खुली आक्रमकता है और अरब आकांक्षाओं को दबाने का प्रयास है। तटस्थ होने के बावजूद भी भारत को अरब और इराक की जनता का दृढ़ता से समर्थन करना चाहिए। कभी-कभी मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का आक्रमण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता था। सोवियत रूस सहित प्रत्येक देश चुप है। यदि समाजवादी विश्व कमजोर नहीं होता तो अमेरिका अरब देशों पर आक्रमण नहीं कर सकता था। समाजवादी विश्व के कमजोर होने के कारण अमेरिका ने आक्रमण किया है। यदि विश्व की स्थिति 1950 की तरह होती तो अमेरिका में अरब देशों पर आक्रमण करने का साहस नहीं होता। इस प्रकार यह कुछ ऐसी बात है जिससे पूरे विश्व को समझना चाहिए। समाजवादी कमजोरी के कारण उन्हें अरब देशों पर आक्रमण करने का साहस हुआ है। इन बातों से कुछ अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ा है। हमने कट्टरपंथियों अथवा उन धार्मिक राजनैतिकों की हमेशा आलोचना की है जो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं। वे देश के बड़े-बड़े बुर्जुआ वर्ग, जमींदारों और पूंजीपतियों के एजेन्ट हैं। इसी प्रकार खाड़ी युद्ध में यह स्पष्ट हो गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देश, जो धर्म को राजनीति से जोड़ने का प्रचार किया करते थे, इस्लाम के स्वरूप में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं, वे अमरीकी साम्राज्यवाद के एजेन्ट के अलावा कुछ नहीं हैं, वे अमेरिका को इराक में अपने मुस्लिम साथियों पर बमबारी करने में सहारा दे रहे हैं। जो लोग धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं उनकी यही विशेषता है।

कुछ दिनों पहले हम पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री के भाषणों को सुन रहे थे। उनकी स्थिति अस्थिर हो गई है क्योंकि जनता ने उनके विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया है। केवल इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री की स्थिति इतनी अस्थिर हो गई। कि उन्हें हमारे अस्थिर प्रधान मन्त्री को टेलीफोन करना पड़ा था। उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि उन्हें यह पूछना पड़ा कि इस मामले में क्या किया जाए। पाकिस्तान ने अमेरिका के समर्थन के लिए अपनी सेना को भेजा है जिसका पाकिस्तान की जनता विरोध कर रही है और इसके खिलाफ विद्रोह कर रही है। यह सब लोगों के लिए अच्छी शिक्षा है। वे सभी लोग जो धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं वे साम्राज्यवादी और पूंजीवादी ताकतों के एजेन्ट के अलावा कुछ नहीं हैं, वे संकट के किसी भी दौर में जनता की भावनाओं को समझ नहीं

सकते । यही हमने भारत में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में देखा है, ऐसा ही हम मध्य पूर्व में देख रहे हैं : इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में भारत को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, इराक पर अमरीकी आक्रमण की निंदा करनी चाहिए और कुवैत से इराक तथा समूचे अरब भू-भाग से इजराइल की वापसी से सम्बन्धित शान्ति की पहल करनी चाहिए। विमान में ईंधन भरने की सुविधा भी रोकी जानी चाहिए। वे कहते हैं कि इस सुविधा को बन्द कर दिया गया है परन्तु यह अब भी जारी है । मेरे विचार से दूसरे वक्ता इस बात को स्पष्ट कर देंगे । परन्तु मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि यदि यह सुविधा प्रदान की जा रही थी तो इसे सामान्य स्थिति में दिया जाना चाहिए था परन्तु जब युद्ध शुरू हो गया, हमारे मित्र देश पर आक्रमण कर दिया गया तो इस असमान्य स्थिति में भारत को विगत में किए गए सभी समझौतों की समीक्षा करने और उन्हें निलम्बित करने का पूरा अधिकार है । इरान ने भी उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया है । सभी इराकी विमान वहां उतरे हैं । उन्हें यह कहकर रोके रखा गया कि जब तक युद्ध होगा तब तक उनके प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत को यह कहना चाहिए था कि जो भी समझौते किए जा सकते थे वे सामान्य स्थिति में सम्भव है असमान्य स्थिति में नहीं । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । उन्हें भय है कि इसका हमारे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण पर प्रभाव पड़ेगा । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की यह अदृश्य शर्त है, इससे हमारे देश को अरब विश्व के समक्ष अपमानित होना पड़ा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मित्र अरब देश पर जिसने हमारी हर संकट में सहायता की थी, अमरीकी साम्राज्यवाद के आक्रमण का समर्थन करने का इस सरकार का कार्य निन्दनीय है । अमेरीका का इराक पर आक्रमण कुवैत पर इराकी कब्जे के समान नहीं है क्योंकि यह एक अनवरत ऐतिहासिक विवाद था । कुवैत ने एकतरफा तेल का मूल्य कम कर दिया जिससे एकाएक इराक और दूसरे देशों को नुकसान हो गया । इसलिए अरब विवाद को अरब जनता के द्वारा अपने आप हल किया जाना चाहिए । अमेरिका और नाटो को वहां जाकर विश्व के लिए सिपाही का कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

हम इस सरकार की कड़ी निंदा करते हैं कि यह संकट के इस दौर में खरी नहीं उतरी है और इस देस के सम्मान को बनाए रखने में असफल रही है । इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आज शुक्रवार होने के कारण सभा में सदैव की भांति 3.30 म० प० पर गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक लिए जाएंगे । चूंकि सभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है जो 4 म० प० अथवा इससे आगे तक चल सकती है । यदि सभा सहमत हो तो स्थगन प्रस्ताव और कुछ अन्य कार्य निबटाए जाने के बाद गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जाए ।

श्री इब्राहीम सुलेमा सेट (मजेरी) : मध्याह्न भोजन के लिए सभा एक बजे स्थगित होनी चाहिए। आज शुक्रवार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्णय के अनुसार शुक्रवार को मध्याह्न भोजन अवकाश होगा। परन्तु यदि आप सहमत हैं तो हम इस चर्चा को जारी रख सकते हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : नमाज के लिए हमें मध्याह्न भोजन अवकाश करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मध्याह्न भोजन अवकाश करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : मतदान किस समय होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : 5 बजे के करीब मतदान होगा ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो ।"

अब श्री एम० जे० अकबर बोलेंगे ।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं जिस प्रस्ताव की चर्चा में भाग ले रहा हूं मेरे विचार से वह बड़ा सामान्य है—क्या भारत ए. राष्ट्र-देश है अथवा म्युनिसीपैलिटी, देश की विदेशी नीति का संचालन स्वतन्त्र रूप से किया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी के द्वारा, क्या भारत एक म्युनिसीपैलिटी है जो विदेशी ताकतों विशेषत: उन ताकतों के आदेश पर चल रही है जिन्होंने विगत में हम पर शासन किया है, जिन्होंने हमें उपनिवेशवाद के अधीन रखा था जिससे हमें 15 अगस्त, 1947 को स्वतन्त्रता मिली थी ।

महोदय, आज इस विषय पर भी चर्चा हो रही है, आज सुबह हमने समाचार सुना है कि राष्ट्रपति गोर्बाचोव और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन एक विशेष शांति नीति पर सहमत हो गए हैं। यह 8 सूत्री शान्ति नीति है जिसका मेरे विचार से सभा में हम सबको तत्काल स्वागत करना चाहिए । सभा में हम सबको इस बात का खेद है कि इसको पहले नहीं लाया गया परन्तु इसके कारणों का संकेत मेरे सहयोगी श्री ए० के० राय ने उस समय दे दिया है जब उन्होंने कहा था कि समाजवादी विश्व कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारी से हट गया है । परन्तु मुझे इस बात का दुख नहीं है कि सोवियत संघ अथवा समाजवादी विश्व अपनी जिम्मेदारी से हट गए हैं । मुझे दुख इस बात का है कि खाड़ी की गम्भीर स्थिति के प्रति हम भी अपनी जिम्मेदारी से बहुत ज्यादा हट गए हैं ।

आज हम सोवियत संघ की शांति नीति के बारे में सुन रहे हैं । मुझे मालूम है कि जब युद्ध शुरू हुआ था तो राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने भारत सरकार को संदेश भेजा था कि भारत और सोवियत संघ को शान्ति बहाल करने के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन विचार-विमर्श करना चाहिए । यदि सोवियत पहल का तत्परता से अनुसरण किया गया होता—मेरे विचार से हमने इसमें विलम्ब करवाया है—तो आज यह केवल सोवियत पहल के बजाए भारत सोवियत पहल होती । मुझे इस बात का खेद है । मेरे विचार से हमने आंशिक रूप से जो कुछ कार्य किया है उस पर इस वजह से दुख व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि हम अपने आधार भूत मूल्यों और अपनी राष्ट्रीय विचारधारा से हट गए हैं । नीतियां विशेषत: विदेश नीति अकेले बजट द्वारा निर्धारित नहीं की जाती हैं ।

भारत सरकार ऐसा लेखापाल नहीं हो सकती जो हेरफेर करके लाभ और हानि को, जो प्रत्येक मामले में भ्रामक हिसाब है, दर्शाता है। यदि नीति विशेष रूप से विदेश नीति विचारधारा के अनुरूप निर्धारित नहीं की जाती है तो इससे भ्रम और विरोध पैदा होता है । यदि हमें इसके लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता है तो हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा । अपने पड़ौसी देश पाकिस्तान को ही लीजिए। यदि आप पिछले 40 वर्षों के इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि पाकिस्तान की नीति का इसकी जनता ने बराबर विरोध किया है । श्री नवाज शरीफ ने श्री राम्बो बुश का पिछलग्गू होने के कारण 10,000 सैनिक खाड़ी में भेज दिए और वह आज यह नहीं जानते कि इस संकट से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए क्योंकि पाकिस्तान की जनता ने सर्वसम्मति से विद्रोह कर दिया है।

यदि श्री नवाज शरीफ जनता की राय मालूम करें तो वह समझ जायेंगे कि वह उनके प्रति क्या रवैया अपनाएगी।

पाकिस्तान की मिथ्या विचारधारा है। इसलिए यदि सरकार इस झूठी विचारधारा को अपनाती है और मिथ्या नीति पर चलती है तो हम इसके बारे में कुछ अधिक नहीं कह सकते। यदि हम कुछ कहते हैं तो हम उन मूल्यों के साथ विश्वासघात करेंगे जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी हैं।

मैं यह मानता हूं कि काफी समय पहले से, कम से कम एक वर्ष तो हो ही गया है, हमारी विदेश नीति से परे हटना शुरू हो गया था। मैं आशा करता हूं कि श्री गुजराल भी मेरे प्रति उतना ही स्नेह रखते होंगे, जितना मैं उनके प्रति रखता हूं। परन्तु मैंने ऐसा नहीं कहा था कि अमरीकी विमानों को इंधन सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी मुद्दा, जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, वह एक ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में कोई निर्णय अकेले गुप्त रूप से लिया जाए। अमरीकी युद्धक विमानों को इंधन भरने की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी निर्णय से काफी बड़े पैमाने पर भारत की जनता के हितों के साथ विश्वासघात किया गया है। यह विश्वासघात अगस्त में किया गया, फिर यह विश्वासघात सितम्बर में किया गया। यह विश्वासघात विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने अमरीकी युद्धक विमानों को भारतीय हवाई गलियारे का इस्तेमाल करने की अनुमति देने के मामले में एक अभूतपूर्व निर्णय लेकर किया।

अमरीकी विमानों को इंधन सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी इस मामले को दबाने का काफी प्रयास किया जा रहा है। जो व्यक्ति इस मामले को दबा सकते हैं वे देश को भ्रमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। देश को गुमराह करने के तरीकों में एक तरीका यह कहकर भी है कि "ओह, ऐसा करना कोई गलत कार्य नहीं है। विदेशी विमानों को इंधन सुविधा प्रदान करने का यह तो चालीस वर्षों से होता आ रहा है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : क्या आप अपने ही दल के बारे में उल्लेख कर रहे हैं?

श्री एम० जे० अकबर : मैं अपने ही दल का जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं इस मामले के सम्बन्ध में आपकी विशेष राजनीति का जिक्र कर रहा हूं। मुझे यह कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि इस देश में सर्वसम्मति से विदेश नीति का संचालन किया जा रहा था। उस सर्वसम्मति के अन्तर्गत ही विमानों को ईंधन भरने देने की अनुमति, दो मित्र राष्ट्रों के बीच परस्पर द्विपक्षीय सम्बन्धों के तहत दी गई थी। विमानों को इंधन-सुविधा प्रदान करने की अनुमति शांतिपूर्ण दिनों में दी गई थी। इसमें कुछ गलत नहीं है। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि अपने विमानों को इंधन-सुविधा प्रदान करने में कुछ भी गलत नहीं है। मुझे इस सम्बन्ध में सारी बातों की जानकारी नहीं है। परन्तु मुझे यह पूरा यकीन है कि अतीत में हमारे युद्धक विमानों ने मित्र देशों से अथवा विरोधी देशों से ईंधन लिया अवश्य होगा। विमानों में ईंधन भरने की सुविधा सदैव दी जाती है। परन्तु शान्ति-दौर के दौरान उनको इंधन देने तथा युद्ध के दौरान समर्थन के रूप में उनको ईंधन देने, इन दोनों बातों में एक मूलभूत अन्तर है।

खाड़ी-क्षेत्र में जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह 17 जनवरी को उत्पन्न अथवा आरम्भ नहीं हुई थी। दिनांक 17 को "आपरेशन डेजर्ट स्टोर्म" आरम्भ हुआ था। आपरेशन डेजर्ट स्टोर्म आरम्भ होने से पूर्व आपरेशन डेजर्ट शील्ड भी आरम्भ हुआ था। यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको केवल यह परामर्श दूंगा कि आप श्री गुजराल तथा प्रो० मधु दण्डवते से विचार-विमर्श कर लें। वे डेजर्ट शील्ड के बारे में सब कुछ विस्तार से बताएंगे।

अमरीका ने अपने इरादों की घोषणा कर दी थी। अमरीका ने खुलेआम तथा सार्वजनिक रूप से यह बता दिया था कि वह खाड़ी में क्या करने जा रहा है। अमरीकियों के बारे में एक बात यह अवश्य है। अमरीकियों तथा ब्रिटेन-वासियों में यही अन्तर है। ब्रिटेन-वासी इसी बात को अत्याधुनिक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। अतः हमें कम से कम इस स्पष्टवादिता के लिए अमरीकियों का धन्यवाद करना चाहिए कि वे हर बात अत्यन्त स्पष्ट रूप से बता देते हैं। यदि वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की मृत्यु हो जाए, तब अमरीका का राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर देता है कि "मैं उनकी मृत्यु चाहता हूं।" **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप क्या कर रहे थे ? **(व्यवधान)**

1.00 म० प०

श्री एम० जे० अकबर : जब अगस्त माह में यह संकट आरम्भ हुआ था उस समय मैं इस सदन में दूसरी ओर बैठा हुआ था तथा प्रो० मधु दण्डवते और श्री गुजराल इस ओर बैठे हुए थे। उस समय हम सभी उस मुद्दे के कारण अत्यन्त चिन्तित थे। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : उस समय केवल आर्थिक प्रतिबन्धों को लागू करने की बात थी, जब उनकी वायुसेना को तेल देने की बात हुई...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप अपनी बात बाद में कह सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : इस तरह की गलत बातें यहां पर कहना बिल्कुल गलत है। इस तरह का आरोप उनको यहां नहीं लगाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बाद में बोल सकते हैं।

श्री एम० जे० अकबर : सच से डरिए मत, सच बहुत गम्भीर चीज है। अभी बहुत कुछ निकलेगा, इससे नहीं छूट सकते हो।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अमेरिकी वायुसेना के विमानों को ईंधन देने की बात पर सरकार को जनता दल ने और सारे देश ने कण्डैम किया है और इसे कांग्रेस-ई सपोर्ट कर रही है, आपकी इस तरह की बातों ने इस देश की प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, अगर आपको भाषण करना है तो मैं आपको समय दूंगा लेकिन।

[अनुवाद]

विघ्न न डालिए।

श्री एम० जे० अकबर : उस समय हम सदन में थे। हम सभी विदेश नीति के कारणों के अलावा अन्य कुछ और कारण वश भी खाड़ी के मुद्दे के सम्बन्ध में अत्यन्त चिन्तित थे। जब खाड़ी में उस समय

वहां पर काफी विकट स्थिति थी, खाड़ी में रहने वाले हमारे भारतीय यहां पर वापस आना चाहते थे। जब मैं दूसरी ओर बैठा हुआ था, उस समय मैंने श्री वी० पी० सिंह सरकार के तत्कालीन विदेश मंत्री के विचार सुने थे।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ : महोदय, अब मध्याह्न भोजन हेतु सभा को स्थगित कर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना वक्तव्य पूरा कर लेने दें तत्पश्चात् हम सभा को स्थगित करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह अभी अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अकबर जी, क्या आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपनी बात पुनः कह सकते हैं।

श्री एम० ज० अकबर : जी हां, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.05 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

डा० तम्बि दुरै (करुर) : मैं चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करें। इस सम्बन्ध में अनेक अटकलबाजियां लगाई जा रही हैं कि मतदान 4 बजे होगा अथवा 4.30 बजे या फिर 5.30 बजे, क्योंकि आज गैर सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य 3.30 बजे आरम्भ किया जाएगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप इस चर्चा का समय 4.00 बजे तक अथवा 4.30 बजे तक बढ़ा देंगे तथा शेष समय में गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्य निपटायेंगे। अन्यथा क्या आप 3.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यों को लेना चाहेंगे, उन्हें पूरा करेंगे तथा तत्पश्चात् स्थगन प्रस्ताव पर पुनः चर्चा आरम्भ करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सदन में पहले ही वक्तव्य दे चुका हूं कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो जाने के पश्चात् गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी कार्यों को लिया जाएगा। मैंने कहा है कि 4.00 बजे तथा 5.00 बजे तक के बीच में सदस्यों को यहां पर उत्तर देने के लिए उपस्थित रहना चाहिए।

डा० तम्बि दुरै : जब यहां पर मतदान हो, उस समय हमें यहां पर उपस्थित रहना चाहिए। इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया था।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एम० जे० अकबर अपना वक्तव्य जारी करें।

2.06 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

अमरीका के विमानों को इंधन देना बन्द करने के लिए समय पर निर्णय लेने तथा घोषित राष्ट्रीय विदेश नीति के अनुरूप खाड़ी युद्ध के बारे में उचित पहल करने में सरकार की असफलता—(जारी)

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : महोदय, मैं अमरीकी विमानों को इंधन-सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी विवाद पर अपनी बात वहीं से पुनः आरम्भ करना चाहूंगा, जहां पर मैंने अपनी बात समाप्त की थी। एक बार मैं पुनः यह दोहराना चाहूंगा कि इस मुद्दे को अनावश्यक ही उलझाया जा रहा है। हमारा फिर यही कहना है कि जहां तक शांति-काल का सम्बन्ध है, विदेशी विमानों को इंधन भरने देने की सुविधा प्रदान करना कोई गलत कार्य नहीं है। हमारे समक्ष मुद्दा यह है कि इंधन-सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है, अमरीका ने इसके लिए जो अनुमति मांगी थी, उसका क्या उद्देश्य है। मैं इस सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि इस समय फरवरी माह में हम सभी यह समझ रहे हैं कि युद्ध 17 जनवरी को ही आरम्भ हुआ है, अथवा खाड़ी क्षेत्र में यह स्थिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के पश्चात् ही आरम्भ हुई थी। यह याद रखा जाना चाहिए कि पिछले वर्ष अगस्त माह में ही खाड़ी में स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई थी तथा युद्ध की स्थिति बनने लग गई थी। खाड़ी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए मैं "लाईफ" मैगजीन में प्रकाशित एक लेख से उद्धरण देने के वास्ते आपकी अनुमति चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन (महबूबनगर) : महोदय, इस समय यहां पर रक्षा मन्त्री जी उपस्थित नहीं हैं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय, मैं सभा में उपस्थित हूं। (**व्यवधान**)

श्री एम० जे० अकबर : मेरे विचार से अगस्त माह में जो स्थिति थी, उसे आप इन तथ्यों द्वारा समझ सकते हैं। दिनांक 2 अगस्त को इराक द्वारा तेल-समृद्ध कुवैत पर हमला किए जाने पर अमरीका ने अपनी सेनाओं को, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ाया। अमरीकी पुरुष, महिलाएं तथा सामान सऊदी अरब के रेगिस्तान की दुरुह परिस्थितियों में प्रत्येक सात मिनट की अवधि में एक हवाई जहाज की दर से पहुंचाया गया। मैं पुनः यही कहता हूं कि हर सातवें मिनट पर एक हवाई जहाज वहां पर उतर रहा था तथा इस प्रकार वहां पर पूरी तरह से युद्ध का वातावरण तैयार किया जा रहा था। नवम्बर माह के अन्त से पहले तक सऊदी अरब में अमरीकी सेनाओं की क्षमता, दो जनरलों के पास केवल एक चाकू जितनी थी। मैं यह मानता हूं कि इस बात में पत्रकारों की अतिशयोक्ति का तत्व मौजूद है, परन्तु मैं अपनी इस बात से आश्वस्त कर सकता हूं। बाद में इसमें इतनी वृद्धि हुई कि वहां ढाई लाख सैनिक एक सौ टैंकों, पन्द्रह सौ हवाई जहाजों तथा पचास युद्धपोतों सहित मौजूद थे।

आपरेशन डेजर्ट शील्ट के सम्बन्ध में मैं पुनः यही कहता हूं कि आपरेशन डेजर्ट शील्ड आपरेशन डेजर्ट स्टोर्म से भी कहीं अधिक बड़ा था।

[हिन्दी]

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : आप 15 जनवरी से शुरू कीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : युद्ध की स्थिति ही उस समय आरम्भ हुई थी, जब अमरीका ने अगस्त में अपनी सेनाएं वहां भेजनी आरम्भ कर दी थी। उस समय इस सभा का सत्र चल रहा था। उस समय हम शरणार्थियों की समस्या के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के सम्बन्ध में काफी उत्तेजित थे और सभा में उपस्थित सभी वर्ग इस बात से काफी अधिक उत्तेजित थे।

इस समय श्री गुजराल यहां पर उपस्थित हैं। मुझे याद है कि श्री गुजराल द्वारा कहा गया एक वाक्य मेरे मस्तिष्क में काफी गहराई तक कौंध गया था, हो सकता है कि अनजाने में ही वह ऐसा कह गए हों, कि मैं सद्दाम हुसैन से कैसे बात कर सकता हूं, हमारे कोई नीति नहीं है। मैं फिर से यह कह रहा हूं कि यह सच नहीं है कि कोई नीति नहीं थी। यह एक गोपनीय नीति और सौदा था। अगस्त में अमरीका ने वायु गलियारा, अपना सैनिक अड्डा बनाने के लिए स्थान मांगा था जिसके बारे में हमने अभी सुना है कि प्रत्येक सात मिनट पर एक विमान को इंधन दिया जा रहा है। ये विमान मनीला सहित विश्व के सभी भागों से आ रहे हैं और मेरे विचार से थाईलैंड से भी आ रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमें पहले इंधन दिए जाने सम्बन्धी तकनीकी बातों को जानना चाहिए। शांति के समय ईंधन देना सभी को स्वीकार्य है और इस बारे में कोई वाद-विवाद नहीं है। तब भी मेरे विचार से ईंधन उड़ान-पर-उड़ान दिया गया। अगस्त में पहली बार वायु गलियारे के लिए बहुपक्षीय अनुमति दी गई थी और मेरा यह कहना है कि वह और भी खतरनाक था क्योंकि वह विमान रुकते नहीं थे। जब कोई विमान हमारे देश में रुकता है तब हमारा यह परम अधिकार है कि हम उसकी जांच करें कि जो सामान वह बताया जा रहा है वही उसमें लदा हुआ है। निःशुल्क वायु गलियारा देने की अनुमति अमरीकी अड्डे बनाने की अनुमति है। मैं दृढ़ रूप से यह कहना चाहता हूं कि संसद का सत्र चल रहा है और खाड़ी क्षेत्र के बारे में रोज चर्चा हो रही है लेकिन सरकार ने अपने गोपनीय सौदे के बारे में सभा को विश्वास में नहीं लिया था। प्रश्न यह है कि उसने सभा को विश्वास में क्यों नहीं लिया था। यदि यह दोषी नहीं थी, अपने निर्णय के बारे में दृढ़ थी, यह इसे छुपाना नहीं चाहती थी तो इसे कहना चाहिए था कि "हमने इसकी अनुमति दी; यह गोपनीय सौदा हुआ, हमने भारत की नीति के हित, राष्ट्रीय हित अथवा आप जो भी कहें, के हित में हमने यह सौदा किया। उन्होंने इस सभा को क्यों नहीं बताया? इसी अपराध के कारण, क्योंकि वे छुपाना चाहते थे। मैं यह कह सकता हूं कि साम्यवादी मित्रों ने इस नीति का समर्थन नहीं किया होता। मैं इस बारे में सही कह रहा हूं? **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप यह मुद्दा अब क्यों उठा रहे हैं? आप सारा समय क्या करते रहे? **(व्यवधान)**

श्री एम० जे० अकबर : क्योंकि हम इस बारे में नहीं जानते थे, यह गोपनीय था। **(व्यवधान)** महोदय, अगस्त में लिया गया निर्णय गोपनीय निर्णय था और पिछली सरकार ने इस बारे में देश को कुछ नहीं बताया। मुझे विश्वास है कि सौ से अधिक विमानों ने वायु-गलियारे का उपयोग किया। मैंने

यह मुद्दा संसद के बाहर भी उठाया है। यह शांति का समय नहीं है बल्कि युद्ध का समय है (**व्यवधान**) यदि आप अभी भी यही समझते हैं कि यह युद्ध की स्थिति नहीं है, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। यह युद्ध की स्थिति है जिसमें अमरीका अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। उस समय आपने वायु-गलियारा देने की अनुमति दी है। जब मैंने पहली बार संसद के बाहर यह मुद्दा उठाया तब जनता दल की ओर से तत्काल इसका खण्डन किया गया। मेरे मित्र श्री सत्य पाल मलिक ने कहा,

[**हिन्दी**]

"बड़ी हास्यास्पद चीज है।"

[**अनुवाद**]

श्री गुजराल ने भी इसका खण्डन किया और इसे सभी स्थानों पर प्रसारित किया गया। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री गुजराल यहां बैठे हैं।

श्री आई० के० गुजराल (जालन्धर) : मैं बाद में बोलूंगा।

श्री एम० जे० अकबर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि वायु-गलियारे की अनुमति अगस्त/सितम्बर में दी गई थी अथवा नहीं। 'हां' या 'नहीं' कहने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : आप ईंधन देने के सम्बन्ध में बात करें। (**व्यवधान**)

श्री एम० जे० अकबर : ईंधन देना वायु-गलियारे के कारण शुरू किया गया। यह निर्णय वायु-गलियारा देने के कारण ही लिया गया था और यदि चापलूसी की बात है तो यह चापलूसी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री गुजराल की सरकार द्वारा की गई। यह 'हां' अथवा 'नहीं' कहने से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यह एक अवसर है और मैं उनसे पूछता हूं (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप वर्तमान स्थिति के बारे में अपने विचार क्यों नहीं प्रकट कर रहे हैं? (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप वर्तमान सरकार से भी कुछ प्रश्न पूछिए। (**व्यवधान**)

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, मैं उनसे उत्तर मांग रहा हूं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, उत्तर इस प्रकार नहीं दिए जाएंगे; जब वह बोलेंगे तब उत्तर देंगे, आप अपनी बात जारी रखिए।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री एम० जे० अकबर : जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जवाब नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, मैं अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्र को इस बारे में पता होना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वह स्थिति स्पष्ट कर देंगे। आप वर्तमान सरकार से कुछ प्रश्न पूछें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अकबर, अब आप अपनी बात शुरू कीजिए।

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, चुप रहने का अर्थ है कि सरकार उससे सहमत है (व्यवधान) अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि ईंधन देना बन्द क्यों कर दिया गया। हमारे दल ने इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। जब से इस बारे में जानकारी मिली हम ईंधन देने के विरुद्ध है। हमने सरकार को अपने विचारों से अवगत करा दिया। हमारे नेता, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधान मन्त्री को स्पष्ट रूप से लिखा है। विचारों के आदान-प्रदान के बाद ईंधन देना बन्द कर दिया गया। हमें इससे राहत मिली। (व्यवधान) हमने ही सबसे पहले इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। जैसे दी **टाइम्स आफ इण्डिया** ने सुबह यह समाचार प्रकाशित किया, मेरे सहयोगी श्री वी० एन० गाडगिल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रेस संवाददाता सम्मेलन में 4 बजे इसकी आलोचना की।

[हिन्दी]

"आप इस मामले में थोड़े से लेट-लतीफ थे।"

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विचार से आपने ईंधन देने से पहले वक्तव्य दिया था।

श्री एम० जे० अकबर : महोदय, यह बात उत्तर का स्थान नहीं ले सकती। हम श्री गुजराल के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (व्यवधान) महोदय, माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि वह जनमत को सुनेंगे। वह इस मुद्दे पर देश को विभाजित नहीं करना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : आपने ईंधन देने के बारे में जानकारी क्यों नहीं प्राप्त की थी।

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : मुझे लगता है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के मित्र उनसे कुछ अधिक वफादार हैं। (व्यवधान) मैं उस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसे मैं अपने देश के लिए महत्वपूर्ण समझता हूं। देश में प्रतिक्रिया को सांप्रदायिक समस्या का रंग देने का प्रयास किया गया है। कुछ दल ऐसा ही करते हैं। इस सारे संकट का एक सुखद तथ्य, चाहे यह एक छोटा सा भाग हो, यह है कि देश ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या के रूप में प्रतिक्रिया नहीं की। देश ने देश के रूप में प्रतिक्रिया की। देश ने रुढ़िवादियों, चाहे वह श्री अशोक सिंघल हों अथवा शाही इमाम हों, के शिकजे में फंसे बिना प्रतिक्रिया की। मैंने सबसे अधिक उत्साहजनक बात इस प्रतिक्रिया में नहीं पाई बल्कि हमारे मुस्लिम समुदाय की चुप्पी में भी पाई जिन्होंने अपने आपको कथित मुस्लिम हितों का संरक्षक बना

लिया है। मैंने शाही इमाम के नाम का उल्लेख किया। शाही इमाम प्रिय मित्र हैं। उनके समर्थकों को संसद सदस्य बनाया गया। उन्हें पिछली सरकार ने ऊंची पदवी दी।

[हिन्दी]

आज जुमे की नमाज थी और आज के कुतबे में उनकी आवाज नहीं उठी होगी।

[अनुवाद]

जब मुख्य मुद्दों और जनता से सम्बन्धित मुद्दों की बात आती है तब यह रुढ़िवादी अपने हितों के अलावा किसी चीज का प्रतिनिनिधित्व नहीं करते और उनके अपने हितों को सरकार ने खरीद लिया है, बाहर के और अन्दर के निहित हितों ने खरीद लिया है।

[हिन्दी]

आज शाही ईमाम या उनकी जुबान बन्द है, क्यों वो जरखरीद हैं।

[अनुवाद]

उन्हें या तो डॉलरों द्वारा या पेट्रो डॉलरों द्वारा खरीदा गया। मुझे नहीं पता लेकिन उन्हें खरीदा गया (**व्यवधान**) मुझे आशा है कि आप टिप्पणी की असंगतता को बढ़ावा नहीं देंगे। (**व्यवधान**) महोदय, खाड़ी की स्थिति पर वापस भागते हुए हम यह पुनः स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम किसी एक देश द्वारा दूसरे देश को हड़पने के पक्ष में नहीं हैं। जब ईराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था, जो एक स्वतन्त्र राष्ट्र तथा राष्ट्रसंघ का सदस्य था, तो हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम इस आक्रमण का समर्थन नहीं कर सकते। हमारा दृष्टिकोण आरम्भ से ही बड़ा स्पष्ट रहा है। हमारा कहना यह है कि क्या राष्ट्रसंघ का संकल्प ईराक से कुवैत को खाली करवाने का है तथा क्या अमरीकी सैनिक सहायता द्वारा इसका अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 678 के क्षेत्राधिकार से कहीं अधिक है। हमारा यह मानना है कि अमरीकी नेतृत्व वाले गठजोड़ द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया गया है अब जबकि शान्ति अभी भी एक विकल्प है तो इसे मात्र एक भाषण नहीं माना जाना चाहिए। अब जब कि श्री डी० क्यूलार और श्री सद्दाम हुसैन के बीच हुई बातचीत की प्रतिलिपि जारी हो चुकी है तथा अमरीकी नेतृत्व वाली बहुराष्ट्रीय सेना ने ईराक पर एक घातक तथा वीभत्स आक्रमण कर दिया है, तो भी हमारे पास अवसर है। महोदय, मैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प तथा उसके परिणामों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। मुझे विश्वास है कि दूसरे वक्ता इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। परन्तु मैं दो बातें कहकर अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात पूरी कीजिए। समय कम है।

श्री एम० जे० अकबर : मैं एक बात कहे बिना नहीं रह सकता। मैं समर्पण की उस भावना से बड़ा प्रभावित तथा प्रसन्न हुआ हूं जिससे कि अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों को कार्यान्वित करने की चेष्टा की है जैसे कि इससे पहले इतिहास में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अभी कोई संकल्प पारित ही नहीं किया। दक्षिण अफ्रीका को छोड़िए। इनकी यह महान सेनाएं कहां पर थीं? फिलीस्तीन का मुद्दा अभी भी ज्वलन्त है। मध्य पूर्व की सम्पूर्ण स्थिति से इसका स्पष्ट सम्बन्ध है। जो इस सम्बन्ध से इन्कार करते हैं; वह फिलिस्तीन के मुद्दे के साथ अन्याय कर रहे हैं।

संक्षेप में मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा जिसे भारतीय विदेश नीति का आविर्भाव कहा जा सकता है। मेरे विचार में सभी लोग इससे सहमत नहीं होंगे कि भारत की विदेश नीति भारत की स्वतन्त्रता से भी पुरानी है। 1946 में जब जवाहर लाल नेहरू प्रधान मन्त्री के लगभग समतुल्य पद पर आसीन हुए थे, तो उन्होंने विदेश सम्बन्धों का विभाग अपने पास रखा था तथा भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों को तय किया था। अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने के पश्चात् जो 1946 में उन्होंने पहला भाषण दिया; वह भारत की विदेश नीति पर था। यह भाषण उन्होंने सितम्बर, 1946 में दिया था···(व्यवधान) महोदय, एशियन रिलेशन्स कांफ्रेंस इस सम्बन्ध में एक मील पत्थर थी···

उपाध्यक्ष महोदय : अकबर साहिब, आपने आधे घण्टे से भी अधिक समय ले लिया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एम० जे० अकबर : मैं दो उद्धरण देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं; जो कि सुसंगत हैं। 23 मार्च, 1947 को उन्होंने कहा था :

> "लम्बे समय से हम एशियावासी पश्चिम के न्यायालयों तथा चांसलरीयों में याचक बने रहे हैं। अब यह बात एक बीती हुई कहानी बन जानी चाहिए। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और उन सभी से सहयोग करना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग करना चाहते हैं। हम दूसरों के हाथ में खिलौना नहीं बनना चाहते हैं।"

अपनी पहली ही अमरीका यात्रा के दौरान उन्होंने यह साबित कर दिया कि उन्होंने जो कहा था; वह उसे कार्यरूप देना जानते हैं। उस समय बड़ी गम्भीर खाद्य समस्या का सामना करना पड़ रहा था और अमरीका में उस समय आवाज के विशाल भण्डार थे तथा सरकार और अधिकारी वर्ग की ओर से व्यापक दबाब श्री जवाहर लाल नेहरू पर इस बात के लिए डाला जा रहा था कि वह इसकी मांग उठाएं। इस पर श्री जवाहर लाल नेहरू ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की; उस सम्बन्ध में काफी रुचिकर कहानियां हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री एम० जे० अकबर : मैं एक वाक्य कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जब श्री जवाहर लाल नेहरू अपनी यात्रा के समापन पर थे; तो वह इस मुद्दे पर बोले तथा कहा कि अमरीकी आभार से कुछ अधिक की आशा करते हैं; और वह कुछ अधिक उनको दे नहीं सकते। मेरे विचार में यह बहुत ही सुसंगत तथा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अपनी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करते रहते हैं।

महोदय, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु आप यह बताना भूल गए कि आप इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध।

श्री एम० जे० अकबर : श्री गुजराल के स्पष्टीकरण के पश्चात् आपको कुछ और जानकारी मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जसवन्त सिंह ।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पहले आप श्री गुजराल को बोलने का अवसर दें । मैं आपका आभारी हूंगा अगर आप मुझे उसके तुरन्त पश्चात् बोलने का अवसर दें क्योंकि वह अधिक सुसंगत होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री अकबर ने कहा है कि वह इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे कि वे उस सरकार का समर्थन क्यों कर रहे हैं जो अपने उत्तरदायित्व से पीछे हट रही है···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपके प्रश्न का उत्तर सदन के बाहर देंगे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह इसका उत्तर श्री गुजराल को सुनने के बाद ही देंगे···(**व्यवधान**)

श्री एम० जे० अकबर : जब मैंने अमरीकी रक्षा विमानों में तेल भरने का मुद्दा उठाया था तो प्रधान मन्त्री यहां उपस्थित थे । चर्चा के पश्चात्, विमानों को ईंधन देने की सुविधा समाप्त कर दी गई···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सवाल-जवाब की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री गुजराल ।

श्री आई० के० गुजराल (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाड़ी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में बोलते हुए मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है क्योंकि विदेश नीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वर्षों से राष्ट्रीय आम सहमति रही है । सम्पूर्ण खाड़ी संकट के बारे में, जो नई स्थितियां पैदा हो रही हैं, उनके बारे में तथा नई परिस्थितियों में भारत की आम सहमति से बनी प्रतिक्रिया की सम्भावनाओं के बारे में चर्चा करके मुझे अधिक प्रसन्नता होती ।

हमारी विदेश नीति कल या परसों नहीं बनी और न ही इसे उन लोगों ने बनाया है जो हमसे पहले सत्ता में थे । गर्व से कहा जा सकता है कि भारत की विदेश नीति के सिद्धान्त स्वतन्त्रता संग्राम ने तय किए थे; तथा यह भी सन्तोष की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् श्री नेहरू ने इसे विस्तृत रूप प्रदान किया तथा इसे सुदृढ़ बनाया । अकसर इस सदन में तथा सदन के बाहर हमने इस पर चर्चा की है । अकसर हमने यहां पर श्री नेहरू द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दिए गए प्रसिद्ध भाषण का स्मरण किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उस विशेष रात को जब सारा विश्व सो रहा था तो भारत एक राष्ट्र के रूप में जागा । आज मैं बड़ी चिन्ता के साथ यह कह रहा हूं कि जब सारा विश्व जाग रहा है; भारत सरकार सो रही है । यह उस स्थिति का दुखद पहलू है जिस पर हम पहुंच चुके हैं ।

यह हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह सब कुछ हमारे पास ही हो रहा है । खाड़ी प्रदेश हमसे बहुत अधिक दूरी पर नहीं है । खाड़ी में जो कुछ भी होता है, वह हमें प्रभावित करता है । कई कारणों से यह कहा जा सकता है कि जो कुछ भी वहां पर घटित होता है, अन्ततः हमें प्रभावित करता है । इसका एक लम्बा इतिहास है । यह उन दिनों से आरम्भ होता है जब उपनिवेशवादी उस प्रदेश के माध्यम से आ रहे थे । उस समय खाड़ी प्रदेश की घटनाओं ने हम पर, जो हम पर प्रभाव डाला; हम उसे भी जानते हैं । उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक सम्बन्धों के साथ-साथ

सामान्य बन्धनों, उपनिवेशवाद युग के सांझे इतिहास तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान बने रिश्तों का भी सम्बन्ध है। इसलिए, वहां पर जो भी घटित होता है, वह हमें और उन्हें सामान्य रूप से प्रभावित करता है।

यह छोटा विश्व युद्ध जो एक महीना पहले आरम्भ हुआ है, उसने बहुत से सपनों को तोड़ा है। उनमें से एक सपना शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् नई परिस्थितियों के पैदा होने से सम्बद्ध है। हम यह आशा कर रहे थे कि अब सहयोग का एक नया युग आरम्भ होगा जिसमें समस्याओं को बातचीत और आपसी सहयोग से हल कर लिया जाएगा। परन्तु दुर्भाग्यवश, इस लड़ाई ने इन सपनों को तोड़ दिया है :

यहां एक मुद्दे पर मैं श्री अकबर से सहमत हूं। लड़ाई की अनुमति न तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दी थी और न ही कभी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में लड़ी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का इस सम्बन्ध में लिखित कथन उपलब्ध है। परन्तु दुर्भाग्यवश, घटनाक्रम के प्रवाह में तथा गलत सूचना पर आधारित जोरदार प्रचार के कारण युद्ध को रोका नहीं जा सका।

मेरे विचार में चार ऐसे अवसर आए थे, जब युद्ध को टाला जा सकता था।

जब खाड़ी के देशों ने रियाद में 2 अगस्त के एकदम बाद बैठक की थी तो इस युद्ध को टाला जा सकता था। इस बात के पूरे आसार थे और पर्याप्त संकेत थे कि श्री सद्दाम हुसैन न केवल पीछे हटने को तैयार थे बल्कि वह वास्तव में पीछे हटने लगे थे। लेकिन यह अवसर नहीं है जब मैं आपको विस्तार में यह बताऊं कि स्वयं जोर्डन के शाह ने मुझे बताया था तथा उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की थी कि यदि एक महाशक्ति विशेष इस विषय में कड़ा रुख अख्तियार नहीं करती जोकि युद्ध के लिए लालायित थी तो युद्ध को टाला जा सकता था।

इस युद्ध को दूसरी बार फिर अरब राष्ट्रों की कायरो में हुई बैठक के दौरान टाला टाला जा सकता था। उस समय भी यह सम्भव था। चर्चा का रुख इस तरफ मोड़ा जा सकता था। लेकिन पुनः जिस तरह से मिश्र के राष्ट्रपति ने बैठक का सचालन किया उससे ऐसी सम्भावनाएं खत्म हो गयीं। यह 12 अगस्त के आसपास की बात है। जैसे कि मैंने कहा था उस समय युद्ध टालना सम्भव था।

इस युद्ध को टालने की बात जनवरी माह में भी सम्भव थी जबकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव स्वयं बगदाद गए और उन्होंने विदेश मन्त्री तथा सद्दाम हुसैन दोनों से मुलाकात की। मैं नहीं जानता कि उनकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सद्दाम हुसैन उनसे बातचीत करने के इच्छुक थे और जब मैं सद्दाम हुसैन से अगस्त में मिला था तो मेरा भी उनके बारे में यही विचार था क्योंकि मैं यह नहीं मानता कि सद्दाम हुसैन जिद्दी हैं। वे सब लोग जो यह कहते हैं कि युद्ध हर तरह से अवश्यम्भावी था, एक ऐसे संसार में रहते हैं जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। जो लोग भी कूटनीति से किसी न किसी स्तर पर जुड़े हैं न केवल इस बात की आशा कर रहे थे बल्कि उन्हें विश्वास था कि युद्ध को टाला जा सकता था और इस लम्बित समस्या को शांतिमय तरीके से हल किया जा सकता था। यहां हमने देखा है कि इस सब में शांतिप्रिय नागरिकों को ही नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें ही परेशानी झेलनी पड़ी है।

यह कहने से मेरा मतलब यह नहीं है कि भारत, इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने को अनदेखा

कर रहा है। हम इस मामले में शेष विश्व के साथ हैं और इस सभा में भी बार-बार यही कहते रहे हैं। जैसे ही खाड़ी संकट बढ़ा मैंने स्वयं इस सम्बन्ध में अन्य नीतियां पेश की।

मैंने कहा था कि हमारी नीति त्रिमुखी बल्कि चौमुखी है। इसमें एक तो यह कि हम कुवैत पर कब्जा किए जाने के विरुद्ध थे। हम चाहते थे कि कुवैत को खाली कर दिया जाए। हम इस बात के इच्छुक थे कि इस समस्या का शांतिपूर्ण हल ढूंढा जाता। यही कारण है कि सयुक्त राष्ट्र में हर बार हमने यही मत व्यक्त किया था।

पिछली बार जब मैंने सितम्बर के अन्त में संयुक्त राष्ट्र को सम्बोधित किया था तो मैंने इस पर जोर दिया था। मैंने कहा था कि इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। तीसरा पहलू जिस पर हम जोर दे रहे थे यह था कि सम्पूर्ण पश्चिम एशिया की समस्या को हल करना सम्भव है। यह त्रिमुखी नीति है।

इसका चौथा पहलू भी है। इसका हमसे निकट का सम्बन्ध है। इसका सम्बन्ध कुवैत और इराक में रह रहे हमारे नागरिकों से था। मेरे माननीय मित्र श्री एम० जे० अकबर जिनका मैं बहुत आदर करता हूं यह बात जानते हैं। इन दिनों अक्सर मैं उनसे इस विषय में मिला हूं और बात की है। उन्हें याद होगा कि मेरी इन देशों अर्थात बगदाद और कुवैत की यात्रा से वापस आने के बाद मुझे इस सभा में और राज्य सभा में सभी पक्षों से मेरी तत्कालीन विदेश नीति की बहुत प्रशंसा की गई थी। अब श्री अकबर को यह याद करना ठीक न लगे। शायद श्री अकबर के दल को यह बात ठीक न लगे कि उनके अध्यक्षों और संरक्षकों के अलावा और कोई भी विदेशी मामलों सम्बन्धी नीतियां समझ सकता है। और भी कई लोग हैं—जो विदेश नीति के प्रति समर्पित है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने विदेश नीतियों के अध्ययन में सम्पूर्ण जीवन लगा दिया। कुछ मेरे जैसे लोग भी हैं जो किसी परिवार विशेष में पैदा नहीं हुए उन्होंने भी नेहरू की विरासत को समझने का प्रयास किया। नेहरू की विरासत किसी एक परिवार के लिए नहीं है न ही एक दल के लिए है। इसीलिए जिस नीति की हम वकालत करते हैं वह हमारी विरासत से जुड़ी है। श्री अकबर इन सब बातों को जानने के बहुत इच्छुक रहे हैं। मैं उनका बहुत आदर करता हूं क्योंकि वह एक बुद्धिजीवी हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनके राजनैतिक गुण कुछ भिन्न हैं। अतः मैं तो कहूंगा कि दुर्भाग्य से जब वह अपने तथ्यों को प्रकट करते हैं तो वह सच्चाई पर अड़े रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनका दल जिन नीतियों की वकालत करता है वे सच्चाई से काफी दूर है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिनके साथ मुझे एक कनिष्ठ मन्त्री के रूप में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वह कई मायनों में एक विशिष्ठ महिला थी। उन्होंने अपना सारा समय और ध्यान विदेशी मामलों की तरफ दिया। उन्होंने इस पर कई नये पहलू जोड़े और इनमें से एक पहलू चीन के साथ सम्बन्ध सुधारने की कोशिश करना था। उन्होंने अमरीका के साथ भी सम्बन्ध सुधारने की कोशिश की। उन्होंने उन सभी देशों से भी सम्बन्ध सुधारने की कोशिश की जो हमारे साथ नहीं थे। मैं तो कहूंगा कि उन्हें इस दिशा में काफी हद तक सफलता मिली। उनकी नीतियों से इस सम्बन्ध में कुछ शुरुआत हुई। एक निर्णय जो उन्होंने लिया था वह यह था कि विदेशी समुद्री जहाजों और वायुयानों को हमारी वायु और समुद्री सीमा से गुजरने देना। उन्हें आराम करने, मनोरंजन और ईंधन सुविधा भी उपलब्ध करायी। यह सब 80 के दशक में किया गया। श्री अकबर के नेता ने उन्हीं नीतियों की वकालत की है। मैं उन नीतियों से भी सहमत हूं।

मैं पड़ोसी देशों के बारे में उनकी नीतियों से सहमत नहीं हूं। पड़ोसियों के मामले में इससे काफी नुकसान हुआ। हमने इसे सुधारने की कोशिश की है, अब हमारी वायु सीमा से ऊपर से हवाई जहाज उड़ने देने के बारे में काफी बातें हो रही हैं। श्री अकबर को अगस्त में ही पता चल गया था कि युद्ध शुरू होने वाला है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि युद्ध टाला जाए। यही कोशिश संयुक्त राष्ट्र की थी। मैं विश्व के सभी हिस्सों में सब जगह गया। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष आंदोलन के तहत हमारी कुछ उपलब्धि रही। हम संयुक्त राष्ट्र में गये। मैं मास्को गया और यूरोप के कई देशों तथा अन्य जगह केवल एक ही उद्देश्य से गया कि खाड़ी से युद्ध को दूर रखा जा सके। अतः जब आप ऊपर से उड़ान भरने या किसी अन्य नीति पर विचार करते हैं तो हम यह मान के नहीं चलते हैं कि युद्ध अवश्यम्भावी है अतः हमने इस सम्बन्ध में सभी कदम उठाए। मैं आपको एक और बात बताऊं? वह मेरे विचार सुनने के लिए काफी इच्छुक हैं कि इस विदेशी नीति को बरकरार रखना भारतीय कूट-नीति के लिए प्रमुख बात है। हम हर वक्त यह सुनिश्चित करने के भी इच्छुक रहे हैं कि हमारी युद्ध विरोधी नीति का तात्पर्य कहीं अमरीका विरोधी न लगाया जाए। हम अमरीका विरोधी नहीं थे और आज भी हम अमरीका विरोधी नहीं हैं। हम उस समय भी युद्ध के विरोधी थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे। यह एक अच्छी नीति है जिसे मैं जारी रखना चाहता हूं। अगस्त में नहीं···(**व्यवधान**)

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र श्री गुजराल से इस बात पर सहमत हूं कि भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय सर्वसम्मति पर आधारित है। मैं कहना चाहूंगा कि हमें बीते दिनों की छानबीन नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे देश बदनाम होगा। (**व्यवधान**)

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : आपने भी यह किया है।

श्री चन्द्र शेखर : सभी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, यदि किसी ने ऐसा किया है तो अन्य लोगों को इसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं हमें इसे रोकना चाहिए। वर्तमान सरकार की जितनी आलोचना करना चाहें करें लेकिन आप विगत में क्यों जाते हैं? अन्यथा इससे ठीक छवि नहीं उभरेगी। इतना ही मैं कह सकता हूं। (**व्यवधान**)

श्री एम० जे० अकबर : उत्तर आ चुका है। सैनिक विमानों को अनुमति देने से शांति प्रयास में कैसे सहायता मिलेगी यह बात मैं नहीं समझ सका हूं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मुझे बहुत दुख है कि जब हमारे मित्र श्री अकबर विगत का जिक्र कर रहे थे—और हमारे मुताबिक वह इसमें कुछ फेरबदल कर रहे थे—तो प्रधान मन्त्री खड़े नहीं हुए थे और उन्होंने श्री अकबर को सलाह नहीं दी थी, यह सलाह तो केवल तभी दी गई जब श्री गुजराल गलत फहमी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है श्री गुजराल ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे जिससे हमारे विगत को वास्तव में नुकसान हो। इसके विपरीत हम गौरवमय भविष्य के लिए गौरवमय विगत की बात करेंगे। (**व्यवधान**) मैंने कहा था, 'हमारे मुताबिक'।

श्री एम० जे० अकबर : मैं अब भी इस बात पर दृढ़ हूं क्योंकि श्री गुजराल ने केवल इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने वायुयानों की उड़ानों के लिए अनुमति दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि वह अमरीका विरोधी नीति पर विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने विमानों को उड़ने की अनुमति दी क्योंकि वह अमरीका विरोधी नीति में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके मुताबिक उन्हें अनुमति देने से शांति प्रयासों में सहायता मिली है और वह अमरीका के सैनिक

विमानों और युद्ध विमान वाहकों को अनुमति देकर मध्य एशिया और खाड़ी में शांति लाने की कोशिश करना चाहते थे। उन्होंने यह अभी कहा था। मैं अपने मित्र से कुछ टिप्पणी चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे कुछ कहें। कब तक आप इस बात की वकालत करेंगे ? आप कब तक इसे ठीक कहते रहेंगे ? मैं चाहता हूं कि वह इस नीति पर कुछ टिप्पणी करें, कब तक आप अमरीका समर्थक इस नीति को चलाए रखेंगे ? उन्होंने इसे सभा में स्वीकार किया है। उन्हें उत्तर देने दें। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : समय काफी कम है। अगर आपस में बातें होती रहेंगी, तो काफी मुश्किल हो जाएगा। जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह भी काफी बड़ा है। आप सन्दर्भ के लिए पिछली बातों का हवाला दे सकते हैं। अन्यथा, अपने भाषण में आप बिलकुल ही अलग-थलग हो जायेंगे, लेकिन इसके साथ ही समय काफी सीमित है और विषय काफी व्यापक है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि सहयोग दें।

(**व्यवधान**)

श्री आई० के० गुजराल : श्रीमन्, आपने जो कुछ कहा है, मैं उसका आदर करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके पूर्व वे हवाला दिए जाने को रोक नहीं रहा हूं।

श्री आई० के० गुजराल : प्रधान मन्त्री ने जो कुछ कहा है, उसके प्रति मेरे दिल में बहुत आदर है। विशेषकर इसलिए कि मैं श्री चन्द्र शेखर के विचारों का आज से ही नहीं, कल से ही नहीं, बल्कि इन सभी वर्षों के दौरान आदर करता रहा हूं। अगर वह कहते हैं कि हमें पिछली बातें नहीं कहनी चाहिएं, तो मैं ऐसा न करके, साफ-साफ बात कहना चाहूंगा। क्योंकि श्री अकबर अपनी नीतियों के बारे में अन्यत्रता ढूंढने के बारे में व्याकुल हैं, मैं केवल उसे ही ठीक करना चाहता हूं। अतः, मैं किसी भी प्रकार से प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं निश्चय ही वर्तमान की बात करूंगा, लेकिन, भविष्य की भी अवश्य बात करूंगा।

जहां तक भारत के मार्ग से होकर गुजरने वाली उड़ानों का सम्बन्ध है, एक पक्ष को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में ये उड़ानें 1990 से ही आरम्भ नहीं हुई हैं। शान्ति के समय से, 1984 से ही ये उड़ानें भरी जा रही हैं। इसी नीति का अनुसरण किया जाता रहा है। मुझे केवल इसी बात का खेद है कि—मैंने प्रधान मंत्री से व्यक्तिगत रूप से भी यही कहा था और मेरी यही भावना है कि शांति के समय की विदेशी मामलों की सभी नीतियों का युद्ध के समय पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अतः युद्ध के समय इनकी समीक्षा होनी चाहिए। इसी बारे में, विमानों को तेल देने के बारे में मेरी शिकायत है। मुझे खुशी होगी अगर सरकार यह स्पष्ट करे कि विमानों को तेल देने से देश का हित किस प्रकार से होगा। लेकिन, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास भी विमानों को तेल दिए जाने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसे हमने उपरोक्त बताए गए कारणों के कारण अस्वीकार कर दिया था।···(**व्यवधान**)···

मैंने पहले भी कहा है और मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि हमारी विदेश नीति के चार मुख्य बातें थी—(1) कुवैत को खाली किया जाए; (2) मामलों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटाया जाए; (3) पश्चिम एशिया के विवाद को निपटाया जाए, इसके साथ ही अरब भूमि 'गोलान हाइट' और अन्य स्थानों पर हुए कब्जों की अनदेखी न की जाए। इसके साथ ही फिलीस्तीनी लोगों के हितों की रक्षा की जाए।

इसके अलावा, हमें इस कठिन क्षेत्र से अपने लोगों को निकालने की समस्या थी। मुझे आशा है कि इस सभा को याद होगा कि कैसे हमने वहां से अपने 50,000 लोगों को निकाला था। थोड़े से देश ही ऐसा कर पाए। मैं इसके लिए कोई व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं चाहता। यह भारत का प्रयास था; यह भारत सरकार का प्रयास था; हमारी सफलता में भारत सरकार के लिए, जिन लोगों ने कार्य किया, यह उनका प्रयास था; मैं समझता हूं कि भारत को इस पर गर्व होना चाहिए।

पिछले एक माह से इराक पर बमबारी जारी है। मैं आपका समय इस बात के लिए नहीं लेना चाहता कि इससे कितनी बरबादी हुई है। समाचारपत्रों से पता चलता है कि कितने लोगों की जानें गई हैं; कितने मकान तहस-नहस हुए हैं और कितने लोग मारे गए हैं।

दुर्भाग्यवश आरम्भ से हमने देखा है कि एक ओर संयुक्त राष्ट्र संघ, जहां कुवैत को खाली करने पर जोर दे रहा था, वहीं अमरीका की नीति अलग ही थी।

अगर आप युद्ध के बाद, 17 जनवरी के राष्ट्रपति बुश के पहले भाषण को याद करें, तो आप देखेंगे कि वह युद्ध के उद्देश्यों से बदलते रहे हैं और अमरीकी नीति का मुख्य भाग, इराकी सत्ता का पतन रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र के किसी भी संकल्प में इसका कभी भी समर्थन नहीं किया है। अमरीका की राजधानी के दौरे के दौरान, मुझे इस बात का एहसास हुआ था। मैं इस बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। हमें इस बात की चिन्ता है कि युद्ध के उद्देश्यों में इस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। जब हम विमानों में तेल भरे जाने के प्रश्न को देखते हैं, तो हमें इस पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए। मगर युद्ध के उद्देश्यों में इस प्रकार बदलाव आता है और मन्त्रालय में हमारे राजनयिक यह देखते हैं कि अब उद्देश्य इराकी सत्ता का पतन करना है, तो स्थिति और अधिक विकट होगी। मैं, कुछ समाचारपत्रों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को दोहराना चाहता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिए जाने के कारण तेल भरने की अनुमति दी गई है। मैं इन बातों का समर्थन नहीं करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जब प्रधान मंत्री या अन्य दूसरा मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे, तो इन मुद्दों को भी स्पष्ट करेंगे।

जब अमरीकी वियतनाम और हनोई पर बम फेंक रहे थे, तब श्रीमती गांधी को पता था कि इसका विरोध करने के क्या परिणाम निकलेंगे। उस समय, आपको याद होगा, हमारे यहां अकाल की स्थिति थी और पी० एल०-480 एक मुद्दा था। लेकिन, श्रीमती गांधी ने खतरा मोल लिया और इससे भारत का गौरव बढ़ा। उन्होंने वियतनाम और हनोई पर बम फेंकने की निन्दा की। भारत की विदेश नीति की यही परम्परा है और हम इसी पर कार्य करते रहे हैं।

श्री सद्दाम हुसैन से हुई मेरी मुलाकात से, मेरा एक विचार बना। आपको याद होगा कि पिछले साल, दो बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। जून में दोनों पक्षों के दौरे के दौरान और संकट के समय भी मैं उनसे मिला था। अगर मुझे ठीक से याद है, तो संकट आरम्भ होने से 18 दिन पश्चात्, 20 अगस्त के आसपास मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैंने पाया कि वह अपनी धारणा बदल सकते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि अगर मौका मिले तो मामले को शांतिपूर्वक ढंग से हल नहीं किया जा सकता। इसीलिए, मैंने गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से पहल करने को कहा। इसीलिए मैंने अन्य शक्तियों से भी इसका शान्तिपूर्वक हल ढूंढ़ने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। अमरीका में, मैं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से भी मिला। संयुक्त राष्ट्र में भी, मैंने इसी बात पर जोर दिया। दुर्भाग्यवश, शक्तियों ने इसे दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया।

कुछ समय पूर्व, मैंने सद्दाम हुसैन से मुलाकात के पश्चात्, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की रिपोर्ट का उल्लेख किया था। उस रिपोर्ट को परिचालित क्यों नहीं किया गया? जो कुछ परिचालित किया गया, उसे भी गुप्त रखा गया। इसे खुला-दस्तावेज क्यों नहीं बनाया गया? सद्दाम हुसैन और महासचिव के मध्य हुई शब्दशः बातचीत को संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज के रूप में क्यों नहीं परिचालित किया गया? इन कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया जाना अभी शेष है।

जब युद्ध आरम्भ हुआ, हमने पाया कि सरकार की नीति में परिवर्तन होता रहा है। श्री अकबर की पार्टी समेत, हम सभी, तत्काल युद्ध-विराम चाहते थे, क्योंकि भारत की विदेश नीति की परम्परागत यही नीति रही है कि जब कभी युद्ध हो, तो हम पहले युद्ध-विराम कराना चाहते हैं और उसके बात अन्य बातों पर विचार करते हैं। लेकिन 18 तारीख को भारत सरकार की नीति यह थी कि पहले कुवैत को खाली किया जाए और बाकी बातें बाद में होंगी। उसके बाद 20 तारीख को हमारी सरकार इस बात से अलग हट गई और 21 और 22 तारीख को भी उसने अलग-अलग बातें कहीं और एक बार जब विदेश मंत्री बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन से जुड़े देशों की बैठक में भाग लेने गए, तो उन्होंने एक अलग ही बात कही। इससे अलग-अलग धारणायें पैदा हुईं। मैं उनसे यह नहीं कहना चाहता हूं कि आप इसकी निन्दा करें या एक को अलग कर दें। लेकिन, मैं समझता हूं कि इससे अत्यन्त हानि हुई है। अगर आरम्भ से ही भारत युद्ध समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से जोरदार प्रयास करता, तो सम्भवतः परिणाम कुछ अलग होते। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की आवाज कुछ और ही होती। दुर्भाग्यवश गुट-निरपेक्ष आंदोलन द्वारा उठाई गई आवाज विभिन्न कारणों से अनसुनी कर दी गई थी। शायद ऐतिहासिक कारणों से ऐसा किया गया हो। सच तो यह है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की शक्तियां स्वयं अरब देशों में विभाजित होकर रह गई थी और इसका कारण यह है कि हम सब संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से हूं जिनका यह दृढ़ विश्वास है कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की शक्ति और औचित्य बहुत अधिक है। और आज विशेषकर मैं यह समझता हूं कि हम पर जब बहुत अधिक दबाव पड़ रहे हैं तो हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के माध्यम से एकजुट हो सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि चूंकि शीतयुद्ध का अन्त हो गया है इसलिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की भी समाप्ति हो गयी है। आज खतरे में क्या है? जब श्री नेहरू के समय में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की स्थापना की गई थी तब हमारी राजनीतिक प्रभुसत्ता खतरे में थी। आज हमारी आर्थिक प्रभुसत्ता खतरे में है। और, इसलिए हम सिर्फ एकजुट होकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। अन्यथा हम देख ही रहे हैं कि यूरोप में नयी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि कभी उरुगे वार्ता के नाम पर और कभी हमारी रक्षा करने के नाम पर हम पर दबाव डालने के लिए नये प्रभावकारी गुटों का उदय हो रहा है। हम सभी के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन सामूहिक सुरक्षा प्रदान करता है और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन का औचित्य समाप्त हो चुका है अथवा यह ऐसा आन्दोलन है जिसे समाप्त किया जा सकता है।

अब मैं उभर रही एक नयी परिस्थिति की चर्चा करता हूं। यदि आज सुबह रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार सत्य है कि सोवियत संघ द्वारा की गयी पहल के कुछ परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और इस समस्या के निदान की सम्भावना है तो यह एक नई परिस्थिति होगी जो हम सभी के लिए हितकर होगी।

कुछ दिनों पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका को कांग्रेस के वैदेशिक मामलों की समिति के समक्ष श्री बेकर ने एक बयान दिया था और उन्होंने पश्चिम एशिया के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था बयान करने

की कोशिश की थी। मैं आशा करता हूं कि यह सभा और विशेषकर सरकार इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेगी क्योंकि हमारे लिए यह बहुत ही अशुभ है। जिस तरह से इसे कहा जा रहा है इससे हमारी सुरक्षा पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह एक ऐसी समस्या है जिसे हमें दूर करना होगा। इसमें इस क्षेत्र से विदेशी शक्तियों को वापस नहीं बुलाने की सम्भावना भी बयान की गयी है।

आज सुबह 'दी टाइम्स ऑफ इण्डिया' में मैंने कुवैत के युवराज द्वारा जारी वक्तव्य को देखा जिसमें उन्होंने कहा है। मैं इसे उद्धृत करता हूं।

> "यदि मैं समझता हूं कि मेरे देश की सुरक्षा के लिए बाहरी देशों के सैनिकों की आवश्यकता है तो मुझे उनका उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं होगी।"

कुवैत के दृष्टिकोण से यह सही अथवा गलत हो सकता है। इस सम्पूर्ण क्षेत्र के दृष्टिकोण से इसका अर्थ है कि अब एक ऐसे तरीके की खोज की जा रही है जिसके अन्तर्गत इन सैन्य बलों, नौसेना और वायुसेना दोनों को वापस नहीं बुलाया जा सकता है और यदि वे इन्हें वापस नहीं बुलाते हैं तो हमें विशेषकर उस परिस्थिति में यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत के लिए सुरक्षा सम्बन्धी क्या अड़चनें सामने आएंगी और सुरक्षा के हित में इन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि इस आधार पर सरकार आम सहमति तैयार करने की कोशिश करेगी. इससे हमारी उत्सुकता और बढ़ गई है। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब भारत को अपनी अरब सम्बन्धी नीति पुनः स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए। हमें अपनी बात पर डटे रहना चाहिए। हम अरब राष्ट्रों की एकता का समर्थन करते हैं। हम इन राष्ट्रों की प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं। हम फिलिस्तिन के लोगों के अधिकारों का समर्थन करते हैं। हम अधिकृत क्षेत्रों को खाली कराए जाने का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही हम यह भी कहते हैं कि ईराक की राष्ट्र संरचना, इसकी सैन्य शक्ति, इसकी एकता और अखण्डता भंग नहीं की जानी चाहिए और मैं समझता हूं कि ये सब बातें हमें स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए। हमें यह भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि कुवैत को शान्तिपूर्ण ढंग से खाली कर दिया जाए, इसके निरीक्षण के लिए यदि किसी सेना की आवश्यकता हो तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना होनी चाहिए और किसी भी अन्य शक्ति द्वारा सेना नहीं भेजी जानी चाहिए। यदि एक महाशक्ति की सेनाएं वहां रह जाती हैं तो सम्पूर्ण क्षेत्र में एक नई परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसे हम सम्भवतः सहन नहीं कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि ईराक के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हमने देखा है कि दण्डात्मक कार्यवाही के नाम पर किस प्रकार देशों को बरबाद किया गया है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में पश्चिम एशिया क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं उस क्षेत्र की ही है और यदि क्षेत्र से बाहर की शक्तियों को बुलावा दिया गया तो इसमें भारत के हित की बात आती है। इस समय भारत के हित की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए इसलिए नहीं कि हम दूसरे राष्ट्र पर अधिकार जमाना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई भी बाहरी देश, जिसके साथ हमारी सुरक्षा सम्बन्धी हितों का टकराव नहीं होता है, को इस कार्य हेतु लाया गया तो भारत को इस बात पर ध्यान देना है कि इन मुद्दों का निपटारा बाहरी शक्तियों द्वारा न हो। उन्हें कहीं और से नहीं लाना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए सभी सुरक्षात्मक व्यवस्था स्वैच्छिक होनी चाहिए। उन्हें बाहर से नहीं लाया जाना चाहिए और बिना किसी विकल्प के उन्हें उसी क्षेत्र में सीमित रहना चाहिए। किसी भी देश को इससे परे नहीं रखना चाहिए। ईराक को इससे परे नहीं रखना चाहिए। ईरान को इससे अलग नहीं रखा जाना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

आणविक शस्त्रों और विषैली गैस वाले शस्त्रों के बारे में बहुत अधिक बातें की जा रही हैं। मैं समझता हूं कि भारत बिल्कुल सही ढंग से और निरन्तर आण्विक शस्त्रों का विरोध कर रहा है। भारत इन सभी शस्त्रों का विरोध करता है। जब हम यह निर्णय करते हैं कि ईराक को इससे अलग रहना चाहिए तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इजरायल भी ऐसा ही करे। यदि इजरायल की आण्विक शक्ति अक्षुण्ण रहती है और यह तथ्य बना रहता है तो इससे हमारे लिए एक नया आयाम बन जाएगा। मैं समझता हूं कि इन मुद्दों में भारत एक भूमिका निभा सकता है। भारत को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन मुद्दों में अपनी भूमिका निभाने की क्षमता भारत की है। मैं समझता हूं कि एक बात का निर्णय किया जाना है। मेरा अभिप्राय किसी प्रकार का अनादर करना नहीं है। मैं आशा करता हूं कि इस बात का निर्णय होना चाहिए कि कौन निर्णय ले रहा है—सरकार या कोई स्वतन्त्र संवैधानिक प्राधिकरण जो कि बाहर से आदेश दे रहा होगा। इस स्वतन्त्र प्राधिकरण को आदेश नहीं देना चाहिए और सरकार को अपने बलबूते पर कार्य करना चाहिए। (व्यवधान) मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं ?···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अपराध बोध रखने वाला हमेशा मुखर होता है···(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : आपके मामले में तो यह शान्त था।

श्री आई० के० गुजराल : भारतीय हितों को छोटे-मोटे समझौतों के सन्दर्भ नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय हितों की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण और वृहत है। हमें सुरक्षा सम्बन्धी हितों को देखना है। हमारा हित भविष्य में इस क्षेत्र में शान्ति से जुड़ा हुआ है और हमें उन हितों की रक्षा करनी है। अरब देश के लोगों को मानसिक आघात से उबारने में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। अरब देश में शान्ति बहाल करने में हमें मदद करनी चाहिए और अरब देश के लोगों के साथ अपने सम्बन्ध मजबूत बनाने में हमें सहायता करनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस नयी अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में सोच रहे हैं उससे किसी देश को क्षति नहीं पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने यह कहा है कि वे ऐसा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए अब समय आ गया है कि हमें औपचारिक रूप से अपनी नीति स्पष्ट कर देनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार सचेत हो जाएगी और वह सब नहीं करेगी जो इसने विगत एक मास में किया है।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने मित्र भूतपूर्व विदेश मन्त्री जी की बातों को मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने एक भूल को सुधारने की कोशिश की है।

महोदय, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही गम्भीर विषय दुर्भाग्यवश इस सरकार की निन्दा करने के लिए स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के विवाद का मुद्दा बन गया है। हम इस सरकार के विपक्ष में बैठते हैं। मेरे दल के नेता विपक्ष के नेता हैं।

3.00 म० प०

इसलिए मुझे आश्चर्य होता है कि जो लोग स्वयं सरकार में शामिल हैं वे ही सरकार की निन्दा करने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में हुआ यह है कि एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटना, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और जिस कारण हमारे देश की नीति प्रभावित होती है, वह

घटना जिसका लघु और दीर्घ अवधि दोनों में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ नजदीकी सम्बन्ध है, उसे एक मुद्दे पर केन्द्रित कर दिया गया है। हमारी सम्पूर्ण विदेश नीति की अवधारणा के सन्दर्भ में इसका परीक्षण करने, खाड़ी के सन्दर्भ में इसका परीक्षण करने अथवा उस सन्दर्भ के औचित्य का पुर्नपरीक्षण और परीक्षण की अवधारणा के बदले हमने इसे एक मुद्दे पर केन्द्रित कर दिया है। संसद के रूप में हम अपने आपको सिर्फ एक पहलू पर सीमित कर लेंगे और वह भी नीति अवधारणा की सम्पूर्णता में नहीं बल्कि सिर्फ एक पहलू के सन्दर्भ में नीति को लागू करने में।

चर्चा शुरू होने से पूर्व ही जब स्थगन प्रस्ताव उठाया गया था, मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को सुझाव दिया था कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस विशेष मुद्दे को उठाने की जगह यदि हम खाड़ी नीति, आज खाड़ी में जो स्थिति है उसकी सम्पूर्णता का परीक्षण करें तो यह अधिक लाभप्रद होगा। यही कारण है कि हम इस स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता अथवा कांग्रेस दल के उन माननीय सदस्यों जिन्होंने स्थगन के लिए इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, के साथ सहमत नहीं हो सकते हैं।

चूंकि सारी बात विमानों को ईंधन देने के प्रश्न पर केन्द्रित हैं, अतः मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रवैया है। लेकिन यह स्पष्ट करने से पहले मैं इस सभा का ध्यान 1962 में जो कुछ हुआ था, उसकी तरफ दिलाना चाहूंगा। मुझे उस समय सेना में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त था और 1962 में जो कुछ हुआ उसको यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। 1972 में जो कुछ हुआ वह भी प्रासंगिक है। 1972 में चीन और अमरीका के बीच बढ़ते हुए सम्बन्धों के फलस्वरूप क्या हुआ और भारत पर इसका क्या असर पड़ा, इस बात को भी दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 1979-80 में अफगानिस्तान के सन्दर्भ में मुझे इस सभा को पुनः यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पश्चात् क्या हुआ। परन्तु जो कुछ मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

वर्ष 1984 में जब अफगानिस्तान सोवियत संघ के कब्जे में ही था और यदि मैं गलती नहीं कर रहा, तो अगस्त 1984 में जब स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मन्त्री थी, तब विमानों को ठहरने देने, ईंधन भरने, अपने देश के ऊपर से उड़ान भरने देने की सुविधा पुनः अमरीका को दी गयी। निःसन्देह यह सुविधा गुट निरपेक्षता के आधार पर दी जाती थी। लेकिन जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने जिक्र किया है, गुट निरपेक्षता बिना सोचे समझे केवल अमरीका विरोधी या सोवियत संघ विरोधी ही बनकर न रह जाए।

वर्तमान चरण अब वास्तव में युद्ध हो गया है और इस सम्बन्ध में मैं किशनगंज के माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि 2 अगस्त निर्णायक तारीख है। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से एक मित्र के नाते उनका बहुत आदर करता हूं, और चूंकि यदि कुवैत पर हमले की तारीख 2 अगस्त थी, तो 2, 3 या 4 अगस्त को भी विमानों को ईंधन देने की सुविधा पर पुनर्विचार या समीक्षा की जानी चाहिए थी। मेरे नेक मित्र माननीय श्री इन्द्र गुजराल का यह कहना ठीक है कि एक बार युद्ध भड़क जाने पर इस सुविधा विशेष की समीक्षा की जानी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि 2 अगस्त के बाद जो स्थिति उभर कर सामने आयी तथा जब सरकार को पता था कि विमानों को ईंधन देने की सुविधा जारी है, तो इस बात की जरूर समीक्षा की गयी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आमतौर पर एक धारणा यह है कि चाहे विदेश नीति का मामला हो, या एक अथवा दूसरी सरकार के आचरण की जांच या पुनः जांच करने की बात हो तो इस सम्बन्ध में केन्द्र की कार्यवाही युक्तिसंगत सूक्ष्म और उद्देश्य

परक होनी चाहिए तथा राष्ट्रीय हित में होनी चाहिए और तेजी से बदलते इस संसार में हमारे राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। विश्व में इस बदलाव के सन्दर्भ में यदि हमारी अवधारणाएं अपरिवर्तनशील रहेंगी तो हमें राष्ट्र के नाते काफी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही कारण है कि जहां तक ईंधन की सुविधा देने की बात है भारतीय जनता पार्टी ने 19 जनवरी को और बाद में 1 फरवरी को जयपुर में यह स्पष्ट कर दिया था कि :

(एक) विमानों को ईंधन देना, ठहरने देना और आराम की सुविधाएं प्रदान करना जैसी ये दैनिक शिष्टाचार की औपचारिकताएं प्रभुता सम्पन्न राष्ट्रों के मध्य निभायी जाती हैं।

(दो) यदि अमरीका को ईंधन की सुविधा प्रदान की गई तो यह भी पहले से चली आ रही परम्परा के अनुरूप दी गयी थी और यह भारत के हितों को ध्यान में रखकर दी गयी थी।

(तीन) भारत को भी यही सुविधाएं बदले में कम से कम पन्द्रह देशों से प्राप्त हैं। दैनिक रूप से भारतीय वायु सेवा। भारतीय नौसेना को विश्व के विभिन्न देशों में विमान ठहराने की सुविधा प्राप्त है और भारतीय वायु सेना के विमानों को विश्व के कम से कम पन्द्रह अन्य देशों में ईंधन प्राप्त करने की सुविधा है।

(चार) इस ईंधन की सुविधा देने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा 2 अगस्त, 1990 को या उसके एकदम बाद समीक्षा की जानी चाहिए थी।

हमने आगे कहा है और यह भी स्पष्ट किया है कि इस समीक्षा में संसद में सभी राजनीतिक नेताओं और सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करना भी शामिल होना चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी ने आगे कहा है कि वह खाड़ी विवाद के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को और अधिक मजबूती प्रदान करने की हिमायत करती है। मुझे अपने अच्छे मित्र माननीय श्री इन्द्र गुजराल की यह बात अजीब सी लगी है जिसमें उन्होंने यू० एन० एस० सी० आर० 678 या शायद यू० एन० एस० सी० आर० 660 से 678 का जिक्र किया है, निःसन्देह अमरीका के युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों—मैं जिसकी थोड़ी देर में बात करूंगा—और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प आपस में मेल नहीं खाते हैं तथा मैं उनकी इस अवधारणा से सहमत हूं। लेकिन यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो यू० एन० एस० सी० आर० 660 से 678 की पूरी प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 51 के तहत और कुवैत के सम्बन्ध में इस अध्याय से इन संकल्पों का महत्व काफी अधिक बढ़ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम समस्त पश्चिम एशिया के लिए सभी संयुक्त राष्ट्र संकल्पों के पूर्ण कार्यान्वयन के पक्षधर हैं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके लिए हम पश्चिम एशिया पर जल्दी एक व्यापक सम्मेलन करवाने की सिफारिश करते हैं, क्योंकि जैसे हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि इजराइल को राष्ट्रों के इस समुदाय में रहने का पूर्ण अधिकार है वैसे ही हम फिलिस्तीनी लोगों को, उनके अपने अधिकारों को दिलाने में विश्वास रखते है और इसका समर्थन करते हैं। हमने आगे कहा था कि हम इस बात के खिलाफ हैं कि इस विवाद को बढ़ने दें और वह भी भौगोलिक या अन्य भिन्न-भिन्न अवधारणाओं के रूप में या अन्य पहलुओं को देखते हुए चाहे वे आणविक हों, रासायनिक या जैवीय हों या चाहे इराक की बात हो या उप-राष्ट्रपति क्वायले की बात हो, जोकि

इन सुपरीक्षित आणविक हथियारों के प्रयोग की सम्भावनाओं की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ-साफ कहा है कि हम विश्व का ब्लाकों में विभाजन नहीं चाहते हैं, चाहे महाशक्तियों की बात हो या केवल एक शक्ति की बात हो। हम बाहर से किसी एक या अन्य द्वारा थोपी गई क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, या उन पर विश्वास नहीं करते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम शान्तिपूर्ण प्रयासों के समर्थक हैं और उनको बढ़ावा देना चाहते हैं।

यही सब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है और मैंने इसे केवल दोहराया है। यह मेरे लिए जरूरी हो गया है कि मैं इस विवाद के महत्वपूर्ण पहलुओं के सम्बन्ध में अपने दल की अवधारणाओं को स्पष्ट कर दूं, विशेष तौर पर लड़ने वाले दो प्रमुख देशों के युद्ध सम्बन्धी अपने-अपने उद्देश्यों के सम्बन्ध में अपने रवैये के बारे में। महोदय, मैं समझता हूं कि यह झगड़ा न केवल अमरीका बल्कि इराक के द्वारा एक महत्वपूर्ण कच्चे तेल के भण्डार पर नियन्त्रण प्राप्त करने के बारे में है। यही दोनों का उद्देश्य है। इसके अलावा कुछ अन्य वैकल्पिक उद्देश्य भी हैं और इराक के उद्देश्य ये हैं कि उसे अरब देशों में सर्वोच्चता और एकाधिकार हासिल हो जाए, दूसरी तरफ जैसे कि अमरीकी राष्ट्रपति श्री बुश ने कहा है अमरीका का दूसरा उद्देश्य इराक के युद्ध तन्त्र की क्षमता या इसकी आणविक क्षमता को नष्ट करना है। हम स्वयं को यह समझाने में असमर्थ रहे हैं कि क्या ये वैकल्पिक उद्देश्य वे उद्देश्य हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में उन संकल्पों के माध्यम से उजागर किया गया था, जिन्हें यहां पारित किया गया है और ये ही संकल्प 660 से 678 तक हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं कि अब क्या किया जाना चाहिए। महोदय, मैं आपसे और सभा से एक बात कहूंगा और इसके लिए एक मिनट लूंगा कि इस वर्तमान झगड़े में हमारे राष्ट्रीय हित क्या हैं या क्या होने चाहिए। महोदय, मुझे विश्वास है कि हमने अभी इस वर्तमान वाद-विवाद में कांग्रेस दल को सीमित मुद्दे वाले ईंधन देने सम्बन्धी पहलू पर विरोध करते देखा है और यहां हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय उद्देश्य ताक पर रख दिए गए हैं। मैं इस पर बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। हमें खाड़ी युद्ध के तहत सबसे पहले अपने भारतीय आर्थिक हितों की रक्षा करनी चाहिए। दूसरे हमें खाड़ी में अपनी आवाज एक राष्ट्र के रूप में बुलन्द करनी चाहिए। तीसरे हमें इस विवाद के चलते और बाद में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को निरस्त करना चाहिए। चौथे, हमें हर कीमत पर इस युद्ध को अपनी भारतीय सीमा में धकेलने से रोकना होगा खास तौर पर हमारे घरेलू ढांचे को इसके प्रभाव से मुक्त करना होगा। इन तीन या चार राष्ट्रीय उद्देश्यों का हर हाल में पालन होना चाहिए। फिर हम यह अनुमान लगाएंगे कि क्या ईंधन सुविधा देना ठीक कदम है या गलत। इसी सन्दर्भ में हमें अपनी नीति निर्धारित करनी होगी और तभी हम खाड़ी नीति पर पहल की बात कर सकते हैं और खाड़ी के सन्दर्भ में अपनी राजनयिकता सम्बन्धी नीति निर्धारित कर सकते हैं।

महोदय, मैं संक्षेप में कुछ शब्द गुट निरपेक्षता के बारे में कहूंगा। महोदय, मैं यह विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस सम्बन्ध में पुनर्विचार चाहती है कि गुट निरपेक्षता के क्या मायने हैं। हम इस अवधारणा का केवल इसलिए बखान नहीं करेंगे कि वह 40 वर्ष पुरानी है। मैं अपने मित्र इन्द्र गुजराल से खुशी से गुट निरपेक्षता की महत्वपूर्ण अवधारणा, इसकी भूमिका एवं इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना चाहूंगा, जोकि भारतीय राष्ट्रीय हितों के सन्दर्भ में सुसगत हो। महोदय, मैं जानता हूं और शायद यह कहते हुए मैं इस सभा में कई लोगों के रोष का कारण बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी नेहरू वादी गुट-निरपेक्षता के चलते रहने की पक्षधर नहीं है। महोदय, मेरी इस बात से कई लोगों को चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है कि जो बात 40 वर्ष

पहले प्रासंगिक थी वह आज भी स्वतः ही आगे के लिए भी प्रासंगिक हो। जब तक हम इस विषय को इसके प्रभाव की बिना भावना में बहे समीक्षा नहीं करेंगे तब तक हम न केवल वर्तमान सन्दर्भ में बल्कि भविष्य के सन्दर्भ में भी बहुत भारी गलती करेंगे। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का मेरे पास समय नहीं है। परन्तु मैं इस सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहूंगा। जहां तक शान्ति को बहाल करने के लिए होने वाले प्रयत्नों का प्रश्न है, हम सोवियत संघ तथा इसके राष्ट्रपति द्वारा की गई पहल का स्वागत करते हैं। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी आधा घंटा पहले मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि अमरीका ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। मुझ विश्वास है कि राष्ट्रपति गोर्बाचोव का प्रस्ताव अस्वीकृत हो जाने के पश्चात् अब भारत के लिए इस सम्बन्ध में पहल करने का अवसर है, ताकि विश्व को भारत के महत्व का अहसास हो। मैं नहीं समझता कि श्री गोर्बाचोव द्वारा की गई पहल इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रयास था। श्री गोर्बाचोव ने एक प्रक्रिया आरम्भ की है और वर्तमान परिस्थितियों में अगर राष्ट्रपति बुश इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते, तो मुझे आश्चर्य होता और इसलिए अमरीका द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने के कारण शान्ति को बहाल करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों में कोई ढील नहीं आनी चाहिए। मेरे विचार में जो आठ सूत्री फार्मूला राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने प्रस्तुत किया है, वह भविष्य में इस सम्बन्ध में होने वाली बातचीत के लिए एक मार्ग दर्शक बन सकता है? इसी दिशा में वर्तमान सरकार को एक सकारात्मक तथा अर्थपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अब फिर मैं यही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में भी विस्तार से चर्चा का मेरे पास साफ नहीं है। इसलिए इस पर विचार करने का उत्तरदायित्व मैं वर्तमान सरकार पर छोड़ता हूं।

भारत-अरब सम्बन्धों के बारे में बड़े ही भावनात्मक ढंग से पारम्परिक भारत-अरब मित्रता की बात की गई है। जब मेरे मित्र श्री गुजराल भारत-अरब की परम्परागत मित्रता की बात कर रहे थे; तो मुझे नहीं पता वह इतिहास के किस काल की बात कर रहे थे। परन्तु प्रथम विश्व के दौरान, भारतीय फौजें मेसोपोटामिया में लड़ी थी तथा उन्होंने 'ओट्टोमन' साम्राज्य की सेनाओं को हराया था। दूसरे विश्व युद्ध में हमारी फौजें पश्चिम एशिया में लड़ी थीं। इसलिए जब वे परम्परागत भारत-अरब सम्बन्ध की बात करते हैं, तो शायद इससे उनका तात्पर्य निर्गुट नीति के अस्तित्व में आने के बाद की गई पहलों तथा नेहरू काल और निर्गुट काल से होता है। परन्तु उसमें भी भारत-मिस्र मित्रता प्रमुख है, जिसे आप भुला नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भारत-इराक समीकरण से हमारे दीर्घकालीन हितों को गहरा आघात पहुंचाते हैं। इस सम्बन्ध में भी अधिक विस्तार से कुछ कहने का मेरे पास समय नहीं है। दो या तीन बातें कहने के पश्चात् मैं समाप्त करूंगा।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी घरेलू नीति, जिसे कि सुधारा जा सकता है, के विपरीत विदेश-नीति की गलतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए पीड़ा का कारण बनती हैं और विदेश नीति में गलतियों के परिणाम आने वाली कई पीढ़ियों को भुगतने पड़ते हैं। मैं इस सम्बन्ध में विदेश नीति में हुई गलतियों को स्पष्ट करने के लिए जम्मू और काश्मीर तथा चीन का नाम लेना चाहूंगा जिसके कारण हमें वर्तमान संकट विरासत में मिला है। इसलिए जो भी निर्णय हम आज लें तो विदेश नीति की गलतियों को अपने सामने रखें, विशेषकर जबकि आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेंगे तो वह भारत की आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पीड़ा का कारण बनेगा। दूसरी बात यह है कि कल के आदर्श हमेशा के आदर्श नहीं हो सकते हैं। (व्यवधान) मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा, कि विदेश नीति में हुई गलतियां आने वाली पीढ़ियों को पीड़ा देती रहेंगी। इसलिए, विदेश नीति के बारे में सदैव भावनाओं से ऊपर उठकर सोचें। हम कल की मूर्तियों की हमेशा पूजा नहीं कर सकते तथा 'साऊथ ब्लाक' के मन्दिरों में उन्हें हमेशा के लिए स्थापित नहीं कर सकते हैं।

विदेश-नीति पर मतैक्य के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। माननीय प्रधान मन्त्री से मेरा निवेदन है कि भावनात्मक आधार पर नहीं, अपितु राष्ट्रीय हितों की वास्तविकता के आधार पर, कृपया ऐसे मतैक्य के लिए प्रयत्न करें और उसे बनाएं।

मुझे केवल इतना ही कहना है।

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : मेरे विचार में इस समय अमरीकी विमानों को ईंधन की सुविधा प्रदान करने का, जबकि वे खाड़ी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं तथा खाड़ी युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं, क्या तात्पर्य हो सकता है। भारत में दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास ने जो वक्तव्य दिया है, उसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि ये विमान अमरीकी युद्ध उपकरणों के लिए कलपुर्जे ले जा रहे थे। ये विमान चाहे जैसे रहे हों, अगर वे किसी भी तरह युद्ध में संलिप्त थे तो उन्हें ईंधन लेने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय कानून बिल्कुल स्पष्ट हैं। इस प्रकार की सुविधा केवल सहयोगी राष्ट्रों को ही दी जा सकती है और हम इन सहयोगी सेनाओं में सम्मिलित नहीं है। इस समय हम अमरीका के सहयोगी राष्ट्र नहीं हैं। इसलिए ईंधन की सुविधा देना उचित कदम नहीं है। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि जबकि यह विमान हवाई अड्डों पर केवल एक या दो घण्टे ही ठहरते हैं, जबकि उनमें रखे सामान की जांच-पड़ताल के लिए कम से कम 24 घण्टे की आवश्यकता होती है। यह विशेषज्ञों का कहना है। इसलिए, इस बात में कोई सामर्थ्य नहीं है कि इन विमानों में कोई जंगी साजो-सामान नहीं ले जाया जाता था।

यह सत्य है कि इस समूचे प्रश्न को लेकर हमारा दृष्टिकोण भारत की विदेश नीति तथा परम्परागत निर्गुण नीति के अनुरूप नहीं रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इस सरकार ने अभी पिछले दिनों ही सत्ता संभाली है तथा उन्हें कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण गहन आर्थिक संकट भी हो सकता है, जिसके लिए यह सरकार उत्तरदायी नहीं है। अब जो इस संकट में सहायता कर सकते हैं, वे दबाव डाल रहे होंगे। वे ऐसा दूसरे सभी देशों से भी कर रहे हैं, जो कि हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। वे विदेश नीति में परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं। परन्तु जो भी मुश्किलें हों, इस सदन तथा इस सरकार द्वारा यह जोरदार ढंग से स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि भारत बिकाऊ चीज नहीं है, भारत की विदेश नीति डॉलर या और किसी प्रलोभन से खरीदी नहीं जा सकती। भारत की विदेश नीति बिकाऊ नहीं है और जो भी मुश्किलें हमारे सामने हैं, हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। इसलिए, हमारा दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए।

मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं। इस सदन द्वारा इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करने का कोई आधार मुझे नजर नहीं आ रहा है। वह इसलिए कि पिछली सरकार की तुलना में वर्तमान सरकार की खाड़ी संकट के सम्बन्ध में नीति किसी भी तरह कम विश्वसनीय नहीं है। श्री गुजराल का एक योग्य, विवेकशील तथा सौम्य व्यक्ति के रूप में मैं सम्मान करता हूं। अब जबकि उन्होंने बीते हुए समय का हवाला दिया है तथा अपनी नीति की सफलताओं का गुणगान किया है; तो मैं स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उनके ही शब्दों का प्रयोग करूंगा।

श्री गुजराल के अतिरिक्त मैं और मेरे सहयोगी श्री बशीर ही केवल ऐसे दो भारतीय थे, जिन्हें सभी नागरिकों, राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों में से कुवैत पर इराक के कब्जे के पश्चात् कुवैत जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं यह सदन को बताना चाहूंगा कि कुवैत के उप प्रधान मन्त्री श्री रामादान के

साथ हमारी क्या बातचीत हुई। वह हमारी सरकार से काफी नाराज थे, क्योंकि उन्होंने बार-बार श्री गुजराल के साथ बगदाद में अपनी भेंट का जिक्र किया। श्री गुजराल ने उनसे यह वादा किया था कि जो विमान भारतीयों को कुवैत तथा इराक से निकालने के लिए आएंगे उनके द्वारा भारत खाद्य सामग्री तथा दवाइयां भेजेगा। कुवैत के उप प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट कहा, "हमने कभी भी खाद्य सामग्री या दवाइयों की मांग नहीं की है। इस सुविधा की, हमारे लिए आपके विदेश मन्त्री द्वारा पेशकश की गई थी।"

हमें बड़ी निराशा और आश्चर्य तथा नाउम्मीदी हुई है कि इस पेशकश के बावजूद भारतीय विमान बिना दवाइयों तथा खाद्य सामग्री के आ रहे हैं, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध दवाइयों तथा खाद्य सामग्री पर लागू नहीं होता है।

इराकी प्रशासन की आंतरिक भावनाओं का इनसे पता चलता है जिसके कारण वहां भारतीयों के प्रति दुर्भावना पैदा हो रही है। इसके कारण ही ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि मुझे तथा मेरे एक सहयोगी, हम दोनों जो कि संसद सदस्य हैं, हमें तो बगदाद ही नहीं बल्कि कुवैत में जाने की अनुमति भी दे दी गई, जबकि श्री उन्नीकृष्णन जैसे केन्द्रीय मन्त्री तथा केरल राज्य तथा गोआ के मन्त्रियों को इराक के भीतर कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। उन्हें वीसा नहीं दिए गए।

यह पिछली सरकार की विदेश नीति को दर्शाता है जो कि उनकी अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसी विदेश नीति के कारण इराक तथा कुवैत दोनों ही हमसे नाराज हैं।

मैं आपको बताता हूं कि जब श्री गुजराल कुवैत गए तब क्या हुआ। हम कुवैत गए और वहां पर भारतीय नागरिकों से मिले। जब मन्त्रीगण वहां गए तो उससे वहां के लोग हमारी सरकार के कार्य निष्पादन से पूर्णतया हताश हुए। यह बात विशेषकर उस जनसभा के बारे में है जो श्री गुजराल ने कुवैत में की थी। श्री गुजराल ने इस जनसभा में इराक के प्रति हमारी मित्रता तथा इराकियों के साथ सम्बन्धों का बखान किया और वहां घटित सभी घटनाओं को उचित ठहराया। यह एक जनसभा थी। इसमें लाखों लोग मौजूद थे, जिनमें न सिर्फ भारतीय बल्कि कुवैती भी थे और इसका परिणाम यह निकला कि भारतीयों के खिलाफ कुवैतियों का विरोध शुरू हो गया। उस समय कुवैत की दीवारों पर यह नारा था: "एक फिलिस्तीनी के मरने पर एक दिनार।" इस दिन के बाद एक नारा और जुड़ गया "एक भारतीय के मरने पर एक फिल।" एक फिल एक दिनार का सौवां भाग होता है। यह वास्तव में अपमानजनक बात थी और श्री गुजराल ने अपने जोश में वहां लोगों के लिए इस समस्या को उत्पन्न कर दिया।

श्री आई० के० गुजराल : मेरी कामना थी कि मेरे बोलने से पहले वह बोल लेते। तब मुझे उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध रहता। लेकिन उन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं, अतः मैं समझता हूं कि वह मुझे इनका उत्तर देने दें। निःसन्देह उन्हें एक लाभ प्राप्त है कि वह कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें इसे प्रमाणित नहीं करना। इसलिए, वह इराक से आने के दो या तीन माह बाद यह सब बोल रहे हैं जिसकी पूर्ण रूप से कोई प्रासंगिकता नहीं है। वह जिन उप प्रधान मन्त्री का उल्लेख कर रहे हैं, मैं अपने बगदाद प्रवास के दौरान कभी भी उनसे नहीं मिला। उनसे मेरे द्वारा बातचीत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने उनसे कोई बात नहीं की।

श्री एडुआर्डो फलेरो : उप प्रधान मन्त्री, जो कि कुवैत के प्रभारी थे।

श्री आई० के० गुजराल : मैंने उनसे बात नहीं की। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने न तो मुझसे ही कहा और न ही मैंने खाद्यान्न तथा दवाओं की सप्लाई करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही एक मानवतावादी राष्ट्र के रूप में हमने बाद में दवाएं भेजी। आपको यह भी याद होगा कि हमने वहां पर फंसे अपने नागरिकों तथा अन्य देशों के नागरिकों के लिए खाद्य-पदार्थों से भरा एक जल-पोत भेजा और इसे भेजने के लिए संयुक्त राष्ट्र की अनुमति पाने में सफल होने वाला भारत ही एक मात्र देश था। खाद्यान्न वितरित करने के बाद भी लगभग 5000 टन खाद्यान्न बाकी रह गया था और उस समय इराक ने इसे उन्हें देने की मांग की थी। हमने उन्हें कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बाद ही ऐसा कर सकते हैं, इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने इसकी अनुमति दी और यह खाद्यान्न वहां पर छोड़ दिया गया। मुझे बहुत खेद है कि कुवैत में मेरी बातचीत का उन्होंने बहुत ही गलत अर्थ निकाला है। वह मेरे मित्र हैं। लेकिन उनकी यह बात बिल्कुल गलत है और मैं पूर्णतया इसका खण्डन करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : गुजराल जी, यह कहना बहुत आसान है कि यह गलत है। मैं वहीं मौजूद था। श्री बशीर भी वहां थे। श्री रमादान के साथ मेरी बातचीत का वृतान्त मौजूद है। इसका वृतान्त मौजूद है और समिति में सभी भारतीय नागरिक हैं। कौन कहेगा कि वास्तव में क्या हुआ?

मैं यह उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि यह गलती इस सरकार की ही नहीं है। विदेश नीति में गड़बड़ पिछली सरकार से शुरू हुई और मेरे निजी जानकारी और उस क्षेत्र में जाने के अपने अनुभव के आधार पर यह बात स्पष्ट हुई है कि बहुत कम लोगों को, मुश्किल से एक दर्जन लोगों को जाने की अनुमति दी गई। यह बात अच्छी नहीं है, लेकिन भारत सरकार के लिए यह खेदजनक है कि इराक सरकार द्वारा निजी तौर पर संसद सदस्यों को न सिर्फ बगदाद बल्कि कुवैत जाने की भी अनुमति दी गई, लेकिन श्री उन्नीकृष्णन को, जो श्री गुजराल, आप ही की सरकार से सम्बन्धित हैं और उनके साथ गए राज्य सरकार के मन्त्रियों को अनुमति नहीं दी गई। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि ऐसी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हमें इन मौजूदा खामियों को दूर करना चाहिए। श्री गुजराल ने कहा है कि वहां से आए लगभग 1,50,000 भारतीय नागरिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्होंने रेगिस्तान में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना किया, जबकि अमरीका, ब्रिटेन और जर्मनी, जो कि सहयोगी सेवाओं के हिस्से हैं, के नागरिकों को कुवैत से सीधे ही फ्रैंकफुर्ट, न्यूयार्क, लन्दन जाने की अनुमति दी गई, लेकिन इराक के भारतीय मित्रों को अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए रेगिस्तान के रास्ते से जाने की अनुमति दी गई।

श्री आई० के० गुजराल : ऐसे कितने लोग थे?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह संख्या काफी बड़ी है। मुद्दा यह नहीं है। बात यह है कि मैंने कहा है कि उस समय बगदाद में हमारा दूतावास कारगर नहीं था। यह बहुत ही दुखद मामला है, जिसे इस सरकार को दूर करना चाहिए। बगदाद में हमारे राजदूत इस समय भी मौजूद नहीं हैं, जबकि अन्य अनेक राजदूत वहां मौजूद हैं। क्यूबा जैसे छोटे से देश के राजदूत, न सिर्फ वहां पर मौजूद हैं बल्कि वह बाहरी दुनिया को रिपोर्ट भेज रहे हैं, अपने देश की सरकार को सूचित कर रहे हैं। वहां पर क्यूबा के सिर्फ राजदूत ही मौजूद नहीं हैं, बल्कि क्यूबा के डाक्टर नर्सें तथा अन्य लोग वहां के नागरिकों की मदद करने के लिए मौजूद है। लेकिन हमारे लोग, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेता, तीसरे विश्व के नेता भाग खड़े हुए और इसके लिए हमारे बगदाद दूतावास के मुखिया उत्तरदायी हैं जिनके बारे में मैंने उस समय श्री गुजराल को एक पत्र में यह लिखा था, कि वह वास्तव में अपेक्षित कार्य नहीं कर रहे हैं।

महोदय, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र के सम्बन्ध में हमारी नीति दुरुस्त की जाए। नि:सन्देह सहयोगी देशों की संयुक्त सेना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 678 द्वारा उन्हें दिए गए अधिकार का उल्लंघन कर रही हैं। सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कुवैत को स्वतन्त्र कराने के लिए है। लेकिन यह संयुक्त सेना तो इराक को नष्ट कर रही है। वह न सिर्फ सैन्य ठिकानों को नष्ट कर रही है, बल्कि नागरिकों को भी मार रही है और उनके क्षेत्र नष्ट कर रही है, और इस समय यही सब कुछ हो रहा है। कुवैत की स्वतन्त्रता का काम नहीं हो रहा, बल्कि इराक का विनाश हो रहा है। यह अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सभी नियमों के विरुद्ध है और विशेषकर प्रस्ताव संख्या 678 के विरुद्ध है जिसमें उन्हें इराक से लड़ने की अनुमति दी गई है।

इस सन्दर्भ में, मुझे अमरीका के विख्यात नागरिक, वहां के भूतपूर्व महान्यायवादी विश्व शान्ति आन्दोलन के प्रमुख नेता न्यायमूर्ति रामसे क्लार्क से बेहतर साक्षी नहीं मिल सकता। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस महीने की 12 तारीख को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने 2 फरवरी से 8 फरवरी, 1991 तक के अपने बगदाद प्रवास की रिपोर्ट भेजी है। मैं उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे का यहां उद्धरण देना चाहता हूं।

महोदय, मुझे यह उद्धरण देने की अनुमति दें। यह एक बहुत ही निष्पक्ष स्रोत की रिपोर्ट है, एक व्यक्ति, जो भारतीय नहीं है, अमरीकी नागरिक है एक न्यायशास्त्री है जो विश्व भर में सम्मानीय है। मैं श्री रामसे क्लार्क द्वारा इस महीने की 12 तारीख को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को लिखे गए पत्र से उद्धृत करता हूं :

> "....कुवैत से इराकी सेना को बाहर निकालने हेतु आवश्यक सैन्य कार्यवाही करने को छोड़कर संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव इराक पर किसी सैन्य आक्रमण का अधिकार नहीं देता है। सम्पूर्ण इराक में हुई बमबारी अन्तर्राष्ट्रीय कानून, सैन्य संघर्ष के नियमों तथा हेग और जिनेवा सन्धि तथा न्यूरेमबर्ग चार्टर का उल्लंघन है। यह किसी भी नैतिक मूल्य के तहत असभ्य, बर्बर तथा किसी जाति के प्रति द्वेषपूर्ण कार्यवाही है। हमने जो देखा है उसमें कुछ अपवाद छोड़कर, यह विनाश राष्ट्र संघ के प्रस्ताव संख्या 678/44 की भाषा या अपेक्षा के अनुरूप नहीं है।
>
> मैं आपसे आग्रह करता हूं कि महा सभा तथा सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों को यहां दी गई जानकारी से तुरन्त अवगत कराएं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप एक जांच दल के गठन के लिए कहें, जो इराक पर अमरीकी बमबारी से उस देश के नागरिक जीवन पर प्रभाव की जांच करे। यह अत्यन्त आवश्यक है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने अधिकार के अन्तर्गत इराक तथा अन्य स्थानों पर नगरों, आबादी, सार्वजनिक सुविधाओं, राजमार्गों, पुलों तथा अन्य सभी नागरिक क्षेत्रों तथा सुविधाओं पर बमबारी को रोकने के लिए यथासम्भव सब कुछ करें। अगर युद्ध विराम नहीं होता है, तो यह बमबारी कुवैत में सैन्य ठिकानों कुवैती सीमा के निकट इराक में सैन्य बलों के ठिकानों, कार्यरत सैन्य वायु पट्टियों अथवा स्कड प्रक्षेपास्त्र छोड़ने वाले स्थानों, जिनका पता लगाया गया है तक ही सीमित रखी जाए...."

उपाध्यक्ष महोदय : इन सब बातों के लिए समय नहीं है। आपने अपनी बात कह ली है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या मुझे इसे सभा पटल पर रखना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आवश्यक नहीं है। नियमों के अनुसार भी इसकी अनुमति नहीं है।

श्री एडुआर्डो फलीरो : ठीक है महोदय। मेरा यह कहना है कि जिस प्रकार से इराक का विनाश किया जा रहा है वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। हमारे उप-विदेश मन्त्री गुट-निरपेक्ष मन्त्रि मण्डलीय दल में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें अनुरोध करना चाहिए कि वह इराक जाएं और संयुक्त राष्ट्र के आदेश का जो उल्लंघन किया जा रहा है उसकी जांच करने के लिए जांच दल गठित करने का आह्वान करें। हमारा यह रवैया होना चाहिए कि इराक कुवैत से हट जाए। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में बल प्रयोग तथा दूसरे संप्रभु राष्ट्र पर कब्जा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ केवल कुवैत से सम्बन्धित संकल्पों का उल्लंघन नहीं किया गया है बल्कि सुरक्षा परिषद से सम्बन्धित संकल्पों का भी उल्लंघन किया गया है। शांति का विभाजन नहीं हो सकता है और इसकी अन्तर्राष्ट्रीय वैधता है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि तत्काल युद्ध विराम हो जाए। तत्काल युद्ध-विराम की आवश्यकता है। इस समय एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम बनाने की भी आवश्यकता है ताकि मध्य-पूर्व में शांति स्थापित हो सके और फिलस्तीनी राज्य बन सके।

मैं एक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूं, यदि आज उसका उल्लेख नहीं किया गया तब यह हमारे लोगों के लिए दुखदायक और अन्यायपूर्ण होगा, वह है उस क्षेत्र से आए भारतीय नागरिकों की दशा। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन लोगों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय समिति, जिसका सरकार ने इस सभा में आश्वासन दिया था, अभी तक गठित नहीं की गई है। इस सभा में इन लोगों के लिए राष्ट्रीय राहत कोष का भी आश्वासन दिया गया था। लेकिन छः महीने के बाद भी यह अभी तक गठित नहीं किया गया। उनके लिए चिन्ता का एक और कारण यह है कि पासपोर्ट सुविधा बन्द कर दी गई है। उन्हें स्वदेश वापिस भेजने के लिए एक बांड भरा गया था जिसे पिछली सरकार ने रद्द कर दिया था। उसे रद्द करने के बाद अब सरकार वह धन वापिस करने की मांग कर रही है। यह एक मानवीय मुद्दा है। मेरी इस बारे में यही राय है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री एडुआर्डो फलीरो : यह बांड रद्द करके हमारे लोगों, जिन्होंने हमारे कोष में अपना धन दिया था, के साथ बहुत अन्याय किया गया है। इस समय भारत सरकार के कोष से अधिक खाड़ी में रह रहे अनिवासी भारतीयों का धन है। उन्हें पासपोर्ट सुविधा नहीं दी जा रही है। इसलिए वह भारत में नहीं रह सकते हैं। पासपोर्ट सेवाएं बन्द कर देने से वह बाहर नहीं जा सकते हैं। बांडों को वास्तव में रद्द कर देना चाहिए और कुवैत तथा खाड़ी से आए व्यक्तियों को तत्काल पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।

दूसरे, उस क्षेत्र में स्थिति सामान्य होने तक इन व्यक्तियों की अविवासी भारतीय की स्थिति बनाई रखी जानी चाहिए तथा उससे सम्बन्धित सभी विशेषाधिकार दिए जाने चाहिएं।

तीसरे, उनके बच्चों को भारत में जन्म पंजीकरण कराने की अनुमति दी जाए क्योंकि भारतीय पंजीकरण प्राधिकारी उन्हें कुवैत में पंजीकरण कराने के लिए कह रहे हैं। क्या आप स्थिति की गम्भीरता को समझते हैं? ऐसे कार्य तत्काल किए जाने चाहिएं। यह दक्षिण के लिए अत्यन्त कठिन समय है। पूर्व-पश्चिम लड़ाई समाप्त हो गई है। जब उत्तर-दक्षिण लड़ाई शुरू हो सकती है। (व्यवधान) हम एक बार फिर गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेतृत्व का साहसपूर्वक समर्थन करें तथा छोटे

व गरीब देशों की संप्रभुता और पूरे विश्व के साथ तीसरे विश्व के देशों की एकता को बनाए रखने के हमारे अधिकार और कर्तव्य का दावा करें। लड़ाई के इन कठिन दिनों में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की महान आवश्यकता पर बल देते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री आई० के० गुजराल : 9 फरवरी को विदेश मन्त्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई थी। इसमें काफी सदस्य उपस्थित थे। बैठक में बगदाद में हमारे राजदूत और अधिकारियों द्वारा की गई अच्छी सेवाओं की प्रशंसा की गई थी। प्रतिकूल परिस्थितियों में उन व्यक्तियों ने जो इतना कार्य किया है उसकी आलोचना करना अनुचित है बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : मुझे व्यक्तिगत तौर पर स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपके विरुद्ध आरोप नहीं है।

श्री एडुआर्डो फंलीरो : मैंने सदस्य को सबूत दे दिया है। वह इस प्रकार कोई मुद्दा कैसे उठा सकते हैं? (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : ईंधन देने के बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहा। वह इस बारे में चुप क्यों हैं?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : हम भी जानते हैं कि आपने क्या किया। (व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : श्री स्वामी और श्री खाशोगी इसके लिए उत्तरदायी हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री खाशोगी के बारे में भारतीय जनता पार्टी अधिक जानती है।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थिति नियन्त्रण के बाहर हो रही है। कृपया श्री इन्द्रजीत गुप्त को बोलने दीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी इतने क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं। इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि अमरीकी विमानों को ईंधन देने के बारे में इस सरकार ने जनमत से भिन्न रवैया अपनाया है। एक भी दल अथवा प्रेस के किसी वर्ग ने इसका समर्थन नहीं किया। यह इस सरकार द्वारा सम्पूर्ण परम्परागत विदेश नीति, जो गुट-निरपेक्ष नीति और शांति की समर्थक तथा युद्ध के विरुद्ध रही है, का उल्लंघन है। यह अप्रत्यक्ष रूप से देश को अमरीका की ओर से युद्ध में शामिल करने का एक प्रयास है जिसे सहन नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, जैसा श्री अकबर ने कहा कि श्री गुजराल की सरकार के समय वायु गलियारा देने की बात गोपनीय रखी गई थी उसी प्रकार यह ईंधन देने की बात गोपनीय रखी गई जब तक कि उन्हें टाइम्स ऑफ इण्डिया से इस बारे में पता नहीं लगा। यह ईंधन देने की सुविधा कैसे बन्द की गई, इसे भी गोपनीय रखा जा रहा है। इस बारे में भी इस सरकार ने कोई घोषणा नहीं की। इस बारे में सबसे पहले वाशिंगटन से पता चला। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार को यह जानकारी रहती है कि इस देश में कैसी परिस्थितियां हैं, जनमत क्या है, लोगो की प्रतिक्रिया क्या है और सरकार किसी उलझन में है या नहीं, इसलिए उन व्यक्तियों को कठिनाई से उबारने के लिए उसने यह घोषणा की कि ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।

इसलिए, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि ईंधन देने की इस घटना ने पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल कर दी है। इसने हमारी प्रतिष्ठा, हमारा पिछला रिकार्ड अरब देशों और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के साथ हमारे सम्बन्धों को खतरा उत्पन्न कर दिया था। इसलिए अच्छा हुआ कि यह समाप्त हो गया।

अब मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं। मैं लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। इस सभा में इस बहस का क्या लाभ होगा ? सब तरफ प्रेस रिपोर्टों में यही कहा गया है कि अधिक से अधिक देश राष्ट्रपति गोर्बाचोव के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं जिसे शायद सद्दाम हुसैन भी स्वीकार कर लेंगे। मैं नहीं जानता कि वास्तविक स्थिति क्या है। अधिक से अधिक देश इसका स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं और सभी सम्बन्धित पक्षों पर दबाव डाल रहे हैं कि गोर्बाचोव प्रस्ताव को युद्ध विराम करने, शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा इसका समाधान ढूंढने का आधार बनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार का गोर्बाचोव प्रस्ताव के प्रति क्या रवैया है ? वे कह सकते हैं कि हम इसकी विषय-वस्तु से अवगत नहीं हैं। हमें अभी कुछ ही समय पूर्व बताया गया था कि एक माह अथवा दो माह पूर्व राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने हमारी सरकार के समक्ष प्रस्ताव रखा था कि ऐसी स्थिति में हमें उनसे रोजाना सम्पर्क तथा सलाह-मशवरा करना चाहिए। इस समय हमें यह मान लेना चाहिए कि उन्हें कुछ ज्ञात नहीं है और भारत सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई है, मास्को में हमारा कोई राजदूतावास नहीं है, सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध नहीं हैं। हम उस संकल्प की विषय-वस्तु को नहीं जानते। मैं इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करूंगा। परन्तु, हम शान्त बैठे हुए हैं। जो सरकारें तथाकथित अमरीका के नेतृत्व वाले संयुक्त गठबन्धन के पक्ष में हैं, समाचार-पत्र में यह खबर प्रकाशित हुई है कि इटली, मिस्र, बेल्जियम, ईरान की सरकारें तथा और भी कई अन्य सरकारें यहां तक कि संघीय गणराज्य जर्मनी के चांसलर हेलमट कौल ने यह कहा है कि केवल यही वह अवसर है जो आपको मिल सकता है; अतः गोर्बाचोव के प्रस्ताव को मान लिया जाए तथा सभी शत्रुताओं को समाप्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए क्योंकि लगभग एक माह से वहां युद्ध चल रहा है। हमें इस तथ्य को ध्यान रखना चाहिए कि पहली बार सद्दाम हुसैन प्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी सरकार से बातचीत करने के लिए सहमत हो गए हैं, जो सुरक्षा-परिषद का सदस्य है। उनका रवैया यह था कि सुरक्षा-परिषद के वे सभी सदस्य जिन्होंने संकल्प सं० 678 के पक्ष में मतदान किया है, वे सभी इराक के शत्रु हैं, उन्होंने इराक को नष्ट करने के लिए ही उस संकल्प को पारित किया था। परन्तु अब समय आ गया है, चाहे जो कुछ भी कारण हों, हमें इस समय उन कारणों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है जबकि वह सोवियत सरकार के साथ बातचीत हेतु अपना राजदूत मास्को भेजने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसने संकल्प सं० 678 का समर्थन किया था तथा जो सुरक्षा परिषद का एक स्थायी सदस्य है। यह काफी बड़े परिवर्तन का द्योतक है। मेरे विचार से यह सद्दाम हुसैन की स्थिति में बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। कुछ व्यक्ति यह भी कह सकते हैं कि ऐसा इस समय उनकी कमजोर स्थिति के कारण हो सकता है क्योंकि एक महीने से उनके देश पर बमबारी की जा रही है तथा इसीलिए स्वयं को वह काफी अशक्त अनुभव कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अमरीकी महासचिव ने जो कहा था, उसे हम जानते हैं। वह बार-बार यही कहते आए हैं कि सद्दाम हुसैन ने उन्हें बताया था कि मैं जो मांग कर रहा हूं कि कुवैत नहीं छोड़ूंगा; यह कोई ऐसी बात नहीं है कि इसे बदला नहीं जा सके। अमरीकी महासचिव ने यही कहा था। सद्दाम हुसैन ने उन्हें बताया था कि कुवैत पर अपना कब्जा न छोड़ने की उनकी अडिगता को बदला जा सकता है निश्चित रूप से उनके देश पर बमबारी पहले से ही जारी थी तथा सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर किए गए हमले के अतिरिक्त जिसकी कि सम्पूर्ण विश्व निन्दा कर रहा है तथा जिसके बारे में कोई सन्देह नहीं

है। कुवैत एक स्वतन्त्र देश था, कुवैत संयुक्त राष्ट्र का एक सदस्य था तथा वह एक प्रभुसत्ता-सम्पन्न देश था जिसकी अपनी सरकार थी। उसने अपनी सेनाओं को वहां भेज दिया तथा कुवैत पर कब्जा कर लिया तथा मैं उनको इस तथ्य के कारण अधिक दोष दूंगा कि उन्होंने अपने इस अनुचित कार्य के कारण ही राष्ट्रपति बुश को एक अवसर दिया कि वह मध्य पूर्वी क्षेत्र में अपनी विशाल सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करें। वे ऐसे अवसर की तलाश में थे तथा उन्हें सद्दाम हुसैन के कारण यह अवसर मिल गया। अब हम देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है।

अमरीका ने युद्ध के अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया है। हमारी सरकार को राष्ट्रपति बुश से अपने युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए कहा जाना चाहिए। क्या वह केवल कुवैत को मुक्त कराने तक ही सीमित है अथवा उससे भी अधिक उनका कुछ और उद्देश्य भी है। जिस प्रकार से कुछ अमरीकी प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे यहां कुछ नई व्यवस्था होनी चाहिए क्या उसी प्रकार वह भी चाहते हैं कि एक नई व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए? ब्रिटिश सरकार ने इस बात को और अधिक खुले तौर पर कहा है कि युद्ध के पश्चात् मध्य पूर्वी क्षेत्र में एक नई व्यवस्था कायम की जानी चाहिए जिसका अभिप्राय है कि वे चाहते हैं कि वहां पर उस सम्पूर्ण क्षेत्र के अरब देशों तथा तेल संसाधनों पर शासन करने के लिए वहां पर अमरीका की स्थायी उपस्थिति बनी रहे। युद्ध करने का उनका यह उद्देश्य है न कि कुवैत को मुक्त कराना जिसके लिए वे कह रहे हैं कि उन्हें अत्यन्त दुःख पहुंचा है जबकि पनामा अथवा ग्रेनेडा अथवा निकारगुआ के मामले में उन्होंने उस समय कुछ भी कार्रवाई नहीं की थी।

अतएव हमें यह बात समझनी है। युद्ध को जल्दी समाप्त करवाने के लिए तथा इस हेतु कोई शांतिपूर्ण हल निकालने के लिए, तीसरे विश्व के एक विशाल देश के रूप में हमें गम्भीरता से कार्य करना है। अन्यथा यदि युद्ध जारी रहता है, उस स्थिति में वहां अमरीका का ही प्रभुत्व कायत हो जाएगा। युद्ध तो समाप्त हो जाएगा परन्तु, उस क्षेत्र में अमरीकी प्रभुत्व कायम हो जाएगा तथा यह एक चुनौती होगी न केवल मध्य पूर्वी क्षेत्र के लिए ही बल्कि भारत के लिए भी यह एक चुनौती बन जाएगी। सोवियत संघ के लिए भी यह चुनौती होगी। उस क्षेत्र के निकटवर्ती सभी देशों के लिए यह एक चुनौती होगी। अतएव वह देश अब यह समझ रहा है कि विश्व में वही एक सर्वोच्च शक्ति है। विभिन्न कारणों वश अन्य सर्वोच्च देश कमजोर हो गए हैं तथा केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति विद्यमान है। वे हर रोज अपनी विशाल सैन्य-शक्ति, नई प्रौद्योगी युक्त हथियार, वायुयानों तथा टैंकों आदि के माध्यम से यह प्रदर्शित कर रहे हैं तथा यह साबित कर रहे हैं कि वे जो करना चाहते हैं, वह करने में सक्षम हैं। प्रत्येक देश को उनके समक्ष घुटने टेकने होंगे। इस युद्ध का जारी रहना न केवल उस क्षेत्र के लिए घातक सिद्ध होगा बल्कि हम सभी के लिए घातक सिद्ध होगा। अतः यहां पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्या वे भी यहां पर उन राष्ट्रों को अपना समर्थन देंगे, जो यह कह रहे हैं कि गोर्बाचोव के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए तथा युद्ध-विराम करने तथा बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण हल निकालने में इसका तुरन्त इस्तेमाल किया जाना चाहिए। श्री चन्द्रशेखर को इस मामले में चुप नहीं बैठना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि श्री गोर्बाचोव के इस प्रस्ताव के प्रति उनका क्या रवैया है। यदि संघीय जर्मन गणराज्य, इटली, मिस्र तथा बेल्जियम की सरकारें इस बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं, तब फिर भारत सरकार इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त क्यों नहीं कर सकती? (व्यवधान) अब यह सब करने का समय नहीं है। आपने जो नीति अपनाई है, उससे देश का पहले ही बंटाधार हो चुका है। कृपया अब इस मामले को यूं ही मत छोड़िए। यह एक काफी गम्भीर मसला है।

श्री चन्द्र शेखर : मैं इस बारे में काफी गम्भीर हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है। बहुत अच्छा।

श्री चन्द्र शेखर : यदि आप चाहते हैं कि मैं इस मामले में कुछ रवैया अपनाऊं, तो मैं ऐसा अवश्य करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निश्चित रूप से इस चर्चा की समाप्ति पर ही आपका उत्तर स्पष्ट हो जाना चाहिए। (व्यवधान) मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि संकल्प सं० 678 में ताकत के इस्तेमाल की स्वीकृति कभी भी नहीं दी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि तारीख 15 जनवरी तक इराक कुवैत से अपना कब्जा नहीं हटाएगा तब कुवैत को इराक के कब्जे से मुक्ति दिलाने के लिए जो भी साधन, उपाय आवश्यक होंगे, वे सब किए जाएंगे। इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जैसे ही अमरीका द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा 15 जनवरी को समाप्त होती है उसके अगले ही दिन अर्थात् 16 अथवा 17 जनवरी से ही अमरीका इराक पर अपने पूरे सैन्य बल सहित हमला कर देगा। उन्होंने ऐसा ही किया था। अतएव अब हर कोई यही समझ रहा है कि वे युद्ध को उस समय तक जारी रखने के उत्सुक हैं, जब तक कि इराक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता, जब तक कि इराक का एक देश के रूप में बिल्कुल नामोनिशान नहीं मिट जाता, जब तक कि सद्दाम हुसैन तथा उनकी पूरी सैन्य-शक्ति बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती। उन्होने यही कहा है। वे विभिन्न रूप में रोजाना ही ऐसा कह रहे हैं। परन्तु, युद्ध का यह उद्देश्य नहीं था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का यह उद्देश्य नहीं था। अतः लोगों का विनाश होता रहे, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। यह सम्पूर्ण युद्ध पिछले दो अथवा तीन वर्षों से विश्व में हो रहे विकास के बिल्कुल प्रतिकूल हो गया है। यह दुखद बात है। विगत दो-तीन वर्षों से पूरी दुनिया एक अलग दिशा में अग्रसर हो रही थी। लोगों को यह विश्वास हो चला था कि अब कोई युद्ध नहीं छिड़ेगा—शायद युद्ध से मुक्त एक दुनिया होगी। विश्व के कई भागों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और घोषणाएं की गयीं—गोर्बाचोब—राजीव गांधी और अन्य नेताओं के साथ और—निरस्त्रीकरण, हथियारों में कटौती, सभी तरह की सुरक्षा व्यवस्था तथा कोई युद्ध नहीं होगा, यह सभी एक नये युग के सूत्रपात की आशा पर निर्भर था। लेकिन विगत दो-तीन वर्षों के समूचे विकास के विपरीत एक घटना घट गई। यह एक गम्भीर मुद्दा है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए।

यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश में भी वहां प्रत्येक शहरों और कस्बों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जो दस हजार पाकिस्तानी टुकड़ी वहां भेजी गई है, उनका कहना है कि अमरीका के तरफ से नहीं लड़ेंगे बल्कि मक्का और मदीना के पवित्र स्थल की रक्षा करेंगे। अब श्री नवाज शरीफ की समस्या यह है कि अपनी सैनिक टुकड़ी को कैसे वापस बुलाएं? लोग ऐसी मांग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सैनिक टुकड़ी क्यों भेजी गई। अमरीकी शहरों और कस्बों में भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं क्योंकि मृत अमरीकी सैनिकों के शव अभी तक अमरीका नहीं पहुंच रहे जैसे कि वियतनाम से युद्ध के दौरान ताबूतों में लाए जाते थे और इससे अमरीका में बहुत गड़बड़ी उत्पन्न हुई थी। यदि राष्ट्रपति बुश ने जमीनी लड़ाई शुरू करने का निश्चय कर लिया है तो शव भी वहां पहुंचेंगे ही। अब तक तो उनका एकतरफा युद्ध हो रहा था चूंकि वे आकाश से बम वर्षा कर रहे हैं और जवाबी कार्रवाई करने के लिए कोई इराकी वायु सेना नहीं है। हमारा यह मानना है कि श्री सद्दाम हुसैन के पास कुछ थल सेना है। सभी सेना विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है और इसके बारे में लिखा है। उनके पास ऐसी अनुभवी सेना है जिसने आठ-नौ वर्ष तक ईरान के विरुद्ध युद्ध किया है जबकि अधिकतर अमरीकी सैनिक टुकड़ियों ने कभी भी सक्रिय

युद्ध नहीं देखा है अथवा अपने सैनिक जीवन में किसी युद्ध का सामना नहीं किया है। यह कोई हंसी खेल नहीं है इसके अलावा लोग हताहत भी होंगे। अमरीकी हताहतों की संख्या बढ़ेगी। श्री बुश हो सकता इस पर गौर न करें परन्तु, वहां की जनता इसे गम्भीरता से लेगी। वे यह नहीं देखना चाहेंगे कि एक देश, कुवैत की रक्षा के लिए उनके भाई, बेटे और पिता अरब के रेगिस्तानों में मारे जाएं। इसलिए महोदय, हमें यह देखना होगा कि विश्व का रुख क्या है। कुछ पागलों को छोड़कर कोई भी युद्ध नहीं चाहता। आवश्यकता यह है कि भारत के विचार को ध्यानपूर्वक सुना जाए। यदि सम्भव हो तो भारत की संसद को आवाज उठानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि यह सम्भव है अथवा नहीं। इस पर आप विचार करें। मुझे यह बताया गया है कि दूसरे सदन में इस सम्बन्ध में कुछ किया जा रहा है। अच्छा होगा कि आप पता लगाएं कि क्या किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि ऐसा किया जा सकता है अथवा नहीं। आप लोग सरकार चला रहे हैं। आपको निश्चय करना है कि क्या किया जाना चाहिए। आप यह पता लगाएं कि युद्ध-विराम और समझौते की दिशा में अधिक से अधिक क्या हो सकता है··· **(व्यवधान)**···। महोदय, आप पीठासीन हैं। आप भी इस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन, भारत की संसद इस बर्बरतापूर्ण बम वर्षा के एक महीने बाद क्यों इस मुद्दे पर विचार कर रही है? महोदय बगदाद शहर में पानी, बिजली और भोजन नहीं है। वहां लोगों पर लगातार बम वर्षा हो रही है। मैं नहीं समझता कि कोई अरब देश इसका सामना कर सकता था। यहां तक कि तीसरी दुनिया का कोई भी देश ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता था। वियतनाम के बारे में बात नहीं करें। वह एक अलग मामला था। उनके साथ हो-ची-मिन्ह थे और उन्होंने पूर्व में फ्रांसीसी और अमरीकियों से युद्ध किया था। लेकिन, तीसरी दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, जो ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकता है। वास्तव में इराकियो ने जिस तरह इन परिस्थितियों का सामना किया है, उस पर मुझे आश्चर्य है। उनके बच्चों के लिए दूध नहीं है। बगदाद में पानी दूषित हो गया है और किसी भी दिन महामारी फैल सकती है। वहां बिजली नहीं है। प्रत्येक दिन घरों को नष्ट किया जा रहा है और वे इनका सामना कर रहे हैं। निर्दयतापूर्वक बम वर्षा की जा रही है। इसीलिए, कुछ करने का यह उपयुक्त समय है।

श्री बसन्त साठे (वर्धा) : मैं आपसे सहमत हूं। इस सभा को राज्य सभा के समान एक संकल्प स्वीकार करना चाहिए। हम सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित करें और युद्ध-विराम के लिए पूरा सहयोग और दृढ़ समर्थन प्रदर्शित करें। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम आपका समर्थन करते हैं···। **(व्यवधान)**···हम सरकार से ऐसा करने के लिए कहेंगे। हम सभी मिलकर यह मांग करें। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम आपसे ऐसा करने के लिए कहते हैं···। **(व्यवधान)**···यह ऐसी सरकार है, जिसके बारे में श्री अकबर ने कहा कि इसने जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का प्रयास किया है और इसके बावजूद भी आप इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं। यह केवल आपके कारण अस्तित्व में है। लेकिन, आप उनसे एक संकल्प पारित नहीं करवा सकते। **(व्यवधान)**

श्री बसन्त साठे : हम स्थगन प्रस्ताव को सर्वसम्मत संकल्प में बदल दें। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सबसे बुरी बात यह हुई है कि सरकार के इस कार्य के कारण अमरीकी सरकार को पहली बार पूरी दुनिया के सामने यह कहने का मौका मिल गया कि 'देखिये! शांति और गुट-निरपेक्षता के महान समर्थक भारत जैसे गणतन्त्र देश ने भी इस युद्ध का समर्थन किया है।'···

(व्यवधान)...यह शर्म की बात है। हमने अपना आत्म-सम्मान खो दिया है...(व्यवधान)...आपको तो हमेशा अगस्त और जनवरी की पड़ी रहती है। (व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : श्री गुजराल ने इसे स्वीकार किया है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने 'आपरेशन डेजर्ट स्टोर्म' और अन्य अभियानों के बारे में साधारण अन्तर को श्री अकबर से सुना। किसी भी स्थिति में जबकि एक बार खुले रूप से युद्ध छिड़ गया है, तो आपने इसे रोकने के लिए अपने दृष्टिकोण को व्यक्त क्यों नहीं किया ?

श्री एम० जे० अकबर : चूंकि आप सत्ता में थे। आप इसे रोक सकते थे। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 17 जनवरी को जब युद्ध छिड़ा था तो आप सत्ता में थे न कि हम लोग। ...(व्यवधान)...यदि हम केवल इसी बात पर जोर देते रहे, तो मैं अपना सुझाव वापस लेता हूं। मैं नहीं समझता कि इस स्थिति में कोई सर्व सम्मत संकल्प प्रस्तुत किया जा सकता है।...(व्यवधान)... मैं समझता हूं कि आपकी रुचि युद्ध समाप्त करने के उपाय करने से अधिक इसमें है। मैं सरकार के इरादे और उद्देश्य को नहीं जानता। उन्हें अपने मित्रों के साथ विचार करना होगा। उन्हें ऐसा करने दें। यहां पर न तो विदेश मन्त्री हैं और न रक्षा मन्त्री। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी शासन का संचालन कर रहे हैं। (व्यवधान)

4.00 म० प०

श्री गुजराल के कहने के बावजूद भी वे नहीं-नहीं कह रहे हैं।...(व्यवधान) ये सभी बातें श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय शुरू हुई थीं।...(व्यवधान)

श्री आई० के० गुजराल : श्री अकबर, दल के प्रवक्ता होने के नाते अपनी शैली के अनुरूप यह सोचते हैं कि मिथ्या को बार-बार दुहराने से सच हो जाता है। वह दुहराते रहे हैं।...**...

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : अपने भाषण के मूल पाठ को श्री गुजराल देख सकते हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि वह अमरीका-विरोधी नहीं हो सकते...(व्यवधान)

महोदय, उन्होंने ...**... शब्द का प्रयोग किया है। मुझे इस पर आपत्ति है। उन्हें इसे तत्काल वापस ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि...**...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि कुछ असंसदीय शब्द कहे गए हैं। वे सभी असंसदीय शब्द जिनका यहां प्रयोग किया गया है, उन्हें कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। इसकी जांच की जाएगी और ऐसे शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री एम० जे० अकबर : किस बात की जांच की जाए। उन्होंने अपने भाषण के दौरान स्वयं स्वीकार किया है...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : ** शब्द असंसदीय है परन्तु ** संसदीय है दोनों शब्दों में अन्तर है...

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा। मैंने पहले ही कह दिया है कि यदि यह असंसदीय है तो इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह शब्द केवल आपके ही विरुद्ध नहीं बल्कि अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी है।

अब श्री सुदर्शन राय चौधरी बोलेंगे।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आज हम एक विशेष दृष्टि से खाड़ी युद्ध और इसमें भारत की भूमिका जैसे गम्भीर मामलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस पर चर्चा पहले की जानी चाहिए थी ताकि हम खाड़ी युद्ध समाप्त करने के लिए कोई निर्णय ले सकते तथा आम राय जुटायी जा सकती थी। अब कांग्रेस (आई) के सदस्य विमान में ईंधन भरने के मुद्दे को स्थगन प्रस्ताव से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे इस बात की आशंका है कि जब मतदान का समय आएगा तो वे स्थगन प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं करेंगे। वास्तव में, सभी वामपंथी दलों ने इस युद्ध को तत्काल समाप्त कराने की जनता की मांग को उठाने के लिए संसद का आपातकालीन सत्र बुलाने के लिए कहा था परन्तु सरकार ने हमारे सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि सरकार सामान्य सत्र भी नियमित रूप से नहीं बुलाना चाहती है तो फिर किसी आपातकालीन सत्र का बुलाना दूर की बात है। हम इस अल्पसंख्यक सरकार से किसी प्रकार की आशा नहीं कर सकते।

17 जनवरी, जब से अमेरिका ने इराक के विरुद्ध युद्ध शुरू किया, तब से यह सरकार क्या कर रही थी ? यह सरकार अधिकांश समय तक ऐसे मूक बनी रही जैसे कि मानो हमारी गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति की असफलता पर शोक व्यक्त कर रही हो। परन्तु जब हमारे प्रधान मन्त्री ने, जो इस प्रकार भाषण देते हैं जैसे कि उन्हें इस सभा का दो तिहाई बहुमत प्राप्त है, कहा कि कुवैत के मुद्दे को फिलीस्तीन मुद्दे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता तब वह जार्ज बुश की बात कह रहे थे। अमेरिकी साम्राज्यवाद चाहता है कि इस्रायल का अरब भू-भाग; वेस्ट बैंक, गोलन हाइट्स और लेबनान के दक्षिणी भाग पर कब्जा रहे। उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। इस्रायल जानता है कि पूरे पश्चिम एशिया में यह आक्रमण करता रहेगा क्योंकि इसे अमेरिकी साम्राज्यवाद का समर्थन प्राप्त है। चूंकि इस्रायल केवल पश्चिम एशिया में ही नहीं बल्कि समूचे विश्व में और मध्य अमरीका में अमेरिकी हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसलिए कोई इसकी निन्दा नहीं कर सकता। यह कहना अनुचित होगा कि जब तक इस्रायल अरब भू-भाग से वापस नहीं होगा तब तक मध्य एशिया में शान्ति, व्यवस्था और स्थिरता सम्भव नहीं है।

हमारे प्रधान मन्त्री सिद्धान्तवादी व्यक्ति है इसलिए उन्होंने कहा कि फिलीस्तीन समस्या को कुवैत विवाद से अलग रखा जाना चाहिए। परन्तु महोदय, क्या गुट-निरपेक्षता की नीति के पालन का यही तरीका है ? अमेरिकी विमानों में ईंधन भरने की सुविधा से इस सरकार की विशिष्ट नीति स्पष्ट हो जाती है। यह नीति अमेरिकी साम्राज्यवाद के समक्ष समर्पण करने की है। यह हमारी गुट-निरपेक्षता की नीति को नजरअन्दाज करके अमेरिकी साम्राज्यवाद की तुष्टिकरण की नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय, गुट-निरपेक्षता की मुख्य विशेषतः यह है कि यह ऐतिहासिक, वैचारिक तथा वास्तविक दृष्टि से साम्राज्यवाद विरोधी है। स्वतन्त्रता के बाद से यह रास्ता अपनाया गया है। इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं कर सकता क्योंकि यह जनता की नीति है किसी विशेष दल, नेता तथा किसी परिवार की नहीं। परन्तु यह सरकार, जो राजनैतिक आवश्यकता के कारण बनी है तथा इसी वजह से

कार्य कर रही है, कुछ और समझती है। यह सरकार समझती है कि तथाकथित एक ध्रुवीय विश्व में गुट-निरपेक्षता के दिन समाप्त हो गए हैं। क्या यह वास्तविकता है? क्या साम्राज्यवाद ने इसकी विशेषता में परिवर्तन कर दिया है जैसा कि कुछ नासमझ लोगों का विश्वास है? आपको साम्राज्यवाद और तीसरी दुनिया के देशों के बीच अन्तर दिखायी नहीं देता जो प्रतिदिन स्पष्ट हो रहा है? क्या आप अमेरिकी साम्राज्यवाद की हिंसक प्रकृति को नहीं पहचान सकते हैं? फिर भी यह सरकार इस देश के विरुद्ध कुछ क्यों नहीं करती? वे अमेरिका के खिलाफ बोलने में शर्म क्यों करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि अमेरिका का वास्तविक उद्देश्य कुवैत को स्वतन्त्र कराना है? क्या यह सच नहीं है कि अमेरिका इराक को नष्ट करना और श्री सद्दाम हुसैन की हत्या करना चाहता है? श्री सद्दाम हुसैन हठी नहीं हैं जैसा कि श्री गुजराल ने कहा है।

अमेरिका हमेशा मध्य एशिया में अपनी बात थोपने का प्रयास करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुवैत के विरुद्ध इराक की कार्यवाही का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता है। यह बात किसी से छिपी नहीं है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। परन्तु विश्व के सिपाही के रूप में कार्य करने वाला अमेरिका कौन है? क्या अमेरिका अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान के कारण जाना जाता है? क्या हम वियतनाम, पनामा, ग्रेनेडा, निकारगुआ और चिली की घटनाओं को भूल सकते हैं? महोदय, अमेरिका का अन्तिम उद्देश्य समूचे विश्व विशेषतः तीसरी दुनिया के देशों पर शासन करना है। अमेरिका उनकी जनता और उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। यह अमेरिका की नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था-पैक्स अमेरिकाना की अवधारणा है। खाड़ी में अमेरिका का क्या हित है? यह पूरे क्षेत्र के तेल पर नियन्त्रण करना तथा खाड़ी देशों में ऐसी कठपुतली सरकारें बनाना चाहता है जो गरीब अरब जनता की कीमत पर अधिक मुनाफा कमाने के लिए अमेरिका और इसकी तेल कम्पनियों को अनुमति दें। हमारी सरकार को इसमें कोई दोष दिखायी नहीं देता परन्तु इराक ने इसका एक महीने से अधिक समय तक सामना किया। अमेरिका और इसकी सहयोगी राष्ट्र इराक का विनाश कर रहे हैं। हजारों नागरिक मारे गए हैं। अस्पताल, वाटर वर्क्स, बिजली परियोजनाओं, पूजा स्थलों प्राचीन मैसोपोटामिया की सभ्यता का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानों को नष्ट कर दिया गया है। महिलाओं और बच्चों समेत भूमिगत शरण स्थल में रहने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। परन्तु इराक ने समर्पण नहीं किया है। यह वीरतापूर्वक लड़ रहा है। इराकी जनता अकेली नहीं है इसके साथ तीसरी दुनिया के देशों, पाश्चात्य देशों, अमेरिका और अन्य देशों की जनता उसके साथ है। इस युद्ध की साजिश और अमेरिका के विरुद्ध रैलियां और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बौन, बर्लिन, टोकियो, स्पेन, इटली, अमेरिका और अन्य शहरों में रैलियां की जा रही हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र का युद्ध नहीं है। संकल्प-678 में आवश्यक तरीकों को अपनाने की व्यवस्था है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि बल का प्रयोग किया जाए। युद्ध शुरू होने से पहले सभी शांतिपूर्वक तरीके अपनाए जाने चाहिए थे। यह संकल्प इराक के विनाश की अनुमति नहीं देता है। अमेरिका का संयुक्त राष्ट्र के आदेश का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। मैं संकल्प 678 के पैरा 4 का उल्लेख करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसको उद्धृत करने का समय नहीं है। ऐसे अन्य माननीय सदस्य भी हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : इसमें कहा गया है, "सम्बन्धित देशों से अनुरोध किया गया है कि

कार्यवाही की प्रगति की जानकारी सुरक्षा परिषद को नियमित रूप से दी जाए।" संयुक्त राज्य अमरीका और इसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ को जानकारी देने के लिए क्या किया ?

इजरायल के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का क्या हुआ ? प्रस्ताव 242 में इजरायल को अरब अधिकृत क्षेत्र से हट जाने के लिए और वहां अत्याचार बन्द करने के लिए कहा गया है। अमरीका ने इजरायल को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। वास्तव में इसने इजरायल को उकसाया। अमरीका के न्याय का यह वास्तविक रूप है। हमारी सरकार भी न्याय के उसी रूप को अपना रही है अर्थात फिलिस्तीन के मामले को इसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यह हमारी नए रूप से परिभाषित गुट निरपेक्षता है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इस सरकार ने अमरीका लड़ाकू विमानों को ईंधन भरने की सुविधा प्रदान की जबकि घरेलू खपत में कमी कर दी गई थी, यहां के विमानों की उड़ानों को रद्द कर दिया गया था, किसानों को डीजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयी थीं। इन अमरीकी युद्धक विमानों को करांची अथवा सिंगापुर में भी ईंधन भरने की सुविधा उपलब्ध हो सकती थी लेकिन विश्व को सिर्फ यह दिखाने के लिए कि एक गुट निरपेक्ष देश भी इसका समर्थन कर रहा है उन्होंने भारत को चुना। ऐसा कर हमारी सरकार को इस युद्ध का श्रेय दिया गया था तथा अमरीका द्वारा छेड़े गए युद्ध को न्यायोचित बताया गया था। सभी प्रमुख दलों द्वारा अनुरोध और प्रदर्शन करने के बावजूद यह सरकार यह सुविधा उपलब्ध कराती रही। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि यह कार्यवाही माननीय आधारों पर की गई थी। यह कौन-सा माननीय आधार है ? अमरीका ने ईराक के उस एकमात्र 'बेबी फूड' बनाने वाले कारखाने को भी नष्ट कर दिया था। इस सरकार ने हमारे राष्ट्र पर, हमारी विदेश नीति पर कलंक लगा दिया। श्री राजीव गांधी जी कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान सरकार ने मूक दर्शक की भूमिका निभायी। यह सत्य नहीं है। इस सरकार ने वास्तव में इस अमरीकी युद्ध में सहयोगी की भूमिका निभायी है। अब अमरीकी सरकार यह कहकर यहां की सरकार का बचाव कर रही है कि वह कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कर लेगी। और इसे भारत से ईंधन भरने की सुविधा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। श्री चन्द्रशेखर जी ने ईंधन प्रदान करने की सुविधा बन्द नहीं की। श्री बुश ने ऐसा किया। कम-से-कम ये कठपुतली नचाने वाले समझदार। तमिलनाडु की निर्वाचित सरकार को गिराने और बजट पेश करने को स्थगित करने का निर्देश यहां वे लोग देते हैं जिनके हाथ की यह सरकार कठपुतली है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आपको शब्दों के इस्तेमाल में सावधानी बरतनी चाहिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से नए ऋण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरों के समर्थन पर टिकी यह सरकार उनकी आभारी है और शायद इसी कृतज्ञता की भावना से यह दक्षिण कोरिया के युद्धक विमानों को अपने देश से होकर खाड़ी जाने की अनुमति प्रदान कर रही है। यह खबर आज के अखबार में छपी है। मैं नहीं जानता हूं कि यह 'इण्डियन एक्सप्रेस' अथवा 'द हिन्दू' में प्रकाशित हुआ है। दक्षिण कोरिया क्या है ? वे अमरीका के सहयोगी हैं। इस वर्ष 1991 में वे संयुक्त रूप से एक सैनिक अभ्यास करने वाले हैं। यह सरकार संयुक्त राज्य अमरीका को खुश करने के लिए दक्षिण कोरिया को अनुमति प्रदान कर रही है।

मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को उनके विनिर्णय के लिए आभारी हूं। हमें इस दल बदलू विदेश

मन्त्री से छुटकारा मिल गया है। अब हमें इस सरकार से छुटकारा पाने का उपाय सोचना चाहिए। इस सरकार को जाना चाहिए।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मन्जेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हम सभी जानते हैं कि पूर्व में भारत सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। इसके साथ ही भारत गुट निरपेक्ष देशों का नेता और इस समय सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है। लेकिन मैं कहूंगा कि श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में भारत ने युद्ध रोकने की पहल नहीं कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं किया है। भारत को इस बात के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए थे कि युद्ध रुक जाए और सम्पूर्ण मानवता को विपत्ति और विनाश से बचाया जा सके। ऐसा नहीं किया गया था। यह सबसे बड़ी असफलता थी।

खाड़ी में एक महीने से भी अधिक समय से विनाशकारी युद्ध चल रहा है। इसकी क्षमता सम्पूर्ण मानवता के विनाश करने की है। इसलिए हम सब यह चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए और युद्ध विराम हो जाना चाहिए ताकि सम्बन्धित देश विवाद का निपटारा शान्तिपूर्ण ढंग से कर सकें।

जहां तक ईराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लिए जाने का प्रश्न है, हम सभी ने इसकी निन्दा की है। ईराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण और कब्जा जमाने की कार्यवाही को हम अनदेखी नहीं करते हैं। लेकिन आज की स्थिति के सम्बन्ध में एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए। इजराइल द्वारा अधिकृत फिलिस्तिन क्षेत्र खाली कराए जाने के मुद्दे के साथ कुवैत को खाली कराए जाने की बात जोड़ देने से सम्पूर्ण स्थिति ही बदल चुकी है। यहां हम ईराक के रवैये का समर्थन करते हैं क्योंकि हम विश्व के किसी भी भाग में आक्रमण का समर्थन नहीं कर सकते हैं। यह एक सामन्तवादी नीति है। एक ऐसी नीति है जिसके अन्तर्गत विश्व के भिन्न-भिन्न देशों को अमरीका के हित के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इजराइल आक्रमण द्वारा यहूदियों कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। फिलिस्तिन के विभिन्न क्षेत्रों पर इजराइल ने अधिकार जमा लिया है। इसने पश्चिम तट, गोलन हाईट और गाजा पट्टी पर भी अधिकार कर लिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फिलिस्तिन के कुछ भागों पर इजरायल द्वारा कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भर्त्सना सम्बन्धी कुछ प्रस्ताव पारित किए थे लेकिन उन पर अमरीका ने हमेशा वीटो किया। इसलिए मैं कहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका ने हमेशा से दोहरी नीति अपनायी है। इसमें पूर्णरूप से भेदभाव किया गया है। इसलिए हम संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपनायी गई नीति को स्वीकार नहीं कर सकते है जिसके अन्तर्गत अमरीका ईराक को नष्ट करने के लिए न कि कुवैत को स्वतन्त्र कराने के लिए कृतसंकल्प है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ईराक के विरुद्ध दिन-रात बमबारी की जा रही है जबकि युद्ध विराम और मामले को निपटाने के लिए वार्ता चल रही है। इसके साथ ही साथ अन्धाधुंध बमबारी भी की जा रही है। ये किनके द्वारा की जा रही है, ये सब सामन्तवादी देश संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय देशों द्वारा की जा रही है। वे सब मिलकर एक देश अर्थात ईराक के विरुद्ध बमबारी कर रहे हैं। ये किस प्रकार की बमबारी है? हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि नागरिक क्षेत्रों, अस्पतालों, विद्यालयों के साथ धार्मिक स्थलों और नागरिक सुरक्षा स्थलों पर भी बमबारी की जा रही है। जिसमें कि हजारों लोग मर चुके हैं और गम्भीर रूप से घायल हो एए हैं। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में मैं सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव द्वारा युद्ध की समाप्ति के लिए की गई पहल का स्वागत करता हूं जिसमें कि हम असफल हो चुके हैं। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन द्वारा देर से इसकी पहल की गई थी। गुट-निरपेक्ष देशो का शिष्ट-

मण्डल युद्ध विराम सम्बन्धी वार्ता के लिए वाशिंगटन और बगदाद जाने की सोच रहा है। उन्हें इसकी शुरुआत बहुत ही पहले करनी चाहिए थी। एक महान देश, गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का नेता और सुरक्षा परिषद का सदस्य होने के नाते भारत को इस मामले में शुरुआत करनी चाहिए थी। लेकिन भारत इसमें असफल रहा। इसलिए हमने इसके अवसर खो दिए और अपनी जिम्मेदारी निभाने में हम असफल रहे हैं। मैं यह मांग करता हूं कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव के शान्ति प्रस्ताव के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मन्त्री जी को अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए।

जहां तक ईंधन की सुविधा प्रदान करने का सम्बन्ध है, हम शान्ति काल में यह सुविधा प्रदान कर रहे थे। लेकिन युद्ध के दौरान आप उसी मानदण्ड को नहीं अपना सकते हैं। जो अवधारणा शान्ति काल में रही है उसे अभी आप नहीं अपना सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि युद्ध काल और शान्तिकाल में अन्तर है। इसलिए मैं कहता हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका के युद्धक विमानों को ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करना बिल्कुल असंगत और पक्षपातपूर्ण है। इन सुविधाओं को बहुत पहले ही बन्द कर दिया जाना चाहिए। ये सब गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं। मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि अब ईंधन भरने की सुविधा बन्द कर दी गई है।

युद्ध-विराम के लिए बात-चीत चल रही है। हमसे कहा गया है कि युद्ध-विराम और कुवैत खाली करने के सोवियत राष्ट्रपति श्री गोर्बाचोव के प्रस्ताव को ईराक ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति श्री बुश ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और वह युद्ध जारी रखने के लिए कृतसंकल्प हैं। एक साम्राज्यवादी शक्ति होने के कारण वे विक्षिप्त से हो गए हैं। सोवियत संघ के राष्ट्रपति द्वारा की गई पहल के प्रति हमें अपने रवैये को स्पष्ट करना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हमें अरब देशों की एकता, अखण्डता और प्रभुसत्ता का तथा ईराक की अखण्डता का भी समर्थन करना चाहिए।

यदि हम कुवैत से ईराक के हट जाने की मांग करते हैं तो क्यों नहीं हम कहते हैं कि इसके साथ ही सऊदी अरब से अमरीकी सैनिकों की वापसी भी होनी चाहिए। हमारे भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री गुजराल कहते हैं कि सभी सेनाओं की वापसी का निरीक्षण तथा अरब देशों की एकता और अखंडता बनी रहे तथा वहां शान्ति स्थापित हो यह देखने का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना द्वारा किया जाना चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि अरब देशों के साथ हमारी मित्रता अधिक दृढ़ बनी रहे और आने वाले दशकों में वे सब शान्ति से रहें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं सरकार से मांग करता हूं कि अमरीका द्वारा इराक पर आक्रमण की स्पष्ट शब्दों में निन्दा की जानी चाहिए। मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है कि मैं उन बातों को दोहराऊं जिनके कारण युद्ध हुआ है। संयुक्त राज्य अमरीका का हमेशा से हठी रवैया रहा है। जिसके कारण युद्ध को रोकने के सभी प्रयास असफल रहे हैं। इसलिए हमारे देश जिसकी नीति शान्ति और नाम (गुट-निरपेक्ष आन्दोलन) पर आधारित है के लिए यह आवश्यक है कि तीसरी दुनिया पर आक्रमण नहीं होना चाहिए, युद्ध को रोकने के लिए सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए। इस मामले में, भारत सरकार बुरी तरह से असफल रही है। भारत सरकार संयुक्त राज्य अमरीका की खाड़ी के क्षेत्र में युद्ध छेड़ने की मंशा को भी समझने में असमर्थ रही है।

सभा की जानकारी के लिए, मैं संयुक्त राज्य अमरीका के रक्षा सचिव के भाषण से एक छोटा

सा पैरा उद्धृत करना चाहता हूं ताकि सभा को पता चल सके कि उनका युद्ध का उद्देश्य क्या रहा है, उनकी सार्वभौम नीति क्या है उन्होंने इस प्रकार कहा है :

"संयुक्त राज्य अमरीका की दीर्घकालिक आवश्यकताएं हैं। हमें विश्व के महासागरों पर नियन्त्रण बनाए रखने तथा यूरोप और प्रशान्त दोनों में, दक्षिण पश्चिम एशिया में तथा पनामा में अपनी वचनबद्धता को बनाए रखने अमरीकी जन-जीवन व उनके हितों की रक्षा करते रहने के लिए अपनी क्षमता को बनाए रखने की आवश्यकता है।"

फिर 4 फरवरी को श्री बुश ने यह स्पष्ट किया जो इस प्रकार है :

"नयी विश्व व्यवस्था होने के कारण एक-दूसरे से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।"

अब प्रश्न यह है कि यह नयी विश्व व्यवस्था क्या है? इस नयी विश्व व्यवस्था को वे लोगों विशेषतया तीसरी दुनिया के देशों और अरब देशों पर थोपना चाहते हैं ताकि वह तेल के कुओं का फायदा उठा सके और उन क्षेत्रों तथा समूचे विश्व पर स्थायी राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक नियन्त्रण रख सकें।

उनके विचार या उनका इरादा अन्तर्राष्ट्रीय पुलिस की भूमिका निभाने का है। यदि युद्ध के पीछे यह इरादा है यदि यही उद्देश्य है यदि संयुक्त राज्य अमरीका को यही भूमण्डलीय नीति है तो भारत, जो शान्ति और गुट-निरपेक्षता की नीति के प्रति वचनबद्ध है तीसरी दुनिया के देशों की समृद्धि की नीति जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध निर्णय करने के लिए वचनबद्ध है को संयुक्त राज्य अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध प्रयासों और इस प्रकार के रवैये से निपटने के लिए नीति सम्बन्धी निर्णय लेना चाहिए था।

दूसरी ओर हमने अमरीका के विमानों को हमारे यहां एयरपोर्ट पर तेल भरने की अनुमति दी है इन कार्यों से हम न केवल अपनी परम्परागत विदेश नीति से हट गए हैं बल्कि ख्वामख्वाह हमने स्वयं को भी इस युद्ध में शामिल कर लिया है। अब हम गुट-निरपेक्ष नहीं रहे हैं। हम बहु-राष्ट्रीय ताकतों और संयुक्त राज्य अमरीका से सम्बद्ध हो गए हैं। और इस तरह भारत सरकार ने यह एक बहुत बड़ी गलती की है।

हमारे प्रधान मन्त्री जी ने युद्ध के शुरू में एक बहुत गलत वक्तव्य दिया था। वक्तव्य यह था कि कुवैत तथा अन्य पश्चिम एशिया शान्ति मामलों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। जैसाकि यह मालूम है, हम फिलिस्तीन मुक्ति आन्दोलन और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के प्रश्न को सुलझाए बिना पश्चिम एशिया की समस्या को नहीं सुलझा सकते हैं जोकि पश्चिम एशिया की समस्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

अन्ततः मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसाकि हमने देखा है यह युद्ध संयुक्त राज्य अमरीका के हठी रवैये के कारण हुआ है। जब श्री सद्दाम हुसैन कुवैत से सेनाएं वापिस बुलाने पर सहमत हो गए थे तो संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति ने एक क्रूर व्यक्ति की तरह व्यवहार किया था भाषा देखिए। कैसा हठी रवैया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मुद्दे पहले उठाए गए थे उन्हें न दोहराया जाए।

श्री चित्त बसु : इसका अर्थ यह हुआ कि कोई संधिवार्ता नहीं होगी, कोई छूट नहीं मिलेगी, और कुछ भी नहीं दिया जाएगा। आप क्या आशा करते हो ?

आज मैंने सुना था, जैसाकि मेरे कुछ पूर्ववक्ता कह रहे थे कि संयुक्त राज्य अमरीका ने गोर्बाचोव शान्ति योजना को भी रद्द कर दिया है। इसलिए, यह उचित होगा कि इस संसद जो गुट-निरपेक्ष और शान्ति के नियमों को बनाए रखने के प्रति बचनबद्ध है, को संयुक्त राज्य अमरीका के रवैये की निन्दा करनी चाहिए और जहां तक युद्ध-विराम का सम्बन्ध है शीघ्र पहल करनी चाहिए।

हम यह भी चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री सदन को और राष्ट्र को गोर्बाचोव शान्ति योजना जिसकी चर्चा समूचे विश्व में की जा रही है के प्रति सरकार के रवैये के बारे में बताएं। यदि इस बार हम असफल हो जायेंगे तो मेरे विचार से देश हमें माफ नहीं करेगा। मेरे विचार से सरकार इस पहलू पर भी स्थिति स्पष्ट करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जिन मुद्दों पर चर्चा की जा चुकी है उन्हें न दोहराया जाए।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : मेरा नाम पहले ही दिया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई नया मुद्दा उठाना चाहते हैं। तो मैं आपको समय दूंगा।

डा० तम्बि दुरै : मेरा नाम पहले ही दिया जा चुका है जैसा मैंने कहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको समय दूंगा। लेकिन पहले के मुद्दों को दोहराए नहीं। हम काफी समय से बोलते रहे हैं।

प्रो० सोज।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यद्यपि मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं लेकिन अमरीका के युद्ध विमानों को तेल देने के बारे में मेरे विचार काफी कठोर है। मैंने अपने विचार सदन से बाहर एक वक्तव्य देकर से दिए थे और अब सदन में भी मेरा विचार है कि अमरीका के युद्ध विमानों को तेल देकर गलती की है। मैं प्रसन्न हूं कि प्रधान मन्त्री जी ने अमरीका के युद्ध विमानों को तेल की सप्लाई बन्द करने के लिए पहले ही उपाय कर लिए हैं। लेकिन, निःसंदेह श्री इन्द्रजीत गुप्ता ने कहा है कि अमरीकी सरकार ने स्वयं ही भारत से तेल न लेने का निर्णय लिया था।

अब खाड़ी में स्थिति के हाल ही के प्रश्न पर, शुरू में प्रधान मन्त्री हमारी अवधारणा से काफी कुछ अवगत थे। प्रधान मन्त्री जी की धारणा थी कि इराक को कुवैत से हट जाना चाहिए। और वह शत्रुता को भी समाप्त करना चाहते थे लेकिन युद्ध जारी रहा। हमें अभी फिलिस्तीन के प्रश्न पर विचार करना है। महोदय, ठीक या गलत एक धारणा यह बन गई थी कि हमारी सरकार पर संयुक्त राज्य अमरीका से कुछ दबाव था। अतः जब प्रधान मन्त्री इस वाद-विवाद पर उत्तर दे तो वे कृपया इस डर को और गलतफहमी को दूर करें।

अमरीका के लोगों के साथ हमारा झगड़ा नहीं है। हमें अमरीका के लोगों के साथ आगे भी दोस्ती रखनी चाहिए। खाड़ी की स्थिति पर अमरीका के लोगों की भावनाएं हमारी जैसी है। अमरीका में, एक शक्तिशाली आन्दोलन है जिसमें कहा गया कि अमरीका को खाड़ी के युद्ध में शामिल नहीं होना

चाहिए क्योंकि यह धर्म युद्ध नहीं है। महोदय, हमें इस बात के प्रति सचेत रहना चाहिए। भारत का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। भारत ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के देशों को नेतृत्व दिया। भारत गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का संस्थापक था। भारत का यह कर्त्तव्य है कि वह अमरीका को बताए कि खाड़ी में पुलिस की भूमिका अदा करना उसके हित में नहीं है क्योंकि आज के युग में ऐसा करना सम्भव नहीं है। खाड़ी में कोई देश यह नहीं चाहता कि उन्हें एक स्कूल मास्टर मिले जो उन्हें व्यवहार करना सिखाए। वे अमरीका को पुलिस की भूमिका में अपने आसपास नहीं देखना चाहते।

श्री जार्ज बुश ने सद्दाम हुसैन का नाम भी सही प्रकार नहीं लिया है। एक अक्खड़ मेम साहिब श्रीमती मार्गरेट थैचर जो कि अब ब्रिटेन की प्रधान मन्त्री नहीं हैं, सद्दाम को दूसरों को आतंकित करने वाला कह रही हैं। अमरीका में ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? यूरोप के ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना है? इटली, जर्मनी तथा फ्रांस के इतिहास को भूल जाइए। लेकिन आज के विश्व में हम यूरोप तथा अमरीका में अनेक ऐसे लोग देखते हैं। यह अक्खड़ मेम साहिब वहां गई थी।

इसलिए खाड़ी की स्थिति पर अपने महान देश के लोगों के विचार जानने के लिए श्री जार्ज बुश को आगे आना होगा।

महोदय, जैसाकि प्रधान मंत्री ने प्रारम्भ में कहा है, मैं ईराक की कुवैत से वापसी के पक्ष में हूं क्योंकि कुवैत की सार्वभौमिकता का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन एक संगठित प्रयास के लिए भारत ने अभी कोई योजना पेश नहीं की है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि भारत ऐसे अवसर पर फिलिस्तीन के प्रश्न पर अरब हितों के पक्ष में तथा फिलिस्तीनियों के पक्ष में अपने परम्परागत रवैये का ठीक से निर्वाह नहीं कर रहा।

अब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव संख्या 678 पर अमरीका इतने प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस सम्बन्ध में पारित इतने सारे प्रस्तावों का क्या हुआ और विशेषकर फिलिस्तीन के प्रश्न पर क्या हुआ इसलिए इस समय भारत को अपनी भूमिका अदा करने के लिए आगे आने का बहुत अच्छा अवसर मिला है। निःसन्देह मुझे खुशी है कि भारत के विदेश मन्त्री अनेक बार विदेश गए। इस प्रकार हमारे विदेश मन्त्रालय ने इस समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। लेकिन मैं समझता हूं कि भारत के स्तर के अनुसार हमने पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। लेकिन अब हमें बहुत अच्छा अवसर मिला है। इससे अमरीकियों से भी मित्रता हो सकेगी। भारत को शांति के लिए गोर्बाचोब फार्मूले को पूर्ण समर्थन देना चाहिए। प्रधान मन्त्री सभा को यह न कहें कि भारत सरकार ने यह शान्ति योजना अभी नहीं देखी है। प्रधान मन्त्री सभा को आश्वासन दें कि गोर्बाचोब का प्रस्ताव स्वीकार होगा। भारत सरकार इस सम्बन्ध में प्रयास करे और अमरीकी सरकार तथा श्री जार्ज बुश से कहे कि वह इराक को नष्ट न करे। इस प्रकार में समझता हूं कि यदि सरकार प्रयास करेगी तो श्री बुश गोर्बाचोब की योजना को मान लेंगे। अन्यथा मुझे विश्वास है कि खाड़ी की स्थिति के प्रश्न पर अमरीका पूर्णतया अकेला पड़ जाएगा।

श्रीमती जे० जमुना (राजामुन्द्री) : इराक ने कुवैत से बिना शर्त अपनी फौजें वापस बुलाने की पेशकश की है। यह समाचार 1 बजे आया था।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : मैं दो संक्षिप्त टिप्पणियां करके फिर प्रधान मन्त्री से कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा।

पहले तो हम पुनः अपनी नीतियों की स्वयं ही आलोचना करके मन बहलाने के काम में लगे हुए हैं। दूसरे हम छोटी-सी समस्या को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर आंक रहे हैं। मेरा ऐसा कहने के पीछे बहुत से कारण हैं।

मैं प्रधान मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि : क्या यह सच है कि जब जहाजों को तेल दिया जा रहा था और इस सम्बन्ध में इराकी राजदूत ने हमारी नीति की आलोचना की थी तब भी क्या राष्ट्रपति सद्दाम ने हमसे मिश्र तथा तुर्की में उनके दूतावासों की देख रेख करने का अनुरोध किया था ? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब एक सामान्य सुविधा दी जा रही है जिस पर इराक को कोई आपत्ति नहीं है तो हम अनावश्यक ही पुनः तेल भरने के मुद्दे पर आलोचना कर रहे हैं।

प्रधान मन्त्री द्वारा हाल ही में पी० एल० ओ० आन्दोलन के नेता, कर्नल गद्दाफी तथा अन्य नेताओं और राष्ट्रपति गोर्बाचोव के साथ सम्पर्क किया गया था मैं इस सन्दर्भ में उनसे जानना चाहता हूं कि क्या किसी अरब देश ने इस सुविधा पर आपत्ति की है। मेरी अपनी जानकारी के मुताबिक ऐसा कोई विरोध प्राप्त नहीं हुआ है ··· (व्यवधान)

दूसरे, मैं प्रधान मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं : क्या हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या नहीं ?

क्या हमारे यहां कोई दिमागी आरक्षण भी है ? संकल्प संख्या 678 में स्पष्ट रूप से सभी सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे इस कार्य में सहायता करें। अगर हम इसका समर्थन करते हैं, तो हम दूसरा रुख अपना सकते हैं। लेकिन यदि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प का समर्थन करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम कैसे इस सुविधा पर आपत्ति कर सकते हैं।

तीसरे, मैं प्रधान मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या गुट-निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता है ? मैं नहीं समझता कि यह तटस्थता है। अतः हमें प्रत्येक मामले को उसके गुणवगुण के आधार पर देखना चाहिए। गुट-निरपेक्ष का अर्थ अपने देश में और विदेश में स्वतन्त्रता का पालन करना है। अतः मुद्दा यह है कि : क्या इसे देश के सर्वोच्च हितों को ऊपर रखकर किया गया है या नहीं ?

सुबह, श्री इन्द्र कुमार गुजराल के कहा था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय पर निश्चय किया गया था कि हमें अमरीकी वासियों से मैत्री करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी नीति का यह अभी भी अंग है।

सभी लोग कह रहे हैं कि संयुक्त सेनाओं से संयुक्त राष्ट्र के आदेश से भी आगे बढ़ गई हैं। जहां तक मैं जानता हूं, संयुक्त राष्ट्र का आदेश स्पष्ट है और इसमें सभी प्रकार के आवश्यक तरीकों को अपनाने के लिए कहा गया है। अतः, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इराक के ठिकानों पर हमला किए बिना कोई ऐसा जादू था कि कुवैत को स्वतन्त्र कराया जा सकता था ? प्रश्न यह है कि क्या हम किन्हीं सिद्धान्तों के लिए लड़ते रहेंगे या प्रत्येक को लोकप्रिय बनने का मौका देते रहेंगे और देश की राजनैतिक बातों को देखकर भ्रमित होते रहेंगे ?

डा० तम्बि दुरै (करुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम खाड़ी संकट पर विचार कर रहे हैं। हम इस विषय पर, आज ही चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनेक अवसरों पर पिछले सत्र के दौरान भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। उस समय, हमने वहां रह रहे भारतीयों की समस्याओं और उस देश से उन्हें

कैसे निकाला जाए आदि पर विचार किया था। युद्ध को देखते हुए, हमने इराक और कुवैत से सभी भारतीयों को निकाल लिया था। लेकिन हमारे मित्र श्री गुजराल, ने अपने भाषण में कहा था कि उन्हें इस प्रकार के युद्ध की आशा नहीं थी। इसीलिए वह यह नहीं कह पाए कि क्या अमरीकी विमानों को सैनिक कार्यवाही के लिए ईंधन दिया गया या नहीं। मैं अपने प्रधान मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि—क्योंकि उन्हें पूरी जानकारी होगी कि भारत में अमरीकी वायुसेना को ईंधन भरने की सुविधा दिए जाने के दौरान, क्या उन्होंने इस अनुमति का दुरुपयोग तो नहीं किया है? श्री इन्द्रजीत ने अभी जो कुछ कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। प्रश्न यह नहीं है कि क्या इराक ने आपत्ति की है या नहीं, लेकिन क्या हमें भारत में अमरीकी वायुसेना के विमानों को ईंधन भरने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए या नहीं। दूसरे प्रधान मन्त्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हमने अरब देशों के हितों में अपनी नीति बदल दी है? मैं समझता हूं कि हम अरब समर्थक हैं। हम कभी भी इससे हटे नहीं हैं। हम हमेशा से फिलिस्तिनी लोगों के हितों के लिए लड़ते रहे हैं। हमने हमेशा ही इजराइल का उसके कार्यों के लिए विरोध किया है।

अधिकांश सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लेख किया है। हम इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने का विरोध करते हैं। हम इसके विरुद्ध हैं। लेकिन क्या हम इस प्रकार का युद्ध चाहते हैं या हम प्रत्येक समस्या शांतिपूर्वक ढंग से हल करना चाहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। भारत का हमेशा से ही यह प्रयास रहा है कि इस प्रकार की समस्या शांतिपूर्वक ढंग से हल हो। हम अमरीका की साम्राज्यवादी नीति को भलीभांति जानते हैं। इस बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अमरीकी साम्राज्यवाद के कारण भारत को हमेशा ही हानि हुई है। सभी यह जानते हैं। अतः, वे अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अपने हितों के लिए ही। इस स्थिति में हमें यह निश्चित करना है कि क्या हम अमरीकी वायुयानों को भारतीय हवाई अड्डों से ईंधन भरने की सुविधा दें या नहीं। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि अनेक विमानों को मद्रास हवाई अड्डे पर कुछ सुविधाएं दी गई हैं। हमें इसकी भी नाराजगी है। कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा विमानों को ईंधन दिए जाने की सुविधा पर आपत्ति किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किए जाने का समाचार देखकर, हमने भी ऐसा ही महसूस किया। सारा देश ही इस प्रकार की सुविधा न दिए जाने के पक्ष में था, लेकिन उस समय प्रधान मन्त्री ने यह बयान दिया था कि पिछली सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीति का ही यह एक अंग है। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो कुछ कहा गया है, वह सही है या नहीं, क्योंकि देश यह सब जानना चाहता है। हालांकि प्रधान मन्त्री ने कहा है कि हमें पिछले सन्दर्भों को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन कभी-कभी हमारी भारतीय नीति को जानना आवश्यक होता है। अतः, एक बार पुनः मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि विमानों की ईंधन दिए जाने की सुविधा को समाप्त किया जाए। उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि इसे समाप्त कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि अमरीका ने इसकी पहले घोषणा की है या हमारी सरकार ने···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : क्यों?

डा० तम्बि दुरै : मैं बता रहा हूं। हमने समाचार पत्रों में भी देखा है कि अमरीका द्वारा घोषणा किए जाने के पूर्व ही, हमारे प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है कि इस सुविधा को समाप्त कर दिया गया है

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : जब प्रधान मन्त्री ने घोषणा की थी, तब इसे समाप्त नहीं किया गया था।

डा० तम्बि दुरै : अतः, एक ओर जहां हम साम्यवादी दलों और अन्य सदस्यों, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है, उनकी भावनाओं का आदर करते हैं, फिर भी मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं।...(व्यवधान) मैं अनुरोध करता हूं कि प्रधान मन्त्री, उठाए गए मुद्दों का अब उतर दें।

[हिन्दी]

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया परन्तु दुख है कि प्रधान मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको बहुत थोड़े समय में बोलना है क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से और भी बोलने वाले हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त : मैं जल्दी बोल दूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या सरकार ने युनाइटेड नेशन्स का जो प्रस्ताव 6-7-8 या उसके पहले हुआ, उसका गहन अध्ययन करके उसको समझने का प्रयास किया ? यदि प्रयास किया भी तो क्या भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ जो बात पड़ती थी उसके ऊपर कोई रिजर्वेशन किया, यू० एन० ओ० में उसके बारे में कुछ किया ? यदि नहीं तो आपने पूर्णतया उस प्रयास को स्वीकार किया। प्रधान मन्त्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि इसको स्वीकार करने से पहले क्या आपने देश को और पार्टी के नेताओं को विश्वास में लिया ? इस समय बड़ा हल्ला मचा हुआ है रीफयूलिंग वगैरह, मैं याद दिलाऊं जिस समय कोरिया का युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत सरकार ने क्या किया उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं पुरानी बातों में नहीं पड़ना चाहता हूं। यह आवश्यक है कि पालिसी कोई ला आफ दी नीडीज नहीं है यह इमम्यूटेबल नहीं है, पालिसी परिस्थिति, काल और आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है। आज पुरानी जो उस समय सन् 50 से लेकर 70 तक जो भी स्थिति रही हो, जो पालिसी उस समय ठीक थी क्या आज वह सही है ? उस समय दुनिया बाई-पोलर थी और आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मल्टी-पोलर हो गई है, यूनी-पोलर भी नहीं रह गई है। नान-ऐलाइन्ड की बहुत जोर से बात की जाती है। क्या आप आज नहीं देख रहे हैं कि खाड़ी के युद्ध ने सारे सपने चकनाचूर कर दिए। अरब देश स्वयं बंट गए और नान-ऐलाइन्ड कन्ट्रीज जो बंटे हुए हैं उसमें यूगोस्लाविया खुद बंटा हुआ है इस मामले में। अगर नान-ऐलाइन्ड इतना अच्छा मूवमेंट है तो मैं जानना चाहता हूं कि जिस समय अल्जीरिया ने शांति प्रस्ताव रखा था क्या भारत सरकार ने विचार-विमर्श किया था ? विचार-विमर्श भी नहीं हुआ था। क्या भारत सरकार को मालूम था कि क्या प्रस्ताव है, क्या भारत सरकार को अल्जीरिया ने अपने शांति प्रस्ताव बताए, क्या गुजराल साहब को उसकी जानकारी थी ? भारत सरकार को शान्ति का मार्ग लेना चाहिए था। भारत सरकार के सम्बन्ध इराक से भी अच्छे थे, अमेरिका से भी अच्छे थे। हमारे गुजराल साहब ने बहुत जोरदार हिन्ट दिया कि

[अनुवाद]

सद्दाम लचीले थे। पर लचीलापन क्या है।

[हिन्दी]

उस फलैक्सिबीलिटी के आधार पर गुजराल साहब ने शान्ति का प्रस्ताव क्यों नहीं बढ़ाया, क्यों दूसरे का मुख देखते रहे ? फलैक्सिबीलिटी क्या थी ? क्या यह सही नहीं है कि उस प्रस्ताव में रूमीला आयल फील्डस इराक के हाथों और बूभियान के टापू इराक के हाथों में हों तो कुवैत में क्या रह गया। कुवैत में रेगिस्तान रह गया ! क्या यह सही नहीं है कि कुवैत के ऊपर ऐग्रेशन हुआ है ? आज हम जब ऐग्रेशन पर हल्ला करते हैं तो क्यों भूल जाते हैं कि चीन ने भी हमारे ऊपर ऐग्रेशन किया हुआ है, हमारी भूमि को कब्जे में किया हुआ है। उस चीज को बिल्कुल आराम से भूल गए। आपकी सारी घोषणाएं ऐग्रेशन के खिलाफ हैं, आपको एक मापदण्ड रखना होगा। आज सबसे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि युद्ध का किसी तरह से अन्त हो। अगर वह इलाका शान्त रहेगा तो उसका हमारे ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। यह भी आवश्यक है कि वहां पावर का इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। पावर का जहां इम्बैलेंस होगा वहीं अग्रेशन होगा। इसलिए इराक को भी छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इराक की जो अग्रेसिव टेंडेंसी है और जो उसकी अग्रेशन की पावर है उसको नष्ट करने की आवश्यकता है। इस्राइल में भी से सब करने की आवश्यकता है। इस युद्ध के बाद इस्राइल और पैलेस्टीन का मामला हल होना चाहिए। दोनों की सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रैटेजिक फंटियर्स के ऊपर भारत सरकार विचार करे और उस ओर कदम बढ़ाए। एक शान्ति प्रस्ताव लाया जाए और शान्ति स्थापित करने का उपाय किया जाए क्योंकि यह हमारे लिए हितकर होगा। गल्फ में कोई एक विदेशी पावर सुप्रीम बन जाए और सब को हड़पने की कोशिश करे तो यह गलत बात होगी। सद्दाम हुसैन ने अग्रेशन किया और कुवैत को खाया। इसलिए सद्दाम को कुवैत छोड़ना चाहिए। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि इससे कुवैत का जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति होनी चाहिए। प्रिजनर ऑफ वार दोनों तरफ से छोड़े जाने चाहिए कुवैती प्रिजनर्स भी छोड़े जाने चाहिए। ताकि उनको बताया जाए कि देशद्रोह के मामले में न फंस जाएं।

अमरीका वहां कभी भी अपना सैनिक अड्डा न बनाए यह देखना होगा। एक चीज जो हमारे खतरे की है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह है कि वहां पर एक नया एक्सेस डेवलप हो रहा है। तुर्की, इरान और पाकिस्तान ये तीन रखवाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारे हित में नहीं है। इसलिए भारत सरकार को उस ओर सोचना चाहिए।

अन्त में एक शब्द ही दोहराऊंगा। जैसाकि हमारे मित्र जसवंत सिंह जी ने कहा कि पालिसी इंटीग्रेटिड होनी चाहिए। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और स्ट्रैटेजिक सुरक्षा व राष्ट्र की आर्थिक सुरक्षा इन सब को ध्यान में रखकर पुनः पालिसी बनानी चाहिए। आज जो सारा परिवर्तन यूरोप में, अमरीका में, जापान में और चीन में हो रहा है इन सब को ध्यान में रख कर गहन विचार करके नई पालिसी निर्माण करने की जरूरत है। पुरानी पालिसी आज के हालात को देखते हुए कोई असरदायक नहीं रही है और न ही उसकी कोई कीमत रह गई है। अतः नई पालिसी बनानी चाहिए। इसी में राष्ट्र का हित होगा। ये सब चीजें प्रधान मन्त्री जी स्पष्ट करें तब हम लोग उस पर हां या ना में विचार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, में एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हू कि सारे सदन को इस बात की प्रसन्नता होगी कि हमारे नेता, कांग्रेस अध्यक्ष, श्री राजीव गांधी ईरान के अनुरोध पर कल तेहरान जा रहे हैं ताकि शान्ति प्रक्रिया में सहायता कर सकें। मैं आशा

करता हूं कि सभा के सभी वर्ग इस गम्भीर शान्ति प्रयास में सहायता करेंगे और मुझे विश्वास है कि मतभेदों के रहते हुए भी इस पर सर्वसम्मति प्रकट होगी। (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या वह वर्तमान सरकार के नए विदेश मन्त्री हैं ?······

(व्यवधान)

श्री एम० जे० अकबर : श्रीमन् अपने साम्यवादी मित्रों के लिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बरास्ता मास्को जाएंगे, जहां वह शायद राष्ट्रपति गोरबाचोव से भी मुलाकात करेंगे।···(व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं जानना चाहता हूं कि वह किसके कहने से जा रहे हैं ? क्या वह संविधान से भी ऊपर हैं ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें पता होना चाहिए कि श्री राजीव गांधी और श्री बुश काफी गहरे मित्र हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राय जी आपको उत्तर देने का अधिकार है और आप जो बात कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

यदि कोई व्यक्ति किसी जगह जा रहा है तो वह विश्व के नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में जा सकता है और यदि वह शान्ति प्रयासों में योगदान देना चाहता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या यह घोषणा करने का स्थान है ? क्या यह कांग्रेस का कार्यालय है ? वह यहां क्यों घोषणा कर रहे हैं ?

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : क्या वह वहां एक संसद सदस्य के रूप में जा रहे हैं या वह वहां कांग्रेस (ई) के अध्यक्ष के रूप में जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यदि ईरान की सरकार ने उन्हें आमन्त्रित किया है तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री समरेन्द्र कुन्डू।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि वाद-विवाद के अन्त में आपने मेरी तरफ गौर किया और कुछ समय दिया। मुझे बहुत खीज और गुस्सा आ रहा है कि भारत उस खाड़ी युद्ध को रोकने के शान्ति प्रयासों सम्बन्धी बातचीत में बहुत पीछे है जिससे इराक में बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। जब मैं टी० वी० खोलता हूं तो पता चलता है कि शान्ति वार्ता या तो तेहरान या मास्को में हो रही है कि दिल्ली में। मुझे यह देख कर बहुत दुःख होता है कि कांग्रेस (ई) और जनता दल (एस) देश को इस दुखद स्थिति में ले आए।

यदि आप सारे मसले पर गौर करें तो पायेंगे कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का मुख्य रूप से जोर उदासीन रहने पर नहीं है बल्कि शान्ति के लिए, मुक्ति के लिए विकास और निरस्त्रीकरण के लिए कार्य करने हेतु सक्रिय निरपेक्षता की तरफ होना चाहिए। अब जबकि शान्ति के लिए बातचीत चल रही है तो हम सबसे पीछे हैं। यह हमारे लिए बहुत दुख की बात है।

हम इस स्थिति से कैसे उबरेंगे ? क्या ऐसा कोई मौका आएगा ? इस सभा में यह कहा गया था कि विदेश नीति आम राय पर आधारित होनी चाहिए। हमने देखा है कि कैसे कांग्रेस शासन ने विदेशी नीति को बार-बार पार्टी की नीति बनाया और वर्तमान सरकार उसका अनुसरण कर रही है। वर्तमान प्रधान मन्त्री ने इस नीति में और ढील दी है। अन्यथा श्री अकबर यहां श्री राजीव गांधी के तेहरान के दौरे के बारे में पार्टी के निर्णय की घोषणा करने का साहस न करते।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो दैनिक ब्यौरा देने के कार्य का हिस्सा है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : यहां यह निवेदन किया गया है कि सुरक्षा परिषद के संकल्प में अमरीका और भिन्न राष्ट्रों की सेनाओं को इराक के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का पूरा आदेश दे दिया है। यह सच नहीं है। सुरक्षा परिषद के संकल्प में सबसे अन्त में यह युद्ध करने की बात थी। सुरक्षा परिषद की बैठक में हमारे देश के प्रतिनिधि इराक और कुवैत में शान्ति बहाल करने के लिए पुरजोर कोशिश क्यों नहीं करते हैं ? मुझे बताया गया है कि इराक के विरुद्ध पहले जो प्रतिबन्ध लगाए गए थे उनका परिणाम प्राप्त हो रहा है। इसलिए वे 6 महीने रुक सकते थे, एक या दो वर्षों के लिए और रुक सकते थे। बगदाद में बेचारे बच्चों की हत्या करना एक निर्भयतापूर्ण कार्य है, वहां दूध नहीं है। जल प्रदूषित है। 1946 में एशियाई सम्बन्ध सम्मेलन में जब गुट निरपेक्ष आन्दोलन को एक नई दिशा दी गयी थी तो महात्मा गान्धी ने यह कभी नहीं सोचा था यह वह स्थिति है जहां हमारे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि देश को इस स्थिति में ले आए हैं।

5.00 म० प०

यह कहना ठीक नहीं है कि सुरक्षा परिषद ने उन्हें यह अनुमति दी होगी कि जाओ और सद्दाम हुसैन को खत्म करो ! मुझे पिछले रोज श्री बुश को यह कहते सुनकर अफसोस होता है कि श्री सद्दाम का जाना आवश्यक है। क्या सुरक्षा परिषद के संकल्प ने यह अधिकार दिया था ? नहीं।

पुनः ईंधन देने की सुविधा के प्रश्न की बात करते हुए मैं तो कहूंगा कि यह बात वास्तव में खेद पूर्ण है। यह बहुत खेद की बात है कि भारत के गुट निरपेक्ष आन्दोलन और शान्ति के समर्थक होने के बावजूद भारत में युद्ध सामग्री ले जा रहे विमान को उस वक्त ईंधन की सुविधा दी गई जबकि लड़ाई छिड़ गई थी और इसका इस्तेमाल युद्ध में किया जाने वाला था।

मैं कानपुर में था और मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि श्री अकबर ने कहा है कि अमरीकी विमानों को ईंधन की सुविधा की अनुमति देने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार जिम्मेदार है। मुझे दुख हुआ। अगले रोज मैंने पाया कि श्री अकबर ने कहा कि यह एक मजाक था।

कुछ संवाददाताओं ने पूछा था कि यदि अकबर दूसरे जहांगीर होते तो भारत का क्या होता। मैं कुछ देर ठिठका और कहा "लोक सभा में आईए और स्वयं देखिए भारत का क्या हुआ होता।"

यह पीठठोक्ति काम नहीं करती है। इस तरह की तमाशेबाजी और चमत्कार दिखाने से करोड़ों भारतवासियों की आशाएं मिट जाती हैं जो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में विश्वास रखते हैं। हमें बहुत गम्भीर होना चाहिए। हमें हर ऐसी चीज को राजनीति में नहीं लाना चाहिए जिस पर हम सब सहमत हों और जिस पर हमें विश्वास हो और जिससे हमारी छवि खराब होने की सम्भावना हो।

मैं एक प्रस्ताव रखूंगा। अब एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इराक बिना शर्त वापस हटने

पर सहमत हो गया है। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी यदि सद्दाम हुसैन वास्तव में ऐसा करें। लेकिन यह इस मामले का अन्त नहीं है।

इराक और कुवैत में लड़ाई के बाद पुर्ननिमाण सुनियोजित किया जाना चाहिए और फिलिस्तीन का प्रश्न तथा अरब का प्रश्न भी हल किया जाना चाहिए। माननीय सदस्यों को पता होना चाहिए कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद अकेले विकासशील देशों में 132 युद्ध लड़े गए और एक भी युद्ध अमरीका, कनाडा, यूरोप और किसी अन्य विकसित देश में नहीं लड़े गए। हमें इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि विकासशील देशों में भविष्य में होने वाले युद्ध कैसे रोके जाएं। मेरा एक सुझाव है। शांति और विकास के विचार को कार्यान्वित करने हेतु संसद को कुछ व्यक्तियों की सर्वसम्मति से एक समिति बनाई जाए। कुवैत, इराक, अमरीका और मास्को जाएं और युद्ध के बाद के पुर्ननिर्माण कार्यक्रम को बनाए तथा यह सुनिश्चित करें कि इस देश में युद्ध कभी न हो।

चूंकि आपके पास समय थोड़ा है और घण्टी के बजने पर मैं अधिक बोलना नहीं चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। हमारे वरिष्ठ सांसद, श्री जसवन्त सिंह जी, ने मूल रूप से विचार तो रख दिए हैं, लेकिन मैं दो-चार बातें प्रधान मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि यह प्रश्न केवल री-फ्यूलिंग का प्रश्न नहीं है। महाराष्ट्र में बम्बई से भारत सरकार की अनुमति से, प्रधान मंत्री व राजीव गांधी और शरद पवार, इन सब की बातचीत के बाद अमरीका की सेनाओं के लिए बन्दरगाह से पांच हजार टन मटन, जिसमें पांच सौ टन गौ-मांस होता है, और इसके अतिरिक्त वहां खाने की सामग्री प्रतिदिन जाती है। ऐसा भारत के विभिन्न समाचार पत्रों में छपा है। बन्दरगाह के अन्दर वहां जाने वाली कई शिप्स के अन्दर यह पकड़ा गया है और उसके बारे में भारत के अन्दर बहुत बड़ा आक्रोश है। मैं चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी अपना उत्तर देते हुए इसको स्पष्ट करें, क्या यह बात सच है या नहीं है? मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर जहां तक संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए भारत सरकार अपना पूरा प्रयास करे। जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं या अन्य राष्ट्रों की बात करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की संसद ने सर्व-सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है कि अक्षय चीन और भारत का वह हिस्सा जो चीन ने दबा लिया था, उसको भी हमें मुक्त कराना है। आज जब हम अन्य राष्ट्रों की मुक्ति की बात करते हैं, हमारी भूमि पर जिन राष्ट्रों ने कब्जा कर रखा है, उसको मुक्त कराने का भी प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी आप बैठ जाइए। देखिए हर विषय पर अगर आप लोग बोलना चाहेंगे तो बड़ी पार्टी के सदस्यों को मौका नहीं मिल सकेगा, आप क्यों बार-बार उठते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सब को बोलने दिया जाए, लेकिन वही प्वाइण्ट बार-बार रिपीट करने से क्या फायदा है।

श्री राम कृष्ण यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की तरफ से 2 मिनट के लिए अपनी बात कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : जब बड़ी पार्टियों को समय नहीं मिल पा रहा है तो छोटी पार्टी के सदस्यों को कैसे समय मिल सकता है।

[अनुवाद]

यह ठीक नहीं है। मैं इस समय आपको अनुमति दे रहा हूं अगली बार यह न दोहराएं।

[हिन्दी]

श्री रामकृष्ण यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपनी आजादी साम्राज्यवाद से और उपनिवेषवाद से लड़कर अहिंसा के आधार पर ली थी, इसलिए हमारे देश की विदेश नीति साम्राज्यवाद और उपनिवेषवाद विरोधी रही है, शांति पर आधारित रही है। जो भी देश साम्राज्यवाद के आधार पर, चौधराहट के आधार पर किसी देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उसका हमने घोर विरोध किया है।

जहां तक मेरी जानकारी है, इराक से हमारी दोस्ती रही है, सिर्फ तेल लेने तक ही हमारे संबंध नहीं हैं, हमारे यहां के हजारों, लाखों लोग वहां पर रहते हैं और विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। हमें अगर इराक का साथ नहीं देना चाहिए था तो कम-से-कम अमरीका की निंदा अवश्य करनी चाहिए थी, क्योंकि अमरीका हिन्दुस्तान में ही नहीं दुनियां में अपनी चौधराहट पैदा करना चाहता है, पूंजीवादी उपनिवेषवाद के फन्दे से दुनिया को परेशान करना चाहता है, वर्तमान सरकार ने अमरीकी जहाजों को तेल दिया, मेरी समझ से यह गलत किया गया है। ऐसी स्थिति में जहां दुनिया की निगाहों में हमें निर्गुट और तटस्थ देश साबित करना चाहिए था, वहां एक शंका की स्थिति पैदा हो गई कि भारतवर्ष निर्गुट देश नहीं रहा है, उसका कहीं न कहीं अमरीकन पालिसी की तरफ झुकाव है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत को तटस्थ खड़े होकर अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने अमरीका की तरफ अपनी रुचि दिखाई है। अमरीका ने कभी हमारा साथ नहीं दिया है, बल्कि इराक ने और समाजवादी देशों ने हमारा साथ दिया है। इसलिए सरकार इस बात का स्पष्टीकरण दे कि उसकी नीति का झुकाव अमरीका की तरफ है या नहीं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : (रामटेक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह स्थगन प्रस्ताव विशेष रूप से केवल ईंधन की सुविधायें देने के एक ही मुद्दे पर है। लेकिन हमने देखा है कि वाद-विवाद काफी विस्तार से हुआ है और इसने खाड़ी संकट के लगभग सभी पहलुओं को कवर किया है और शायद इस खाड़ी पर संकट पर एक और वाद-विवाद करने का निर्णय लगभग अनावश्यक है। इसलिए मैं सबसे पहले विशेष रूप से स्थगन प्रस्ताव के विषय का जिक्र करूंगा और फिर खाड़ी की स्थिति पर जिस पर सभा के सभी वर्गों ने काफी कुछ कहा है, संक्षिप्त में कुछ टिप्पणियां करूंगा और मुझे वह सब कहने की जरूरत नहीं है जो मेरे मित्र कह चुके हैं।

महोदय, वाद-विवाद थोड़ा उग्र हो गया है क्योंकि हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया कि किसने क्या किया, कौन-सा निर्णय किसके शासन में लिया गया, मैं तो समझता हूं ये सब गौण बातें हैं और वस्तुतः जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं उससे प्रासंगिक नहीं हैं। मैं तो प्रधान मंत्री जी की उस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करूंगा जिससे आज आप, हम प्रभावित हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने निर्णय लिए, कब लिए और कैसे लिए। पहली बात तो ईंधन की सुविधा देने का प्रश्न है। और जैसे कि सभी ने कहा है शान्तिकाल की बात और होती है और सामान्य काल में विमानों को उतरने की सुविधा, ईंधन की सुविधा एक आम बात है। हमें यह सुविधाएं प्राप्त हैं और हम इन्हें दूसरों को भी देते हैं। इसके बारे में कोई विवाद नहीं है।

अब ऊपर से होकर जाने वाली उड़ानों के बारे में एक अन्य प्रश्न है। ऐसी उड़ानें सामान्य परिस्थितियों में भी आम बात है। हमें भी कई देशों के ऊपर से उड़ानें भरने की अनुमति मिली हुई है, जबकि हमें लम्बी दूरी तय करनी हों। हमें भी अन्य देशों को इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करते हैं। वास्तव में जब कोई अति विशिष्ट व्यक्ति या किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री भारत के ऊपर से गुजर रहा हो, तब हम इस मामले को सम्बन्धित सचिव या मन्त्री के साथ भी नहीं उठाते हैं। विदेश मन्त्रालय में उपसचिव या जो कोई भी सम्बन्धित मन्त्रालय हो, उन्हें स्वतः ही अनुमति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है। लेकिन जो तथ्य है, वह यह है कि जो अनुमति दी जाती है, वह क्या भारत के प्रधान मन्त्री देते हैं या उपसचिव देते हैं और क्या प्रत्येक ऊपरी उड़ान की अनुमति उस उड़ान विशेष के लिए ही दी जाती है। यह हमारी सम्प्रभुता का एक हिस्सा है।

लेकिन प्रधान मन्त्री जी, आज आप उस निर्णय में घिरे हैं कि किसी भी विशेष देश से, विशेष क्षेत्र से खाड़ी के लिए किसी भी उड़ान को आपकी अनुमति की जरूरत होती है, भारत सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। क्या यह सही है अथवा नहीं? अगर अनिश्चित संख्या में ऊपरी उड़ानें भरने की अनुमति स्थायी आधार पर, संचयन आधार पर, उड़ान-विशेष के लिए, रात और दिन के लिए दी गई है, तो यह एक व्यापक अनुमति है और भारत सरकार कैसे इसका सामना कर रही है, क्या यह फैसला जारी रहेगा या इसमें कुछ सुधार किया जाएगा? हम इस मामले को कैसे निपटाने जा रहे हैं अथवा ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है। हम निश्चित रूप से जानना चाहेंगे, क्योंकि यह मसला महत्वपूर्ण है। जहां विमान उतारने की सुविधा है और अगर वहां कोई विमान उतरता है, तो यदि हमें कोई संदेह है, हम कम से कम, सिद्धान्त रूप में अपनी सम्प्रभुता के नाते उस विमान की तलाशी लेने के लिए सक्षम हम हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसा पिछले 15, 20 या 25 वर्षों में भी नहीं हुआ हो। हमारे वायुयानों की तलाशी नहीं ली गई है। हमने भी औरों के वायुयानों की तलाशी नहीं ली। लेकिन अगर हम चाहें तो तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि यह हमारी सम्प्रभुता का एक हिस्सा है। लेकिन अगर कोई भी हमारे देश के ऊपर से उड़ रहा हो, वह भी बिना अनुमति लिए किसी भी समय रात और दिन और जो कुछ वह चाहता हो, उड़ान में ले जा रहा हो, तो तब क्या यह उड़ान उतारने के सम्बन्ध में गम्भीर मामला नहीं है, जबकि जानबूझकर तलाशी न ली जा रही हो और उन्हें ईंधन भरने की अनुमति दी जा रही हो? यह प्रश्न एक दूसरे के विरोध के लिए नहीं है। हमें इस सम्बन्ध में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। यह एक दूसरे से जुड़ा हुआ मसला है। दो प्रकार की स्थितियां है, जिनका आप सामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्थिति दूसरी स्थिति को रद्द कर देती है। अतः हम जानना चाहेंगे कि पहले जो अनुमति दी गई थी, चाहे किसी ने भी दी हो, क्या वह जारी रहेगी। यहां तक कि शान्तिकाल में, भी क्या आपने इस प्रकार की अनुमति दी थी कि "आपको अपने वायुयान यहां उतारने की आवश्यकता नहीं, आप इस गलियारे से सीधे उस पार जा सकते हैं।" मैं कहूंगा कि अगर ऐसी अनुमति दी गई है तो वह हमारी राष्ट्रीय सम्प्रभुता के अनुरूप नहीं है, इसमें समय की कोई बात नहीं है, अगर प्रत्येक ऊपरी उड़ान को तकनीकी आधार पर अनुमति दी जा रही थी, उसमें कोई विलम्ब नहीं किया जा रहा था और यह सब कुछ साधारण तौर पर चल रहा था, तब फिर व्यापक आधार पर अनुमति क्यों मांगी गई थी? यह अनुमति किसी के लिए नहीं बल्कि एक विशिष्ट क्षेत्र, विशिष्ट स्थान के लिए मांगी गई थी। फिर अनुमति क्यों मांगी गई थी? क्या हमने इस बात की जांच की थी कि अनुमति क्यों मांगी गई, जब इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। यदि एक सौ उड़ानें भरने की आवश्यकता है तो सौ अनुमतियां दी जा सकती हैं। ये एक हूं मिनट के अन्दर दी जाती हैं। क्या इस पहलू की जांच की गई है और अगर इसकी जांच की गई है तो क्या इसे

देश के हितों या देश की प्रभुसत्ता के अनुरूप पाया गया है। हम निश्चित रूप से इस बारे में जानना चाहेंगे और प्रधान मन्त्री की इस पर प्रतिक्रिया के लिए उनके आभारी होंगे।

जहां तक ईंधन देने का सम्बन्ध है, इसमें जरूर हिचकिचाहट की गई है, विभिन्न संकेत आए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधान मन्त्री ने अन्ततः निर्णय लिया है और सरकार ने राष्ट्रीय आम सहमति का आदर किया है। सभी हिचकिचाहट के बाद जो निर्णय लिया गया है, उसे मैं राष्ट्रीय सहमति की विजय के रूप में मानता हूं। मैं इसे इसी रूप में देखता हूं। मैं इस बात के प्रति इतना गम्भीर नहीं हूं कि किसने क्या किया, किसने क्या कहा, यह क्यों किया गया और वह क्यों नहीं किया गया। मैं तो कहता हूं कि अन्ततः उस सम्मति ने, जोकि हमारी विदेश नीति में निहित है, अपनी धाक जमायी है। यह भारत की विदेश नीति की विजय है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। इसमें परिवर्तन करने या इससे पीछे हटाने का कोई सवाल ही नहीं है।

विदेश नीति एक बहुत विशाल टोकरी के समान है। इसमें कई वस्तुएं भरी हुई हैं। हमें यह ध्यान देना है कि किस विशिष्ट स्थिति में क्या करना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मामले में क्या करना है। जैसाकि श्री गुजराल ने बताया कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व पहले इतना कभी नहीं रहा है, जितना कि आज है। इसे कुछ भिन्न करना है, क्योंकि आज सन्दर्भ भिन्न हैं। अतः गुट निरपेक्ष आन्दोलन, जबकि इसकी अभी भी उपयुक्तता है, को अपने तरीकों को परिवर्तित करना है, अपने फौरी उद्देश्यों में परिवर्तन लाना है तथा अपनी प्राथमिकताओं को और अपने काम करने के ढंग को बदलना है।

अनुगामी सरकारें जो कुछ भी कर सकीं, करने का प्रयत्न करती रही हैं, अगर मैं कहता हूं कि मैंने वह सब कुछ किया, जो मैं कर सका, तब इसका मतलब होता है कि मैं सीमित क्षमता को स्वीकार कर रहा हूं। इसमें कोई और टिप्पणी करने के लिए नहीं है। अतः मुझे पक्का विश्वास है कि एक सरकार के बाद दूसरी सरकार को भी वही सब कुछ करना पड़ेगा। इसके परिणाम व्यक्तियों या सम्बन्धित सरकारों की क्षमता के अनुसार भिन्न होंगे। यह जीवन का एक सत्य है, जिसे सभी को मानना है और उससे सहमत होना है।

अब हमें युद्ध विराम पर ध्यान देना है। सैनिकों की वापसी को भी बिना शर्त पर मान लिया गया है। "बिना शर्त" शब्द की व्याख्या भिन्न-भिन्न लोगों के द्वारा भिन्न-भिन्न अर्थों में की जा सकती है। लेकिन वास्तव में जो कुछ करना है, वह एक समझौता ही होगा। अगर कोई एक मुद्दा है तो फिर दूसरा और तीसरा भी हो सकता है। हम यह नहीं कहते कि हमें एक ही मसले की बात करनी है या एक ही मसले को हल करना है जबकि अन्य और भी मसले उभर रहे हैं। यह कोई एक मुश्त समाधान नहीं है। यह एक पृथक समाधान है। हम एक पृथक समाधान के पक्ष में नहीं हैं। हम अन्य मुद्दों को इसके साथ जोड़ने की बात कह रहे हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्य मुद्दों को इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, जबकि दूसरे कुछ लोगों को मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यह 'जोड़ना' शब्द के भी भिन्न अर्थ निकाले जा रहे हैं।

सुरक्षा परिषद के सामने एक प्रस्ताव आज का है और एक 20 वर्ष पहले का है। इसी सुरक्षा परिषद ने दोनों प्रस्तावों को पारित किया था। एक प्रस्ताव दूसरे की अपेक्षा अलंघनीय क्यों है? क्यों एक प्रस्ताव तुरन्त पूर्ण रूप में लागू किया जाए, जबकि 20 वर्ष पुराना प्रस्ताव सुरक्षा परिषद के रिकार्ड में दब कर रह जाए? यह बात स्पष्ट नहीं है।

आज स्थिति यह है—चाहे आप इसे आपसी सम्बन्ध कहें, बदले की कार्यवाही कहें, पूर्वोदाहरण कहें, तथ्य यही रहेगा कि पश्चिम-एशिया सम्बन्धों में फिलीस्तीनी मुद्दा प्रमुख मुद्दा है। अब समय आ गया है कि पश्चिम एशिया में शान्ति स्थापित करने की प्रक्रिया में इस मुद्दे को कार्य रूप देना होगा। हमारी इस मुद्दे के बारे में यही राय है। ऐसे वक्तव्य देने का कोई लाभ नहीं है जिसमें एक-दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाए जाएं जबकि हम केवल राष्ट्रीय मतैक्य चाहते हैं। सभा के सभी वर्गों से मेरी यही अपील है। माननीय प्रधान मन्त्री को अपने प्रभाव, पुराने सम्बन्धों और मित्रता द्वारा यह मतैक्य बनाना होगा जिसमें कोई भी दल अपना उत्कृष्ट योगदान कर सके। यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, उसके बारे में किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। यह विचारों में भिन्नता है। यदि कुछ अच्छा कार्य होता है, तो प्रत्येक को इस बारे में अच्छा सोचना चाहिए ताकि उसके परिणाम भी अच्छे हों।

महोदय, मेरे मन में एक प्रश्न बार-बार घूम रहा है जिसका मुझे अभी तक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच द्विपक्षीय सहमति है। यह द्विपक्षीय क्यों होनी चाहिए ? यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि संयुक्त राज्य अमरीका 28 राष्ट्रों की सेनाओं के भाग के रूप में यदि भारत सरकार से कोई अनुमति लेता है और भारत सरकार वह अनुमति दे देती है, तब यह द्विपक्षीय कैसे हुआ ? मुझे तो यह द्विपक्षीय प्रतीत नहीं होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संकल्प सं० 678 के अनुपालन में अथवा यह पूर्वानुमान लगाते हुए कि खाड़ी में कुछ घटना घटने वाली है, हमने उन्हें अनुमति दे दी। वह कहीं और नहीं जा रहे थे, वह उत्तरी ध्रुव नहीं जा रहे थे और न ही हमारे देश के ऊपर से उड़कर किसी और स्थान पर जा रहे थे। उन्हें उस स्थान पर जाना था, जहां युद्ध चल रहा था जिसके बारे में वह जानते थे, हम जानते थे और सभी जानते थे, यदि यह तनाव की स्थिति पहले ही समाप्त हो जाती, तो युद्ध न होता। जब उन्होंने अनुमति मांगी थी, तब युद्ध की सम्भावना थी और जब हमने अनुमति दी थी तब भी युद्ध की सम्भावना थी। इस आकस्मिकता के बारे में उन्हें, हमें और सभी को पता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें इसे द्विपक्षीय मामला बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आज हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम इस देश के समर्थक हैं और उस देश के विरुद्ध हैं। यदि यह किसी संकल्प के अनुसरण में है, तब हमें संकल्प के बारे में टिप्पणी करने और तदनुसार सहयोग करने का पूर्ण अधिकार है। जो देश संकल्प के पक्षधर हैं, उन्होंने संकल्प के बारे में कुछ टिप्पणियां की हैं। वह कह रहे हैं कि जो आज इराक में किया जा रहा है, वह संकल्प में निहित उपबन्धों से कहीं अधिक है। वह कह रहे हैं कि संकल्प में ऐसी कार्यवाही अथवा परिणाम का उपबन्ध नहीं था। यदि ऐसा है, तब हम नहीं समझते कि संकल्प की भावना के प्रतिकूल कुछ करने के लिए हमें सुविधाएं दे देनी चाहिएं। हम ऐसा कर सकते थे। हम इसे भारत-संयुक्त राज्य अमरीका का मामला क्यों बनाएं ? यही बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। संयुक्त राज्य अमरीका की हमारे साथ मित्रता है, हमारी उनके साथ मित्रता है और रूस के साथ भी हमारी मित्रता है। भारत युगों से गुट-निरपेक्ष देश है और हम किसी देश को अपना दुश्मन नहीं मानते। हम सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें बनाए रखना चाहते हैं उन्हें मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए इसे द्विपक्षीय मामला बनाना उचित नहीं है। आपने इसे द्विपक्षीय मामला बना दिया है तो कोई बात नहीं लेकिन, मैं इसे भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच मानता हूं। मैं इस व्यवस्था अथवा समझौते को जो कुछ आज खाड़ी में हो रहा है, उससे सम्बन्धित मानता हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जैसे ही खाड़ी युद्ध समाप्त होगा, सामान्य स्थिति बहाल होगी, यह सभी व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाएंगी। यदि आप राष्ट्रीय हितों के आधार पर संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता

करना चाहते हैं, तब वह एक अलग बात है । लेकिन, उसे वर्तमान खाड़ी स्थिति के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए । मैं यही कहना चाहता हूं । इसलिए कृपया दोनों में भिन्नता बनाए रखिए । इस भिन्नता को बनाए रखते हुए उनके साथ भिन्न व्यवहार कीजिए । संयुक्त राज्य अमरीका और भारत एक-दूसरे की सहायता करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वह द्विपक्षीय है । लेकिन, यह पूर्णतः द्विपक्षीय नहीं है । जैसाकि मैंने कहा कि यह मामला समाप्त हो गया है और जैसाकि कहा भी गया है अन्त भला सो भला । लेकिन उड़ानों को दी गई अनुमति का प्रश्न हमेशा रहेगा और आपको उस पर कार्यवाही करनी होगी ।

इन शब्दों के साथ मेरा यह कहना है कि स्थगन प्रस्ताव का महत्व समाप्त हो गया है । इस पर चर्चा करना मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने के समान होगा । अतः यह बिल्कुल निरर्थक है और मैं इसका विरोध करता हूं ।

5.27 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक चर्चा हुई है । यह मुद्दा पूरे देश से सम्बन्धित है । इस मुद्दे पर न केवल पूरा राष्ट्र बल्कि पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है ।

मैं यह भी जानता हूं कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस समस्या के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं । मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं । मैं उठाए गए सभी मुद्दों के बारे में विस्तारपूर्वक नहीं बोलना चाहता । मैं पिछली बातों को भी नहीं दोहराना चाहता । मैं किसी और व्यक्ति अथवा सरकार पर भी आरोप नहीं लगाऊंगा । मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हुआ, वह इस सरकार का दायित्व है । मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों को स्पष्ट करूंगा । अन्यथा, ऐसा प्रतीत होगा कि मैं कुछ छुपाना चाहता हूं ।

सबसे पहले, मैं श्री नरसिंह राव द्वारा दिए गए भाषण में उठाए गए मुद्दों के बारे में बोलूंगा । इस देश में संयुक्त राज्य अमरीका के विमानों को खुला गलियारा देने के बारे में इस सभा को मैं यह बताना चाहता हूं कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, किसी भी सरकार को खुला गलियारा नहीं दिया गया है । उस समय ऐसा क्यों किया गया, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता । मैं पहले लिए गए निर्णयों के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

मैं अपने मित्र श्री गुजराल को भी कुछ बताना चाहता हूं । वह जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यह परम्परा है कि प्रत्येक उड़ान को बीच में रुकना पड़ता है । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि बीच में रुकने की सुविधा देने से सम्बन्धित देश को यह जांच करनी होती है कि उस विशेष विमान में क्या माल जा रहा है । श्री नरसिंह राव ने भी इसी मुद्दे पर बल दिया है । यदि आप खुला गलियारा दे देते हैं और बीच में उतरना अनिवार्य नहीं है, तब मेरे विचार से यह अच्छी स्थिति नहीं होगी । खुला गलियारा, अति प्रमुख व्यक्तियों राज्याध्यक्षों, शासनाध्यक्षों और अति महत्वपूर्ण सैन्य कार्मिकों को दिया जाता है जिनके आने-जाने की पहले से सूचना दी जाती है । परम्परा यही है । मुझे कूटनीति की परम्पराओं और सूक्ष्मताओं के बारे में जानकारी नहीं है लेकिन, पूरे विश्व में यही परम्परा

है और ऐसा न केवल संयुक्त राज्य अमरीका के साथ किया जा रहा है बल्कि, अन्य देशों से साथ भी किया जा रहा है। हम सभी देशों को यह सुविधाएं दे रहे हैं चाहे वह एक गुट का हो या दूसरे गुट का। इसका हमारी गुट-निरपेक्ष नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह देश इस परम्परा का बहुत समय से पालन कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जब भी किसी विमान को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति देते हैं तो इसका यहां एक स्थान पर उतरना अनिवार्य कर देते हैं, जिसे हम ट्रान्जिट लैंडिंग अथवा 'बीच में उतरना' कहते हैं। उन्हें ईंधन भरने की सुविधा देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि यदि कोई विमान उतरता है तो ईंधन की सुविधा दिया जाना अनिवार्य है और यह सुविधा सभी देश देते हैं। अभी हमारे विमान और वायु सेना के विमान लगभग 24 या 20 देशों के ऊपर से उड़ान भरते हैं और हमें यह सुविधा मिल रही है। हमारी कुछ देशों के साथ ऐसी द्विपक्षीय व्यवस्था है जिनके विमानों को हम बीच में उतरने को नहीं कहते, लेकिन अमरीका के साथ ऐसी बात नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। अध्यक्ष यह सच है और सभी जानते हैं कि खाड़ी में युद्ध की सी स्थिति पैदा हो गयी थी। हम भी जानते थे कि स्थिति बदतर हो सकती थी और युद्ध की सम्भावना थी। इसीलिए जब हमने उन्हें यह सुविधा प्राप्त करने की अनुमति दी थी, तो उनसे यह गारण्टी ली थी कि विमान में कोई घातक हथियार नहीं ले जाया जाएगा। यह पहला मौका है जब भारत सरकार ने किसी से इस प्रकार की गारण्टी लेने पर जोर डाला था। मैं कोई बड़े दावे नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा किया गया था और अमरीकी सरकार इस पर सहमत हुई थी।

दूसरा प्रश्न जो बहुत ही प्रासंगिक है। मैं श्री नरसिंह राव से सहमत हूं कि यह व्यवस्था सामान्य और शांति काल के लिए थी। जब युद्ध शुरू हुआ तो उस समय इसे रोक दिया जाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि हम अपने निर्धारित नीतियों, परम्पराओं और प्रथाओं, जिनका विगत 40 वर्षों से अनुसरण किया जा रहा है, उससे थोड़ा भी नहीं हटे हैं। मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि हमारे गुट-निरपेक्षता पर कोई खतरा है और न ही किसी भी पक्ष से ऐसी शंका अथवा शिकायत की गयी है कि हमारा झुकाव किसी एक पक्ष अथवा दूसरे पक्ष की ओर हो गया है। इसे हमारी गुट-निरपेक्षता की नीतियों से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा यह कहना है कि भारत सरकार की गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त के प्रति आज भी उतनी ही निष्ठा है, जितनी पहले कभी थी हां, राष्ट्रहित में इसमें थोड़ा लचीलापन आता रहा है और वह भी शुरू से ही मेरे मित्र, श्री जसवंत सिंह ने 1962 और 1971 में क्या हुआ, इस सम्बन्ध में बताया। यह युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी हैं। वे इन्हें इन युद्धों के बारे में अधिक जानकारी है। मैं नहीं जानता। इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। श्री दिनेश सिंह का उन दिनों शासन तन्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। उन्हें इसकी जानकारी होगी। इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि उन दिनों विमान उड़ाने, ईंधन की सुविधा प्राप्त करने अन्य कार्यों को करने की नीतियों में किसी प्रकार का सामन्जस्य नहीं था। लेकिन किसी सरकार के साथ उन दिनों हमारा कोई समझौता नहीं था। यह भारत परम्परा थी, जिसका निर्वहन किया जाता था और किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने देश में यह विचार उभरते देखा कि ईंधन की सुविधा नहीं देनी चाहिए, तत्काल मैंने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई। मैंने उनसे कहा, "यदि आप चाहें। मैं आज ही यह सुविधा देना बन्द करने के लिए कह सकता हूं।" लेकिन फिर अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया। मेरे मित्र श्री आई० के० गुजराल, श्री नरसिंह राव और श्री दिनेश सिंह यह जानते हैं। ऐसा एकदम से नहीं कहा जा सकता कि "मैं आपको अनुमति देता हूं", "मैं आपको

अनुमति नहीं देता हूं", क्योंकि इससे हमारा राष्ट्रीय हित जुड़ा है। हम एक ही बात कह सकते हैं कि "परिस्थिति ऐसी है कि यदि आप इस सुविधा का उपयोग न करें, तो बेहतर होगा।" ज्यों ही मैं उस विचार से, जिसे सभा के सभी दलों ने नहीं बल्कि महत्वपूर्ण दलों ने व्यक्त किया था, अवगत हुआ, मैंने तुरन्त अमरीकी सरकार को यह सूचित किया कि वे इसे बन्द कर दें। इसमें थोड़ा समय लगता है। यदि मेरी गलती है तो आप मुझ पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने मुझ पर उंगली उठाई है। अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख हुआ, जब श्री गुजराल ने यह कहा कि यह निर्णय सरकार द्वारा लिया गया अथवा किसी अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकारियों के निर्देश पर ऐसा किया गया है। मैं और श्री गुजराल लम्बे समय से मित्र रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि श्री गुजराल किसी समय कभी संवैधानिक प्राधिकारियों के परे से निर्देश प्राप्त करते होंगे। अपने जीवन में मैंने कभी भी संवैधानिक प्राधिकार से बाहर किसी निर्देश नहीं लिया है। मैं अपना व्यक्तिगत बात इस सभा में नहीं करना चाहता'''(व्यवधान)''' । यदि श्री आई० के० गुजराल में ऐसी बात नहीं कही होती, तो मैं अपना व्यक्तिगत बात नहीं कहता। में किसी भी टिप्पणी को नजर-अंदाज कर देता, परन्तु श्री आई० के० गुजराल की टिप्पणी को नजर-अन्दाज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उन्हें लम्बे समय से जानता हूं और उनके लिए और मेरे मन में बड़ा सम्मान है और वह भी मुझे लम्बे समय से जानते हैं। हो सकता है किमुझ में कुछ कमी हों, शायद उतना विवेकी न होऊं या उनके समान विदेश नीति की समझ-बूझ मुझे न हो, लेकिन एक चीज जिसका मुझ में कमी नहीं है, वह है साहस और इसीलिए जब किसी ने यह पूछा कि क्या हमने यह सुविधा दी है, मैंने कहा, हां। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मुद्दा यहीं समाप्त करता हूं।

मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा जो दूसरा अति महत्वपूर्ण मसला उठाया गया है, वह यह है कि क्या भारत सरकार गोर्बाचोब के फार्मूले के बारे में कुछ कर रही है अथवा निष्क्रिय है। श्री गुजराल ने भी कहा था कि—वह बहुत ही सजग थे और हल निष्क्रिय थे। लेकिन मैं यह नहीं जानता। विगत एक माह में हमने इस मुद्दे पर गोर्बाचोब से पांच बार विचार-विमर्श किया। आज भी हम लगातार उनसे सम्पर्क किए हुए हैं। इसका तात्पर्य उनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि सोवियत संघ की सरकार से। संयुक्त राष्ट्र में हमारे स्थाई प्रतिनिधि ने कल या परसों से ही सुरक्षा परिषद के सदस्यों तथा गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पर्क करना शुरू कर दिया है कि सुरक्षा परिषद के प्राधिकार पुनः दिलाया जा सके तथा शांति प्रस्ताव कतिपय लोगों के वास्ते को न छोड़ दिया जाए। हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम सोवियत संघ के राष्ट्रपति के प्रस्ताव से सहमत हैं। इतना ही नहीं, हमने सभी उपाय और पहल किए हैं जिनका मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता। विगत एक महीनों के दौरान उन सभी महत्वपूर्ण देशों के दूतो ने जो सद्दाम हुसैन के समर्थक हैं। दिल्ली का दौरा किया और हमसे विचार-विमर्श किया था। उनमें से किसी ने भी उतना प्रयास नहीं किया जितना हमारे मित्र श्री गुजराल ने किया है।

एक माननीय सदस्य : आप खामोशी से भी मिले थे।

श्री चन्द्र शेखर : जी हां, खाशोगी से भी। वह आपकी नजरों में कूटनीतिज्ञ होंगे। मेरी दृष्टि में नहीं। कई खाशोगियों से मिलता हूं। लेकिन मैं खाशोयियों की बात नहीं कर रहा, मैं अराफात की अल्जिरियाई राष्ट्रपति को और चीन के प्रधान मन्त्री की तथा ईरान के राष्ट्रपति की बात कर रहा हूं और मैं उन लोगों की बात करता हूं जो इस मामले से जुड़े हैं और जिनका इस समस्या में महत्व है।

अध्यक्ष महोदय सभी का यह कहना है कि हम सद्दाम हुसैन के विरोधी हो गए हैं और हमने उनसे अपना सम्बन्ध खराब कर लिया है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि फिलिस्तीन की समस्या के प्रति हमारा दृष्टिकोण अब भी वही है। हमने सभी को कह दिया है कि फिलिस्तीनी समस्या पर हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हमने यह भी कहा है कि इराक के साथ हमारी मित्रता अब भी यथावत है। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जब मिस्र में इराकी दूतावास को बन्द कर दिया गया था तो इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने इराक के हितों की रक्षा करने के लिए भारत के अलावा किसी और देश को नहीं चुना था। यही स्थिति है। लेकिन यदि लोग यह समझते हैं कि वक्तव्य देना या भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करना या किसी की ओर उंगली उठाना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भाग है तो मैं यह नहीं जानता।

एक माननीय सदस्य : श्री राजीव गांधी के बारे में क्या विचार है ?

श्री चन्द्र शेखर : मैं नहीं जानता कि श्री राजीव गांधी से आपका क्या तात्पर्य है। श्री राजीव गांधी इस समस्या का समाधान खोजने में सहायता दे रहे थे और मैं लगातार उनसे बातचीत कर रहा था और उनके सम्पर्क में था। आज भी, जबकि सरकार इस समस्या के समाधान के प्रयास में जुटी है, मैं अपने स्थाई प्रतिनिधि से बातचीत कर रहा था तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री से बात कर रहा था, जो तेहरान और बगदाद जा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए श्री नरसिंह राव और अन्य व्यक्तियों के साथ श्री राजीव गांधी मास्को जा रहे हैं और रास्ते में वह तेहरान रुकेंगे। केवल राजीव गांधी ही नहीं, बल्कि मेरा श्री गुजराल से भी अनुरोध है कि वह भी प्रयास करें, क्योंकि उनके सद्दाम हुसैन और अन्य लोगों के साथ अच्छे सम्बन्ध प्रतीत होते हैं। मैं उनका सहयोग लेने के लिए तैयार हूं। यदि कोई उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के प्रयास करता है तो यह प्रशंसनीय है। जब मैंने कहा कि मैं इस मुद्दे पर देश का विभाजन करना नहीं चाहता तो मेरा वास्तव में यही तात्पर्य था। हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं···(**व्यवधान**)

महोदय, यदि वे मेरी बात नहीं समझ सकते तो मैं इसमें सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मैं तर्क दे सकता हूं, तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं परन्तु बात समझने के लिए मैं दिमाग नहीं दे सकता।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, नरसिंह राव ने एक प्रश्न पूछा है। ऐसा ही प्रश्न दूसरी भाषा में मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूछा था। नीतिगत प्रश्नों के बारे में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि गुटनिरपेक्ष नीति अब भी संगत है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई ताकत, चाहे अमेरिका को हो अथवा दूसरी, किसी विशेष क्षेत्र में शांति बहाल करने की जिम्मेदारी लें। यदि किसी क्षेत्र में ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी तो इसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। हम अपने हितों के प्रति जागरूक हैं। श्री चित्त बसु ने कहा है कि हमें अमेरिका की निन्दा करनी चाहिए। मेरी निन्दा करने की राजनीति नहीं है। उन्हीं की सरकार ऐसा कार्य करती है। मैं लोगों की निन्दा नहीं करता हूं। मैं कुछ विशेष लोगों और राष्ट्रों के कार्यों की निन्दा करता हूं। यदि उन्होंने समाचार पत्र पढ़े होंगे तो उन्हें यह मालूम होगा। जिस दिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने यह कहा था कि वह कभी भी आणविक हथियारों का प्रयोग कर सकेंगे तो मैंने कहा था कि यह मानवता के प्रति अपराध है। मैंने कहा था कि आणविक हथियारों के प्रयोग तथा रासायनिक युद्ध की बात करना मानवता के प्रति अपराध है। अध्यक्ष महोदय हम इसका

विरोध करते हैं। परन्तु स्थिति से निपटने के कुछ तरीके हैं। कुछ लोग समझते हैं कि उन्हें कुछ लोगों के विरुद्ध साहस के साथ अपने विचार व्यक्त करने चाहिए और कुछ लोगों में आत्म-निन्दा और आत्म-ग्लानि की प्रवृत्ति होती है। वे कहते हैं कि भारत कुछ नहीं कर सका है और भारत को पीछे धकेल दिया गया है। फ्रांस, चीन इरान और सोवियत संघ का क्या हो गया है?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : श्री राजीव गांधी ने भी ऐसा ही कहा है। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्र शेखर : यदि श्री राजीव गांधी ने ऐसा कहा है तो वह भी कुछ कर रहे हैं···(**व्यवधान**) परन्तु कुछ लोग इन सब बातों को तो कह रहे हैं लेकिन वे कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इतना अन्तर है। यदि आप कुछ करते हैं तो आप कुछ कह सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह मालूम करना चाहा है कि सरकार को सोवियत प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी है अथवा नहीं। हमें इसकी कुछ जानकारी है। परन्तु इसकी कुछ सीमाएं हैं। यदि सम्बन्धित सरकार कहती है कि यह गोपनीय बात है तो दूसरे देश के प्रधानमन्त्री को, चाहे वह कितना ही महत्वहीन क्यों न हो, समाचार पत्रों को बताने की स्वतन्त्रता नहीं है। यह सीमा है। परन्तु सोवियत रूस ने आज हास के माध्यम से इसको अपने आप उजागर कर दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आज नहीं इसे कल उजागर किया था।

श्री चन्द्र शेखर : कल? उनके प्रस्तावों का विवरण मेरे पास है। मैं अभी उन बातों को पढ़ता हूं। (1) इराक बिना किसी शर्त के कुवैत से अपनी सेनाओं की वापसी की घोषणा करती है। (2) युद्ध विराम होने के बाद दूसरे दिन सेनाओं की वापसी शुरू होती है। (3) सेनाओं की वापसी एक निश्चित समयावधि में होगी। (4) कुवैत से दो-तिहाई इराकी सेनाओं की वापसी के बाद संयुक्त राष्ट्र द्वारा इराक पर लगाए आर्थिक प्रतिबन्ध हटा लिए जायेंगे (5) कुवैत से इराकी सेनाओं की वापसी के अन्त में वे सभी कारण दूर हो जायेंगे जिनकी वजह से संकल्प लगाए गए थे इस प्रकार ये संकल्प निष्प्रभावी हो जायेंगे (6) युद्ध समाप्त होने के तुरन्त बाद युद्ध बन्दियों को छोड़ दिया जाएगा (7) सेनाओं की वापसी की निगरानी उन देशों के द्वारा की जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सम्मिलित नहीं हैं यह कार्य सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा (8) विशेष विवरण सम्बन्धी कार्य जारी रहेगा। इस कार्य का अन्तिम निर्णय संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के सदस्यों को आज बता दिया जाएगा। यही बताया गया है।

अध्यक्ष महोदय, यह संयोग की बात हो सकती है। मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। इन आठ बातों में से चार बातें शुरू में संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारे प्रतिनिधि द्वारा आमराय के लिए सुरक्षा परिषद में उठायी गयीं थी। यह सरकार के लिए संयोग की बात है अथवा इसका सौभाग्य है···(**व्यवधान**)

डा० बिप्लव दासगुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : निश्चित रूप से सौभाग्य है।

श्री चन्द्र शेखर : इस प्रकार आप भी यही कर रहे हैं। यदि आप हमारी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं तो हम इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। मुझे बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को इस पर कुछ आपत्ति है। मुझे बताया गया है कि एक स्थिति में उन्होंने कहा है कि वे अपने सहयोगियों के साथ विचार-विमर्श करके निर्णय करेंगे परन्तु निचले स्तर पर किसने बताया है कि वे सोवियत संघ के इस फार्मूले अथवा प्रस्ताव को अस्वीकार कर देंगे। यह बड़ी भूल होगी। मैं इस सभा की ओर से अपील करना चाहता हूं कि श्री जार्ज बुश को इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए इस अवसर का

लाभ उठाना चाहिए। इससे कोई निष्कर्ष निकालने के लिए सार्थक बातचीत की शुरुआत होती है। मुझे उनकी आपत्तियों के बारे में सूचना मिली है परन्तु मैं नहीं सोचता कि अमेरिका के राष्ट्रपति की आपत्तियों के बारे में बात करना दूरदर्शिता होगी। मुझे आशा है और विश्वास है कि वह अपने सहयोगियों से विचार-विमर्श कर कोई निष्कर्ष निकालेंगे क्योंकि युद्ध में किसी की विजय नहीं होती है। युद्ध में केवल मानवता की पराजय होती है। जनता की परेशानी और कष्ट के कारण हमें इसके बारे में सोचना पड़ता है। हम इसके प्रति बड़े चिंतित हैं। श्री फैलीरो ने बताया है कि हम विशेष रूप से इसलिए चिंतित हैं क्योंकि इसमें हमारे नागरिक सम्मिलित हैं। आज भी 5,000 से अधिक हमारे नागरिक कुवैत मे हैं इसलिए हमें इसके बारे में चिन्ता है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अन्तिम समय तक कुवैत से आने के लिए मना कर दिया था। मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता कि समय सीमा स्थगित करने तथा कुछ अन्य उपाय करने के बारे में हमने क्या पहल की है। हमने बार-बार प्रयास किया है परन्तु कुछ लोगों के हटी दृष्टिकोण के कारण केवल भारत की ही आवाज नहीं सुनी बल्कि सोवियत संघ, चीन, इरान श्री यासर अराफात जैसे मित्रवत व्यक्तियों तथा फ्रांस की आवाज से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला मुझे विश्वास है कि अब वातावरण बदल गया है और मैं इस बात से सहमत हूं कि भारत को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि हम अरब विश्व की घटनाओं से जुड़े हुए है। हमारे सम्बन्ध बहुत पुराने हैं। मैं इतिहास का उल्लेख करना नहीं चाहता अन्यथा मै श्री जसवन्त सिंह और श्री गुजराल द्वारा पैदा किए गए विवाद में फंस जाऊंगा। मैं इतिहास का उतना अच्छा शिष्य तो नहीं हू परन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि अरब देशों के साथ विशेष रूप से इराक के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण तथा मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हम कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि इराक का विभाजन हो। हम चाहते हैं कि उसकी राजनैतिक एकता तथा अखंडता कायम रहे। मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त यह जानना चाहते थे कि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प के पक्ष में हैं अथवा नहीं। यदि हमें संयुक्त राष्ट्र सघ में रहना है तब हमें इस संकल्प का पालन करना होगा परन्तु प्रश्न उनके व्याख्या करने का है यह देखने का है कि उनकी परिधि कहां तक जाती है, तथा यह देखना है कि इस सम्बन्ध में कोई कारंवाई करने के लिए हम इसे किस प्रकार से देख सकते हैं। यह संवेदनशील मामला है। मैं सदस्यों से निवेदन करूगा कि वे उस प्रधानमन्त्री को कुछ छूट दें जो कभी भी सरकार में नहीं रहा है तथा जिसे अन्तराष्ट्रीय मामलों की कभी कोई जानकारी नहीं रही। ऐसा प्रतीत होता है कि विश्व में हो रही घटनाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के बारे में अन्य सभी सदस्यों को अधिक जानकारी है। परन्तु मुझे अपने राजदूत, विदेश मन्त्रालय तथा कभी-कभी आप सब द्वारा जारी किए गए विलक्षण वक्तव्यों से जो भी जानकारी मिलती है, मैंने उन सभी पर गौर करने की तथा आप सब की अपेक्षाओं के अनुकूल कार्य करने की कोशिश की है। यदि इस मामले में कहीं कुछ गलती हुई है तब भी आप इस मसले पर देश में मतभेद पैदा क्यों कर रहे हैं ? क्या दूसरी समस्याएं नहीं है ? अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्ञात हुआ है कि दूसरी सभा में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम सभी को इस समस्या के बारे में विश्व शांति, मानव अधिकारों विशेष रूप से विश्व के निर्धन राष्ट्रों, विकासशील विश्व के दलित तथा शोषित देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस समस्या के बारे में एकजुट होकर रहना चाहिए क्योंकि उन्हें हमसे काफी अपेक्षाएं तथा आशाएं हैं।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कारंवाई से देश का पहले ही उत्साह भंग हो चुका है तथा प्रधानमन्त्री के वक्तव्य से ससद का उत्साह भंग होगा। **(व्यवधान)**

महोदय, प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए तर्क से कोई भी आश्वस्त नहीं होगा क्योंकि इससे सभा में

उठाए गए मुद्दों में से एक भी स्पष्ट नहीं होता है। वह सदस्यों को और अधिक उलझा रहे हैं (**व्यवधान**) तथा यह अपेक्षा कर रहे हैं एक भी ऐसा सदस्य नहीं होना चाहिए जिसके इस मुद्दे के सम्बन्ध में स्पष्ट विचार हों।

इस सम्बन्ध में दो बुनियादी बातें हैं। यह कोई साधारण तकनीकी प्रश्न नहीं है। दो बुनियादी प्रश्न उठाए गए हैं जिनके सम्बन्ध में भारत जैसे देश को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए तथा वह भी पूर्ण विश्वास के साथ। पहला प्रश्न यह है कि क्या अमरीका को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षक की भूमिका अदा करने देना चाहिए तथा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या अटलांटिक के इस ओर भी मोनरो सिद्धांत लागू होना चाहिए। ये दो बुनियादी बातें हैं। तीसरे, ईंधन-सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी प्रश्न के बारे में उनका स्पष्टीकरण इसके विरुद्ध दिए गए सभी तर्कों को समान कर देगा। ऐसा कहा गया है कि ईंधन सुविधा अभी भी दी जा रही है। इसका कारण यह बताया गया कि शांति-काल के दौरान ऐसा इससे पहले भी किया जाता रहा है। प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या युद्ध के समय में भी यह ईंधन-सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया था। इस सरकार ने इस ईंधन-सुविधा को बन्द करने का साहस नहीं दिखाया परन्तु अमरीकी सरकार से इसे अवश्य बन्द करने का आग्रह अवश्य किया था। अरब देशों का एक भारी समर्थक होने के कारण तथा विश्वभर में सबसे बड़ी लोकतन्त्र व्यवस्था वाले इस देश की सरकार के इस रवैये के कारण विदेशों में भारत की छवि को काफी धक्का पहुंचेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने जो कहा था, उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा था कि सद्दाम हुसैन का समर्थन न करने के कुछ विशेष कारण थे। केवल कुछ ही दिन पूर्व पाकिस्तान रेडियो द्वारा प्रसारित पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री का मैं भाषण सुन रहा था। वह अमरीका को उनकी सरकार द्वारा दिए गए अपने समर्थन को उचित बता रहे थे तथा उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर तथा बाबरी मस्जिद जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सद्दाम हुसैन ने भारत का पक्ष लिया था। अतः वह पाकिस्तान के पक्ष में नहीं हो सकते।

हम इस समय एक विशिष्ट स्थिति ही देख रहे हैं जबकि हिन्दू तथा मुस्लिम सम्प्रदाय के कट्टरपंथी एक समान बातें कर रहे हैं तथा अरब देशों के खिलाफ एक घोर जघन्य अपराध की सहमति दे रहे हैं, इस प्रकार से वे कार्य कर रहे हैं। यह काफी विशिष्ट बात है। वे एक जैसी विचारधारा वाले हैं। सऊदी अरब तथा पाकिस्तान ने ही साम्प्रदायिकता की राजनीति को फैलाया था। भारत में यही वह सम्माननीय दल है जो देश के अन्दर ही साम्प्रदायिकता की राजनीति फैला रहा है।

इस समय वे सभी एक हैं। वे सब एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। प्रश्न यही है। कई सदस्यों ने यही प्रश्न उठाया है कि कुवैत पर बमबारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 678 के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत ही की गई थी। इसी प्रकार से कई सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि ईंधन-सुविधा प्रदान किए जाने के प्रश्न के अलावा अन्य कुछ और कही गई बातें क्या स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत ही आती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से यह स्थगन-प्रस्ताव के अन्तर्गत ही है। ईंधन-सुविधा के मुद्दे के पश्चात स्थगन प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि "खाड़ी-युद्ध के सम्बन्ध में दीर्घकालिक राष्ट्रीय विदेश नीति के अनुरूप समुचित पहल।" अतः स्थगन-प्रस्ताव के अनुसार हमें इस मामले को एक अधिक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए।

यह सत्य है कि प्रधानमन्त्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उस संकल्प विशेष के सम्बन्ध में कुछ

कहा है । परन्तु आरम्भ में ही मैंने जिस बात पर जोर दिया था मैं उसे ही यहां पर पुनः कहना चाहूंगा कि कुवैत के ऊपर इराक का कब्जा होना इतिहास का ही एक भाग है। वर्ष 1961 में जिस समय कुवैत बना था उस समय भी इराक ने आपत्ति उठाई थी क्योंकि यह बसरा जिले का ही एक हिस्सा था तथा उसकी भी वही संस्कृति थी। वर्ष 1920 में ऑटोमन शासक के पश्चात् साम्राज्यवादियों ने अरब देशों को सन्तुलित करने, उन्हें विभाजित करने तथा कुवैत जैसे तेल समृद्ध देश पर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया था ताकि उनके तेल के भण्डार में वृद्धि हो सके तथा जो सौ वर्ष से भी अधिक समय तक वे भरे रहेंगे। जबकि अमरीका के पास तेल का अपना भण्डार केवल दस वर्ष तक के लिए ही है, यदि वह केवल अपने तेल का ही इस्तेमाल करता है। आज इन सभी तेल के भण्डारों पर अपना अधिपत्य कायम करने के लिए ही उन्होंने कई छोटे-छोटे राज्य बना दिए हैं जहां पर सुल्तान, अमीर, शेख तथा शाह शासन कर रहे हैं। परन्तु उससे यह अभिप्राय नहीं निकलता कि उन राज्यों पर इस प्रकार से कब्जा कर लिया जाए। परन्तु यह मामला अरब देशों का है, उनका यह आंतरिक मामला है जिसे स्वयं ही सुलझा लिया जाना चाहिए। परन्तु अटलांटिक के उस पार सभी प्रकार के अत्याधुनिक हथियारों सहित आक्रमण करना इन हथियारों की क्षमता की जांच करने का महज एक बहाना मात्र है। इस प्रकार से वहां पर अभी भी बमबारी जारी है। वे सभी प्रकार के मनोरंजन हेतु फोटोग्राफ भी ले रहे हैं। यह एक बेतुका हमला है तथा इसकी हर प्रकार से निन्दा की जानी चाहिए। क्या हम यह स्वीकार कर लें कि अमरीका सम्पूर्ण विश्व की रक्षा का भार अपने ऊपर ले ले तथा अरब देशों पर आक्रमण करे? इस प्रकार की भावना वहां नहीं होनी चाहिए। परन्तु यहां पर प्रधानमन्त्री जी के वक्तव्य में ऐसा कुछ भी नहीं है।

गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कोई निरुद्देश्यीय मंच नहीं है, इसका अपना उद्देश्य है। इसका अपना राजनैतिक उद्देश्य है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन हमेशा से ही साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष करता रहा है। कुछ व्यक्तियों ने अमरीका तथा सोवियत संघ के साथ एक जैसे सम्बन्ध कायम करने का प्रयत्न किया है। क्या ऐसी नीति होनी चाहिए? हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अमरीका ने हमारा समर्थन नहीं किया बल्कि रूस ने हमारा पक्ष लिया। (व्यवधान) आज भी कश्मीर तथा पंजाब के अलगाववादी तत्व सोवियत संघ में नहीं बल्कि अमरीका में शरण ले रहे हैं। एक उग्रवादी नेता श्रीमान ने अमरीका की ओर से लड़ने के लिए अपने खालिस्तानी कमांडो भेजने का प्रस्ताव भी अमरीका को किया था। इसलिए, अमरीका ने भी चाहे भारत हो अथवा अरब देश हों, वहां पर सभी प्रकार के विद्रोही तत्वों को भेजा है। मुस्लिम कट्टरपंथी अरब देशों का दमन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। (व्यवधान) हमें उनकी राजनीति को समझना चाहिए तथा उनकी राजनीति को ध्यान में रखना चाहिए। जो देश इराक के खिलाफ लड़ रहे हैं वे मूलतः भारत के शत्रु हैं।

6.00 म० प०

इसलिए, यहां तक की तटस्थता को परे रखते हुए, भारत की सहानुभूति—तटस्थता एक लचीला विषय है, जिसे यहां तक की साम्राज्यवादी देशों के पक्ष में मोड़ा जा सकता है, जैसाकि इसे आज मोड़ दिया गया है—कि हमेशा शोषित और कष्ट सह रहे व्यक्तियों के पक्ष में मोड़ देना चाहिए। अतः हमारी तटस्थता और गुट-निरपेक्षता को इस प्रकार मोड़ा जाना चाहिए कि यह सकारात्मक गुट-निरपेक्षता के हित में हो और बगदाद के दुःखी व्यक्तियों के हित में हो न कि अमरीका की साम्राज्यवादी नीति के हित में।

यह सच है कि श्री गोरबाचौव ने एक प्रस्ताव रखा है। यह अन्तिम नहीं है। भारत श्री गोरबाचौव से एक कदम और आगे जा सकता है। किन्तु भारत का प्रस्ताव शान्ति का होना चाहिए। यहां हमें ऐसा प्रस्ताव रखना चाहिए कि पहले तुरन्त युद्ध-विराम होना चाहिए। दूसरे, अमरीका और बहु-राष्ट्रीय फौजें हट जाएं।

तीसरी बात यह है कि इराक तुरन्त कुवैत को छोड़ना आरम्भ कर दे। इसके साथ ही, इजराइल अरब भूमि को छोड़ना आरम्भ कर दे और, चौथे, श्री गोरबाचौव की मदद से सम्पूर्ण अरब क्षेत्र के बारे में भविष्य में अपनाई जाने वाली नीति पर विचार करें। हमारा यही दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इराक को पीछे हट जाना चाहिए और अमरीकी फौज अपनी साम्राज्यवादी नीति को तृतीय विश्व पर थोप दे और उसमें अपनी जड़ें फैलाए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि खाड़ी युद्ध ने प्रत्येक देश में लोगों और सरकारों के मध्य एक खाई उत्पन्न कर दी है और भारत में भी यह बहुत स्वाभाविक है कि इससे लोगों और सरकार के मध्य खाई बढ़ेगी। यह बहुत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा लगता है कि खाड़ी में हो रहे अपराधों को सहन करना दिन-प्रतिदिन की जिन्दगी का एक हिस्सा बन गया है। वे दिन बीत चुके हैं जब वरिष्ठ राजनेता देश पर शासन करते थे, अब कुछ वरीयता प्राप्त लोग देश पर शासन करते हैं। कह सकते हैं कि प्राचीन भारत सूर्य के तेज वाले महापुरुषों और आकाश—गंगा की भांति देदीप्यमान महान नेताओं की भूमि था और हम यह भी कह सकते हैं कि अब यहां पर उपग्रहों की भांति चक्कर लगाने वाले कुछ नेताओं का शासन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

जो इसके पक्ष में है वे कृपया 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'हां'।

अध्यक्ष महोदय : जो इसके विपक्ष में हैं वे कृपया 'नहीं' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : 'नहीं'।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ। निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ।

अनेक माननीय सदस्य : निर्णय "हां" वालों के पक्ष में हुआ।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब दीर्घाएं खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ* :

मत विभाजन संख्या : 1] [समय 6.07 म० प०

पक्ष में

अली, श्रीमती सुभाषिनी
अहमद, श्री अनवार
आचार्य, श्री बसुदेव
काबड़े, डा० वेंकटेश
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खां, श्री सुखेन्दु
गिरि, श्री सुधीर
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायनल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकान्त
डोम, डा० राम चन्द्र
त्यागी, श्री के० सी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दास, श्री अनादि चरण
दासगुप्त, डा० बिप्लव
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पचेरवाल, श्री गोपाल
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, श्री राम पूजन
परास्ते, श्री दलपत सिंह
पाणि, श्री रवि नारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुखदेव
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रेम प्रदीप, श्री
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० असीम
बेग, श्री युसुफ
बैठा, श्री महेन्द्र
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भारतीय, श्री सन्तोष
मंजय लाल, श्री
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री सत्यपाल
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाता, श्री चित्त
मिर्धा, श्री नाथू राम

मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखोपाध्याय, श्री अजय
यादव, डा० एस० पी
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री सूर्य नारायण
राउतराय, श्री नीलमणि
राय, श्री ए० के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन
रायप्रधान, श्री अमर
विजयराघवन, श्री ए०
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सान्याल, श्री माणिक
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री हर गोविन्द
सुर, श्री मनोरंजन
सेल्वारासु, श्री एम०
हंसदा, श्री मतिलाल
हन्नान मोल्लाह, श्री
हीरा भाई, श्री
होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

अकबर, श्री एम० जे०
अग्रवाल, श्री जे० पी०
अडईकलराज, श्री एल०
अतिन्दर पाल सिंह, स०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु, श्री इरा
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
इन्द्र जीत, श्री
उरांव, श्रीमती सुमति
एन्टनी, श्री पी० ए०
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
करेद्दुला, कुमारी कमलाजी
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कालवी, श्री कल्याण सिंह
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कोंतल, श्री राम कृष्ण
कोटडीया, श्री मनुभाई
कोडिकुन्नील, श्री सुरेश
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री जुल्फिकार अली
गजपति, श्री गोपी नाथ

गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुडादिन्नी, श्री बी० के०
गुप्त, श्री जनकराज
गोमांगो, श्री गिरिधर
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
जग पाल सिंह, श्री
जनार्दनन्, श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
डेनिस, श्री एन०
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०

तिवारी, श्री बृज भूषण
तोपदार, श्री तरित बरण
थामस, प्रो० के० वी०
थामस, श्री पी० सी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दास, श्री भक्त चरण
दिनेश सिंह, श्री
देब बर्मन, श्री के० बी० के०
देब, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी लाल, श्री
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नेताम, श्री अरविन्द
पंडियन, श्री डी०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पलनीसामी, श्री के० सी०
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे

पाटिल, श्री शंकरराव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पैंचालैया, श्री पी०
प्रधानी, श्री के०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फ़लीरो, श्री एडुआर्डो
बंसी लाल, श्री
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बाजपेयी, डा० राजेन्द्र कुमारी
बाल गौड, श्री टी०
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेंजामिन, श्री एस०
बेगा राम, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री एच० के० एल०
भजन लाल, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री मंगाराज
मल्लिकार्जुन, श्री
महाजन, श्री वाई० एस०
महाडीक, श्री वामनराव
महाबीर प्रसाद, श्री
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री बालगोपाल
मिश्र, श्री राज मंगल
मुधिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
मोहम्मद शफी, श्री
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री हुकमदेव नारायण
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
राजू, श्रीमती उमा गजपति
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बासव
राथवा, श्री एन० जे०
राठौर, डा० भगवान दास
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राममूर्ति, श्री के०

राय, श्री कल्प नाथ
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चौक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री श्रीनिवास
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री बी० राजरवि
विश्वनाथम, डा०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, श्री राम सिंह
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई
शिंगडा, श्री डी० बी०
शेखड़ा, श्री गोबिन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री वसंत
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुमन, श्री रामजी लाल
सुम्बरुई, श्री बागुन
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेमा, श्री शिकिहो
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हेत राम, श्री

हान्डू, श्री प्यारे लाल

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :—

पक्ष में 83

विपक्ष में : 206

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

6.10 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

उन्नीसवां प्रतिवेदन

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सेलम) : मैं कार्य मन्त्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि प्रतिवेदन को आज पारित किया जाना है, कृपया श्री कुमारमंगलम इसे पढ़ें जिससे सदस्य इसके विषय-वस्तु से परिचित हो सकें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक 21 फरवरी, 1991 गुरुवार को हुई थी।

2. समिति कार्यों को निम्नलिखित मदों के लिए उनके सामने दर्शाए गए समय के नियतन की सिफारिश करती है :—

(1)	तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा	4 घण्टे
(2)	जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा।	3 घण्टे
(3)	राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा	12 घण्टे
(4)	भारतीय पुनर्वास परिषद् विधेयक, 1990। (विचार और पारित किया जाना)	2 घण्टे

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :—

पक्ष में : सर्वश्री शोपत सिंह मक्कासर, श्री अजय सिंह, श्री सत्यपाल सिंह यादव श्री तसलीमउदिन।

विपक्ष में : श्री चन्द्र शेखर, श्री कपिल देव शास्त्री, श्री कमालुद्दीन अहमद, श्री नन्दी येल्लैया, श्रीमती टी० मनेम्मा, श्री मानकूराम सोढ़ी।

3. समिति यह भी सिफारिश करती है कि निम्नलिखित विषयों पर नियम 193 के अधीन चर्चा उस तारीख और समय पर की जा सकती है जिसका निर्णय बाद में लिया जाए :—

(एक) खाड़ी युद्ध

(दो) मूल्य वृद्धि

4. समिति यह भी सिफारिश करती है कि आवश्यक सरकारी कार्यों और अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए समुचित समय उपलब्ध कराने के लिए सभा की बैठक शुक्रवार को छोड़कर अन्य दिनों में भोजनावकाश के दौरान की जा सकती है।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 22 फरवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 22 फरवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.13 म० प०

खाड़ी में व्याप्त स्थिति के बारे में

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वाद-विवाद के बाद विश्व में सबसे बड़ी संसद से भाई-चारे का सन्देश जाए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं यह सुझाव दें कि यह सभा राष्ट्रपति गोर्बाचोव के प्रस्ताव का स्वागत करे और इसका समर्थन करे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह अध्यक्षपीठ की तरफ से पेश हो।

श्री जसवन्त सिंह (जोधपुर) : यह प्रस्ताव तो चर्चा के दौरान ही रखा गया था। सिद्धान्त रूप में इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि यहां पर संसद की दोनों सभाएं इस सम्बन्ध में एक मत से बोलें। दूसरे, सिद्धान्त रूप में अगर सभा को सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार करना है तो निश्चित रूप से ऐसा प्रस्ताव आप द्वारा अध्यक्षपीठ से पेश होना चाहिए, इस सभा के किसी अन्य पक्ष द्वारा नहीं। लेकिन हमारे सम्मुख एक प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई है यह कि प्रस्ताव का मूल, जिसे पेश करना और स्वीकार करना है, अभी-अभी आया है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करने का कार्य सोमवार को किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

श्री वसन्त साठे : मैं इस प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा। मैं कठिनाई जानता हूं। हमें इसका मूल अभी-अभी मिला है। यह वास्तव में विचित्र लगेगा कि एक सभा तो इसे आज पारित कर दे और

हम इसे दो दिन बाद करें। मैं यही सुझाव दे रहा हूं कि अध्यक्षपीठ की तरफ से एक पंक्ति का यह प्रस्ताव रखा जाए कि हम खाड़ी में शान्ति लाने के लिए गोर्बाचोव की पहल का समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि इसे सोमवार को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? हमारे पास दो दिन होंगे और हम इन दो दिनों का उपयोग कर सकेंगे···(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री वसन्त साठे : आडवाणी जी, अगर हम यह आज नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। हमारी बड़ी सभा है, लोक सभा है। अगर राज्य सभा इसे आज पारित कर दे और हम इस मामले में चुप रहें तो इसका महत्व समाप्त हो जाएगा···(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, आज का समय महत्वपूर्ण है। इराक ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है···(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं नहीं समझता कि इस बारे में कोई मतभेद है।

अध्यक्ष महोदय : कोई मतभेद नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं भारतीय जनता पार्टी से केवल एक अनुरोध करना चाहूंगा कि दूसरी सभा में उनके प्रतिनिधियों ने इसे स्वीकार कर लिया है, अतः समय नष्ट किए बगैर इस बारे में सही संकेत दिया जाएगा। अतः अगर आज अध्यक्षपीठ द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो इसका महत्व अधिक होगा। क्योंकि दूसरी सभा के सदस्य इसे स्वीकार कर चुके हैं तो मैं विपक्ष के नेता से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि वह सम्पूर्ण सभा के साथ रहें और हमें सर्व सम्मति कायम करने का प्रयास करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति लाने की इच्छा से मैं प्रभावित हुआ हूं। मैंने सुझाव दिया था कि यदि आम राय जुटाई जाए तो केवल सहमति ही नहीं बल्कि दृष्टिकोणों को भी ध्यान में रखा जाए क्योंकि हमें यह दस्तावेज प्राप्त हो गया है···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : हम इस संकल्प के लिए आग्रह नहीं कर रहे हैं। हम केवल यह सुझाव दे रहे हैं कि एक पंक्ति तथा एक वाक्य का संकल्प लगाया जाए···(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह : यह सामान्य सी बात है। यह एक पंक्ति अथवा दो पृष्ठ की बात नहीं है। प्रश्न यह है कि विचार-विमर्श के बाद आम राय जुटाई जाए तथापि यदि समूची सभा समझती है···

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : महोदय, मैं जसवन्त सिंह जी से अनुरोध करना चाहता हूं···(व्यवधान) यदि वह संकल्प से सहमत हैं तो बहुत अच्छी बात है।

श्री जसवन्त सिंह : विचार-विमर्श के बाद आम राय जुटाई जाए। मैं सभा की आम राय और

प्रत्येक व्यक्ति के अनुरोध के समक्ष निश्चित रूप से समर्पित होता हूं और मैं आम राय में कोई बाधा नहीं डालूंगा। मैंने केवल अपनी बात कही है।

6.20 म० प०

खाड़ी में शांति स्थापित करने के बारे में संकल्प

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा के समक्ष निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं :

"कि यह सभा खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण हुई अपार मानवीय क्षति और इस क्षेत्र के पर्यावरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को होने वाले खतरे से अवगत है;

सभा युद्ध से हुए विनाश, जिसके कारण अनेक निर्दोष लोग मारे गए हैं, हमारों मकानों सहित नागरिक सम्पत्ति नष्ट हो गई तथा लाखों नागरिक बेघर अथवा निराश्रित हो गए हैं और बिजली के अभाव और पेयजल की बढ़ती कमी के कारण उनके स्वास्थ्य को खतरा हो गया है, पर क्षुब्ध है;

सभा को विश्वास है कि सुरक्षा परिषद के संकल्पों को लागू करके ही खाड़ी में पुनः शांति स्थापित की जा सकती है;

सभा का यह भी विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद के उचित माध्यम से उस क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने और वहां स्थायी शांति और सुरक्षा पुनः कायम करने और उसे बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है;

इस बात पर बल देते हुए सुरक्षा परिषद के संकल्पों का उद्देश्य कुवैत को मुक्त कराना है न कि इराक का दमन करना या उसके तकनीकी और भौतिक ढांचे को नष्ट करना या उसके सामाजिक और आर्थिक जीवन को पंगु बनाना है;

इस बात पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए कि भूमि युद्ध के परिणामस्वरूप इस युद्ध के और भी विनाशकारी चरण के प्रारम्भ होने की संभावना है;

इस बात पर विचार करते हुए कि परमाणु और रासायनिक शस्त्रों के संभावित प्रयोग के बारे में खाड़ी युद्ध में संलग्न विभिन्न पक्षों द्वारा वक्तव्य दिए गए हैं;

यह मानते हुए कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की एक भूमिका है और इस सम्बन्ध में सकारात्मक और त्वरित कार्रवाई की भी आवश्यकता है;

इस आशय के समाचार से प्रसन्न होते हुए कि राष्ट्रपति गोर्बाचोव द्वारा पेश की गई आठ सूत्री शांति योजना को राष्ट्रपति सद्दाम ने स्वीकार कर लिया है;

यह जानकर संतोष है कि उक्त योजना बेलग्रेड में गुट-निरपेक्ष आंदोलन की बैठक में भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए शांति प्रस्ताव से काफी मिलती-जुलती है।

सभा को विश्वास है कि पश्चिम एशिया में युद्ध तत्काल अवश्य रोका जाना चाहिए और पुनः शान्ति कायम की जानी चाहिए।

(1) भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त कराने के लिए गोर्बाचोब के प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए सुरक्षा परिषद में अन्तर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने हेतु सभी प्रयास करें और क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए कार्य करे।

(2) बहुराष्ट्रीय शक्तियों से भी यह आग्रह करती है कि गोर्बाचोब के प्रस्तावों के बारे में किए जा रहे वर्तमान प्रयासों और वार्ताओं का परिणाम सामने आने तक भूमि युद्ध आरम्भ न करें।

(3) यह प्रतिज्ञान करती है कि :

(क) सुरक्षा परिषद अपने सम्बन्धित प्रस्ताव में उल्लिखित उद्देश्यों की पृष्ठभूमि में स्थिति पर नजर रखेगी और इसकी निरन्तर समीक्षा करती रहेगी; और

(ख) सुरक्षा परिषद सभी सम्बन्धित पदों के साथ परामर्श करके क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की पुनःस्थापना करने में मुख्य भूमिका निभाएगी।

(4) यह आग्रह करती है कि सेनाओं को हटाने की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात सुरक्षा परिषद इस विषय पर सुरक्षा परिषद के संगत प्रस्तावों पर आधारित और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन को शामिल करके अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाकर अरब-इजरायली संघर्ष पर, विशेषकर फिलिस्तीनी प्रश्न पर व्यापक ढंग से ध्यान देगी; और

(5) सभा यह मानती है कि इस क्षेत्र में कोई भी क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबन्ध उन्हीं क्षेत्रीय देशों की पहल से होना चाहिए, पूरी तरह संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में होना चाहिए, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा उनकी गारन्टी दी जानी चाहिए और सर्वत्र मान्य निःशस्त्रीकरण उपायों को ध्यान में रखकर होना चाहिए।"

मुझे आशा है कि सभा इस संकल्प को सर्वसम्पति से स्वीकार करेगी।

माननीय सदस्य : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

संकल्प स्वीकृत हुआ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस संकल्प को परिचालित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

6.25 म० प०

सभा का कार्य

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि 25 फरवरी, 1991 से शुरू होने वाले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएंगे :—

1. लेखानुदान प्राप्त करने के लिए 25 फरवरी, 1991 को पूछे गए प्रश्नों के निपटाने के तुरन्त पश्चात् 1991-92 का अन्तरिम रेल बजट प्रस्तुत करना।

2. आज की कार्यसूची के बचे हुए किसी भी विषय को सरकारी कार्य में सम्मिलित करके उस पर विचार।

3. राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्तुत पर चर्चा।

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

सौ वर्ष से भी अधिक पुराने कार्नो पुल/बंदर रेलवे मालगोदाम, मुम्बई को स्वार्थपूर्ण इरादे से कुछ रेलवे अधिकारियों ने बन्द कर दिया है।

विगत अक्तूबर में कार्नो बंदर रेलवे माल गोदाम में माल गाड़ियों का आवागमन रोककर उसे बन्द कर दिया है और विगत जनवरी, 1991 से इस क्षेत्र में सभी तरह के व्यावसायिक कारोबार को रोककर रेलवे को प्रतिदिन 22 लाख रुपए के राजस्व का घाटा हो रहा है। डिपो को इस प्रकार बन्द किए जाने से प्रत्यक्ष रूप से आठ हजार परिवारों को प्रभावित किया है जिनकी प्रतिदिन की आय रेलवे माल गोदाम के लेन-देन पर निर्भर थी। इस बन्दी के कारण स्थानीय क्रेताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है क्योंकि सड़क परिवहन रेल मार्ग की तुलना में महंगा है।

मैं माननीय रेल मन्त्री से निवेदन करता हूं कि, आठ हजार परिवारों तथा लाखों मुम्बई करों जो इस बन्दी के कारण मूल्य वृद्धि का सामना कर रहे हैं, के हितों को देखते हुए कार्नो पुल और बंदर रेलवे माल गोदाम को फिर तुरन्त खोल दिया जाए।

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए :

पिछली सरकार के घोषणा के अनुसार मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण में सांविधिक विकास बोर्डों की स्थापना की जानी है। संविधान के अनुच्छेद 371(2) में सरकारी संशोधन लाकर मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ-साथ कोंकण को भी सांविधिक विकास बोर्ड की स्थापना के लिए शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. खाड़ी संकट के कारण बन्द की गई दिल्ली अहमदाबाद के मध्य चलने वाली थ्री उप-फोर डाउन (3 अप-4 डाउन) रेलगाड़ी को पुनः चालू किया जाए।

2. अजमेर में हवाई पट्टी को शीघ्र निर्माण कर उसे वायुयान सेवाओं से जोड़ा जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

कि यह सभा देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों पर चिन्ता प्रकट करती है और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार से प्रभावी प्रशासनिक एवं राजनीतिक कदम उठाने का अनुरोध करती है।

इस विषय पर अलग से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां जम्मू और कश्मीर पंजाब से उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में फैल रही है। इसलिए में माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस सत्र के इस सप्ताह में दिन व समय निश्चित करें।

[हिन्दी]

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

1. बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किए जाए तथा आम उपभोक्ताओं को खाद्यान्न, खाद्य तेल शक्कर तथा उपभोक्ता वस्तुएं उचित और सामान्य मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएं।

2. अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्ग के लोगों पर किए जा रहे अत्याचारों को रोका जावे तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करें।

6.29 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री एडुआर्डो फलीरो (मारमागाओ) : महोदय निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

खाड़ी समस्या के परिणामस्वरूप कुवैत और अन्य देशों से लौटे भारतीय नागरिकों को दुखद स्थिति पर हमें विशेष चर्चा करनी चाहिए। उन्हें यहां लौटकर आए हुए छह माह हो चुके हैं लेकिन उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं। इस सम्बन्ध में दिए गए आश्वासनों को लागू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त कुवैत से लौटे लोगों की निम्नलिखित उचित मांगों को तुरन्त पूरा किया जाए :

(a) उन्हें पासपोर्ट की सुविधा पुनः उपलब्ध कराना;

(b) जब तक खाड़ी में स्थिति सामान्य नहीं होती तब तक उनके अनिवासी भारतीय के दर्जे की अवधि में वृद्धि करना;

(c) कुवैत में पैदा हुए भारतीय बच्चों के जन्म का पंजीकरण करना।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : माननीय सभापति महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :—

उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों की, जिनकी जनसंख्या चालीस लाख है, के द्वारा पिछले काफी समय से पर्वतीय राज्य उत्तरांचल की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों को उपयुक्त विकास तथा राजनैतिक व प्रशासनिक दृष्टि से न्याय नहीं मिल पा रहा है। यह क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच में है तथा इसकी अलग पहचान है। आर्थिक दृष्टि से विपन्न होने के कारण पलायन भी हो रहा है, जो देश की रक्षा के लिए खतरा है।

अतः मेरा सुझाव है कि सरकार इस क्षेत्र के लिए उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव करे।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जाए :

1. खेतिहर मजदूरों के लिए समान मजदूरी के मुद्दे को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

2. सरकार की परमाणु नीति के सम्बन्ध में।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया, उस पर सरकार पूरा ध्यान देगी और जो कुछ सम्भव होगा वह किया जाएगा।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : सभापति महोदय, कल नई दिल्ली नगरपालिका के एक स्कूल के कुछ बच्चों को खराब दूध मिलने के कारण उनकी हालत बिगड़ गई थी।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी विधेयकों को चर्चा के लिए ले रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

अब विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम—उपस्थित नहीं।

श्री हरीश रावत—उपस्थित नहीं।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति।

6.31 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(पांचवीं अनुसूची में संशोधन)

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

6.31½ म० प०

उपभोक्ता संघ (रजिष्ट्रीकरण) विधेयक*

प्रो० राम गणेश कापसे (ढाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपभोक्ता संघों के रजिष्ट्रीकरण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ता संघों के रजिस्ट्रीकरण तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० राम गणेश कापसे : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 22-2-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2 खंड-2, में प्रकाशित।

6.32 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 371 में संशोधन)

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने को अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० वेंकटेश काबड़े : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

6.32½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 324 इत्यादि में संशोधन)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

6.33 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक*

(अनुच्छेद 316 आदि में संशोधन)

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन

* दिनांक 22-2-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 2 में प्रकाशित।

करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

6.33½ म० प०

बाल-श्रम पाबन्दी विधेयक*

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ोदा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बाल-श्रम पर पाबन्दी लगाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बाल-श्रम पर पाबन्दी लगाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

6.34 म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

(धारा 8 क में संशोधन)

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

---

* दिनांक 22-2-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वामनराव महाडीक : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

6.34½ म० प०

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर विशेष-कर विधेयक*

श्री के० राममूर्ति (कृष्णगिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि बेरोजगारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर विशेषकर का उद्ग्रहण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बेरोजगारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर विशेष कर का उद्ग्रहण करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री के० राममूर्ति : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

6.35 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक*

(अनुसूची में संशोधन)

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर (चिमूर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 22-2-1991 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"कि संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

प्रो० महादेव शिवनकर : सभापति महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

6.35½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 341 और 342 में संशोधन)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा श्री राम लाल राही द्वारा 28 दिसम्बर, 1990 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगी, अर्थात् :—

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री राम लाल राही बोल रहे थे।

[हिन्दी]

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, मैंने सदन में जो संविधान संशोधन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में और संशोधन करने के सम्बन्ध में, पेश किया है, उस पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा था। उसी सन्दर्भ में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों की जो राज्यवार सूची बनी है, वह मेरे पास मौजूद है। इस सूची में, मैं आपको राज्यवार गिनाना चाहूंगा कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां कितनी-कितनी हैं। आन्ध्र प्रदेश में 59 अनुसूचित जातियां और 33 अनुसूचित जनजातियां हैं। असम में 16 अनुसूचित जातियां और 14 अनुसूचित जनजातियां हैं। बिहार में 23 अनुसूचित जातियां और 30 अनुसूचित जनजातियां पायी जाती हैं। गुजरात में अनुसूचित जातियों की संख्या 30 और जनजातियों की संख्या 29 है। इसी तरह हरियाणा में इनकी संख्या 37 है। हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां 56 और जनजातियां 8 हैं। इसी तरह दूसरे प्रदेशों में भी हैं, यदि मैं प्रत्येक राज्य के विषय में पूरा ब्यौरा पढ़ूंगा तो उसमें काफी समय लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में कुल मिलाकर 1643 अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, जिनमें से, अगर देखा जाए तो मात्र पांच से 7 परसेंट जातियां ऐसी हैं जो अपने पड़ोसी राज्यों में भी पायी जाती हैं, अन्यथा वे अपने मूल राज्य में ही पायी जाती हैं। श्रीमन्, यदि आप इस पूरी लिस्ट को देखें, यद्यपि यह लिस्ट राज्यवार बनी है, इस सूची में कई राज्य ऐसे हैं, जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, केरल है, यदि और विस्तार में जाऊं तो मध्य प्रदेश में धोबी जाति भी लिखी है परन्तु धोबी जाति के लोग भोपाल, रायसेन और सिहोर जिलों में ही केवल पाए जाते हैं, ऐसा हमें लिखा मिलता है और इन जिलों में ही

धोबी जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का माना गया है, शेष राज्य में नहीं। यानी पूरे राज्य में धोबी जाति के लोगों को अनुसूचित जातियों की सूची में नहीं माना जाता है, जिस राज्य के ये लोग मूल निवासी हैं। इसी तरीके से श्रीमन्, आप देखेंगे कि तमिलनाडु में एक अय्यनवर जाति पायी जाती है, जिस जाति के लोग कन्याकुमारी और तिरूनलवेली जिलों में ही अनुसूचित जाति के अन्तर्गत माने जाते हैं, शेष तमिलनाडु राज्य में इन्हें अनुसूचित जाति के अन्तर्गत नहीं माना जाता। ऐसे ही, तमिलनाडु राज्य में दूसरी कई जातियां ऐसी हैं, जैसे बक्कलन है, कावरा है, कूरन है, मन्नन है, पन्नयन है, पथियन है, खण्डन है, जो अनुसूचित जाति में आती है, जिन जातियों को मैं गिना रहा हूं, वे यद्यपि अनुसूचित जातियों की सूची में आती हैं परन्तु इन जातियों को उस राज्य के एक सीमित क्षेत्र में ही अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है, उसी राज्य के दूसरे जिलों या भागों में यद्यपि ये लोग जाकर बस रहे हैं परन्तु वहां पर इन जातियों को शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी राज्य हैं और केन्द्र शासित प्रदेश हैं उन सभी में जो अलग-अलग इन जातियों की सूचियां बनी हैं, वे चाहे प्रदेशवार हों या क्षेत्रवार हों इनको अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में माना गया है।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह था कि आज 42 साल की आजादी के बाद देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को इतना तो मौका मिला ही है कि वे अब स्वतन्त्र रूप से देश के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं और रह रहे हैं और बसे भी हैं तथा अपने-अपने काम-धन्धे वहां इन्होंने अपनाए हैं। अब जाना क्यों पड़ा, किसलिए पड़ा, यह प्रश्न एक अलग प्रश्न है। इसके मूल में बात यह है कि जहां ये लोग रहते थे, वहां इनको रोजगार नहीं मिला, इसलिए काम की तलाश में दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, दूसरी, शोषक मनोवृत्ति के लोग जो रहे हैं, जिन्होंने इनका स्थानीय स्तर पर उत्पीड़न शुरू किया, यह बात रही है। इन उत्पीड़नों से बचाव के कारण ये एक जिले से दूसरे जिले में जाकर रहे और वहां पर रोजी-रोटी कमाने के लिए, अपने काम धन्धे तलाश किए और तब से ये वहीं रह रहे हैं और इन लोगों को ऐसे स्थानों में रहते-रहते 20-20 और 25-25 साल हो गए हैं। वहां ही इनके शादी-विवाह हुए, सन्तानें पैदा हुईं। अब जब वे अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, उनको पुस्तकीय सहायता आदि की आवश्यकता पड़ती है, तो न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्र सरकार उन लोगों को अनुसूचित जाति या जनजाति को मिलने वाली सुविधाएं देती है। यदि लड़का पढ़ जाए, नौकरी के लिए आवेदन दे, तो आरक्षण की सुविधा उसको उस राज्य में या प्रदेश में नहीं मिलेगी, ऐसा क्यों है ?

श्रीमन्, इसीलिए मेरा निवेदन आपके माध्यम से इस सरकार से यह है कि मेरे द्वारा दिए गए संशोधन को स्वीकार किया जाए। इस बिल में मैंने दो बातों का जिक्र किया है कि पासी और धोबी, ये ऐसी जातियां हैं जो अब हिन्दुस्तान के प्रत्येक राज्य और हर राज्य के प्रत्येक खण्ड में जाकर बसी हैं और अपना काम-धन्धा करना शुरू किया है। मैंने इस बिल में लिखा है—खटीक, कोरी, कंजड़, ये सब जातियां देश में हर जगह मिलेंगी। ये चाहे किसी व्यक्ति के यहां नौकरी कर रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं या किसी सरकारी नौकरी में लग गए हैं या कोई और अपना काम-धन्धा करना शुरू कर दिया है। इसलिए इनको सभी स्थानों पर अनुसूचित जाति में माना जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं पासी, कोरी, धोबी, खटीक और कंजड़ ये जातियां उत्तर प्रदेश की सूची में तो हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की सूची में नहीं हैं। इसी प्रकार से आसाम में कोरी, खटीक और कंजड़ जातियां सम्मिलित नहीं हैं। इसी प्रकार से धोबी और कोरी तथा कंजड़ जातियां गुजरात की सूची में नहीं हैं। धोबी जाति

हरियाणा की सूची में सम्मिलित नहीं है, जब कि आप जानते हैं कि आज के जमाने में देश में कोई ऐसा बड़ा नगर नहीं है, कोई ऐसा टाउन नहीं है, जिसमें इन जातियों के लोग न रह रहे हों। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में गए और वहीं बस गए और वहीं के एक तरह से मूल निवासी बन गए। इसलिए मान्यवर मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जो संशोधन मैंने इसके माध्यम से लाने का प्रयास किया है, उस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे और संविधान की धारा 341 और 342 में जो परिभाषा दी है, उसको संशोधित कर के, आज के समय में जितनी भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां हैं, इन वर्गों के लोग हैं, उन सभी को राष्ट्रीय-स्तर पर देश के हर प्रदेश में और हर प्रदेश के हर खण्ड में अनुसूचित जाति या जनजाति, जैसी भी जिसकी स्थिति है, और जो सूची में दर्शाया गया है, उसके अनुसार माना जाना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इस तरह के निर्देश जारी करे और इस प्रकार का कोई संशोधन लाए, जिससे जितनी भी देश भर में अनुसूचित जाति और जनजातियां हैं, उनकी एक राष्ट्रीय-सूची प्रकाशित होनी चाहिए। यह जरूरी भी है। मैं इसलिए यह बात कहना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में चाहे पंजाब, कश्मीर, आसाम हो या देश के कोई दूसरे राज्य हों, बोडो समस्या है, जातिगत समस्या, अलगाववाद की समस्या पैदा हो गई है। पंजाब में खालिस्तान की समस्या पैदा हो गई है। इसी तरह से दूसरी जाति और वर्ग के लोग जहां समूह के रूप में रह रहे हैं, बिखराव के अवसर नहीं मिले, सरकार ने उनको सुविधाएं नहीं दीं, उनकी तरफ ध्यान नहीं गया तो उन लोगों में एक तरह से बगावत की भावना पैदा हो गई है। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, जनजाति का व्यक्ति भारत के प्रति अपनी श्रद्धा रखे और यह तभी सम्भव है जब भारत की सरकार, भारत के जिम्मेदार लोग, इस देश को चलाने वाले लोग इन वर्गों के लोगों के लिए उचित सुविधाओं की व्यवस्था करें।

सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नाम पर बार-बार सदन में विचार हुआ है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी केन्द्र शासित राज्य में आरक्षण के नाम पर कोताही बरती गई है और जब बहुत ज्यादा पूछताछ की गई तो कहने लगे कि योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए बिहार में योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो कम से कम दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तो योग्य व्यक्ति मिलते, पश्चिम बंगाल में तो मिलते। आज आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय अखंडता के परिप्रेक्ष्य में देश में जो अलगाववाद की स्थिति पैदा हो गई है उसे सरकार को, सदन को सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग में आने वाले लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दें, राष्ट्रीय स्तर की सूची बनाएं ताकि उनको दी जाने वाली सुविधाओं से उन्हें वंचित न रहना पड़े। इसलिए मैं यह संशोधन लाया हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में न मालूम कितने अनुसूचित जाति के लोग बस गए हैं। मैं वहां गया हूं, मैंने वहां जाकर लोगों से मिलकर बात की है। लोग दैनिक मजदूरी पर प्राइवेट उद्योगों में लगे हुए हैं, उनके लड़के पढ़-लिख गए हैं। एक कमेटी सर्वे करने गई थी। शेड्यूल कास्ट के लोगों के आरक्षण की जब बातचीत की गई तो पता चला कि कोई दरख्वास्त देने वाला भी नहीं है। वहां जो अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग रह रहे हैं उस टापू की सूची में उनको शामिल ही नहीं किया गया है तो आरक्षण कहां से पूरा हो। मेरी प्रार्थना है कि मैंने जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है उसके बारे में मैं सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि जिन जातियों का मैंने पूर्व में उल्लेख किया है उन अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की राष्ट्रीय सूची बनने की आवश्यकता है ताकि उनको आगे बढ़ने का, विकास करने का और राष्ट्र की मुख्य धारा में आने का अवसर मिल सके। इतना ही नहीं उन्हें इसके द्वारा देश के किसी भी हिस्से में सुविधा पूर्वक रहने तक का अवसर मिल सके जिससे वह

यह महसूस कर सकें कि यह सारा हिन्दुस्तान हमारे लिए है और हम हिन्दुस्तान के लिए हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रख कर मैंने यह बिल पेश किया है। मैं इसके लिए आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप जोरदार तरीके से इस बिल को स्वीकार करें। तभी हम और कमजोर व पिछड़ी जाति के लोग यह महसूस कर सकेंगे कि सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने जब राम विलास पासवान जी समाज कल्याण मन्त्री थे तो वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में कुछ जातियों को सम्मिलित करने का एक बिल लाए थे। उस बिल के तहत वह जातियां सम्मिलित की गईं जो नव-बौद्ध बन गए थे। उन्होंने उस बहस में हिस्सा लेते हुए यह बात कही थी कि धर्म परिवर्तन से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदल जातीं। मैं समझता हूं कि वह बात सौ फीसदी सही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यह कहना चाहूंगा कि स्थान परिवर्तन से भी उस व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां नहीं बदल जातीं चाहे वह पासी हो, धोबी हो, कुम्हार हो या चमार हो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने पर या एक गांव से दूसरे गांव में जाने पर उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। क्या वजह है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर उसे अनुसूचित जाति या जनजाति का मान कर नहीं चला जाता है? अतः आवश्यकता इस बात की है कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर एक लिस्ट बननी चाहिए। अगर वे राष्ट्र के किसी भी हिस्से में जाना चाहें तो उनको अनुसूचित जाति या जनजाति की सुविधाएं मिलनी चाहिएं।

मैं बहुत समय नहीं लेना चाहता, माननीय चौधरी साहब के हुक्म की तामील तो करनी ही है इसलिए मैंने अपने भाव व्यक्त कर दिए, इस बिल के सम्बन्ध में। बिल में मुख्य रूप से जिन जातियों का मैंने उल्लेख किया था, उनके बारे में मैंने बता भी दिया कि बहुत से राज्यों में यह अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जिन जातियों का मैंने उल्लेख किया है, इनको निश्चित रूप से इस संशोधन को स्वीकार करके अनुसूचित जाति, जनजाति की सूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

मैं पुनः यह जोर डालकर कहना चाहूंगा, माननीय चौधरी साहब से, कि मेरी बात से आप सहमत हों तो कृपा करके इस सम्बन्ध में अगर मेरे बिल को स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो तो एक व्यापक बिल इस तरीके का लाएं, एक ऐसा बिल लाएं जिसमें सभी जातियों का, जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से आती हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल सके और वह जहां भी जाकर बसें, रहें, वहां उनको अनुसूचित जाति, जनजाति का माना जाए और जो सुविधाएं अनुसूचित जाति, जनजाति के नाम पर उस राज्य में रहने वाले लोगों को मिलती हैं, दूसरे राज्य में बसने पर भी वह सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री और कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामजी लाल सुमन) : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मित्र राम लाल जी राही को यह गलतफहमी तो नहीं हो गई कि उनका जो काम है, वह कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित है, जिसकी वजह से वह बार-बार चौधरी साहब को सम्बोधित कर रहे हैं?

श्री राम लाल राही : नहीं, मैं मन्त्रालय से सम्बन्धित होने के नाते नहीं, देश के उप-प्रधान मन्त्री के नाते बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मैं श्री राम लाल जी राही के द्वारा संविधान के 341 और 342वें अनुच्छेद के अन्दर एक परन्तुक जोड़ने के सम्बन्ध में जो संविधान संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि, उसके पीछे जो भावना है कि हमारे यहां संविधान के अन्दर जिन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि वह शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अनेकों सदियों से दबी हुई कौमें हैं। उन कौमों को समाज के अन्दर समान स्तर पर लाया जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर प्रदान किए जाएं और उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसी भावना को लेकर यह आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अन्दर की गई थी और उसके अन्तर्गत जो संविधान की धारा 341 और 342 हैं उनके अन्दर जातियों को गिनाया गया था कि अनुसूचित जाति में यह है, अनुसूचित जनजातियों में यह है।

दुर्भाग्य से सन् 1947 में जब संविधान बन रहा था तो उस समय जिन जातियों के अन्दर कुछ नेताओं की पहुंच थी, उन लोगों ने उन पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को कुछ को तो सम्मिलित करा दिया और कुछ को उमसे वंचित करा दिया। कुछ नाम जो प्रचलित थे, उन जातियों के कुछ स्थानों के अन्दर तो उनको अनुसूचित जाति या जनजातियों में सम्मिलित कर लिया गया परन्तु उन्हीं जातियों में जो समूह थे, जो उप-समूह थे, जो जातियां थीं या प्रजातियां थीं, जो उप जातियां थीं उनको सम्मिलित नहीं किया गया। बाद में उन उप जातियों को जो उन्हीं अनुसूचित जातियों में सम्मिलित की गई जातियों से सम्बन्धित थीं, जब वहां के बालक या वहां के लोग जाते थे तो कहते थे कि तुम्हारा नाम तो इस सूची में नहीं है, जबकि वह उसी जाति से सम्बन्धित हैं, सारा समाज उनको हेय दृष्टि से देखता है, समाज के अन्दर उनको दरिद्र समझा जाता है और उनके साथ अस्पृश्यता का बर्ताव किया जाता है, यह आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से वह पिछड़े हुए हैं, इसके बावजूद भी उन लोगों के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा व्यवहार नहीं हो पाता था तो संविधान में जो संशोधन चाहा गया है, इसके पीछे जो भावना है कि एक जाति को या एक जनजाति को, चाहे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर अधिसूचना जारी करके अथवा राज्यपाल से परामर्श करके किसी राज्य सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है, जातियों की सूची के अन्दर, अगर एक राज्य के अन्दर वह जाति एस० सी० या एस० टी० के अन्दर है और उसी जाति का व्यक्ति रोजगार की तलाश में, अपनी आजीविका ढूंढने के लिए या शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अन्य राज्य में जाता है और वहां पर जब उसे यह कहा जाता है कि यह सुविधा उसको प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि, हमारे राज्य की अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूची में तुम्हारी जाति के नाम का उल्लेख नहीं है तो उसे बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है जबकि वह सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है।

मुझे दुर्भाग्य से, खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो लोग या जो दल समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए या दलितों के उत्थान के लिए जोर-जोर से बातें करते हैं, उनमें से आज बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। अगर उनके मन में अपने क्षेत्र के पिछड़े लोगों के प्रति, दलितों के प्रति सच्ची सहानुभूति होती तो वे आज इस बात को यहां अवश्य रखते···

7.00 म० प०

क्योंकि मैं स्वयं उस वर्ग में न रहते हुए भी, मैं जब मेरे क्षेत्र के अन्दर जाता हूं तो वहां एक भांड जाति के लोग रहते हैं, वे कहते हैं कि हमारे ढोली, हमारे जाचक, हमारे भांड इनका तो एस० सी० के अन्दर नाम आ गया है, लेकिन हमारे जो भाट लगाने वाले लोग हैं, हम जो नाम के आगे भाट लगाते हैं, तो हमारा नाम इस सूची में नहीं आया है। हम जो भाट लगाते हैं, उनको नहीं मानते हैं, लेकिन जो ढोली और जाचक लगाते हैं, उनको मानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो नाम रह गए हैं, उनको तो जोड़ा ही जाए। परन्तु जहां एक जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में केन्द्र के संविधान में उल्लेख किया गया है या किसी राज्य के अन्दर एस०सी० या एस०टी० के अन्दर है, उस जाति का व्यक्ति अगर देश के किसी भी क्षेत्र में जाता है, पंजाब से लेकर तमिलनाडु तक या असम से लेकर गुजरात तक, तो उसको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का अवश्य मानना चाहिए तथा उनके लिए जो प्रावधान हैं या जो सुविधाएं हैं, जैसे बैंक से लोन के सम्बन्ध में है, चाहे पढ़ाई के सम्बन्ध में है या चाहे छात्रवृत्ति के बारे में है, उनसे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए मैं अपने दल की ओर से श्री राही जी के द्वारा जो संविधान में संशोधन अनुच्छेद 341 और 342, पेश किया गया है, परन्तु के साथ विभिन्न जातियों को जोड़ा जाना चाहिए।

मैं राजस्थान के बारे में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। राजस्थान में एक मीणा जाति है, जो अनुसूचित जनजाति में आती है। राजस्थान में तो उसको एस०टी० में मान लिया गया है, लेकिन मीणा जाति के लोग जो दिल्ली के अन्दर रहते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर रहते हैं या मध्य प्रदेश के अन्दर रहते हैं या मेणा नाम से मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र राज्य के अन्दर रहते हैं, वहां उनको अनुसूचित जनजाति के अन्दर नहीं माना गया है। इसी तरह से उदयपुर जिले में आदिवासी क्षेत्र में रावत मीण नामक जाति के जो लोग रहते हैं, उनको एस० टी० के अन्दर शामिल कर लिया गया है। लेकिन जो लोग उदयपुर जिले में हैं, या अजमेर जिले में आबाद है या पाली जिले में आबाद है, उनको आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में या अनुसूचित जनजाति के अन्दर शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं, उनका परिमार्जन अवश्य किया जाना चाहिए और यदि कोई एक राज्य की सूची में हो, तो उसको सारे राष्ट्र में माना जाना चाहिए तथा सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे भावना, आरक्षण का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता का उन्मूलन, समाज में समानता का वातावरण और जातिभेद का अन्त होना चाहिए। महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती और स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज ने समाज के अन्दर एक आवाज उठाई थी—अज्येष्ठास और अकनिष्ठास—यानि, न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, सारा समाज एक है। हमारे ऋषियों-मुनियों ने व्यक्ति का समाज के अन्दर निर्माण करने के लिए, सर्वांगीण विकास करने के लिए वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी। दुर्भाग्य से वर्ण-व्यवस्था डिवीजन-आफ-लेबर पर आधारित नहीं रही। यही डिवीजन आफ लेबर जब वर्ण व्यवस्था में बदल गया तो देश के लिए कोढ़ बन गया और हमारा सारा भारतीय समाज 3600 जातियों और उप-जातियों में बंटा हुआ है। इसलिए अन्त में मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि संविधान के अन्दर इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाए और इस प्रकार की त्रुटियां जहां कहीं भी हैं, उनको निर्धारित सूची में परिगणित किया जाए।

श्री युवराज (कटिहार) : सभापति जी, माननीय सदस्य, श्री राही जी, द्वारा संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में जो संविधान संशोधन पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इसके पक्ष में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यों की विभिन्न सूचियों में, अगर एक राज्य में एक जाति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में हैं, तो दूसरे राज्यों में उसका नाम सूची में नहीं है या राज्य के उस जिले में जहां पर कि एक जाति अनुसूचित जाती मानी जाती है, दूसरे जिले में उसको नहीं माना जाता है, जो इस प्रकार की स्थिति है, यह आपस में मेल नहीं खाती है। आवश्यकता इस बात की है कि सूची इस प्रकार से बनाई जानी चाहिए कि आपस में सामन्जस्य बैठ सके। आर्थिक दृष्टिकोण से या शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, उनको अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। सभापति जी, आपको मालूम है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण का लाभ इनको मिलना चाहिए, यूनिफार्मिटी की कमी के चलते वह लाभ उनको समुचित रूप से नहीं मिल पाता। हमारे यहां मजदूरी करने वाली चसोर जाति है, बंगाली भाषा बोलते हैं, बंगाल से आकर नदी के किनारे-किनारे बिहार के राजमहल से लेकर किशनगंज के इलाके में बस गए हैं। इसी तरह से देसिया-पोलिया भी पिछड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन इनको भी बिहार में मान्यता नहीं दी गई, जबकि बंगाल में दी गई है। इसी तरह से मुड़ियारी जाति के लोग हैं जो देखने से ही पिछड़े और उपेक्षित नजर आते हैं, इन जातियों का कोई भी व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि इन उपेक्षित लोगों को विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341-342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्यपाल या केन्द्र शासित क्षेत्र में राज्यपाल को सलाह से सूचना जारी करके जातियों को जनजातियों या अनुसूचित जातियों में शामिल करा सकते हैं और उनको अनुसूचित जाति या जनजाति के रूप में मान्यता मिल सकती है। लेकिन होता यह है कि अभी पिछले महीने भारत सरकार ने कुछ राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कुछ दलित जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में शामिल करने के निर्देश दिए, लेकिन उसमें भी चसोर, देसिया पोलिया और मुड़ियारी जातियां छूट गई। हमारे कल्याण राज्य मन्त्री अभी हाल में बिहार के उस इलाके में गए थे, इनको पता है या नहीं, बिहार में ट्राइबल सब प्लान केन्द्रीय सहायता से 14 जिलों में चलता है, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए, लेकिन बिहार के मुख्यमन्त्री के मन्त्रीमण्डल की बैठक बुलाकर साढ़े 3 करोड़ रुपया इस फण्ड का मारुति-वाहन खरीदने के लिए डायवर्ट करवा लिया। रीजनल डेवलपमेंट कमिश्नर श्री सुवर्णो ने कहा कि यह नहीं किया जा सकता, चीफ सेक्रेट्री रैंक के आफिसर हैं, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को पावर नहीं है कि ट्राइबल सब प्लान में जो पैसा अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए दिया गया है, उसको मारुति वाहन खरीदने के लिए डायवर्ट किया जाए, जिनका उपयोग अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए नहीं होना है, यह काम 20 दिन पहले हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से नोटिस लिया जाए और राज्य सरकार से पूछा जाए कि जो पैसा ट्राइबल सब प्लान के लिए आवंटित किया गया था, उसको क्यों डायवर्ट किया गया।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जिन जातियों के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया है, उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। 1951 से लेकर 1978 तक जनजातियों के बारे में 14 बार और अनुसूचित जातियों के बारे में 6 बार राष्ट्रपति जी द्वारा आदेश जारी किया गया है कि इन जातियों को विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से मेरा कहना है कि बिहार में चसोर, देसिया-पोलिया और मुड़ियारी आदि जातियों की जांच करवाकर शीघ्र इनको भी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए।

इन शब्दों के साथ संविधान के अनुच्छेद 341-342 में संशोधन करने के लिए यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री राम लाल राही ने संविधान संशोधन पर इस चर्चा ो उठाया है। संविधान के अनुच्छेद 341 में देश के कुछ विशेष भागों में कुछ विशेष समूहों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है। वे कहना चाहते थे कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने का मुख्य ध्येय इसे सामान्य करना था। इस प्रकार संविधान का अनुच्छेद 341 और 342 एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। श्री राही को संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों का संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए था। मैं यह भी नहीं जानता कि इस विधेयक को विशेषज्ञों की कानूनी अथवा संवैधानिक सलाह के लिए क्यों नहीं भेजा गया। संविधान के अनुच्छेद 341 और 3-2 का भाव काफी स्पष्ट है और इन अनुच्छेदों का अभिप्राय देश के कुछ भागों में कुछ विशेष समूहों को अतिरिक्त सुरक्षा देना है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में, माननीय सदस्य ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में धोबी और पासी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में पहचाने जाते हैं और इसलिए, देश के अन्य भागों में भी उन्हें इसी सूची में शामिल किया जाना चाहिए। जब उत्तर के कुछ क्षेत्रों की तुलना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से की जाती है, तो हम बहुत अन्तर पाते हैं। आंध्र प्रदेश में, धोबियों में दो प्रकार के धोबी हैं, अनुसूचित जाति के धोबी और सवर्ण धोबी। यदि धोबियों में इस प्रकार के वर्ग हैं, तो मैं नहीं जानता कि ये संशोधन इन सभी धोबियों और पासियों को अतिरिक्त समर्थन कैसे दे सकते हैं।

इसके अलावा, कर्नाटक में, वडेरा जाति को अनुसूचित जाति माना जाता है और आंध्र प्रदेश में उन्हें पिछड़ी जाति में शामिल किया जाता है। देश के अन्य भागों के धोबियों और वडेरा जाति के लोगों के लिए मेरी पूरी सहानुभूति है। किन्तु, यदि आप इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करना चाहते हैं, तो देश के विभिन्न भागों में अन्य कई गरीब लोग भी हैं। ऐसे बहुत से ब्राह्मण हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं। उन्हें भी सरकार से सहानुभूति और सुरक्षा की आवश्यकता है। यह अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 धोबियों और पासियों की कुछ अधिक मदद नहीं करते। आंध्र प्रदेश और देश के विभिन्न भागों के इसाई भी अनुसूचित जातियों में शामिल होना चाहते थे। हाल ही में, नव-बौद्धों को भी इस श्रेणी में शामिल करने के लिए संसद में एक संशोधन पेश हुआ था। बहुत से अन्य लोग भी अनुसूचित जाति के रूप में अपनी पहचान चाहते हैं। यह एक जादुई पिटारा है। यदि किसी राजनैतिक अथवा अन्य दबाव से आप इसे खोलते जाएंगे तो हम राष्ट्र के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे।

इसलिए, मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से संशोधन प्रस्तुत करने के स्थान पर, श्री राही को धोबियों और अन्य पिछड़ी जातियों की विशेष सुरक्षा के लिए संशोधन प्रस्तुत करना चाहिए था। सरकार की ओर से इन लोगों को कोई अन्य सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए थी। मेरे विचार में, इस संशोधन को प्रस्तुत करते समय श्री राही पूर्ण रूप से दिग्भ्रमित थे। इन शब्दों के साथ मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रेम प्रदीप (नवादा) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले श्री राम लाल राही जी

को धन्यवाद दे दूं, क्योंकि इन्होंने बिल लाकर संविधान के 341 और 342 अनुच्छेद में संशोधन करने की पेशकश की है। यह बहुत छोटा-मोटा संशोधन है। लेकिन यह देखने में छोटा-मोटा लग सकता है पर "देखन में छोटन लगे, घाव करे गम्भीर" वाली बात इसमें है।

यह मानी हुई बात है कि इस देश के अन्दर हम किसी भी स्टेट में जाकर बस सकते हैं, कहीं भी अपनी रोजी और रोटी कमा सकते हैं। संविधान के अन्दर अनुसूचित जाति या जनजाति के बारे में व्यवस्था की गई है। मुझे पता नहीं कि उत्तर प्रदेश का एक वासी बंगाल में जाकर जब अपना रोजगार चलाता है तो वहां वह अनुसूचित जाति में नहीं गिना जाता जबकि उत्तर प्रदेश में वह अनुसूचित जाति में गिना जाता है। कौन सा उसमें सुरखाब का पर लग जाता है कि जिससे उसको अनुसूचित जाति से बाहर किया जाता है। इसी तरह से पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर, पूरे भारत के अन्दर जितने भी राज्य हैं या जितने केन्द्र शासित प्रदेश हैं तो उन राज्यों में हरिजन, अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो यह विचारणीय प्रश्न होता है कि जहां एक राज्य में अनुसूचित जाति के हैं तो वह कारण क्या हैं। किस कारण से उस स्टेट के अन्दर अनुसूचित जाति में रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि वह सामाजिक तौर से पिछड़ा हुआ या बिछड़ा हुआ है। उस वजह से सामाजिक न्याय नहीं दिया जाता रहा है। इसी आर्थिक या शैक्षणिक दृष्टिकोण से वह पीछे है। जब हम इसको आधार बनाकर देखते हैं तो उन जातियों को जो दूसरे राज्यों में बस गए हैं, उधर देखना होगा। उनको भी जो अनुसूचित जनजातियों को सुविधा मिलती है तो उसको भी वहां मिलनी चाहिए। मैं बिहार से आता हूं। बिहार के बहुत सारे अनुसूचित जाति के लोग खेत मजदूर हैं। वे हरियाणा और पंजाब में जाते हैं। वे इसलिए जाते हैं कि जमींदारों की ओर से जुल्म किया जाता है, बहुत कम मजदूरी दी जाती है, वह अपना पेट नहीं पाल सकता। हरियाणा, पंजाब या बंगाल में कुछ अच्छी मजदूरी मिलती है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसकी जाति पिछड़ी हुई है। आर्थिक तौर से टाटा, बिरला और गोयनका बन गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में जाटव और जाट के बीच झगड़ा हुआ। जाटव हरिजनों में आते हैं और जाट उसमें नहीं गिने जाते। यह मात्र सवाल था कि जाटव जाति का लड़का घोड़े पर चढ़कर बारात में जा सकता है या नहीं। जाटों में एक बात है कि वे अपने को अपर-कास्ट समझते हैं और हाथी, घोड़े या अपने गांवों से जाने की बात करते हैं। 43 वर्ष की आजादी के बाद भी आज सामाजिक व्यवस्था वही है। जो पिछड़े हुए हैं या आर्थिक तौर से दबे हुए हैं या जिनकी गणना नही हुई है तो एक राज्य के अन्दर उनको देखना होगा। उनको अनुसूचित जाति में लाकर एक सामाजिक न्याय और व्यापक दृष्टिकोण हो सकता है। किसी भी सरकार के लिए यह अच्छी बात हो सकती है। एक व्यापक दृष्टिकोण से उसको देखें। 341 और 342 आर्टिकल का संशोधन करके एक नया संशोधन दे जिससे यहां के लोगों को और अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को सामाजिक आधार मिल सके और उसे आगे बढ़ने में सुविधा हो सके। संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष तौर से उल्लेख किया गया है। अगर कहीं कोई बात छूट जाती है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बताया कि जिनके नेता आगे बढ़े हुए होते हैं उनकी तो पूछ होती है और विकास भी हो जाता है, लेकिन जिन जातियों के नेता आगे बढ़े होते वे पीछे रह जाती हैं। इसलिए नेता की बात नहीं होनी चाहिए, उसका सामाजिक आधार बनाकर उसको देखना चाहिए, समदृष्टि से देखने की बात होनी चाहिए। जब तक हम इस दृष्टि से नहीं देखेंगे तो आज जो रोना हम रोते हैं अनुसूचित जाति के बारे में वह केवल घड़ियाली आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं हो सकता है। उप-प्रधान मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, इनसे मैं काफी उम्मीद करता हूं कि इनके नेतृत्व में और इनकी रहनुमाई में पूरे राज्यों की सूची एक ही आधार पर तैयार की जाए और फिर उस सूची को एक राष्ट्रीय पैमाने पर उसमें अनुसूचित जाति और जनजातियों को जोड़ दिया जाए,

बगैर राज्य के भेदभाव किए यह काम होना चाहिए। यही मेरी इनसे आखिरी अपील है। बस इतना ही मैं कहना चाहता था।

श्री थान सिंह जाटव (बयाना) : माननीय सभापति जी, माननीय राही जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है और उसमें जो परन्तुक जोड़ने की दलील पेश की है उससे मैं सहमत हूं और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहेब अम्बेडकर के सामने इस तरह के बहुत सारे सवाल प्रस्तुत किए गए कि जो लोग सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको आप क्या सुविधाएं देने वाले हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यह आई कि ऐसी सूची बनाई जाए जिसमें जो सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग है उनको शामिल किया जाए और शेष ऐसे लोगों को भी सूची में शामिल किया जाए जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं थे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे। इस तरह संविधान के साथ अनुसूचियां जोड़ी गई और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां बनाई गयीं। इनके साथ-साथ घुमक्कड़ जातियां भी हैं जो सारे हिन्दुस्तान में घूमती हैं। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जिनको जरायम पेशा जाति कहा जाता है। इन सबको दो सूचियों में शामिल किया गया। यह बड़े अचम्भे की बात थी। जैसे राजस्थान में अजमेर मे कुछ जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं, लेकिन उसी राज्य के दूसरे जिले में उनको उस जाति में शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए जो जाति किसी दूसरे जिले में जाती है तो वह दूसरे जिले की अनुसूचित जाति में नहीं आती थी, उसको कोई रिकोग्नीशन नहीं मिलती थी। उसके बाद 1956 में संशोधन हुआ, उसमें एकरूपता आई और अनुसूचित जाति और जनजातियों को अलग-अलग कर दिया गया। अभी बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो अनुसूचित जाति में शामिल नहीं की गई है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। केशोराय पाटन और नैणवा, मांगरोन, कोटा, बूंदी आदि स्थानों में कुछ जातियां है जो नट, भाण्ड, भंगी, डोम और कंजर की तरह अपना पेशा करती हैं और उन्हें भक्तन, भक्त, जोगा कहा जाता है, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति बहुत खराब है, बहुत छुआछूत होती है, उनको कुओं पर पानी भरने नहीं दिया जाता है और मन्दिर में नहीं जाने दिया जाता और उनको यह भी कहा जाता है कि मन्दिर के सामने जो सड़क है, वे उस पर नाचें, गाएं लेकिन उनको किसी सूची मे न शामिल होने के कारण कोई सामाजिक और आर्थिक न्याय नही मिल पाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वे भगन, मलिन, जोगन और देवदासी जाति को भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए नहीं तो उनके बच्चे भी पिछड़े हुए रह जाएंगे और उनको भी कोई सुविधा नहीं मिल पाएगी। उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहूंगा कि जब मन्दिर में पूजा होती है तो पके हुए चावल की खिचड़ी जमीन पर बिखेर दी जाती है, कोली जाति के लोग जो खुद अनुसूचित जाति में हैं, वे उस चावल को समेट कर ले जाते हैं बाकी जो फर्श पर चिपकी हुई खिचड़ी का दाना है, उसे उठाकर पुजारी इन भगन, जोगिन, देवदासी को पकड़ा देता है। इस प्रकार इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थित बहुत खराब है। इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। राजस्थान में धानक, धानुक और धानकिया जाति अनुसूचित जाति में है लेकिन धानका जाति अनुसूचित जनजाति में है। धानुका में अनुसूचित जाति के लोग हैं लेकिन उनको प्रमाण-पत्र अनुसूचित जाति का नहीं मिलता है। उनका पेशा अस्वच्छ है। पुश्तैनी पेशा है, दाई का काम करते हैं इसलिए इनको भी अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए।

इसी तरह कबाड़ी और सपेरा जातियां मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति मे है लेकिन राजस्थान में अनुसूचित जाति मे नहीं हैं। सपेरा सब तरफ घूमता-फिरता है। अगर उसे एक राज्य में अनुसूचित

जाति का रखा जाएगा और दूसरे राज्य में नहीं रखा जाएगा तो उसे वे सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। कबाड़ी राजस्थान में भी हैं और मध्य प्रदेश में भी हैं। हमारे राजस्थान के निर्वाचन क्षेत्र से लगा हुआ मध्य प्रदेश का गुना इलाका है जहां पर छाबड़ा स्थित है। वहां पर कबाड़ी को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया गया है। इस कारण उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल रही है जिसके लिए संशोधन का समर्थन करते हैं। सभापति महोदय, श्री राम लाल राही ने जो संशोधन पेश किया है, उसको स्वीकार किया जाए और जो प्रोवीजो-परन्तुक जोड़ने के लिए निवेदन किया गया है, उनको मन्जूर किया जाए।

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : सभापति महोदय, इसका जवाब तो हमारे मन्त्री श्री रामजी लाल सुमन देंगे लेकिन जो संशोधन के लिए श्री राम लाल राही जी ने कहा है, इसे मैं ठीक समझता हूं। मैं इसे ठीक ही नहीं बल्कि इनके नोटिस में यह लाना चाहता हूं कि जाट और जाटों का जो जिक्र आया है कि हमारे हरियाणा में आज से तीन साल पहले जितने भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, वे बैकवर्ड ही नहीं बल्कि उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए हर बच्चे को रोज एक रुपया मिलता है और 6 महीने तक वह लगातार स्कूल जाता है तो उसके लिए प्लॉट के लिए पांच हजार रुपया लोन भी मिलता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जाट के नाम से कुछ ऐसा चमत्कार पैदा हो गया है कि कोई उठता है तो जाट का नाम लेता है। मैं इतना ही बताता हूं कि राजस्थान में आई० ए० एस० 261 हैं जिनमें जाट जाति के 4 हैं, गूजर 3 हैं और राजपूत 27 हैं। दूसरी तरफ बड़ी जाति के नाम लूं तो व्यापारी वर्ग 67, ब्राह्मण 46 और काश्तकार 17 हैं। हमारी बदनामी करते हैं कि अजगर हैं। दरअसल हम अजगर नहीं कहा करते थे। हमारा कहने का मतलब यह नहीं है कि वैसे तो "ह" का मतलब हरिजन, "म" का मतलब माइनॉरिटी होता है। इस प्रकार तो "र" का राजपूत, "ग" का गूजर और "ज" का जाट होता है, लेकिन यही बिरादरियां हैं जो गांवों में काम करती हैं और इन सबको इस वास्ते बैकवार्ड क्लासेज करार दिया जाना चाहिए कि जो मैं मिसाल देता हूं यू० पी० की, हरियाणा की और राजस्थान की, वह आई० ए० एस० तक देता हूं। हमारा हरियाणा सबसे ज्यादा पोलिटिकली आगे है। वहां 200 आई० ए० एस० हैं जिनमें से जाट हैं 6, राजपूत कोई नहीं, गूजर कोई नहीं, अहीर एक है, बाकी जातियां होने का सवाल ही नहीं और बड़ी जातियां जो हैं जिनमें बनिया कहलाते हैं 51, और खत्री हैं 46, 200 में से, और कायस्थ है 6 और ब्राह्मण हैं 16। वह बनते हैं 129 और हमें अजगर कहते हैं, हम बनते हैं 1:, हम अजगर हैं या वो अजगर हैं यह आप सोच सकते हैं। यह यू० पी० की हालत है, वहां 501 आई० ए० एस० हैं। उनमें से जिनका राज कहा जाता है—अहीर हैं 3, जाट हैं 2, राजपूत हैं 48, यह सारा राज्य मिला लो तो 56 बनते है। बाकी यहां 4 बिरादरियां हैं, कुल 278 हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बैकवर्ड क्लासेज आगे आएं, जो भी किसी स्टेट में हो जनजाति एवं अनुसूचित जाति का, वहां एक लिस्ट बननी चाहिए और उसको किसी स्टेट में उसी किस्म के अधिकार मिलने चाहिए जो संविधान में हैं। मैं समझता हूं कि इसमें मुझे एतराज सिर्फ इतना है कि मेरी तरफ इशारा करके जो कहा, उसकी असलियत बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इसका जवाब तो हमारे मिनिस्टर रामजीलाल सुमन ही देंगे।

श्री रामजीलाल सुमन : सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं भाई रामलाल राही का, जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव इस सदन के सम्मुख पेश किया। न सिर्फ आज इस सम्माननीय सदन में इस सवाल पर चर्चा हो रही है, बल्कि सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी लोगों ने इससे पहले भी चर्चा की है। इन सब सवालों पर हमारे कुछ मित्र उत्तेजित हो गए दलितों पर अत्याचार से लेकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों की सूची को बढ़ाने के सिलसिले में, उसका कोई ज्यादा

मतलब नहीं था, हमको मर्यादित करना चाहिए था उस विषय विशेष को क्योंकि अनुसूचित जाति और जनजाति के हमारे जो मित्र हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जाते हैं, उनको वह सहूलियतें नहीं मिलतीं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को मिलती हैं।

सभापति महोदय, यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हमारे देश की जो सामाजिक और भौगोलिक संरचना है वह हर प्रदेश की अपनी अलग-अलग है। वहां की सामाजिक रचना, वहां की भाषा, वहां का शैक्षिक स्तर, वहां की सांस्कृतिक गतिविधियां, ये सब चीजें हर प्रांत की अलग-अलग हैं। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रांत में जो अनुसूचित जाति और जनजाति की लिस्ट बनती है, वे सब मापदण्ड होते हैं उस सूची के बनने में। यह बात सही है अपनी जगह जैसा कि हमारे मित्र रामलाल राही और दूसरे साथियों ने कहा—कुछ लोग, हमारे समाज के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बेरोजगार हैं और पलायन करते हैं रोजी-रोटी की तलाश में। यह बात भी अपनी जगह सही है कि इस देश में आजादी के 40-42 वर्षों के बाद भी सामाजिक तनाव है, लोग जलाए जाते है। हमारा समाज अपनी सामन्ती मनोवृत्ति से आज भी समझौता करने को तैयार नहीं है। जब सामाजिक तनाव होता है तो लोग दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, यह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब से इंकार नहीं किया जा सकता कि आज हमारे विभिन्न प्रांतों की जो माली हालत है, या गरीबी है, वहां से लोग पलायन करते हैं उन प्रदेशों में जहां उनको रोजी की संभावनाएं ज्यादा हैं, यहां उनकी माली हालत बेहतर है। अगर यह सब होगा तो जहां गरीबी है वहां गरीबी और ज्यादा रह जाएगी और लोग पलायन करते जाएंगे उन स्थानों पर जहां उनको यह सम्भावना है कि उनको वहां कुछ मिल सकता है और मैं समझता हूं कि देश के क्षेत्रीय संतुलन के लिए यह किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। आज इस अवसर पर युवराज जी ने भी तमाम सवाल उठाए। मैं तो युवराज जी के हल्के में गया था। युवराज जी, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को सूची में शामिल करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। हमारे पास जो नाम आते हैं, वे राज्य सरकारों से आते हैं। हम राज्य सरकारों से विनम्र आग्रह करते हैं कि राज्य सरकारें उन जातियों के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जब राज्य सरकारों से हमारे पास नाम आ जाते हैं तो केन्द्र की सरकार उन पर सार्थक कार्यवाही करती है, वह प्रोसेस बिल्कुल अलग है और यह बात सही है कि कुछ जातियां छूट गयीं हैं। मैं उनको इतना भोसा दिलाना चाहूंगा कि किसी जाति को छोड़ने का हमारा इरादा नहीं हैं बल्कि जातियों को जोड़ने का इरादा जरूर है और ऐसा सरकार करना चाहती है। इसलिए जहां तक केन्द्रीय सरकार की ओर से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संरक्षण देने या सहूलियतें देने का सवाल है, हमारी ए और बी क्लास की जितनी सर्विसेज हैं, पूरे देश में, एस० सी० और एस० टी० को वे सुविधायें मिलती हैं और सी और डी क्लास की सर्विसेज में, विभिन्न प्रान्तों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों का जो प्रतिशत है, उसके आंकड़े मेरे पास इस समय उपलब्ध हैं, उस प्रतिशत के चलते, राज्यों द्वारा उनका चयन किया जाता है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत चलने वाली शैक्षणिक संस्थाओं का सम्बन्ध है, उनमें भी इन जातियों के लोगों को पूरी सहूलियतें दी जाती हैं। यह काम दिल्ली की हमारी केन्द्रीय सरकार करती है। यहां मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक केस है : माननीय चन्द्रशेखर राव बनाम संस्थाध्यक्ष श्री जी० एस० मेडिकल कालेज : यह एक सिविल याचिका है, जिसकी संख्या 989/89 है, जिसमें उच्च न्यायालय की ऐसी मान्यता है, न्यायालय का मानना है कि तथापि किसी जाति की सामाजिक दशायें प्रत्येक राज्य में भिन्न हैं और सारे देश में किसी जाति या आदिम जाति को अनुसूचित जाति के रूप में या जनजाति के रूप में सामान्य रूप से मानना उपयुक्त नहीं होगा। इस सबके बावजूद

हम स्वामी जी से सम्पर्क कर रहे हैं, अपने न्याय मन्त्री जी से सम्पर्क कर रहे हैं कि इन सब सवालों के चलते क्या हो सकता है। मैं राही जी की भावना को भली-भांति समझता हूं। जो उनके जजबात हैं, जो मिजाज उनका है, उनकी फीलिंग्स के साथ मैं अपनी फीलिंग्स को भी जोड़ता हूं। यह सवाल ऐसा है कि मन्त्री बनने से पहले, हम इन सवालों के विषय में यद्यपि कुछ बातें कहते रहे हैं और मैं अपने धर्म को जानता हूं परन्तु जब कभी इन सवालों पर हम चर्चा करें तो राही जी और उनके मित्रों के जो सुझाव यहां आए हैं, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए कोई सार्थक कार्यवाही करेंगे, निर्णय लेंगे। राही जी ने इस सम्माननीय सदन का ध्यान जिस विषय की ओर आकृष्ट कराया है, इसके लिए मैं उनका पुनः आभार प्रकट करता हूं और उनसे विनम्र आग्रह करूंगा कि वे इसे प्रेस न करें, वापस ले लें।

श्री राम लाल राही : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा और खासकर अपने उप-प्रधान मन्त्री जी को, कि उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है और इसकी भावना का स्वागत किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि जिस चीज का वे स्वागत करते हैं माननीय उप-प्रधानमन्त्री जी, उसको किसी न किसी रूप में पूरा करने का वे भरसक प्रयास करते हैं। माननीय सुमन जी ने अपने जवाब में दो बातें कही हैं। पहली बात अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची में लोगों को जोड़ने की कही है, जो छूट गयी है। मेरा इससे कोई ऐतराज नहीं है। कुछ जातियां ऐसी जरूर हैं जो छूट गयी है, जिनका स्तर वैसा ही है, जैसा कि आज की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बनी सूची में है। उसी तरीके का सामाजिक आर्थिक रहन सहन, उसी तरह का बर्ताव है। इसलिए ऐसी जातियों की छानबीन होनी चाहिए और उन्हें इस सूची में सम्मिलित किया जाए तो मुझे प्रसन्नता होगी लेकिन, श्रीमन् मेरा जो संशोधन विधेयक है, वह सविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के सम्बन्ध में है और उसमें परन्तुक जोड़ने का है, वह बड़ा ही साधारण सा है। मैं नहीं समझता कि आपने यह बात कैसे कह दी कि इन जातियों की सामाजिक दशाएं जगह जगह भिन्न हैं। मैं स्वयं मानता हूं कि भिन्न हैं, मैं यह नहीं कहता कि भिन्न नहीं हैं, लेकिन जो सूची बनी है, वह सूची उस भिन्नता को देखकर बनी है और उस भिन्नता में भी यह देखा गया है कि इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति एक सी है। एक सी स्थिति को देखकर ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची बनायी गयी है।

इसलिए उसको राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने में, मैं समझता हूं कि कोई कठिनाई आड़े नहीं आती है। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, या जनजाति का व्यक्ति उत्तरप्रदेश में रह रहा है, वह यदि उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से निकल कर केरल में चला जाए तमिलनाडु में चला जाए, गुजरात के कछार में चला जाए, आंध्र प्रदेश में चला जाए, उसी तरह का रहन-सहन, वातावरण, उसी तरह का पहनावा, वेष-भूषा और खानपान हो, तो क्या वह अनुसूचित जाति या जनजाति में नहीं रहेगा, क्या उसको क्षेत्र की भिन्नता के आधार पर उस सूची में से निकाल दिया जाएगा ? इसी प्रकार से कोई तमिलनाडु, केरल गुजरात या आंध्र प्रदेश का आदमी लखनऊ या कानपुर में आकर रहने लगे, तो क्या वह अनुसूचित जाति का नहीं रहेगा ?

श्री रामजी लाल सुमन : राय जी, आप एक मिनट के लिए बैठें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल से आते हैं और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता हूं, दूर की बात तो छोड़िए, इन दोनों क्षेत्रों के जो एक ही प्रदेश के हैं, अनूसूचित जाति के लोगों के रहन-सहन और खान-पान में जमीन-आसमान का अन्तर है।

श्री राम लाल राही : अगर ऐसा है, तो आप संशोधन करके उस सूची में से उनको निकाल दीजिए, लेकिन मैं ऐसा कोई फर्क नहीं समझता हूं।

श्री रामजी लाल सुमन : दोनों क्षेत्रों के लोगों में, जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हैं उतना ही फर्क है जितना आपकी और मेरी शक्ल में फर्क है।

श्री राम लाल राही : मैं ऐसा नहीं मानता। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी रहा हूं मुझे मालूम है. हर सत्र में, उत्तर प्रदेश में, जब भी इन जातियों के सामाजिक और आर्थिक उन्नयन और विकास की बातें हुई हैं, तब सबसे ज्यादा सवाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन जातियों के विषय में उठाए गए हैं और यह कहा गया है कि वहां जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वे स्वर्ण जातियों से ज्यादा दबते हैं। अगर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी मजबूत होती, तो फिर वे उनका मुकाबला करने के लिए तैयार होते, दबते नहीं और यदि ऐसा होता, तो फिर विधान सभा में क्यों बहस होती ? इसलिए आप इन बातों को छोड़िए और मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए।

जो सूची इन जातियों की बनी है, वह एक आधार को लेकर बनी है और जब एक आधार है, तो चाहे उत्तर प्रदेश का हरिजन केरल में चला जाए या केरल का हरिजन लखनऊ या कानपुर में आ कर अपनी रोजी-रोटी कमाए, धन्धा करे, बिहार का पंजाब या हरियाणा में चला जाए, हरियाणा या पंजाब का बम्बई में या महाराष्ट्र में किसी अन्य स्थान पर चला जाए, तो भी वह हरिजन ही माना जाएगा। उसका सामाजिक-स्तर वैसा ही बना रहेगा। इसलिए उसको राष्ट्रीय परिवेश में मानना और एक राष्ट्रीय सूची बनाना, मैं समझता हूं कि उन वर्गों के साथ न्याय करना होगा।

मैंने तो आपसे निवेदन किया था कि मैंने जो सवाल उठाया है वह इसलिए उठाया है कि उसमें एक इशारा है और मैं समझता हूं कि अगर आप राष्ट्रीय-स्तर की सूची बनाएंगे या व जातियां जो अनुसूचित जाति या जनजाति की सूची में हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर ही मान्यता देंगे, जो आज दे रहे हैं राज्यवार, तो इससे क्षेत्रीयता समाप्त होगी और उनके अन्दर भी एक राष्ट्रीयता की भावना आएगी, एक जागृति पैदा होगी।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज एक प्रदेश के दो तीन जिलों में जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उनको 42 वर्ष की आजादी में इतना तो हक हासिल है कि वे अपने उन स्थानों से, जहां उनको रोजी-रोटी और काम धन्धा मिल रहा है, वहां जाकर वे रहें और खुली हवा में वे सांस ले सकें, जब वे ऐसा करते हैं और वहां से बाहर जाते हैं, तो उनका सामाजिक-स्तर वही का वही रहता है, हर चीज वही रहती है, फिर उसको वे सुविधाएं जो अनुसूचित जाति होने के कारण मिल रही थीं, नये स्थान पर पहुंचकर बन्द क्यों की जाएं ? क्या आप नहीं समझते कि उनके अन्दर जो क्षेत्रीयता की भावना है, वह खत्म की जाए और राष्ट्रीयता की भावना आए, जागृति आए ?

मान्यवर, जब भी लोक सभा का सदन बैठता है और देश भर की विधानसभाओं के सदन बैठते हैं, तो प्रायः हर सत्र और हर सदन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के आरक्षण का सवाल उठता है और बहस होती है कि उनके लिए निर्धारित पदों पर नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं। यदि मेरे उपर्युक्त सुझाव को मान लिया जाता है, तो ये सब सवाल समाप्त हो जाएंगे क्योंकि फिर इनका कोटा पूरा हो जाएगा।

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा तीसरा निवेदन यह है कि जब वे सुविधाजनक स्थान पर पहुंच जाएंगे, तो उनको विकास करने के अवसर ज्यादा मिलेंगे। इसलिए अपनी आर्थिक और सामाजिक मुक्ति के लिए या शोषणकारी जातियां जो इनको अपने चंगुल में फंसाकर रखती हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए निकल जाएंगे, दूसरी जगह काम करेंगे, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें। मैं नहीं जानता आप कहते हैं कि वापिस ले लें, मैं कहता हूं कि मैं वापिस ले लूंगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कुछ आश्वासन तो दीजिए। आपने कहा कि भावना अच्छी है, आपने कहा कि मैं इससे सहमत हूं। यदि सहमत हैं तो यह कहें कि हम विचार करेंगे और अपने मन्त्रिमण्डल में रखेंगे और विचार करने के बाद एक व्यापक संशोधन विधेयक लाएंगे। यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं वापिस लेता हूं।

श्री रामजी लाल सुमन : मैं निवेदन करूंगा कि हम सब लोग न्यायालय की गरिमा को जानते हैं। जैसा मैंने निवेदन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में फैसला दिया है कि हम इस सवाल को क्या कर सकते हैं। वित्त मन्त्रालय से राय लेंगे, वित्त मन्त्रालय से जैसे राय मिल जाएगी हम इस सवाल को करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं कि आपकी जो भावना है, सुझाव हैं, उनका पूरा समावेश होगा। आप हमारे पुराने मित्र हैं। यदि हमारी आपकी वार्ता से कुछ सार्थक परिणाम निकल सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे। मैं भरोसा दिलाना चाहूंगा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याण के लिए चिन्तित है और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरा आग्रह होगा कि आप इसे वापिस ले लें।

श्री राम लाल राही : मन्त्री जी ने जो आश्वासन दिया है और जैसा कि मैं समझता हूं कि इसमें राष्ट्रीय हित है, इसमें समाज के कमजोर वर्गों का सूची के अन्तर्गत हैं, हित है। जैसा आपने कहा कि हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, जजमैंट दिया है जिसमें यह कहा है कि केवल सूचियां ऐसी बनी हैं कि उनकी सूची को बनाते समय इस बात को ध्यान में रखा गया है कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थितियां भिन्न हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि भिन्न होते हुए भी समान दृष्टि देखकर सूचीयां बनी हैं। इसलिए इसमें भिन्नता का कोई सवाल नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जहां भी मामला है उनको मानना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या विधेयक वापस लेने के लिए माननीय सदस्य को सदन की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

7.49 म० प०

इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति (मान्यता) विधेयक

श्री जगन्नाथ सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, सदन में कई वर्षों से चिकित्सकों के अन्धकारमय भविष्य के बारे में कहना चाहता था लेकिन आज उनके सुनहरे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तथा चिकित्सकों के जीवन को सुनहरा बनाने के लिए जो अवसर यहां आया है, उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहूंगा कि इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति एक नवीन चिकित्सा पद्धति है। हमारे देश में चार चिकित्सा पद्धतियां राष्ट्रीय स्थान प्राप्त किए हुए हैं— एलोपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति विदेशों की देन हैं जिसे वेस्टन मैडिकल साइन्स कहा जाता है। आयुर्वेद व यूनानी पद्धतियां ही मात्र हमारे देश की खोज है। परन्तु हमारे देश की सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी जबकि हजारों लाखों आयुर्वेद चिकित्सक उस समय सरकार के दरवाजे खटखटाते रहे। सबसे पहले जर्मनी सरकार ने आयुर्वेद के गुणों को देखते हुए इसको सरकारी संरक्षण प्रदान किया। जब हमारी सरकार ने देखा कि हमारे देश की खोज को जर्मनी सरकार ने मान्यता दे दी है तो इनको भी महसूस हुआ तब जाकर आयुर्वेद व यूनानी को उस समय की वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीयकृत किया।

होम्योपैथ चिकित्सा पद्धति जर्मनी से लाई गई है। इसके जन्मदाता डा० सेमुअल हैनीमैन थे जो कि कुम्हार परिवार से सम्बन्ध रखते थे। इन्होंने ही एलोपैथी पद्धति में एम० डी० कर रखी थी। वे डिप्टी सी० एम० ओ० के पद पर कार्यरत थे। इन्होंने एलोपैथी के साइड एफेक्ट व रियेक्शन को देख कर घर पर जल रही भट्टी में अपनी सभी डिग्रियां जला दी थीं और नवीन चिकित्सा पद्धति की खोज के लिए निकल पड़े। वहीं से उन्होंने होम्योपैथी पद्धति की खोज की। भारत में लाहौर के महाराजा रंजीत सिंह ने सन् 1839 में डा० होनी बर्गर के सहयोग से इस पद्धति का श्रीगणेश किया। होम्योपैथी पद्धति का 1839 से लेकर 1948 तक अनेक संस्थाओं द्वारा प्रचार-प्रसार किया जाता रहा। अन्त में भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय में, जब कई राज्यों की सरकारों का दबाव पड़ा तो केन्द्रीय सरकार ने सन् 1948 में होम्योपैथ इन्क्वायरी कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने 1950 में अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य मन्त्रालय को दी जिस पर भारत सरकार ने इसको सब संवैधानिक अधिकार दे दिए।

हमारा देश जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरे नंबर पर है। जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश को कई प्रकार की विषय परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। इन सब में प्रमुख समस्या है आर्थिक तंगी और अच्छे स्वास्थ्य का न होना। आज वर्तमान में आर्थिक तंगी के कारण एक आम आदमी की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसे तन ढकने के लिए कपड़ा व एक वक्त का भोजन भी ठीक प्रकार से नसीब नहीं होता है। वह सही प्रकार का भोजन प्राप्त नहीं कर सकता है। उसे अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं होगा तो मनुष्य का शरीर रोगों से ग्रस्त रहेगा।

आज चिकित्सा विज्ञान ने चमत्कारिक उपकरण व दवाइयों का अविष्कार किया है। यह चमत्कारित दवाइयां व उपकरण सब अवर्णीय हैं। परन्तु यह सब चमत्कार एक आम मनुष्य के लिए बेकार है। दवाइयां व चिकित्सा के उपकरण इतने महंगे हैं कि आम मनुष्य इसका खर्चा सहन नहीं कर सकता है।

गांवों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। रोटी कपड़ा और मकान उनकी अपनी समस्याएं हैं। तो ठीक से चिकित्सा प्राप्त करने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण अपने स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए उनके पास एक ही उपाय रह जाता है, कोई ऐसी चिकित्सा उनको उपलब्ध हो जिसके माध्यम से वह अपने रोगों का निदान कर सकें। दवाइयां महगी होने के कारण इलाज करा पाना उनके लिए सम्भव नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में उनको मौत के मुंह में जाना पड़ता है इसलिए आज हमें एक ऐसी चिकित्सा प्रणाली की आवश्यकता है, जो कम खर्चे में आम नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ करा सके।

होम्योपैथी को भारत सरकार ने सन् 1953 में सरकारी मान्यता प्रदान की थी। 1953 के बाद किसी अन्य चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार इस देश में नहीं हो सका है। हमारे यहां जो चारों चिकित्सा पद्धतियां हैं, उनसे भिन्न एक चिकित्सा पद्धति जो इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के नाम से जानी जाती है। निश्चित रूप से इस चिकित्सा पद्धति का प्रचार प्रसार अपने देश में हो और इसके लिए सरकारी संरक्षण और मान्यता की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं, क्योंकि, सस्ती तथा कम खर्च में जो भी चिकित्सा यदि उपलब्ध हो सकती है उसे मान्यता देना वाजिब होगा। वास्तव में इस चिकित्सा पद्धति में जो इलैक्ट्रोपैथी के नाम से जानी जाती है, जन्मदाता जर्मनी के डा० काऊण्ट सीजर मैंटी हैं, जो इटली के रहने वाले थे, व रोम के पूर्व सांसद भी रहे। शासकीय सेवक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह खोज की और उस खोज से एक नवीन चिकित्सा पद्धति जिले इलैक्ट्रोपैथी के नाम से जर्मनी में जाना जाता है, उसका आविष्कार और प्रचार प्रसार जर्मनी में हुआ। डा० मैंटी ने होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का पूर्ण अध्ययन किया और पाया कि यह सभी जो पिछले चिकित्सा पद्धतियां हैं, वे अपने आपमें अपूर्ण हैं, वह एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की खोज में निकल पड़े, जो चारों पद्धतियों से श्रेष्ठ, सस्ती एवं गुणकारी हो। डा० काऊण्ट मैंटी का इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा शास्त्र रस व रक्त के सिद्धांतों पर आधारित है। रस व रक्त मानव शरीर के ऐसे चैतन्य पदार्थ हैं जो स्वच्छ एवं स्वस्थ रहने पर मानव शरीर रोग रहित रहता है।

यदि रस व रक्त अथवा दोनों ही दूषित हो जाएं तो मानव शरीर रोग ग्रस्त हो जाएगा। इस मूल सिद्धान्त को ध्यान में रखकर डा० काऊन्ट मैंटो ने औषधियों के दो समूह तैयार किए, जिनमें से एक रक्त को व दूसरा रस व कफ, को शुद्ध करता है। जब इन औषधियों से रस व रक्त शुद्ध व साफ रहेंगे तो मानव शरीर निरोग रहेगा तथा रोगग्रस्त मानव शरीर का जड़ से रोग समाप्त हो जाएगा। इसकी औषधियों के निर्माण के समय मैंटी ने प्रत्येक औषधि कई-कई विशेष गुणों वाली औषधियों को करके तैयार की है। इसलिए यह औषधियां गुणकारी एवम् लाभकारी सिद्ध हुई हैं। ये औषधियां मानव शरीर पर विद्युत गति से प्रभाव डालती हैं, इसलिए इस पद्धति को इलैक्ट्रो शब्द की संज्ञा दी गई है।

8.00 म० प०

डा० मैंटी के अनुसार मानव शरीर किसी एक तत्व से मिलकर नहीं बना है। मानव शरीर एक काम्पलैक्स संरचना लिए हुए है। शरीर के स्वास्थ्य लाभ हेतु काम्पलैक्स औषधियों का निर्माण किया है। काम्पलैक्स संरचना का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रन्थ "आयुर्वेद" में किया गया है, उसके अनुसार मानव शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है—पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। उक्त काम्पलैक्स संरचना को मैडिकल साइन्स भी मानता है। परन्तु फिर भी अन्य चिकित्सा प्रणालियों से रोग निवारण

हेतु काम्पलैक्स औषधि के स्वरूप को नकारा है। जैसे "होम्योपैथी", होम्योपैथी चिकित्सा में एक बीमारी के लिए सिर्फ एक ही औषधि का एक बार में ही प्रयोग किया है, जबकि यह सिद्ध हो चुका है किसी एक बीमारी के होने पर सम्पूर्ण मानव शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। उक्त दोष को डा० काउन्ट मैंटी ने काम्पलैक्स औषधियों का निर्माण कर काम्पलैक्स संरचना वाले शरीर को स्वस्थ करने के उक्त "काम्पलैक्स" सिद्धान्त को मूलभूत आधार मानकर वैज्ञानिक आधार वाली इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किया है।

सभापति महोदय, इस पद्धति की औषधि शुद्ध वनस्पति जगत के पौधों से प्राप्त की जाती है। इलैक्ट्रोपैथी में मात्र 60 औषधियां तैयार की गई है, जो शरीर के सभी रोगों के लिए है। इन सम्पूर्ण औषधियों को बनाने के लिए 114 पौधों का प्रयोग किया जाता है। ये बाकी पौधे हमारे देश में आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। डा० मैंटी ने विश्व वैज्ञानिक डा० पैरासेल्सस के कथन को पढ़ा कि हर वनस्पति पौधे में एक विद्युत शक्ति छुपी रहती है, जिसे ओंड-फोर्स कहते हैं। यदि इसकी पूर्ण शक्ति को बिना हानि के निकाल लिया जाए तथा मानव शरीर पर प्रयोग किया जाए तो विद्युत गति से रोगों को शीघ्र जड़ से समाप्त किया जा सकता है। यह सत्य है कि विश्व के वैज्ञानिकों ने पहले ही यह मान रखा है कि अमुक पौधा अमुक रोगों के लिए कारगर है, इसी आधार पर ऐलोपैथो, आयुर्वेद इत्यादि पद्धतियां औषधियों का निर्माण करते आए हैं। डा० मैंटी ने जिस पौधे का अर्क निकालना होता है, उसकी जड़, कलियां इत्यादि की एक...

[अनुवाद]

सभापति महोदय (डा० तम्बि दुरै) : कृपया वही कहें जो आप कहना चाहते हैं। कृपया पूरी व्यवस्था की व्याख्या न करें।

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि चिकित्सा पद्धति, जो नवीन चिकित्सा पद्धति इलैक्ट्रोपैथी के नाम से जानी जाती है, अपने गरीब देश के लिए अत्यधिक उपयोगी है। आज इस वैज्ञानिक युग मे चार चिकित्सा पद्धतियां अपने देश में विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में यदि नवीन चिकित्सा पद्धति को अपने देश में मान्यता दो जाए, तो निश्चित रूप से अपने देश के आम नागरिकों को उससे लाभ मिल सकता है।

इसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत में इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक डा० नरेन्द्र कुमार अवस्थी जी हैं। इस चिकित्सा पद्धति के साठ मैडीकल कालेज पूरे हिन्दुस्तान भर में है। इस समय वर्तमान में जनकपुरी, नई दिल्ली में इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से फ्री-आफ कास्ट एक हास्पिटल का संचालन होता है। जिसको मैंने स्वतः देखा है व 60 कालेज का संचालन, नेचरों इलेक्टरों होम्यो मैडिकोज आफ इण्डिया, सी-2 सी 1123 पाकेट 12 जनकपुरी नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। वास्तव में इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से जो लोग बीमार होते हैं, उनके रोगों का निवारण सस्ते उपकरणों के माध्यम से सस्ती दरों पर किया जाता है। इससे गरीब लोगों को फायदा होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार को मान्यता देकर अपने देश में आम नागरिकों को सुविधा प्रदान करेंगे। इस चिकित्सा पद्धति के मेडीकल कोर्सेज द्वारा बी० ई० एस० नाम से डिग्री और डिप्लोमा दिया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति को सरकारी मान्यता देने

के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय की ओर से एक कमेटी गठित की गयी थी। उस कमेटी ने छानबीन करके पता लगाया कि इस चिकित्सा पद्धति के संस्थान ठीक काम कर रहे हैं। जिन 4 संस्थानों की कमेटी के माध्यम से जांच की गयी, उस जांच में पाया गया कि इस चिकित्सा पद्धति के संस्थान वास्तव में सही ढंग से चल रहे हैं। मान्यता के सम्बन्ध में इस कमेटी की रिपोर्ट पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि यदि इन संस्थाओं को गुण-दोषों के आधार पर देखा जाए तो इनमें कोई खराबी नहीं है और निश्चित तौर पर सरकार की ओर से इनको मान्यता दी जानी चाहिए। इस नवीन चिकित्सा पद्धति का आविष्कार जर्मनी के डा० काऊण्ट मैटी ने किया, इसको हमारे देश में भी मान्यता और संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। देश में विद्यमान चिकित्सा पद्धतियों ग्रामीण अंचलों और दूरस्थ इलाकों में हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उपलब्ध नहीं हैं। इनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से इस पद्धति को मान्यता देना अत्यन्त आवश्यक है।

(व्यवधान)

ग्रामीण अंचलों में नागरिकों को जितनी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में इस नवीन चिकित्सा पद्धति की हमारे देश की गरीब जनता को बहुत आवश्यकता है और इसको सरकारी मान्यता अवश्य दी जानी चाहिए।

इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक से सम्बन्धित कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूं।

जैसाकि आप जानते हैं, हमारे देश में, विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं और अधिकतर बड़ी संख्या में लोग ऐलोपैथी पद्धति का अनुसरण करते हैं। वास्तव में, अब यह सार्वभौमिक पद्धति बन गई है और विश्व में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐलोपैथी पद्धति से अपना इलाज करा रहे हैं। इस पद्धति में सन्निहित गुणों के कारण और इसके प्रभाव और पुनरुत्थान के कारण इस पद्धति को सबसे अधिक स्वीकारा गया है।

हमारे देश में, चिकित्सा की जिन अन्य पद्धति का उल्लेख हुआ है, जैसे यूनानी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पद्धतियां, इन सभी को सरकार से मान्यता मिल चुकी है। काफी लोग इस चिकित्सा पद्धति से इलाज कराते आ रहे हैं। फिर भी, ऐलोपैथी की तुलना में अपनाई जाने वाली अन्य पद्धतियों का प्रतिशत बहुत कम है।

मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि यह इन रोग निदान प्रणालियों का बड़ा ही दुखदाई पहलू है कि सरकार आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी की शिक्षा पर भारी राशि खर्च कर रही है, परन्तु, जो डाक्टर इन संस्थाओं से शिक्षा गृहण करके बाहर निकलते हैं, वह उसका प्रयोग नहीं करते जो उन्हें पढ़ाया जाता है। उदाहरणार्थ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग सात वर्ष तक आयुर्वेदिक शिक्षा

ग्रहण करने के पश्चात्, डाक्टर आयुर्वेदिक संस्थाओं से बाहर आते हैं। परन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि वे अधिकतम ऐलोपैथिक दवाईयों का ही प्रयोग करते हैं। इसके कारण रोगियों को गलत दवाईयों तथा दूसरी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

इस विधेयक को प्रस्तुत करके हम देश में एक और उपचार प्रणाली को बढ़ावा देने जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों के लिए यह बिल्कुल नई जानकारी होगी क्योंकि इस देश में लोग 'इलैक्ट्रोपैथी' से अनभिज्ञ हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि शरीर में विद्युत शक्ति विद्यमान है। इस उपचार प्रणाली में वनस्पति पौधों के कुछ क्रियाशील तत्वों का प्रयोग रोगी के उपचार के लिए किया जाता है।

मैं यह नहीं कहता कि कोई उपचार प्रणाली दूसरी उपचार प्रणाली से बेहतर है क्योंकि यह तर्क ऐसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी कुछ तरीके ऐसे हैं, जिनके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि क्या कोई औषधि अथवा उपचार प्रणाली उपयोगी है अथवा नहीं। इस तरह की परीक्षण विधि सभी उपचार प्रणालियों पर लागू की जानी चाहिए। मेरे विचार में कुछ बीमारियों के सम्बन्ध में 'इलैक्ट्रोपैथी' उपचार प्रणाली की विश्वसनीयता को परखा जाना चाहिए। अगर यह पता चलता है कि रोगों का उपचार नियन्त्रित रूप में नहीं हो रहा है, तो सरकार को इस प्रणाली पर कम जोर देना होगा।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, यह बिल्कुल सत्य है कि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उपयुक्त डाक्टरी सहायता उपलब्ध कराने के लिए साधन और डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए, लोगों को नीम हकीमों तथा अन्धविश्वासों का शिकार होना पड़ता है। हम एक और ऐसी उपचार प्रणाली नहीं लाना चाहते जो हमारे रोगियों के लिए समस्याएं खड़ी करे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी वस्तु अनुचित तरीके से बेची जा सकती है और लोगों को बड़ी आसानी से धोखा दिया जा सकता है।

मैंने पहले ही कई शहरों में 'इलैक्ट्रोपैथी' सम्बन्धी साईन बोर्ड देखते हैं। बहुत से कालेज भी खोले जा रहे हैं। उनका जाल फैल रहा है। अब हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि जबकि मेडीकल तथा इन्जीरियरिंग शिक्षा का भी व्यवसायकीकरण हो गया है। बहुत से ऐसे निजी मेडिकल कालेज खुल रहे हैं, जिन्हें मेडिकल काऊन्सिल से मान्यता प्राप्त नहीं है और ये कालेज एम० बी० बी० एस० की डिग्रीयां प्रदान कर रहे हैं। वे पैसे के आधार पर लोगों को प्रवेश दे रहे हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम फिर से भ्रष्टाचार से ग्रसित ऐसे संस्थानों का जाल बिछाने जा रहे हैं। इस विधेयक में यह कहा गया है कि कोई भी प्राधिकारी, अनुमति अथवा परिषद उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु 'इलैक्ट्रोपैथी' के बड़ी संख्या में संस्थान सारे देश में स्थापित किए गए हैं। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत अधिक उलझन पैदा हो जाएगी। इससे बहुत से विद्यार्थी गुमराह हो जाएंगे तथा इसके द्वारा हेराफेरी को बढ़ावा मिलेगा।

इसलिए, इस सम्बन्ध में सावधानी रखनी चाहिए। 'इलैक्ट्रोपैथी' उपचार विधि के खिलाफ मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। परन्तु इसकी उपयोगिता अभी सिद्ध नहीं हुई है। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस मामले को विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया जाना चाहिए तथा इस उपचार प्रणाली को मान्यता प्रदान करने से पहले सरकार को परिषद अथवा प्राधिकरण की उपयोगिता को परख लेना चाहिए

अन्यथा हम अप्रभावशाली चिकित्सा प्रणालियों की भीड़ में एक और प्रणाली को जोड़ देंगे जिसके कारण हमारे देश में लाखों लोगों का जीवन खतरे में रहता है। यद्यपि, मैंने पहले ही कहा है कि मैं 'इलैक्ट्रोपैथी' के विरुद्ध नहीं हूं, फिर भी वर्तमान स्थिति में मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री तथा उद्योग मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बसई चौधरी) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने यह बताया कि हमारे देश में चार चिकित्सा पद्धति काम कर रही हैं और उनके अलावा पांचवी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिए इलैक्ट्रो होम्योपैथी के लिए हमारे माननीय सदस्य विधेयक लाए हैं। सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि जब हम किसी भी पद्धति को मान्यता देते हैं तो उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं और बहुत सोचना-समझना पड़ता है। पहले तो चिकित्सा पद्धति की मान्यता के लिए उनके इतिहास, स्वास्थ्य, अवस्था की अवधारणा, रोग हेतु विज्ञान तथा अपनी धारणा ों को रोककर, वैज्ञानिकों और तर्कसंगत नियंत्रण आधारित होना चाहिए। हमारे माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ सिंह ने बताया है कि जर्मनी में काऊन्टी मैंथी साहब आए थे। उन्होंने इस दवा का आविष्कार किया है। इस बारे में उन्होंने काम शुरू किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इलैक्ट्रो होम्योपैथी दुनिया के किसी भी देश में लागू नहीं है। हमने इसके बारे में बहुत जांच-पड़ताल की है और हमारे मंत्रालय ने करवायी है। यह साबित नहीं हो सका कि इलैक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा दुनिया के किसी भी देश में उपचार किया जा रहा हो। इलैक्ट्रोपैथी, होम्योपैथी के चिकित्सक यह दावा करते हैं कि हमारी पद्धति होम्योपैथी से मिलती-जुलती पद्धति है। होम्योपैथी में एक ही औसत से औषधि बनायी जाती है जबकि इलैक्ट्रो होम्योपैथी में बहुत सारे मिश्रित और जोगिक ओषधि से दवा बनायी जाती है। इसलिए किसी भी तरह से जो होम्योपैथी है उसको इलैक्ट्रो होम्योपैथी से नहीं मिलाया जा सकता। इसके बारे में बार-बार मंत्री से, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से, सांसदों या विधायकों से मंत्रालय को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इलैक्ट्रो होम्योपैथी को पांचवीं चिकित्सा पद्धति की मान्यता दी जानी चाहिए। उसके आधार पर सरकार ने एक कमेटी बनायी थी डा० पेन्टल की अध्यक्षता में जो कि आई० सी० एम० आर० के महानिदेशक थे और सितम्बर 88 में कमेटी का गठन किया गया था कि इस देश में काफी जगहों पर इलैक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा चल रही है। उन जगहों पर जाकर जानकारी प्राप्त की। उनको किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं लगा कि जो हमारे देश में चारों चिकित्सा पद्धति चल रही है उसी तरह से इलैक्ट्रो होम्योपैथी को पांचवीं चिकित्सा पद्धति की मान्यता दें। हमने जो कमेटी बनाई थी, उसने जो रिपोर्ट दी है, उसमें जो कहा है, थोड़ा समय लगेगा, मैं उसको पढ़कर सुनाए देता हूं। उससे साफ हो जाएगा कि हमारी जो कमेटी है उसकी क्या अवधारणा है और इलैक्ट्रो-होम्योपैथी को हम क्यों नहीं मान्यता देना चाहते। पहली बात जो रिपोर्ट में कही गई है कि इलैक्ट्रो-होम्योपैथी के कुछ भारतीय चिकित्सा की नई पांचवी पद्धति होने का दावा करते हैं, एक पांदप आधारित पद्धति है। जिस उपचार की अवधारणा का दावा किया गया है वह लक्षणों के बजाए रोग का उपचार करने पर जोर देती है। इस पद्धति में 115 पादपों से तैयार की गई 36 मूल औषध हैं। दूसरा उन्होंने कहा है कि भारतीय लेखकों द्वारा प्रकाशित की गई इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के बारे में कई पुस्तकें हैं। तथापि उनका अध्ययन करने से पता चलता है कि वे सभी 19वीं शताब्दी में विकसित एक समिति अवधारणा पर आधारित है। यह समिति इस बात का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाई है कि किसी भी देश में इलैक्ट्रो-होम्योपैथी को मान्यता प्रदान की गई है। प्रत्यक्षः, इस पद्धति के

चिकित्सकों द्वारा प्रयोग की गई कुछ औषधें भारत जैसे विकासशील देशों को निर्यात के लिए केवल जर्मनी द्वारा निर्मित की जाती हैं । आपने जो कहा है कि जर्मनी में इस तरह उपचार किए जाते हैं और वहां यह पद्धति लागू है, वह बिलकुल लागू नहीं हैं। इस तरह की कोई पद्धति से वहां काम नहीं किया जाता है, बल्कि वह पुस्तकों के आधार पर इस इलैक्ट्रो-होम्योपैथी के दावे किए जा रहे हैं और जो चिकित्सक हैं वे केवल पुस्तकों के आधार पर ही उसका उपयोग कर रहे हैं । तीसरा इसमें यह है कि इस समय नियंत्रण वैधानिक परीक्षणों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और यह सुझाव दिया गया है कि कोई अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के लिए विशिष्ट रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न इलेक्ट्रो-होम्योपैथी औषधों के साथ वैधानिक परीक्षणों को शामिल करके दीर्घकालिक भावी वैज्ञानिक अध्ययन किए जाने चाहिए ।

चौथा यह है कि सभी उपलब्ध सूचना इलेक्ट्रोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी और अन्य आधुनिक औषधों अथवा आयुर्वेद अथवा होम्योपैथी की यूनानी पद्धति के बीच कोई ज्यादा समानता प्रतीत नहीं होती है । ये सभी चिकित्सा पद्धतियां विभिन्न धारणाओं, सिद्धांतों और परिकल्पनाओं पर आधारित हैं । हालांकि इलेक्ट्रो-होम्योपैथी पूर्णतया उन धारणाओं पर आश्रित प्रतीत होती है जिन धारणाओं का वर्ष 1865 में काऊन्ट मैटी ने प्रचार किया था और सभी उपलब्ध साहित्य उन द्वारा की गई टिप्पणियों पर केन्द्रित है । पांचवा यह है कि इसमें कोई आधिकारिक भेषज-संहिता नहीं है। छठा, भारत में इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के बहुत से कालेज हैं जो बहुत से समुदायों से सम्बद्ध छात्रों को शिक्षा दे रहे हैं। इसके लिए कोई मान्यता प्राप्त राज्य-स्तरीय या राष्ट्रीय परिषद नहीं है । इनमें से बहुत-सी संस्थाएं सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं । विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदत्त डिग्री के नाम में एकरूपता नहीं है। ऐसे बहुत से संस्थानों में शिक्षक अर्हता प्राप्त होम्योपैथ हैं या भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं। कुछ संस्थाओं में ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंशकालिक शिक्षक हैं ।

इस मन्त्रालय द्वारा 1970 के दशक में एक पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त करने से पहले, होम्योपैथी, की बहुत सी होम्योपैथिक संस्थाएं थीं और होम्योपैथिक चिकित्सकों की संख्या भी काफी बड़ी थी जो सरकार से मान्यता प्राप्त किए बिना प्रेक्टिस कर रहे थे। इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के बारे में भी समान स्थिति विद्यमान है। इस तरह की उनकी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के बावजूद भी हमारे मंत्रालय के जो विशेषज्ञ हैं उनकी एक कमेटी बनाई है कि वह इसकी जांच करें जो समिति की रिपोर्ट आई है उस पर क्या कार्यवाही की जा सकती है। हम समझते हैं कि इसे पांच चिकित्सा पद्धतियों में मान्यता देना व्यावहारिक सुझाव नहीं है इसलिए हम माननीय सदस्यों से अनुरोध करेंगे कि इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री जगन्नाथ सिंह : सभापति महोदय, जो कमेटी का गठन किया गया है इलेक्ट्रो-होम्योपैथी सिस्टम और गुणों और दोषों के सम्बन्ध में कि इसे मान्यता दी जाए या नहीं, सरकार को यह चाहिए था कि जो इलेक्ट्रो-होम्योपैथी से सम्बन्धित विशेषज्ञ हैं, डाक्टर हैं वे इस कमेटी में रखने चाहिए थे। कमेटी में एलोपैथी, होम्योपैथी या जो अन्य चिकित्सा पद्धतियां हैं उससे सम्बन्धित तथा जानकारी वाले लोग ही उस कमेटी सदस्य थे ।

निश्चित तौर पर जो चिकित्सा पद्धति हमारे देश में प्रचलित है, उससे सम्बन्धित जो विशेषज्ञ होंगे, कोई नवीन चिकित्सा पद्धति का विस्तार, प्रचार और प्रसार हो, कोई नवीन चिकित्सा पद्धति के

विशेषज्ञ नहीं चाहेंगे। इसके लिए कमेटी के गठन करते समय इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए था कि इलेक्ट्रोपैथी से सम्बन्धित जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी उस कमेटी में रखना चाहिए था।

जहां तक मन्त्री महोदय ने कहा कि उसमें विशेष अन्तर नहीं है। इस बात की जानकारी सरकार द्वारा प्राप्त करनी चाहिए थी कि वास्तव में इलैक्ट्रोपैथी अपने देश में सही है, कितने भागों में यह काम कर रही है और इससे सम्बन्धित कितने कालेज चल रहे हैं। आज इस पद्धति के माध्यम से तकरीबन 62 मेडिकल कालेज अपने देश में संचलित हैं और निश्चित तौर पर इस पद्धति के नाम से उसका गलत नाम देकर के विभिन्न स्थानों पर, शहरों में और अपने देश के विभिन्न भागों में उसका कई लोग गलत तथा नाजायज फायदा उठा रहे हैं और ऐसी स्थिति में कोई यदि नवीन चिकित्सा पद्धति है और उसके लिए व्यापक मान्यता देने के लिए सरकार समझती है तो सरकार इस चिकित्सा पद्धति के सम्बन्ध में व्यापक रूप से छानबीन करे और उससे सम्बन्धित अपने मन्त्रालय में खासकर जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी शामिल किया जाए ताकि उस चिकित्सा पद्धति के गुण-दोषों के सम्बन्ध में वह जानकारी दे सकें। आज की परिस्थिति में जहां तक इस चिकित्सा पद्धति का सवाल है। इसके माध्यम से जहां तक दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में साईड इफैक्ट्स की सभावना रहती है और इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से कोई साईड इफैक्ट्स की संभावना नहीं तो ऐसी स्थिति में इस चिकित्सा पद्धति को मान्यता देना वास्तव में हमारे देश की गरीब जनता के लिए उपयुक्त होगा।

जहां तक हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने इस बात की जानकारी दी है कि इस पद्धति की जो कमेटी की रिपोर्ट है, उसके कहीं कोई कारगर कोई संस्थान इत्यादि का जिक्र किया है कि नहीं है, इसके सम्बन्ध में पुनः दोहराना चाहूंगा कि चिकित्सा पद्धति के माध्यम से 62 मेडिकल कालेजेज हैं और अपने नई दिल्ली में जनकपुरी में भी एक फ्री हॉस्पीटल है और इसके माध्यम से इस चिकित्सा पद्धति का संचालन किया जाता है जहां पर बहुत से गरीब तंग हालत वाले लोग इस चिकित्सा पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस चिकित्सा पद्धति का सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसके माध्यम से देश में इलेक्ट्रोपैथी का प्रसार और प्रचार किया जा रहा है।

मैं आग्रह करूंगा कि वास्तव में अपने देश की गरीब जनता के लिए जो कि वास्तव में अपनी गरीबी के कारण ठीक से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर पाते हैं और यदि हम ऐसी चिकित्सा पद्धति का प्रसार और प्रचार कर सकें कि जिसके माध्यम से गरीब जनता को कुछ लाभ हो सके तो निश्चित रूप से उसको मान्यता देना उचित होगा।

जहां तक उसके गुण-दोषों का सवाल है उसके सम्बन्ध में निश्चित रूप से भारत सरकार; स्वास्थ्य मन्त्रालय छानबीन करेगा और यह पता लगाएगा कि वास्तव में यह अपने देश के लिए लाभकारी है, गुणकारी है अथवा नहीं, सभी इसके गुण-दोषों के सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि पूर्व में जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के माध्यम से यह पूरा निष्कर्ष नहीं निकला कि यह पद्धति बिल्कुल ही अनुपयोगी है, निरर्थक है और जहां तक विदेशों का सवाल है, वहां तो वैसे ही रजिस्टर्ड होकर चिकित्सा पद्धतियां जो प्रचलित हैं उनका कार्य संचालन किया जाता है। केवल अपने देश में तथा पड़ौसी देश बंगलादेश और पाकिस्तान में चिकित्सा पद्धतियों को सरकारी संरक्षण देकर उनके माध्यम से संस्थाओं का कार्य संचालन किया

जाता है और उनके माध्यम से देश की जनता-जनार्दन को स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रावधान किया जाता है।

सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि यदि एक ऐसी चिकित्सा पद्धति, जो वास्तव में अपने देश के हजारों हजार विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जुड़ी हो और उसके साथ ही साथ ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके माध्यम से, उसकी दवाइयों के माध्यम से कोई साइड इफेक्ट की संभावना न हो और सस्ती और गुणकारी हों, ऐसी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देना अपने देश के हित में, गरीब जनता के हित में उपयुक्त होगा, ऐसा मेरा विचार है।

श्री बसई चौधरी : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि जो समिति बनाई गई थी, उसमें कोई भी इलेक्ट्रो-होम्योपैथी के लोगों को नहीं रखा गया था। मैं उनको सूचना के तौर पर बताना चाहता हूं कि डा० नरेन्द्र कुमार जो भारतीय इलेक्ट्रो नेशनल होम्योपैथी की मेडिकल काउन्सिल के सचिव थे, उनको हमारी समिति ने आमंत्रित किया था और उनके बाद ही सारी रिपोर्ट हमारी कमेटी ने दी है। दूसरे, मैं उन को बताना चाहता था कि चूंकि इनका कोई इलेक्ट्रो होम्योपैथी का अधिकृत ज्ञान या उसमें अधिकार नहीं है, इसलिए उस ऑफिशियल समिति में रखना सम्भव नहीं था। तीसरा, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जहां तक छात्र और कालेज का सवाल है, मेरे मन्त्रालय को जो सूचना अभी तक मिली है उसमें यह बात सही है कि कुछ राज्यों में ट्रस्ट के नाम पर सूचना लेकर के इस तरह के कालेज चलाए जा रहे हैं जो बिल्कुल राज्य सरकार से सम्बन्धित हैं और राज्य सरकार का मामला है। उसमें हमारा कुछ नहीं है पर हम चाहते हैं कि इसके बारे में भी हम मन्त्रालय से राय-विचार करेंगे और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार को इसके बारे में हम एक निर्देश दें कि इस तरह की जो इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की पढ़ाई की मान्यता आप देंगे या जो कालेज खुल रहे हैं उसकी सारी की सारी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी, भारत सरकार को उससे कोई वास्ता नहीं होगा। इसलिए मैं अपने माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको वापस ले लें और जो हमने कमेटी बनाई है, इस सम्बन्ध में हमारा मंत्रालय फिर जांच-पड़ताल करेगा और उसके आधार पर सरकार कार्यवाही करेगी।

श्री जगन्नाथ सिंह : सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है और कहना है कि जो कमेटी गठित की गई थी चन्द समय के लिए, डा० नरेन्द्र कुमार अवस्थी जो इसके सचिव हैं उनको रखा गया था।

समय-समय पर जब उस कमेटी की बैठक होती थी तो डा० नरेन्द्र कुमार अवस्थी उनको नहीं बुलाया जाता था। इसलिए वे स्वतः ही उस कमेटी से अलग हो गए। मेरा आग्रह है और मैं पुनः अपने निवेदन को रिपीट करना चाहूंगा कि पूरे देश में इस इलेक्ट्रो-होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित 62 मेडिकल कालेज चल रहे हैं और जनकपुरी में इसका अपना एक मुख्यालय है, कार्यालय है जो विधिवत् संचालित है। मेरा सरकार से आग्रह है, आपके माध्यम से, कि जब ये सभी संस्थान यहां से यही रूप में संचालित होते हैं, विधिवत संचालित हैं तो इसे मान्यता मिल जानी चाहिए। यदि सरकार चाहे तो इस बात की छानबीन करा सकती है कि वास्तव में इसका कोई केन्द्रीय कार्यालय, मुख्यालय हैं या नहीं। इसके लिए सरकार की ओर से एक कमेटी बनाई जाए और वह कमेटी यह छानबीन करे कि क्या वास्तव में इस पद्धति पर आधारित चिकित्सा संस्थान पूरे देश में चल रहे हैं या नहीं। वह कमेटी इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को दे। उसके प्रतिवेदन के आधार पर सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस चिकित्सा पद्धति को देश में मान्यता दी जाए अथवा नहीं। यदि सरकार की

ओर से इस तरह का कोई आश्वासन मुझे मिलता है तभी मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेने के बारे में सोच सकता हूं। मैं सरकार से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार में उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है।

[हिन्दी]

श्री बसई चौधरी : हमने सभापति जी, इनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उस कमेटी को जो रिपोर्ट हमारे पास आई है···

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। माननीय सदस्य का आपसे मतान्तर है। अगर आप अपने वक्तव्य में सुधार कर सकते हैं, तो वह अपना प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार हैं। अगर आप कोई आश्वासन दें तो वह अपना प्रस्ताव वापिस लेने को तैयार है। अन्यथा उनका यह कहना है कि वह किस आधार पर ऐसा करने के लिए तैयार हो जाएं।

डा० वेंकटेश काबड़े : मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : इस समय कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। श्री जगन्नाथ सिंह, क्या आप अपना प्रस्ताव वापिस लेंगे?

[हिन्दी]

श्री जगन्नाथ सिंह : सरकार कुछ आश्वासन तो दे।

श्री बसई चौधरी : सभापति महोदय, हमने इन्हें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने पहले जो कमेटी गठित की थी, उस कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। उसमें कुछ दूसरे सुझाव भी दिए गए हैं, इसको मान्यता देने के बारे में, उन्होंने कहा है कि इस प्रकार से जांच पड़ताल करायी जा सकती है। हमने अपने मन्त्रालय में जो एक्सपर्टस की कमेटी बनाई है, फिर से उसकी जांच कराएंगे और माननीय सदस्य ने जो भावनाएं यहां व्यक्त की हैं, उन्हें भी उस कमेटी के सामने रखेंगे, इनकी भावनाओं के आधार पर हम जांच करायेंगे। उसके बाद, वह कमेटी हमें जो सिफारिशें करेगी, उस पर हम तदनुसार कार्यवही करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप इस प्रस्ताव को वापस लेंगे?

श्री जगन्नाथ सिंह : मेरा आग्रह है कि मन्त्री महोदय की ओर से पहले स्पष्ट आश्वासन आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है। तभी मैं कोई निर्णय ले सकूंगा। आप एक समिति गठित करके यह जांच कराइए कि इस चिकित्सा पद्धति के आधार पर वास्तव में सारे देश में कितने मेडिकल कालेज चल रहे हैं। उस कमेटी में इलेक्ट्रोपैथी के एक्सपर्ट/विशेषज्ञों को लिया जाए। वह कमेटी यह पता भी लगाए कि क्या उन संस्थानों का यहां विधिवत कोई केन्द्रीय कार्यालय है या नहीं, अधिकृत कार्यालय है या

नहीं। जांच के बाद ही मान्यता देने के सवाल पर निर्णय लिया जाए। वह समिति यह भी देखे कि वास्तव में इसे मान्यता देना उचित होगा या यह सारी मात्र कागजी कार्यवाही ही चल रही है। यह एक नवीन चिकित्सा पद्धति है। पहले मैं सरकार की ओर से ऐसा आश्वासन चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सब कहने का समय नहीं है। अब मैं विचार करने का प्रस्ताव सभा मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने और उससे सम्बन्धित अथवा अनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम अगली मद संख्या 17 लेते हैं। श्री वी० एन० गाडगिल—यहां पर उपस्थित नहीं हैं। मद संख्या 18 श्री हरीश रावत। वह भी यहां उपस्थित नहीं हैं।

इसलिए, अब सभा 25 फरवरी, 1991 को ग्यारह बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.40 म० प०

"तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 25 फरवरी, 1991/6 फाल्गुन, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : दी इण्डियन प्रेस, देहली।